रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 194] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 28, 2007/आश्विन 6, 1929

No. 194] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 28, 2007/ASVINA 6, 1929

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 सितम्बर, 2007

(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स)

सं. 1-सीए(5)/58/2007.—चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 की धारा 18 की उप धारा (5ख) के अनुसरण में, भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान की परिषद् के 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संपरीक्षित लेखाओं और रिपोर्ट की एक प्रति जनसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित की जाती है ।

58वीं वार्षिक रिपोर्ट

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान की परिषद् को 31 मार्च, 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष की 58वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है । भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आईसीएआई), जिसकी स्थापना, 1 जुलाई, 1949 को संसद् के अधिनियम द्वारा की गई थी, इस वर्ष के दौरान अपनी स्थापना के 58वें वर्ष में प्रवेश कर गया है । परिषद् इस संस्थान की इस प्रतिष्ठा के लिए सदस्यों और छात्रों की प्रशंसा करती है, जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वृत्ति को आज समाज में प्राप्त है । इसे सभी सदस्यों और छात्रों द्वारा प्रदर्शित उत्कृष्टता, स्वतंत्रता, और सत्यनिष्ठा के परिणामस्वरूप प्राप्त किया गया है ।

इस परिप्रेक्ष्य में, रिपोर्ट में परिषद् और इसकी विभिन्न समितियों की वर्ष 2006-2007 की तथा संक्षेप में मध्य अगस्त, 2007 तक की महत्वपूर्ण गतिविधियों का उल्लेख किया गया है । रिपोर्ट में वर्ष के दौरान सदस्यों और छात्रों से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं तथा सांख्यकीय रूप रेखा भी सम्मिलित की गई है । रिपोर्ट में, आयोजित की गई संगोष्ठियों/सम्मेलनों, संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सदस्यों और वर्ष 2006-2007 के संस्थान के लेखाओं के ब्यौरों को भी समाविष्ट किया है ।

वर्ष के दौरान वृत्तिक के संबंध में जो एक अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना घटी है वह चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 में संशोधनों के माध्यम से बहुप्रतीक्षित परिवर्तन करना है । इस संबंध में, यहां यह उल्लेख करना अनिवार्य है कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 को 23 मार्च, 2006 को भारत के राष्ट्रपति की सम्मति के पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था ।

उक्त संशोधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन वस्तुतः अत्यधिक स्पष्टीकारक और व्यापक हैं । संशोधन अधिनियम, 2006 के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई महत्वपूर्ण पहलों में से कुछ में संस्थान के प्रशासन से संबंधित विभिन्न विषयों में संस्थान को स्वायतता प्रदान करना ; एक और अधिक सक्रिय तथा प्रभावी अनुशासनात्मक तंत्र स्थापित करना ; एक क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन करना ; और निर्वाचन संबंधी सुधार करना सम्मिलित हैं ।

नई प्रणाली के अधीन विरचित किए जाने के लिए अपेक्षित नियमों को संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा लाए गए संशोधनों से उदभूत होते हुए प्रवृत्त किया गया है । यद्यपि कतिपय विद्यमान विनियमों का संशोधन करना अपेक्षित है, वहीं नए विनियम बनाना भी आवश्यक हो गया है । इस प्रयोजन के लिए, संस्थान ने केन्द्रीय सरकार को अपने ब्यौरेवार और व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं जो उसके सक्रिय विचाराधीन हैं ।

यह आशा की जाती है कि उक्त कानून में किए गए संशोधन परिषद् को उसके कर्तव्यों और कृत्यों का अधिक प्रभावी रीति से निर्वहन करने में समर्थ बनाएंगे ।

सरकार, उद्योग संगम और निगम का, बिना किसी अपवाद के यह दृढ़ विश्वास है कि देश में सुदृढ़ अवसंरचना बनाए जाने के लिए एक सुदृढ़ लेखांकन वृत्ति महत्वपूर्ण कुंजी है और यह प्रत्यक्षतः उस देश और व्यष्टिक कंपनियों की समर्थता से संबंध रखती है । इन रूपरेखाओं पर, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 210क के अधीन गठित लेखांकन मानकों संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने कंपनी अधिनियम के अधीन विहित किए जाने के लिए लेखांकन मानक 1-29 (एएस 8 को छोड़कर, जिसे एएस 26 के साथ समामेलित किया गया है) की सिफारिश की थी । संस्थान द्वारा जारी इन लेखांकन मानकों की विधि मंत्रालय के परामर्श से समीक्षा की गई थी और उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिसूचना सं.739(अ), तारीख 7 दिसम्बर, 2006 के माध्यम से विहित किया गया है । यह पांच वर्षों के लंबे प्रयासों का मधुर परिणाम है और यह कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार और साथ ही आईसीएआई की एक प्रमुख संयुक्त उपलब्धि है जिसके द्वारा सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों को सम्मिलित करते हुए भारतीय लेखांकन मानकों को विकसित और अधिसूचित किया गया है ।

जैसे-जैसे भारत विश्व के आर्थिक नक्शे पर आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है, यह आवश्यक है कि हमारे देश के पूंजी बाजारों में पूरे विश्व के निवेशकों का अटूट विश्वास बनाए रखने के लिए देश की प्रगति का पोषण किया जाए । यद्यपि सरकार, निगम क्षेत्र के प्रचालनों में वृहत्तर नमनीयता और खुलापन उपलब्ध कराके उस विश्वास का पोषण करने के अपने प्रयास जारी रखे हुए है, वहीं पश्चातवर्ती ने स्वयं एक लंबे समय से कारबार में आचार और बेहतर शासन व्यवहारों को रखने के फायदों को मान्यता दी है । भारतीय निगम भी इस तथ्य को मान्यता देते हैं कि एक उचित, पारदर्शी और विश्वसनीय वित्तीय रिपोर्टिंग विश्वास को मजबूत करती है और आर्थिक विकास के जटिल रास्ते को अनिवार्य रूप से सरल बनाती है । इस संबंध में, आईसीएआई, राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में भारत सरकार के इस प्रयास का समर्थन करती है कि भारत विश्व में न केवल विश्वस्तरीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के माध्यम से अपितु उसके द्वारा विरचित अंतरराष्ट्रीय रूप से मान्यताप्राप्त लेखांकन मानकों के माध्यम से भी, उत्कृष्ट और सर्वोत्तम निवेश स्थान के रूप में उभरे ।

1. परिषद्

उन्नीसवीं परिषद्, जिसका गठन 5 फरवरी, 2004 से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया था, का कार्यकाल 4 फरवरी, 2007 को समाप्त हो गया ।

बीसवीं परिषद् के लिए 16 दिसंबर, 2006 को, और जहां कहीं आवश्यक था (केवल महानगरों में) 15 और 16 दिसंबर, 2006 को केन्द्रीय सरकार द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 [चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित] के अधीन विनिर्दिष्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (परिषद् का निर्वाचन) नियम, 2006 के अनुसार सफलतापूर्वक निर्वाचन कराए गए थे । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 9 की उपधारा (2) के उपबंधों के, जो 5 सितंबर, 2006 से प्रवृत्त किए गए हैं, निबंधनों के अनुसार 5 फरवरी, 2007 से तीन वर्ष की अवधि के लिए 32 निर्वाचित सदस्यों और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (परिषद् में सदस्यों का नामनिर्देशन) नियम, 2006 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित 8 सदस्यों वाली बीसवीं परिषद् का गठन किया गया था । उन्नीसवीं परिषद्, जिसने 4 फरवरी, 2007 तक कार्यभार संभाला, की और बीसवीं परिषद्, जिसका गठन 5 फरवरी, 2007 को किया गया था, की संरचना पृथक रूप से दर्शित की गई है ।

परिषद्, उन्नीसवीं परिषद् के सदस्यों, विशेषकर उन सदस्यों, जो परिषद् से सेवानिवृत्त हुए हैं, द्वारा उसके विचार-विमर्शों और अन्य वृत्तिक विकास गतिविधियों में किए गए मूल्यवान सहयोग के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है ।

2. परिषद् की समितियां

परिषद् ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स अधिनियम, 1949 की धारा 17, (परिषद् की समितियां) और चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 की धारा 21घ, जो 17 नवंबर, 2006 से प्रवृत्त है, के परिवर्ती उपबंधों के अनुसार वृत्ति संबंधी विषयों के बारे में चार स्थायी और विभिन्न अस्थायी समितियों का गठन 5 फरवरी, 2007 को किया । तत्पश्चात् विज़न दस्तावेज, 2021 बनाने के लिए एक विशेष प्रयोजन समिति का गठन किया गया । 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान, परिषद् की विभिन्न समितियों की 155 बैठकें आयोजित की गई, जबकि 31 मार्च, 2006 को समाप्त वर्ष के दौरान 182 बैठकें आयोजित की गई थीं ।

3. संपरीक्षक

सीए. मनु चड्ढ़ा एफसीए और सीए. गुरमीत एस. ग्रेवाल, एफसीए वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए आईसीएआई के संयुक्त संपरीक्षक थे । परिषद् उनकी सेवाओं की प्रशंसा करती है ।

4. स्थायी समितियां

4.1 कार्य समिति

यह समिति छात्रों/सदस्यों/फर्मों से संबंधित विभिन्न रजिस्टर रखने, सदस्यों के प्रवेश, हटाए जाने और उनके पुनःस्थापन के कार्य की देख-रेख करती है, जिसमें व्यवसाय प्रमाण-पत्र के निर्गमन समेत सदस्यों से संबंधित विषयों पर, छात्रों से संबंधित सब विषयों पर जिनमें उन्हें अनुज्ञा देना, जहां अपेक्षित हो, छात्रों/सदस्यों/फर्मों की ओर से किए गए विलम्ब की माफी, भी शामिल है, शाखाओं से संबद्ध विषयों, जिनमें नई शाखाएं खोलना, नए चैप्टर खोलना और विदेशों में कार्यालय खोलना तथा कर्मचारियों से संबंधित विषयों, लेखा रखने आदि विषयों पर भी विचार करती है ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति द्वारा परिषद् को की गई कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित विषयों से सबंधित हैं :

- प्रारूप विनियम - नए/चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 से उदभूत होने वाले, विद्यमान विनियमों में संशोधन और अन्यथा " विद्यमान विनियमों के पुनर्विलोकन संबंधी कार्य समूह" द्वारा तैयार किए गए ।
- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) विनियम, 2006 द्वारा लाई गई नई शिक्षा स्कीम के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप प्ररूप 103 (आर्टीकलों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप) और प्ररूप 102 (आर्टीकल विलेख) में प्रस्तावित रूपांतरण ।
- शिक्षा और परीक्षा की नई स्कीम के लिए पद्धतियां और क्रियान्वयन अनुसूचियां ।
- एक्सबीआरएल इंडिया लिमिटेड में आईसीएआई की भागीदारी ।
- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियम, 1988 के अधीन आर्टीकलों को द्वितीय करने के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप ।
- अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यूटीओ में पश्च अर्हता पाठ्यक्रम की पुनःसंरचना ।
- बीमा और जोखिम प्रबंधन में पश्च-अर्हता पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण ।
- संस्थान के सदस्यों के लिए समूह बीमा स्कीम बिरला सनलाइफ द्वारा सीएवीएफ के माध्यम से उपलब्ध कराई गई ।
- संस्थान के विद्यार्थियों के लिए समूह बीमा स्कीम ।
- आईसीआईसीआई बैंक द्वारा आईसीएआई के सदस्यों को को-ब्रांडिड क्रेडिट कार्ड जारी करना ।
- भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान और युनाइटेड स्टेट्स तथा कनाडा के सरकारी वित्त अधिकारियों की एसोसिएशन के बीच संबंधन करार का निष्पादन ।
- आचार मानकों संबंधी समिति के निर्देश-निबंधनों का पुनरीक्षण ।
- दक्षिणी क्षेत्र में नेल्लौर और मध्य क्षेत्र में बिलासपुर में शाखाओं की स्थापना ।
- सदस्यता फीस में वृद्धि ।
- सिडनी, आस्ट्रेलिया में संस्थान के चैप्टर की स्थापना ।
- अध्ययन सर्कलों का गठन आज्ञापक बनाकर और अध्ययन सर्कलों से सतत वृत्तिक शिक्षा (सीपीएल) के कार्य को आरंभ करने की अपेक्षा करके, छात्र एसोसिएशनों की शाखाओं के कार्यकरण को अधिक प्रभावी बनाने की साध्यता का पता लगाना ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति द्वारा लिए गए कुछ महत्वपूर्ण विनिश्चय निम्नलिखित से संबंधित हैं:-

1. कड़ी मानव संसाधन पहलों को तैयार करना और कार्यान्वित करना, जिसके अंतर्गत नई योग्यता को आकर्षित करने तथा पुरानी योग्यताओं को बनाए रखने के उद्देश्य से एक त्वरित प्रोन्नति स्कीम भी सम्मिलित है ।
2. छात्रों के लिए विभिन्न छात्रवृत्तियों की रकम में वृद्धि ।
3. वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति स्कीम ।
4. कार्रवाई में मारे गए सेना और अर्द्ध सेना कार्मिकों के बालकों को रजिस्ट्रीकरण और ट्यूशन फीस से संदाय से छूट ।

5. भारत से बाहर आईसीएआई के चैप्टरों के कार्यकरण संबंधी दिशा-निर्देशों का पुनर्विलोकन ।

6. संस्थान द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाणपत्रों के लिए एक नया प्ररूप विकसित करना ।

7. गैर-शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करते समय क्षेत्रीय परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा अपनाए जाने वाले प्ररूप दिशा निर्देश ।

8. 8 और अधिक तलों वाले आईसीएआई भवनों को 'आईसीएआई टॉवर' कहा जाए और अन्य सभी आईसीएआई भवनों को 'आईसीएआई भवन' कहा जाता रहेगा ।

4.2 वित्त समिति

परिषद् की यह स्थायी समिति चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा किए गए संशोधनों के कारण अस्तित्व में आई । केन्द्रीय सरकार को प्रस्तावित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स विनियमों में संशोधनों का अनुमोदन लंबित रहने के दौरान, यह समिति, पूर्व में केन्द्रीय बजट और वित्त समिति को समनुदेशित कृत्यों और ऐसे किसी अन्य कृत्य का निष्पादन करेगी, जिसे समय-समयय पर समनुदेशित किया जाए ।

4.3 परीक्षा समिति

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फाइनल, वृत्तिक शिक्षा-II और वृत्तिक शिक्षा- I परीक्षाएं नवंबर, 2006 में दुबई और काठमाण्डू के अतिरिक्त देश भर के 102 शहरों में क्रमशः 151, 171 और 150 केन्द्रों पर आयोजित की गई और मई, 2007 में अबूधाबी, दुबई और काठमाण्डू के अतिरिक्त 102 शहरों में क्रमशः 159, 177 और 133 केन्द्रों पर आयोजित की गई । प्रथम वृत्तिक सक्षमता परीक्षा का आयोजन मई, 2007 में 32 केन्द्रों पर किया गया था । प्रथम सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) का आयोजन नवंबर, 2006 में किया गया था और तत्पश्चात् फरवरी और मई, 2007 में 108, 98 और 112 शहरों में क्रमशः 146, 164 और 182 केन्द्रों पर आयोजित की गई ।

नवंबर, 2006 में आयोजित फाइनल, वृत्तिक शिक्षा-II और वृत्तिक शिक्षा- I परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्रमशः 24667, 49220 और 16089 और मई 2007 में क्रमशः 23470, 56624 और 6194 थी ।

उपरोक्त छात्र परीक्षाओं के अलावा, वर्ष के दौरान सितंबर और दिसंबर, 2006 तथा मार्च और जून, 2007 में सूचना पद्धति संपरीक्षा पर अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम निर्धारण परीक्षाएं भी आयोजित की गई । साथ ही, निगमित प्रबंध पाठ्यक्रम (भाग-I) और कर प्रबंध पाठ्यक्रम (भाग-I) की परीक्षाओं के अलावा, जो मई, 2007 में छात्रों की परीक्षाओं के साथ आयोजित की गई प्रबंध लेखाक्रम पाठ्यक्रम (भाग-I) की परीक्षाएं नवंबर, 2006 और मई, 2007 में आयोजित की गई । बीमा जोखिम प्रबंध में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम परीक्षा का सफल आयोजन नवंबर, 2006 और मई, 2007 में किया गया । अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियों और विश्व व्यापार संगठन (आईटीएल और डब्ल्यूटीओ) में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम परीक्षा का सफल आयोजन नवंबर, 2006 और मई 2007 में हुआ ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए निम्नलिखित सुविधाएं जारी रही :-

- अहमदनगर, इरोड, कोलम, कुंभकोनम और पांडिचेरी में नवंबर, 2006 की परीक्षा से नए परीक्षा केन्द्रों को स्थापित किए गए थे ।

- मुख्य परीक्षा के लिए स्थापित परीक्षा केन्द्रों के अलावा सामान्य प्रवीणता परीक्षा के लिए आनंद, बेलारी, करनाल, सोनीपत, राउरकेला, तिरूपुर और तुतीकोरिन में नए परीक्षा केन्द्र स्थापित किए गए थे ।

- नवंबर, 2006 और मई, 2007 की परीक्षाओं में भी अहमदाबादे और बैंगलोर के परीक्षा केन्द्रों को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया जिनके अंतर्गत उन शहरों के विभिन्न अवस्थान आते हैं ।

- नवंबर, 2006 और मई, 2007 परीक्षाओं के लिए भी ओएमआर प्रारूप में परीक्षा आवेदन पत्र जारी रखे गए और अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र दिए गए जिनमें उनके स्कैंड फोटो चित्र और नमूना हस्ताक्षर थे । इससे अभ्यर्थियों को अलग से पहचान पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं रही ।

- परीक्षा आवेदन पत्र संस्थान के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय परीषदों की शाखाओं के अलावा, दिल्ली, कोलकाता, और मुम्बई महानगरों में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध कराना जारी रखा गया । अभ्यर्थियों को ओएमआर आवेदन पत्र में उनके द्वारा बताए गए निजी पहचान संख्यांक (पिन) का प्रयोग करके वेबसाइट से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करने की सुविधा को आगे बढ़ाया गया ।

- परीक्षाफल और अंकों को राष्ट्रीय सूचना केन्द्र की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया । वेबसाइट पर योग्यता-सूची से संबंधित सूचना को भी परीक्षाफल की घोषणा के साथ ही प्रदर्शित किया गया ।

- संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालयों और क्षेत्रीय परीषदों की शाखाओं द्वारा परीक्षाफल और अंक डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षाफल की घोषणा के साथ ही उपलब्ध कराई गई ।

- घोषणा होने पर, परीक्षा फल का पता लगाने के लिए अग्रिम अनुरोध दर्ज करने की सुविधा जारी रखी गई है और उसे दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियें को परीक्षा फल की घोषणा के तुरंत बाद ई-मेल से उनके परीक्षाफल उपलब्ध कराए गए ।

- नवंबर, 2006 और मई 2007 परीक्षाओं के प्रवेश कार्ड को ई-मेल के द्वारा विद्यार्थियों तक पहुंचाया जाना जारी रखा गया ।

- नवंबर, 2006 और मई, 2007 की परीक्षाओं के परिणाम एसएमएस तरीके से उपलब्ध कराने जारी रखे गए ।

- नवंबर, 2006 और मई, 2007 परीक्षाओं के लिए वृत्तिक शिक्षा परीक्षा- I के छात्रों को परीक्षा आवेदन पत्र ऑन लाइन फाइल करने की सुविधा प्रदान करना जारी रखा गया ।

परीक्षा प्रणालियों और प्रक्रियाओं में कुछ विदेशी संस्थाओं को बराबर परामर्श दिया जाता रहा । नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान (आईसीएएन) ने आइसीएआई की तकनीकी विशेषज्ञता के निरंतर सहयोग से जून, 2006 में फाइनल परीक्षा सफलतापूर्वक संचालित की । श्रीलंका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान ने संस्थान की तकनीकी विशेषज्ञता के सहयोग से सितंबर, 2006 और मार्च, 2007 में सूचना प्रणाली संपरीक्षा (आईएसए) निर्धारण परीक्षा सफलतापूर्वक संचालित की ।

नोएडा स्थित संस्थान के कार्यालय में इन-हाउस आंकड़ा प्रबंध केन्द्र ने पूर्ण रूप से कार्य प्रारंभ कर दिया ।

4.4 अनुशासन समिति

यह समिति आईसीएआई द्वारा प्रदत्त वृत्तिक अर्हता का स्तर और मानक बनाए रखने में परिषद् की सहायता करती है । **1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007** की अवधि में उन सदस्यों के खिलाफ जिनके मामले प्रथम दृष्टया राय पर परिषद् द्वारा उसके पास भेजे गए हैं, अनुशसनिक जांच करने के अपने कृत संकल्प उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए समिति ने देश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर **36** दिन तक **22** अवसरों पर अपनी बैठकें कीं । पुनरीक्षणाधीन वर्ष के दौरान, समिति ने **95** मामलों में अपनी जांच पूरी की, यह एक रिकार्ड संख्या थी । इसमें वे मामले भी शामिल थे जो परिषद् द्वारा पूर्व वर्षों में भेजे गए थे ।

5. तकनीकी और वृत्तिक विकास

5.1 लेखांकन मानक बोर्ड

उच्च गुणवत्ता के सही और विश्वसनीय लेखांकन तथा वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली को किसी भी देश द्वारा उच्च और दीर्घकालीन आर्थिक विकास प्राप्त करने के लिए एक आधारिक अपेक्षा माना जाता है । भारत में आईसीएआई प्रमुख लेखांकन निकाय है और वह निरंतर इस दिशा में कार्य कर रहा है । इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1977 मे लेखांकन मानक बोर्ड का गठन किया गया था । तब से यह नए लेखांकन मानकों को उपलब्ध कराके और साथ ही समय-समय पर विद्यमान लेखांकन मानकों को, उन्हें अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों (आईएएस)/अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के अनुरूप बनाने के लिए पुनरीक्षण करके देश में सही और विश्वसनीय लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली उपलब्ध कराने के लिए कार्य कर रहा है । लेखांकन मानक बोर्ड, विभिन्न लेखांकन मानक निर्वचन और घोषणाएं भी तैयार करता है, जिससे कि लेखांकन प्रणाली का एक समान उपयोजन सुनिश्चित किया जा सके और लेखांकन मानकों के क्रियान्वयन से संबंधित मुद्दों पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जा सके ।

संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों को, कंपनी अधिनियम, 1956 में धारा 211(3क), (3ख) और (3ग) के अंतःस्थापन के साथ ही अक्तूबर, 1988 में विधिक मान्यता प्राप्त हुई थी । अधिनियम की धारा 211 (3ग) यह उपबंध करती है कि आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों को केन्द्रीय सरकार द्वारा एनएसीएएस के परामर्श से विहित किया जा सकेगा और धारा का परंतुक यह उपबंध करता है कि सरकार द्वारा लेखांकन मानकों को अधिसूचित किए जाने तक, कंपनियों से संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों का अनुपालन करने की अपेक्षा की जाती है । हाल ही में, भारत सरकार के, कंपनी कार्य मंत्रालय (जो अब कार्पोरेट कार्य मंत्रालय है) ने राजपत्र में अपनी तारीख 7 दिसम्बर, 2006 की अधिसूचना द्वारा लेखा मानक 1 से 7 और 9 से 29 को विहित किया है, जो इन लेखांकन मानकों के प्रकाशन की (अर्थात् 7 दिसंबर, 2006) या उसके पश्चात् की लेखांकन अवधियों के संबंध में प्रभावी होंगे ।

अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण तथा पूरे विश्व में कारबार के प्रसार के साथ, किसी उद्यम के वित्तीय विवरणों के उपयोक्ता किसी एक देश तक ही सीमित नहीं हैं और वे विभिन्न देशों की जीएएपी अपेक्षाओं में अंतरों का मूल्यांकन करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे । अतः उच्च गुणवत्ता वाले लेखांकन मानकों के एकल सेट की आवश्यकता को मान्यता दी गई है । इसे ध्यान में रखते हुए, विश्व भर में अनेक देश या तो आईएएस/आईएफआरएस अपना रहे हैं या उन्हें रूपांतरित कर रहे हैं । इस दिशा में अग्रसर होते हुए, आईसीएआई का लेखांकन मानक बोर्ड, आईएफआरएस के आधार पर भारतीय लेखांकन मानकों (एएस) को भी विरचित करता है और यथाशक्य रूप में उन्हें उनके साथ एकीकृत करने का प्रयास करता है । इस अवधि के दौरान, आईसीएआई ने अपने लेखांकन मानक बोर्ड के माध्यम

से *वित्तीय लिखतें : मान्यता और माप* से संबंधित लेखांकन मानक (एएस) 30 का उदभासन प्रारूप और प्रस्तावित लेखांकन मानक (एएस) 31, *वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतिकरण* का पुनःउदभासन प्रारूप और 8 लेखांकन मानकों अर्थात् एएस 2, एएस 11 (पुनरीक्षित 2003), एएस 21, एएस 23, एएस 26, एएस 27, एएस 28 और एएस 29 के प्रस्तावित पारिणामिक सीमित पुनरीक्षण जारी किए हैं । दोनों उदभासन प्रारूप व्यापक रूप से तत्समान अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानकों पर आधारित हैं । इन दो लेखांकन मानकों के अलावा एएस 10, *संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर* को आईएएस 16 के अनुसार पुनरीक्षित किया गया है और एएस 12, *सरकारी अनुदानों के लिए लेखांकन और सरकारी सहायता का प्रकटन* के उदभासन प्रारूप को जनता की टिप्पणियों के लिए जारी किया गया है, जो आईएएस 20 के अनुरूप है । पूर्वोक्त के अतिरिक्त, बोर्ड ने लेखांकन मानक निर्वचन (एएसआई) 14, विक्रय संव्यवहारों से राजस्व का प्रकटन (एएस 9, *राजस्व मान्यता*) का पुनरीक्षण किया है ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान लेखांकन मानक बोर्ड की अन्य गतिविधियों का संक्षिप्त पर्यावलोकन निम्नानुसार है :

5.1.1 लेखांकन मानकों के आईएफआरएस के साथ समाभिरूपता के लिए कार्य बल का गठन

आईएफआरएस के साथ समाभिरूपता करने के लिए आईसीएआई ने सदैव प्रयास किया है । हाल ही में, यह विनिश्चय किया गया है कि आईएफआरएस के साथ पूर्ण समाभिरूपण किया जाना चाहिए और इस प्रयोजन के लिए आईएफआरएस के साथ समाभिरूपण के प्रति नीति का पता लगाने के लिए और भारत को आईएफआरएस-अनुवर्ती बनाने के लिए आईएफआरएस के साथ समाभिरूपण प्राप्त करने के लिए कार्य योजना अधिकथित करने के लिए तत्कालीन अध्यक्ष सीए एस.सी.वसुदेवा की तत्वावधानता में एक कार्य बल का गठन किया गया है ।

भारत में आईएफआरएस के साथ समाभिरूपण संबंधी एक अवधारणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया है । यह विनिश्चय किया गया है कि सूचीबद्ध अस्तित्वों और अन्य लोक हित के अस्तित्वों जैसे कि बैंक, बीमा कंपनियों और अन्य बड़े आकार के अस्तित्वों के संबंध में । अप्रैल, 2011 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाली लेखांकन अवधियों से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) को अंगीकृत किया जाए ।

5.1.2 कार्यान्वयन मार्गदर्शन / मार्गदर्शन टिप्पण जारी करना

लेखांकन मानक (एएस) 15, *कर्मचारी फायदे* (पुनरीक्षित 2005) के कार्यान्वयन में उद्योग और वृत्ति के सदस्यों के सामने आ रही कठिनाइयों को देखते हुए लेखांकन मानक बोर्ड ने एफएक्यू के रूप में अतिरिक्त मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया । इसके परिणामस्वरूप, बोर्ड ने 'एएस 15, *कर्मचारी फायदे* (पुनरीक्षित 2005) के कार्यान्वयन पर एएसबी मार्गदर्शन' जारी किए हैं ।

पूर्वोक्त के अलावा, इस अवधि के दौरान बोर्ड ने '*रियल एस्टेट विकासकर्ताओं द्वारा राजस्व मान्यता संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण*' जारी किए थे । यह मार्गदर्शन टिप्पण रियल एस्टेट विकासकर्ताओं को लेखांकन मानक (एएस) 9, *राजस्व मान्यता* के सिद्धांतों के उपयोग पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है ।

5.1.3 लेखांकन मानकों का सीमित पुनरीक्षण

परिषद् द्वारा गठित उप समूह की सिफारिशों पर विचार करते हुए बोर्ड ने एएस 15, *कर्मचारी फायदे* (पुनरीक्षित 2005) का सीमित पुनरीक्षण करने का विनिश्चय किया , जिससे कि मानक के संपरिवर्ती उपबंधों को , मानक के प्रथम उपयोजन पर उदभूत होने वाले अतिरिक्त दायित्व को 5 वर्ष की अवधि तक एक व्यय के रूप में प्रभारित करने के विकल्प का उपबंध करने और यह उपबंध करने के

लिए भी उपांतरित किया जा सके कि कोई अस्तित्व संपरिवर्तन की तारीख से, भविष्यलक्षी रूप से प्रत्येक लेखांकन अवधि के लिए अवधारित कतिपय रकमें प्रकट कर सकेगा । मानक के सीमित पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप मानक और तत्समान आईएएस के बीच अंतर और कम हो जाएगा ।

5.1.4 उदघोषणाएं जारी करना

बोर्ड ने इस अवधि के दौरान निम्नलिखित उदघोषणाओं की विरचना की है, जिन्हें परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया गया था :

- 'किसी पुष्ट प्रतिबद्धता या किसी उच्च संभावित अनुमान संव्यवहार के विदेशी मुद्रा जोखिम से बचने के लिए की गई किसी अग्रिम विनिमय संविदा से उदभूत होने वाले विनिमय अंतरों के लिए लेखांकन ' के संबंध में उदघोषणा को लागू करने का आस्थगन ।
- लेखांकन मानक (एएस) 15, *कर्मचारी फायदे* (पुनरीक्षित 2005) को लागू करने का आस्थगन ।

अंतरराष्ट्रीय लेखांकन बोर्ड (आईएएसबी) के क्रियाकलापों में सहयोग और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर प्रतिक्रिया करना ।

बोर्ड, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम में भाग लेने के लिए और आईएएस/आईएफआरएस को लेखांकन मानकों की विरचना का आधार बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर आईएएसबी से परस्पर क्रिया करता है, जैसे कि--

- आईएएसबी के विभिन्न प्रारूप आईएफआरएस की अन्य प्रारूप उदघोषणाओं पर टिप्पणियां भेजना ।
- विश्व मानक नियतकों और क्षेत्रीय मानक नियतकों की आईएएसबी के साथ बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लेना ।
- आईएएसबी की विभिन्न चालू परियोजनाओं संबंधी चर्चाओं में योगदान ।

आईएफआरएस के साथ समभिरूपता की प्रक्रिया का संवर्धन करने के उद्देश्य से आईएएसबी के एक दल ने, जिसमें सर डेविड टवीडी, अध्यक्ष, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड, श्री वारेन मेक्ग्रेगर और सुश्री ट्रेसिया ओमेले, सदस्य आईएएसबी और सुश्री एलिजाबेथ हिकी, तकनीकी गतिविधियों के निदेशक सम्मिलित थे, भारत में आईएफआरएस के साथ, समभिरूपता से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 13-15 फरवरी, 2007 के दौरान भारत का दौरा किया । आईएएसबी दल को आईसीएआई के आईएफआरएस के साथ समभिरूपता के प्रति रूख से, भारतीय लेखांकन मानकों में आईएफआरएस से प्रमुख विचलनों और आईएफआरएस के साथ पूर्ण समभिरूपता प्राप्त करने में विभिन्न बाधाओं, उदाहरणार्थ विधिक और विनियामक मुद्दों से अवगत कराया गया । आईएफआरएस को, उनकी प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत करके भारत में आईएफआरएस के साथ समभिरूपण के लिए रणनीति को उपदर्शित करते हुए आईएएसबी दल के लिए प्रस्तुतिकरण किया गया था । आईएएसबी दल के साथ, आईएफआरएस को अंगीकृत करने के संबंध में विभिन्न अवधारणात्मक मुद्दों पर भी विचार किया गया था । दल ने उन क्षेत्रों पर विचार करने का वचन दिया, जिनके संबंध में सुसंगत आईएएस/आईएफआरएस में पुनरीक्षण करना अपेक्षित हो सकेगा । आईएएसबी दल ने भी आईसीएआई को 31 दिसम्बर, 2006 तक आईएएसबी कार्य परियोजनाओं से अवगत कराया, जिससे कि आईसीएआई, तदनुसार अपनी समभिरूपण योजना बना सके ।

इस दिशा में अग्रसर होते हुए, संस्थान के प्रतिनिधियों ने 28-29 जून, 2007 को लंदन में आईएएसबी और एएसबी (यूके) के साथ बैठकें की । बैंठकों में, आईएएसबी और एएसबी (यूके) को, एएसबी द्वारा कार्य बल की सिफारिशों की स्वीकृति सहित आईएफआरएस के साथ समाभिरूपण के मद्दे संस्थान द्वारा किए गए हाल ही के प्रयासों से अवगत कराया गया था । आईएएसबी के साथ बैठक में, भारतीय लेखांकन मानकों और आईआरएफएस के बीच कतिपय अवधारणात्मक अंतरों पर ब्यौरेवार चर्चा की गई थी और सहमति प्राप्त की गई थी । एएसबी (यूके) के साथ बैठक में कतिपय व्यष्टिक आईएफआरएस में मुद्दों पर परिचर्चा करने के अलावा आईएफआरएस के समाभिरूपण के यूके के अनुभव पर भी बातचीत की गई थी ।

विश्व मानक नियतकों और राष्ट्रीय मानक नियतकों की सितंबर, 2006 में लंदन में हुई बैठक में तत्कालीन संस्थान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । विश्व मानक नियतकों की बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई जैसे कि अवधारणात्मक ढांचा, उचित मूल्य, आईएफआरएस के अंगीकरण/समभिरूपण/कार्यान्वयन के संबध में प्रगति आदि । राष्ट्रीय मानक नियतकों की बैठक में, संबंधित मानक नियतकों द्वारा प्रारंभ की गई विभिन्न परियोजनाओं पर केन्द्रित विकासों पर चर्चा की गई थी ।

संस्थान के तत्कालीन प्रतिनिधियों ने दिसंबर, 2006 में लंदन में आईएएस 37 पर गोलमेज परिचर्चा मे भाग लिया था ।

हांगकांग में मार्च, 2007 में हुई राष्ट्रीय मानक नियतकों की एक अन्य बैठक में संस्थान के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । अन्य राष्ट्रीय मानक नियतक निकायों द्वारा चलाई जा रही अन्य परियेजनाओं के साथ एएसबी द्वारा 'दर-विनियमित अस्तित्व' के संबंध में चलाई जा रही परियोजना की प्रगति पर विचार किया गया था । यह विनिश्चय किया गया था कि आईसीएआई के एएसबी को कनाडियन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान के सहयोग से दर-विनियमित अस्तित्वों संबंधी अपनी परियोजना को जारी रखना चाहिए और लंदन में, सितंबर, 2007 में होने वाली राष्ट्रीय मानक नियतकों की आगामी बैठक में इस विषय पर एक पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

5.1.5 लेखांकन मानकों संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति (एनएसीएएस) के साथ परस्पर क्रिया

एनएसीएएस ने संस्थान द्वारा इस अवधि के दौरान विरचित पुनरीक्षित लेखांकन मानक (एएस) 10, *संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर* पर विचार किया । बोर्ड ने एनएसीएएस द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया और बोर्ड के समाधानप्रद रूप में समुचित रीति से उनका समाधान किया ।

5.1.6 विनियामक निकायों के साथ परस्पर क्रिया

प्रमुख लेखांकन निकाय होने के कारण, आईसीएआई, एएसबी के माध्यम से विभिन्न लेखांकन विषयों पर अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए समय-समय पर विभिन्न विनियामक निकायों से परस्पर क्रिया करता है ।

पूर्वोक्त के अतिरिक्त, भारत में आईएएसबी दल के दौरे के दौरान, आईएफआरएस के साथ समभिरूपण के संबंध में आने वाली विभिन्न विधिक और विनियामक बाधाओं को दूर करने के लिए कार्पोरेट कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) सहित विभिन्न विधिक और विनियामक प्राधिकारियों के साथ बैठकें की गई थी ।

5.1.7 लेखांकन मानकों का कंपेंडियम

इस अवधि के दौरान, एक कंपेक्ट डिस्क के साथ 1 जुलाई, 2006 को यथा विद्यमान लेखांकन मानकों के कंपेंडियम के अद्यतन संस्करण को जारी किया गया था ।

5.2 स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन संबंधी समिति

स्थानीय निकायों के बीच लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग को संगत बनाने और उनमें सुधार करने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए, आईसीएआई ने मार्च, 2005 में स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों संबंधी एक स्वतंत्र समिति सीएएसएलबी का गठन किया था । सीएएसएलबी की संरचना काफी व्यापक है और यह मानक नियतन प्रक्रिया में सभी हितबद्ध समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करती है । आईसीएआई की परिषद् के सदस्यों के अलावा सीएएसएलबी में शहरी विकास मंत्रालय, भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखा महानियंत्रक, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, पंचायती राज मंत्रालय, प्रमुख स्थानीय निकायों के निदेशालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा विभागों के निदेशालयों, शैक्षणिक संस्थाओं के प्रतिनिधि और आईसीएआई द्वारा सहयोजित अन्य सुविख्यात वृत्तिक सम्मिलित हैं ।

स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानक विरचित करने के अलावा, समिति स्थानीय निकायों की लेखांकन पद्धतियों और प्रणालियों में सुधार करने के लिए भी उपाय करेगी और वह स्थानीय निकायों द्वारा प्रोदभवन लेखांकन अपनाने और स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों के प्राक्कथन में यथा अधिकथित लेखांकन मानकों को लागू करने में आने वाली समस्याओं के संबंध में प्रतिक्रिया प्राप्त करने के मंच के रूप में कार्य करेगी ।

स्थानीय निकायों के लेखांकन मानक विरचित करते समय, सीएएसएलबी अंतरराष्ट्रीय लेखांकन फेडरेशन (आईएफएसी) के अंतरराष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड (आईपीएसएएसबी) द्वारा तैयार किए गए अंतरराष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानकों पर सम्यक रूप से विचार करता है और वैश्विक संगतता को सुकर बनाने के विचार से उन्हें यथा संभव रूप से एकीकृत करने की चेष्ट करता है ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, 'स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों का प्राक्कथन' जारी किया गया है । यह प्राक्कथन सीएएसएलबी के उद्देश्यों और प्रचालन प्रक्रियाओं को अधिकथित करता है और स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों के प्राधिकार विस्तार को स्पष्ट करता है । 'स्थानीय निकायों द्वारा वित्तीय रिपोर्टों को तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए ढाचे' के प्रारूप को, विनिर्दिष्ट बाहरी निकायों और संस्थान के परिषद् सदस्यों के बीच उसके सीमित परिचालन पर प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर लोक उद्भासन के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है । प्रारूप ढांचा ऐसी अवधारणाओं को अधिकथित करता है, जो वित्तीय विवरणों को तैयार और प्रस्तुत करने में आधारिक हैं और जो समिति के स्थानीय निकायों के लिए भावी लेखांकन मानकों के विकास में सहायता करेंगे । समिति ने "लागतें उधार लेना" संबंधी स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तावित लेखांकन मानक के प्रारूप को भी अंतिम रूप दिया है और इन्हें शीघ्र ही विनिर्दिष्ट बाहरी निकायों और संस्थान के परिषद् सदस्यों के बीच परिचालित किया जाएगा । 'वित्तीय विवरणों का प्रस्तुतिकरण' संबंधी स्थानीय निकायों के लिए प्रस्तावित लेखांकन मानक के प्रारूप को विनिर्दिष्ट बाहरी निकायों और संस्थान के परिषद् सदस्यों के बीच सीमित परिचालन के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है । सीएएसएलबी ने अंतरराष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानकों के तत्समान स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों को तैयार करने के लिए अनेक अन्य परियोजनाएं भी आरंभ की हैं ।

भारत सरकार के शहरी कार्य मंत्रालय और सीएंडएजी के तत्वावधान में गठित शासकीय स्तर की तकनीकी समिति स्थानीय निकायों के लिए लेखांकन मानकों की सिफारिश करेगी, जिन्हें राज्य सरकारों की स्वीकृति के लिए आईसीएआई द्वारा जारी किया जाएगा । लेखांकन मानकों के अलावा, आईसीएआई, तकनीकी समिति को, आस्ति रजिस्टर, कार्य निष्पादन माप, बजटिंग, लागत : आंतरिक

नियंत्रण और संपरीक्षा सहित वित्तीय रिपोर्टिंग के अन्य विभिन्न पहलूओं के संबंध में उसके प्रयासों में समर्थन भी प्रदान करेगी ।

भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के कार्यालय ने 'शासकीय लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के मानकों में सुधार करने और संघ तथा राज्य सरकारों के लेखाओं के लिए उत्तरदायित्व तंत्रों को विकसित करने के लिए' अगस्त, 2002 में शासकीय लेखांकन मानक सलाहकार बोर्ड (जीएएसएबी) का गठन किया था । आईसीएआई, जीएएसएबी का सदस्य है और इसे जीएएसएबी द्वारा समय-समय पर विरचित उप समितियों में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है । आईसीएआई के प्रतिनिधियों ने वर्ष के दौरान आयोजित जीएएसएबी की बैठकों में भाग लिया और बोर्ड की तकनीकी गतिविधियों में योगदान दिया । सीएएसएलबी, जीएएसएबी द्वारा तैयार विभिन्न प्रक्रमों के प्रारूपों पर टिप्पणियां तैयार करता है ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, जीएएसएबी द्वारा अध्यक्ष, आईसीएआई के समन्वयन के अधीन, 'सरकार में प्रोदभदन लेखांकन के कार्यान्वयन के लिए प्रचालनात्मक ढांचा' को अंतिम रूप देने के लिए गठित समिति ने राज्य सरकारों के बीच इसे परिचालित करने पर प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर उपांतरित करने के पश्चात् उसे विचारार्थ जीएएसएबी को प्रस्तुत किया था । जीएएसएबी ने पुनरीक्षित प्रारूप पर विचार किया और उसे उपांतरित करने के पश्चात् उसे भारत सरकार को विचार करने और आगे कार्रवाई करने के लिए अग्रेषित किया है ।

आईसीएआई ने भारत सरकार के महालेखा नियंत्रक (सीजीए) से राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल, नई दिल्ली और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के नई दिल्ली क्षेत्र में निर्दिष्ट प्रभागों में लेखांकन सुधार लाने की दो परियोजनाएं, जो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित हैं, प्रारंभ की हैं । सीएएसएलबी भी इन दो प्रमुख परियोजनाओं के सफल क्रियान्वयन में आवश्यक समर्थन प्रदान करेगा ।

5.3 संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड

सितंबर, 2007 में संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड अपनी 25 वर्ष का स्वर्णिम कार्यकाल पूरा करेगा, जो निःसंदेह रूप से एक ऐसे दृढ़ और आत्मविश्वासी बोर्ड के प्रति संकेत करता है, जो बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है । इस अवधि के दौरान बोर्ड, देश में संपरीक्षा के क्षेत्र में सकल गुणात्मक सुधार लाने के लिए सतत् प्रयास करता रहा है । इस 25 वर्ष की यात्रा में अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव आए हैं और इनमें से प्रमुख है वर्ष 2002 में लेखांकन व्यवहार समिति को संपरीक्षा और आश्वासन बोर्ड (एएएसबी) के रूप में परिवर्तित करना, जिसने बोर्ड में विनियामकों और उद्योगों से प्रतिनिधियों की भागीदारी का रास्ता खोला और इस प्रकार बेहतर पारदर्शिता, दक्षता और लोकहित की सुरक्षा को सुनिश्चित किया ।

5.3.1 बोर्ड - आज के समय में

राष्ट्रीय मानक नियतक के रूप में बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य, संपरीक्षा, पुनर्विलोकन, अन्य आश्वासन, क्वालिटी नियंत्रण और संबंधित सेवाओं से संबंधित उच्च क्वालिटी के मानक विरचित करना है । एएएसबी, संपरीक्षा के क्षेत्र में सर्वोत्तम व्यवहारों के संहिताकरण का प्रतिनिधित्व करता है । एएएसबी, संपरीक्षा, चाहे वह प्रकृति में सामान्य हों या उद्योग विनिर्दिष्ट, से संबंधित मुद्दों पर मार्गदर्शन टिप्पण भी तैयार करता है । एएएसबी संपरीक्षा और आश्वासन मानकों से उदभूत होने वाले मुद्दों पर स्पष्टीकरण जारी करने का कार्य भी करता है । आज, यह मानक नियतक निकाय निम्नलिखित उपलब्धियों पर गर्व कर सकता है :

- 35 लेखांकन और आश्वासन मानक
- 2 विवरण और 3 साधारण स्पष्टीकरण
- लेखांकन मुद्दों पर 27 मार्गदर्शन टिप्पण
- बैंकों की संपरीक्षा, स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों के लेखाओं की संपरीक्षा, साधारण बीमा कारबार कर रही कंपनियों की संपरीक्षा, जीवन बीमा कारबार कर रही कंपनियों की संपरीक्षा के संबंध में 4 उद्योग विनिदिष्ट मार्गदर्शन टिप्पण ।
- धन शोधन : एक लेखाकार का परिप्रेक्ष्य पर एक अध्ययन

5.3.2 वर्ष 2006-07

वर्ष 2006-07 के दौरान लेखांकन और आश्वासन बोर्ड की पांच बैठकें हुई थी, जिनमें कुल 9 दिन की पूर्ण बोर्ड परिचर्चाएं हुई थी । इसके अतिरिक्त वर्ष के दौरान अनेक अध्ययन समूह बैठकें भी की गई थी । इस अवधि के दौरान, बोर्ड ने अनेक महत्वपूर्ण तकनीकी दस्तावेजों पर विचार किया, जिनमें से कुछ को जारी कर दिया गया है और शेष को अंतिम रूप देने के लिए प्रक्रिया की जा रही है । वर्ष के दौरान जारी किए गए दस्तावेज निम्नलिखित हैं :

कंपनी विवरणिकाओं में रिपोर्टों पर मार्गदर्शन टिप्पण (2006)

अक्तूबर, 2006 में बोर्ड ने कंपनी विवरणिकाओं में रिपोर्टो पर मार्गदर्शन टिप्पणों का एक व्यापक रूप से पुनरीक्षित संस्करण जारी किया । 1985 में जारी कंपनी विवरणिकाओं में रिपोर्टों संबंधी मूल मार्गदर्शन टिप्पण को नवीनतम सेबी (डीआईपी) मार्गदर्शनों और कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 2 के पश्चात्वर्ती संशोधनों की रोशनी में पुनरीक्षित किया गया है । वर्ष 1996 में जारी प्रस्ताव दस्तावेजों में वित्तीय सूचना पर संपरीक्षा रिपोर्टो/प्रमाणपत्रों संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण की अपेक्षाओं को भी इसमें सम्मिलित किया गया है ।

एएएस 35 : भावी वित्तीय सूचना की समीक्षा (2007)

इस एएएस का उद्देश्य नियोजनों के संबंध में मार्गदर्शन उपलब्ध कराना और भावी वित्तीय सूचना की समीक्षा करना और उस पर रिपोर्ट देना है । इस एएएस के अंतर्गत विनिर्दिष्ट पहलू भी आते हैं, जैसे कि सर्वोत्तम प्राक्कलनों और परिकल्पित पूर्वधारणाओं के लिए समीक्षा प्रक्रियाएं ।

- **क्वालिटी नियंत्रण, संपरीक्षा, पुनर्विलोकन, अन्य आश्वासन और संबंधित सेवाओं पर मानकों का प्राक्कथन (2007)**

- गहन रूप से पुनरीक्षित प्राक्कथन, जो मानक लेखांकन व्यवहार संबंधी विवरण (1983 में जारी) के विद्यमान प्राक्कथन को प्रतिस्थापित करता है, अंतरराष्ट्रीय संपरीक्षा और आश्वासन मानक बोर्ड (आईएएएसबी) द्वारा जारी अंतरराष्ट्रीय मानको की रूपरेखा पर संस्थान द्वारा जारी संपरीक्षा और आश्वासन मानकों (एएएस) की विद्यमान संरचना के संपूर्ण सुधार का रास्ता खोलता है । भविष्य में, एएएसबी द्वारा जारी किए जाने वाले नए मानक, संगृहीत रूप से नियोजन मानक हलाएंगे और इनमें संपरीक्षा संबंधी मानक (एसए), पुनर्विलोकन नियोजन संबंधी मानक (एसआरई), आश्वासन नियोजन संबंधी मानक (एसएई) और संबंधित सेवाओं संबंधी मानक (एसआरएस) अंतर्विष्ट होंगे ।

➢ **एएएसबी और इसकी सम्यक प्रक्रिया (2007)**

इसमें ऐसी ब्यौरेवार प्रक्रियाएं अंतर्विष्ट हैं, जिनके द्वारा, बोर्ड मानक/विवरण/मार्गदर्शन टिप्पण आदि जारी करेगा । ऐसी औपचारिक और ब्यौरेवार सम्यक प्रतिक्रिया का उद्देश्य पारदर्शिता को सुदृढ करना, वस्तुनिष्ठता को बढ़ाना और उत्तरदायित्व नियत करना है ।

➢ **संपरीक्षा और आश्वासन मानकों का पुनरीक्षित वर्गीकरण और संख्यांकन पैटर्न**

पुनरीक्षित प्राक्कथन ने नियोजन मानकों के लिए नया संख्यांकन पैटर्न अपनाने की आवश्यकता को अनिवार्य बनाया । यद्यपि, अभी तक संपरीक्षा मानकों को, जब कभी वे जारी किए जाते थे, क्रमानुसार संख्यांक आबंटित किए जा रहे थे, संपरीक्षा और आश्वासन मानकों के पुनरीक्षित वर्गीकरण और संख्यांकन पैटर्न के अनुसार इन मानकों को, संपरीक्षा के ऐसे विनिर्दिष्ट पहलू, जिससे वह संबंधित है, के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा और तदनुसार उन्हें संख्यांक आबंटित किए जाएंगे ।

➢ **आश्वासन नियोजनों (2007) के लिए ढांचा**

पुनरीक्षित ढांचा, संपरीक्षा संबंधी मानकों (एसए), पुनर्विलोकन नियोजनों संबंधी मानकों (एसआरई) और आश्वासन नियोजनों संबंधी मानकों (एसएई) को लागू करके आश्वासनों के नियोजनों के निष्पादन के लिए अवधारणाएं अधिकथित करता है ।

सम्यक प्रक्रिया सहित पुनरीक्षित प्राक्कथन और पुनरीक्षित ढांचा 1 अप्रैल, 2008 से प्रभावी होगा।

लेखांकन उदघोषणाओं की पुस्तिका - (जिल्द I और II) - (1 फरवरी, 2007 को यथा विद्यमान)

इस तथ्य को मान्यता देते हुए कि संस्थान की इन उदघोषणाओं के प्रति जागरूक होना सदस्यों के लिए अनिवार्य है और यह भी आवश्यक है कि वे तकनीकी साहित्य के इस विस्तार तक आसानी से पहुंच बनाने में समर्थ हो सकें, एएएसबी ने लेखांकन उदघोषणाओं की पुस्तिका का चौथा पुनरीक्षित संस्करण जारी किया । इस अद्यतन संस्करण में, जो दो जिल्दों मे है, 1 फरवरी, 2007 को यथा विद्यमान सभी लेखांकन और आश्वासन मानकों और लेखांकन से संबंधित मार्गदर्शन टिप्पणों का पाठ अंतर्विष्ट है । इस कंपेंडियम में, एएएसबी द्वारा समय-समय पर जारी विभिन्न प्रासंगिक उदघोषणाओं का पाठ भी अंतर्विष्ट है ।

कुछ ऐसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जो पूरी होने वाली हैं और जिन्हें शीघ्र जारी करने की आशा की जाती है निम्नलिखित हैं :

➢ संस्थान की परिषद ने ऐसी *फर्मों के लिए, जो संपरीक्षा करती हैं, क्वालिटी नियंत्रण और ऐतिहासिक वित्तीय सूचना का पुनर्विलोकन तथा अन्य आश्वासन और संबंधित सेवाओं के मानकों* को अनुमोदित कर दिया है और इन्हें शीघ्र ही जारी किया जाएगा । यह मानक क्वालिटी नियंत्रण के संबंध में एक सर्वव्याप्त मानक है । इसमें संपरीक्षा फर्मों और साथ ही एकमात्र व्यवसायियों के लिए भी क्वालिटी नियंत्रण पद्धति के स्थापना और उसे बनाए रखने के संबंध में व्यापक अपेक्षाएं अंतर्विष्ट हैं ।

➢ एएएसबी ने एक समय सीमा तैयार की है, जिसमें इसने अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ पूर्ण समाभिरूपण प्राप्त करने की योजना बनाई है । तदनुसार, इसने निम्नलिखित संपरीक्षा मानकों (एसए) के उदभासन प्रारूप जारी किए हैं, जिन्हें लोक टिप्पणियों के लिए इसकी स्पष्टता परियोजना के अनुसरण में आईएएएसबी द्वारा अंगीकृत नए प्ररूप की रूपरेखा पर लिखे गए हैं :

- ❖ एसए 240, वित्तीय विवरणों की किसी संपरीक्षा में कपट के संबंध में संपरीक्षक
- ❖ एसए 300, वित्तीय विवरणों की संपरीक्षा की योजना
- ❖ एसए 315, अस्तित्व और इसकी परिस्थितियों के माध्यम से सारवान मिथ्या कथन के जोखिमों की पहचान और निर्धारण करना
- ❖ एसए 330, निर्धारित जोखिमों के प्रति संपरीक्षक की प्रतिक्रिया
- ❖ एसए 570, चिंता के विषय

इनके अतिरिक्त, बोर्ड अपने वर्तमान कार्यक्रम के अधीन अनेक अन्य परियोजनाओं पर भी महत्वपूर्ण प्रगति हासिल कर रहा है ।

5.3.3 अन्य पहलें और विकास

➢ **आरबीआई परिपत्रों का संकलन**

बोर्ड ने आरबीआई द्वारा 20 अप्रैल, 2007 तक जारी ऐसे सभी परिपत्रों को, जो 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष की संपरीक्षा के लिए सुसंगत हैं, आईसीएआई की वेबसाइट (http ://www.icai.org/icairoot/departments/aasb/dept_aasb_index.jsp?icaideptid=4) के एएएसबी नालेज पृष्ठ पर अपलोड किया और कुछ सुसंगत परिपत्रों को संस्थान के सभी सदस्यों को ई-मेल भी किया ।

➢ **विनियामक निकायों से परस्पर क्रिया**

बोर्ड, विभिन्न विनियामक निकायों, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), भारत का नियंत्रक और महालेखा परिक्षक (सीएंडएजी) आदि से उनके द्वारा उठाए गए लेखांकन विषयों पर प्रतिक्रिया करता है । बोर्ड ने, जनता से निक्षेप स्वीकार करने वाली गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और अनिगमित निकायों के विनियमन के विषय पर राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों के साथ 10वीं राज्य स्तरीय समन्वयन समिति बैठक में संस्थान का प्रतिनिधित्व भी किया ।

➢ **आईएएएसबी की गतिविधियों में सहयोग और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं पर प्रतिक्रिया देना**

चूंकि भारत में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लेखांकन और आश्वासन मानक आईएएसबी दस्तावेजों के आधार पर विरचित किए जा रहे हैं, इसलिए एएएसबी विभिन्न स्तरों पर एएएसबी के साथ परस्पर क्रिया करता है । वर्ष के दौरान, एएएसबी ने आईएफएसी के अंतरराष्ट्रीय लेखांकन और आश्वासन मानक बोर्ड की राष्ट्रीय मानक नियतकों के साथ बैठक में प्रतिनिधित्व किया । एएएसबी, आईएएएसबी द्वारा टिप्पणियों के लिए जारी विभिन्न उदभासन प्रारूपों पर टिप्पणियां भी भेजता है ।

➢ **आईएएएसबी की एएएसबी के साथ परस्पर क्रिया**

श्री जान केल्लास, अध्यक्ष, आईएएएसबी और श्री जिम सिल्फ, कार्यकारी निदेशक, आईएएएसबी ने एएएसबी की एक बैठक में समभिरूपण संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत का दौरा किया । बैठक में, श्री जिम सिल्फ को बोर्ड द्वारा अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ समभिरूपण के लिए किए गए उपायों और इस प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न अन्य मुद्दों से भी अवगत कराया । श्री जिम सिल्फ ने बोर्ड द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और भारत में समभिरूपण की आवश्यकता पर बल दिया ।

➢ **भावी रणनीति और कार्यक्रम**

एएएसबी, अंतरराष्ट्रीय लेखाकार फेडरेशन (आईएफएसी) का संस्थापक सदस्य है और उसने सदैव इस तथ्य को मान्यता दी है कि जैसे-जैसे विश्व छोटा हो रहा है, उच्च क्वालिटी मानकों के उपयोग के फायदे, पूंजी प्रवाह को निर्बाध करेंगे और वित्तीय रिपोर्टिंग की क्वालिटी और विश्वसनीयता में वृद्धि करेंगे । अभी तक जारी एएएस यथा संभव विस्तार तक तत्समान अंतरराष्ट्रीय मानकों पर आधारित हैं । समभिरूपण और स्पष्टता के साथ परियुक्ति की प्रक्रिया अगले वर्ष और जोर शोर से चलाई जाएगी और यह बोर्ड की भावी रणनीति और कार्यक्रम में भी उपदर्शित होता है । एएएसबी ने पहले ही अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ समभिरूपण के लिए एक ब्यौरेवार रूपरेखा तैयार कर ली है । बोर्ड नई उपलब्धियों और बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है और नवीकृत निष्ठा के साथ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है ।

5.4 अनुसंधान

अनुसंधान, किसी भी वृत्ति के अस्तित्व और साथ ही सतत् विकास के लिए महत्वपूर्ण कृत्य है । चार्टर्ड लेखांकन की वृत्ति द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की उच्च क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए अनुसंधान क्रियाकलापों के महत्व को मान्यता देते हुए, आईसीएआई की परिषद् ने 1955 में एक गैर-स्थायी समिति के रूप में एक अनुसंधान समिति का गठन किया था । इसके प्रारंभ से ही, आईसीएआई की अनुसंधान समिति वृत्तिक हित के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषकर लेखांकन और संपरीक्षा में संस्थान के सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए जोरदार कार्य कर रहा है जिससे कि संस्थान के सदस्यों द्वारा दी जा रही सेवाओं में उच्चतर परम्पराओं तथा तकनीकी सक्षमता को बनाए रखा जा सके । समिति समकालीन विषयों पर लेखांकन मार्गदर्शन करने की आवश्यकता का प्रत्युत्तर देने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है जो देश में आर्थिक प्रभारों से संबंधित विधियों तथा अन्य विकासों में संशोधन करने के कारण उद्भूत होते हैं ।

5.4.1 मिशन तथा उद्देश्य

अनुसंधान समिति का मुख्य मिशन विभिन्न तंत्रों में अनुसंधान करना है जो लेखांकन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं तथा वृत्तिक अनुसंधान संस्थानों को अपेक्षित अनुसंधान सेवाएं प्रदान करना है । समिति लेखांकन पहलू संबंधी ऐसे मार्गदर्शक टिप्पणों को विरचित करती है जो आईसीएआई के परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किए जाते हैं । यह वृत्तिक द्वारा दी गई सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए साधारणतः स्वीकृत लेखांकन और/या लेखा संपरीक्षा सिद्धांतों तथा व्यवहारों पर तकनीकी मार्गदर्शक, अध्ययन, मोनोग्राफ आदि को प्रदर्शित करती है । समिति देश में, वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति में सुधार को बढ़ावा देने की दृष्टि से वार्षिक रूप से "वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार" के लिए प्रतिस्पर्धा का भी आयोजन करती है ।

5.4.2 मार्गदर्शक टिप्पण तथा अन्य अनुसंधान प्रकाशन

इस अवधि के दौरान, समिति ने एएस 25 के संदर्भ में अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आयकर व्यय के माप संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण विरचित किए थे । इन मार्गदर्शन टिप्पणों को संस्थान की परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया गया है । यह मार्गदर्शन टिप्पण अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए वर्तमान और आस्थगित आयकर के माप से संबंधित कतिपय मुद्दों पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, समिति ने पुनरीक्षित लाभ के लिए नहीं बने संगठनों (एनपीओ)/गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) में लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन (पुनरीक्षित, दूसरा संस्करण) भी जारी किया है । इस प्रकाशन में ऐसी अन्य बातों के साथ, जो पूर्ववर्ती संस्करण के जारी होने के पश्चात् हुई थी, संस्थान द्वारा जारी / पुनरीक्षित लेखांकन मानक भी सम्मिलित हैं ।

इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं द्वारा प्रकाशन जारी करने के लिए पुनरीक्षित मार्गदर्शन भी आईसीएआई की परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किए गए हैं ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, समिति ने 'विशेष संपरीक्षाओं और अन्वेषणों में गैर पारंपरिक पद्धतियों पर अध्ययन' तथा 'लेखांकन मानकों के अधीन जांचसूची' को जारी किया ।

विशेष संपरीक्षाओं और अन्वेषणों में गैर पारंपरिक पद्धतियों पर अध्ययन में कुछ ऐसी अद्वितीय पद्धतियों पर चर्चा की गई है, जिन्हें लेखा परीक्षक तब अपनाने पर विचार कर सकेंगे, जब उनके सामने ऐसी परिस्थितियां आएं, जहां कपट और त्रुटियों का पता लगाना अत्यधिक कठिन है । प्रकटन जांचसूची, विभिन्न लेखांकन मानकों की प्रकटन अपेक्षाओं के लिए तुरंत निर्देश के रूप में आशयित है और साथ ही इसके अंतर्गत संस्थान द्वारा जारी लेखांकन संबंधी निर्वचन, उदघोषणाओं और मार्गदर्शन टिप्पणों की प्रकटन अपेक्षाएं भी हैं, जहां तक उनका संबंध किसी लेखांकन मानक के अंतर्गत आने वाले विषय से है।

समिति ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अनुरोध पर स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों के लिए वित्तीय विवरणों का प्ररूपों को तैयार करने का कार्य आरंभ किया है । ये प्ररूप, स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों को लेखांकन मानक लागू करने और अन्य बातों के साथ, तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा, तथा उनसे संलग्न अनुसूचियों और टिप्पणों में दी जाने वाली सूचना विहित करेंगे ।

5.4.3 प्रगति में महत्वपूर्ण परियोजनाएं

वर्ष के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं के अलावा, अनुसंधान समिति ने उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए पहचाने गए प्रासंगिक कुछ नए विषयों पर अनेक परियोजनाएं आरंभ की हैं । इनका उद्देश्य लेखांकन और संबंधित क्षेत्रों में उभरते हुए विभिन्न मुद्दों पर सदस्यों को मार्गदर्शन देना है । समिति ने विगत जारी किए गए अनेक मार्गदर्शन टिप्पणों के पुनरीक्षण के लिए प्रक्रिया भी आरंभ की है ।

5.4.4 मार्गदर्शन टिप्पण का कंपेंडियम - लेखांकन (1 जुलाई, 2006 के अनुसार)

1 जुलाई, 2006 को यथाविद्यमान "मार्गदर्शन टिप्पण का कंपेंडियम - लेखांकन" के अद्यतन संस्करण की पुस्तक के साथ निःशुल्क वितरित किए जाने के लिए एक कंपेक्ट डिस्क भी जारी की गई थी ।

5.4.5 वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार

वित्तीय जानकारी के प्रस्तुतीकरण में उत्कृष्टता को मान्यता देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए, आईसीएआई, अपनी अनुसंधान समिति के माध्यम से "वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार" के लिए वित्तीय प्रतिस्पर्धा का आयोजन करती रही है । यह सुविख्यात प्रतिस्पर्धा यह प्रसारित करती है कि वित्तीय रिपोर्टिंग, जवाबदेही, पारदर्शिता, एकरूपता, विश्वसनीयता, कालातीत तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए । इससे पूर्व, प्रतिस्पर्धा का आयोजन तीन प्रवर्गों में किया जाता था । वर्ष 2004-05 से प्रतिस्पर्धा विभिन्न उद्योगों के कृत्यक प्रवर्गीकरण के आधार पर सात प्रवर्गों के अधीन आयोजित की जा रही है । प्रवर्ग I के अंतर्गत विनिर्माण तथा व्यापारिक उद्यमों (जिसमें प्रसंस्करण खनन, पादपीकरण, तेल तथा गैस उद्यम सम्मिलित हैं) को सम्मिलित किया गया है । प्रवर्ग II में वित्तीय क्षेत्र (जिसमें एनबीएफसी, पारस्परिक निधि, विनिधान बैंकर, एचएफसी आदि भी सम्मिलित हैं) को सम्मिलित किया गया है तथा प्रवर्ग III में सेवा क्षेत्र (जिसमें होटल परामर्श, परिवहन, स्टाक एक्सचेंज, अनुसंधान तथा विकास, निजी अस्पताल सम्मिलित हैं) को सम्मिलित किया गया है । प्रवर्ग IV तथा V में क्रमशः बैंकिंग, बीमा तथा वित्तीय संस्थाओं तथा सूचना प्रौद्योगिकी, संचार तथा आमोद-प्रमोद उद्यम को सम्मिलित किया गया है । प्रवर्ग

VI के अंतर्गत अवसंरचना तथा सन्निर्माण क्षेत्र (जिसमें ऊर्जा उत्पादन तथा प्रदाय, पोत न्यास, सड़कें हैं) को सम्मिलित किया गया है तथा प्रवर्ग VII में अवशिष्ट प्रवर्ग को सम्मिलित किया गया है जिसमें ऐसे उद्यम सम्मिलित हैं जो अन्य छह प्रवर्गों, जैसे धारा 25 की कंपनियां, शैक्षणिक संस्थाएं, गैर-सरकारी संगठन, पूर्ण अस्पताल आदि को सम्मिलित नहीं करती हैं । वर्ष 2005-06 की प्रतिस्पर्धा के लिए विभिन्न प्रवर्गों के सतानवे उद्यमों ने भाग लिया । पुरस्कारधारियों का चयन उनकी वित्तीय स्थिति तथा प्रचालन कार्य निष्पादन को ध्यान में रखे बिना 1 अप्रैल, 2005 तथा 31 मार्च, 2006 (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित है) के बीच किसी दिन को समाप्त होने वाली अवधि के लिए भाग लेने वाले उद्यमों द्वारा अंगीकार लेखांकन पद्धतियों के पुनर्विलोकन पर आईसीएआई द्वारा नियुक्त न्यायाधीशों के पैनल द्वारा किया गया था । तदनुसार, पुरस्कार इस बात के सूचक हैं कि वर्ष के दौरान संबंधित उद्यम द्वारा अपनाई गई लेखांकन पद्धति उन उद्यमों में सर्वोत्तम है जिन्होंने प्रतिस्पर्धा में भाग लिया । इस वर्ष सात प्रवर्गों में सोने की शील्ड के पांच विजेता ये हैं, शॉपर्स स्टॉप लिमिटेड, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, आईसीआईसीआई बैंक, लोम्बार्ड साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड, इंफोसिस टेक्नोलाजीज लिमिटेड और टाटा पावर कंपनी लिमिटेड । सात प्रवर्गों में दो सिल्वर शील्ड विजता हैं, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस लिमिटेड और एमफेसिस बीएफएल लिमिटेड । दो प्रवर्गों के लिए स्वर्ण शील्ड और पांच प्रवर्गों के लिए रजत शील्ड नहीं दी जा सकी थी क्योंकि प्रविष्टियां बेंचमार्क पूरा नहीं करती थी । 19 जनवरी, 2007 को होटल ली मीरिडियन, नई दिल्ली में आयोजित एक विशेष समारोह में वर्ष 2005-06 के लिए " वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए आईसीएआई पुरस्कार" दिए गए । माननीय डा. एस.एस. सिद्धु, राज्यपाल, मणिपुर इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे । माननीय राज्यपाल ने पुरस्कारधारियों को पुरस्कार भी प्रदान किए ।

5.5 निगमित विधियां

5.5.1 प्रारंभ किए गए कार्य

समिति ने, (i) निगम विधियों के सरलीकरण, (ii) कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 का सरलीकरण, (iii) सीमित दायित्व भागीदारी विधेयक, 2006 के उपबंधों के कारण चार्टर्ड एकाउन्टेंट अधिनियम, 1949 में परिवर्तन, (iv) विदेशी अंशदान (विनियमन) विधेयक, 2006, (v) फेमा, 1999 के अधीन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए वृत्तिक अवसरों का विस्तार, (vi) माध्यस्थम (बातचीत, मध्यक्ता और सुलह सहित) पर एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम को आरंभ करना और मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करना विषयों पर मत/सुझाव देने के लिए 6 अध्ययन समूहों का गठन किया । विदेशी अंशदान (विनियमन) विधेयक, 2006 के संबंध में आगे और टिप्पणियां राज्य सभा सचिवालय को प्रस्तुत कर दी गई हैं । अन्य मतों / सुझाव को अंतिम रूप दिया जा रहा है और उन्हें शीघ्र ही मंत्रालय को अग्रेषित किया जाएगा ।

5.5.2 निगम मानकों की विरचना

समिति ने, (i) एनजीओ को शासित करने, (ii) विलयन, निर्विलयन - नैगम पुनःसंरचना, (iii) शेयरों का मूल्यांकन, (iv) श्रम विधियां और लेखांकन वृत्ति, (v) निगम विवादों का माध्यस्थम - लेखांकन वृत्ति की भूमिका, (vi) लेखांकन वृत्ति और वैश्वीकृत युग में कारबार कार्यों का प्रबंध, (vii) आस्तियों का मूल्यांकन, (viii) कंपनी और संबद्ध विधियों का अनुपालन - लेखांकन नीति की भूमिका और (ix) संपरीक्षकों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति और पद से हटाए जाने के संबंध में कार्पोरेट कार्य मानकों को तैयार करने के लिए उपाय आरंभ किए हैं ।

5.5.3 एमसीए - 21 ई-शासन परियोजना का ध्वजपोत

समिति, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई एमसीए - 21 परियोजना से गहन रूप से सहबद्ध हुई, जिसने ऐसी रीति में, जो जनता के अलावा निगम अस्तित्वों और वृत्तिकों के सर्वोत्तम रूप से अनुकूल है, एमसीए सेवाओं तक आसान और सुनिश्चित पहुंच में समर्थ बनाया । एमसीए-21 परियोजना को लोकप्रिय बनाने के लिए सदस्यों ने अत्यधिक उत्साह से एमसीए-21 कार्यक्रमों में भाग लिया । संस्थान ने एमसीए-21 पर देश भर में कार्यशालाओं/ संगोष्ठियों/ सम्मेलनों का आयोजन किया है ।

5.5.4 एमसीए 21 ई-शासन कार्यक्रम के अधीन प्रमाणित फाइलिंग केन्द्रों के लिए स्कीम

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के एमसीए - 21 ई-शासन कार्यक्रम के अधीन दस्तावेजों की ई-फाइलिंग को सुकर बनाने के लिए वृत्तिक रूप से अर्हित व्यक्तियों/फर्मों/निगम निकायों द्वारा प्रचालित किए जाने वाले प्रमाणित फाइलिंग केन्द्रों (सीएफसी) के लिए स्कीम आरंभ की थी । मंत्रालय ने 31 दिसंबर, 2006 तक प्रमाणित फाइलिंग केन्द्रों के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन स्वीकार किए थे । स्कीम के अनुसरण में, मंत्रालय ने 1258 आवेदन अनुमोदित किए थे, जिनमें से 917 आवेदन आईसीएआई के सदस्यों और फर्मों के हैं ।

5.5.5 कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ई-प्ररूपों का पुनरीक्षण

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत ई-प्ररूपों का पुनरीक्षण करने संबंधी एक तकनीकी समूह का गठन किया था । संस्थान ने कार्य समूह की परिचर्चाओं में सहयोग किया और विभिन्न ई-प्ररूपों को अंतिम रूप देने में सहायता की ।

5.5.6 सीमित दायित्व भागीदारी विधेयक, 2006

सीमित दायित्व भागीदारी विधेयक, 2006 को 15 दिसंबर, 2006 को राज्य सभा में पुरःस्थापित किया गया था । वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति इस विधेयक की समीक्षा कर रही है और लोक सभा सचिवालय ने इस संबंध में संस्थान के मतों / सुझावों का अनुरोध किया था । संस्थान के मतों/सुझावों को लोक सभा सचिवालय को भेज दिया गया था ।

5.5.7 निगम विधियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सुझाव/टिप्पणियां

समिति ने, संस्थान को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय और अन्य सरकारी विभागों, द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न विषयों पर, जैसे कि एमसीए - 21 परियोजना, मूल्यांकन वृत्तिकों के विनियम संबंधी अवधारणा पत्र, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्थागत विधियां (संशोधन) विधेयक, 2005, सीमित दायित्व भागीदारी विधि संबंधी अवधारणा पत्र, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत ई-प्ररूपों का पुनरीक्षण, प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2006, विदेशी अंशदान (प्रबंध और नियंत्रण) विधेयक, 2005, विदेशी अंशदान (विनियमन) विधेयक, 2006, निधि कंपनियां, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन प्ररूप 8 के साथ प्रस्तुत की जाने वाली, प्रभार का साक्ष्य देने वाली लिखत से संबंधित मुद्दे की समीक्षा करने के लिए गठित कार्यकारी समूह, निगम मूल्यों के लिए आदर्श पाठ्यचर्चा की समीक्षा करने और सुझाव देने संबंधी कार्यकारी समूह, निगम मूल्यांकनकर्ताओं के लिए संस्थागत ढांचे की अपेक्षा की समीक्षा करने के लिए एमसीए द्वारा गठित कार्यकारी समूह, सीपीएसई के लिए निगम शासन संबंधी प्रारूप मार्गदर्शन, अति लघु, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 की धारा 22 की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची 6 का संशोधन करने के लिए प्रारूप अधिसूचना और मंत्रालय द्वारा संस्थान को राय के लिए निर्दिष्ट विभिन्न मामलों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए हैं ।

कंपनी अधिनयम, 1956 की धारा 81(3)(क) के अधीन एआरसी द्वारा ऋणों को साम्या में संपरिवर्तित करने संबंधी मतों/सुझावों को मंत्रालय को अग्रेषित किया गया है ।

5.5.8 निगम मूल्यांकनकर्ताओं संबंधी कार्यकारी समूह

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने, निगम मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक संस्थागत ढांचे की अपेक्षा की समीक्षा करने और सुझाव देने और निगम मूल्यांकनकर्ताओं के लिए एक आदर्श पाठ्यचर्चा का सुझाव देने के लिए दो कार्यकारी समूह गठित किए थे । दोनों समूहों ने अपनी परिचर्चाएं पूरी कर ली हैं । दोनों समूहों में संस्थान के नामनिर्देशिती हैं । समूह ने अपनी सिफारिशें मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी थी ।

5.5.9 अर्हता पश्च पाठ्यक्रम

परिषद् ने सिद्धांत रूप में "निगम मूल्यांकन" और "ऋणदाता के अधिकारों का संरक्षण और दीवालिया विधि" पर दो अर्हता पश्च पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया । इनके ब्यौरे समिति के समीक्षाधीन हैं ।

5.6 राजकोषीय विधियां

5.6.1 सीबीईसी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

राजकोषीय विधियों संबंधी समिति ने राष्ट्रीय सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक अकादमी, फरीदाबाद और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड के वरिष्ठ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर अधिकारियों के लिए क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के समन्वयन से सात प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया । समिति को, ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों द्वारा किए गए मूल्यवर्द्धन के संबंध में भाग लेने वाले व्यक्तियों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई । इस प्रयोजन के लिए, समिति ने एक प्रशिक्षण मेनुअल निकाला । श्री पी. चिदंबरम, माननीय संघ वित्त मंत्री, श्री एस. एस. पलानिमनिकम, वित्त राज्य मंत्री और श्री पवन कुमार बंसल, वित्त राज्य मंत्री (व्यय, बैंककारी और बीमा) ने आईसीआईए द्वारा राजस्व विभाग के पदधारियों में लेखांकन ज्ञान के प्रसार में किए गए कार्य की सराहना की ।

5.6.2 आईसीएआई के सुझावों को स्वीकार किया गया

वर्ष के दौरान, सरकर ने, विभिन्न मुद्दों के संबंध में समिति द्वारा दिए गए अनेक सुझावों को स्वीकार किया । प्ररूप सं. 3गघ के संशोधनों से, जिनके अंतर्गत सीमांत फायदों के मूल्यों के प्रमाणन के लिए अनुलग्नक 2 का अंतःस्थापन भी है, संबंधित समिति के सुझावों को प्ररूप 3गघ का संशोधन करने वाली अधिसूचना सं.208/2006, तारीख 10 अगस्त, 2006 को जारी करते समय स्वीकार किया गया था । नए आयकर विवरणी प्ररूपों की अधिसूचना के समय, सरकार ने आईसीएआई द्वारा दिए गए अनेक सुझावों को स्वीकार किया । कार्य संविदा पर सेवाकर के संबंध में, सीबीईसी ने इस संबंध में नियम और विनियम जारी करते समय समिति के सुझावों को स्वीकार किया था ।

5.6.3 सेवाकर छूट को आंशिक रूप से पुनः प्रदान किया गया

सरकार ने, लेखांकन और संपरीक्षा सेवाओं से भिन्न सेवाओं के संबंध में वृत्ति कर रहे चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों को दी जाने वाली छूट को वापस ले लिया था । वित्त मंत्री और विभाग के साथ गहन अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी । इसके परिणामस्वरूप, वृत्ति कर रहे चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों, वृत्ति कर रहे लागत एकाउन्टेन्टों और वृत्ति कर रहे कंपनी सचिवों द्वारा दी जाने वाली प्रतिनिधि सेवाओं को सेवाकर के उद्ग्रहण से छूट दे दी गई है ।

5.6.4 ज्ञापन

वर्ष के दौरान समिति ने पूर्व बजट ज्ञापन - 2007 और पश्च बजट ज्ञापन - 2007 प्रस्तुत किए । कुछ सुझावों को स्वीकार किया गया था और संबंधित वित्त विधेयक में सम्मिलित किया गया था । वित्त विधेयक, 2007 के खंडों पर विख्यात सदस्यों के लेख अंतर्विष्ट करने वाले जर्नल के एक विशेष अंक का प्रकाशन किया गया था ।

5.6.5 प्रकाशन

समिति ने आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन सीमांत फायदों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण जारी किए थे (कर संपरीक्षा संबंधी अनुपूरक मार्गदर्शन टिप्पणों सहित) । इन मार्गदर्शन टिप्पणों को नई दिल्ली में 3 अक्तूबर, 2006 को तत्कालीन राजस्व सचिव श्री के.एम. चंद्रशेखर द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था । राजस्व सचिव ने मार्गदर्शन टिप्पण तैयार करने में संस्थान के प्रयासों की सराहना की ।

5.6.6 अभ्यावेदन

निगमों द्वारा आयकर विवरणियों की इलैक्ट्रानिक फाइलिंग के मुद्दे पर माननीय वित्त मंत्री को एक ब्यौरेवार अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था । निगमों द्वारा आयकर विवरणियों की आज्ञापक इलैक्ट्रानिक फाइलिंग में सदस्यों और निर्धारितियों के सामने आ रही प्रशासनिक कठिनाईयों को स्पष्ट किया गया था । इसके अतिरिक्त, आय की विवरणी के साथ कर संपरीक्षा रिपोर्ट फाइल करने की अपेक्षा को समाप्त करने के कारण राजस्व को होने वाले नुकसान को भी स्पष्ट किया गया था । इसके अलावा, धारा 40(क)(*i*) पर एक अभ्यावेदन, कर विवरणी तैयार करने वालों से संबंधित एक ब्यौरेवार संसूचना और साथ ही मध्य प्रदेश और झारखंड सरकारों को भी इस संबंध में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था कि केवल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ही राज्य स्तरीय वेट संपरीक्षा करने के लिए सर्वोत्तम क्यूं हैं।

5.6.7 अंतरराष्ट्रीय कराधान और ई-फाइलिंग सहायता केन्द्रों पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

समिति ने सदस्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय कराधान में एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम अंतर्वस्तु को अंतिम रूप दिया । यह भी विनिश्चय किया गया था कि आयकर विवरणियों की ई-फाइलिंग में प्रक्रियाओं को समझने में सद्रस्यों की सहायता करने के लिए देश भर में क्षेत्रीय और प्रमुख शाखा कार्यालयों में सहायता केन्द्रों का गठन किया जाए ।

5.6.8 संगोष्ठियां और सम्मेलन

समिति के समन्वयन से विभिन्न शाखाओं ने देश भर में बड़ी संख्या में संगोष्ठियों, संवादों, कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था ।

5.7 वित्तीय बाजार और निवेशकों का संरक्षण

विश्व बाजार में भारतीय पूंजी बाजार की ब्रांड छवि बनाने के सतत प्रयास रंग लाए और भारतीय अर्थव्यवस्था को सारवान फायदे हुए और वह आगे विकास हेतु तैयार है । इस वर्ष बाजार, कतिपय बाधाओं के बावजूद विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) और अन्य विदेशी निवेशकों से निधियों का बड़ा भाग आकर्षित करता रहा और इसे प्रमुख निवेशक स्वर्ग के रूप में देखा जा रहा है । देश में वस्तु बाजार एक अन्य प्रमुख उभरता हुआ बाजार बन गया । वित्तीय बाजारों के क्षेत्र में, वृत्तिकों के लिए वृहत विस्तार और परिधि को देखते हुए, समिति ने अपने विवेक से अपनी गतिविधियों की परिधि को पुनरीक्षित किया और चालू वर्ष के लिए एक व्यापक योजना बनाई ।

5.7.1 सेबी और कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ परस्पर क्रिया

सेबी के साथ

(क) सूचीकरण करार के खंड 49 के अनुपालन में उभरते मुद्दे : समिति द्वारा प्रकटनों जैसे कि संबंधित पक्षकार संव्यवहार, जोखिम प्रबंध, पब्लिक/ राईटस / बोनस इश्यू के आगमों से संबंधित कतिपय मुद्दों और संस्थान के उनके संबंध में दृढ़ मत को सेबी की सूचना में लाया गया था और विनियामक से उन पर निगम शासन की दृष्टि से विचार करने का अनुरोध किया गया था ।

(ख) कार्यकारी निदेशक, सेबी के साथ बैठक और बाजारों तथा निवेशकों से संबंधित विभिन्न मुद्दों और संस्थान की भूमिका पर चर्चा ।

(ग) एकीकृत प्रकटन संबंधी अवधारणा पत्र पर सुझाव प्रस्तुत किए गए थे ।

(घ) प्रतिभूतियों को सूची से बाहर करने संबंधी विनियम, 2006 पर अवधारणा पत्र के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किए गए थे ।

(ङ) समिति के अध्यक्ष ने 9 से 12 अप्रैल, 2007 के दौरान मुंबई में अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) के 32 वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय विनियामकों के साथ परस्पर क्रियाएं की ।

(च) समिति के अध्यक्ष ने 26 जुलाई, 2007 को मुंबई में सेबी की प्रकटन और लेखांकन मानकों संबंधी समिति (एससीओडीए) की बैठक में भी भाग लिया ।

कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ

(क) **निवेशक संरक्षा की प्रभाविकता के संबध में** : समिति ने 16 मार्च, 2007 को कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की निवेशक शिक्षा और संरक्षा निधि समिति के समक्ष एक प्रस्तुतिकरण किया । यह प्रस्तुतिकरण " एकल पटल निवेशक शिकायत समाधान तंत्र" के विषय पर किया गया था । सचिव, कार्पोरेट कार्य मंत्रालय ने विशेष रूप से संस्थान के प्रस्तुतिकरण की सराहना की ।

(ख) **निवेशक संरक्षण संबंधी विशेषज्ञ समूह के संयोजक के रूप में आईसीएआई का नेतृत्व** : कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने, उपरोक्त विषय पर मंत्रालय को रिपोर्ट करने के प्रयोजन के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था । मंत्रालय ने समिति के अध्यक्ष सीए सी.एस. नंदा को विशेषज्ञ समूह के संयोजक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है और रिपोर्ट 3 जुलाई, 2007 को प्रस्तुत की गई थी ।

(ग) **भारतीय निक्षेपागार प्राप्तियों पर सुझाव :** समिति ने, भारतीय निक्षेपगार प्राप्तियों से संबंधित नियमों के पुनर्विलोकन पर अपनी प्रतिक्रिया के रूप में ब्यौरेवार सुझाव और सिफारिशें मंत्रालय को प्रस्तुत की ।

5.7.2 निवेशक जागरूकता कार्यक्रम :

यह कार्यक्रम निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित किया गया था :

आगरा (7 मई, 2006)

गाजियाबाद (12 अगस्त, 2006)

अंबाला (19 अगस्त, 2006)

हिसार (25 अगस्त, 2006)

भटिंडा (26 अगस्त, 2006)

पटियाला (26 अगस्त, 2006)

कालीकट (30 अगस्त, 2006)

मथुरा (2 सितंबर, 2006)

कोटा (3 सितंबर, 2006)

ग्वालियर (18 नवंबर, 2006)

समिति ने चालू वर्ष के दौरान 25 कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव किया था ।

5.7.3 एमसीए - आईसीएआई निवेशक जागरूकता कार्यक्रम :

भारत सरकार के कार्पोरेट कार्य मंत्रालय की निवेशक जागरूकता और संरक्षा निधि के तत्वावधान में, सितंबर, 2007 को निवेशक जागरूकता मास के रूप में मनाया जा रहा है । मंत्रालय ने, निवेशकों की संरक्षा और शिक्षा के लिए संस्थान को अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम समनुदेशित किया है । यह, एक ऐसे विशेषज्ञ समूह द्वारा, जिसके संयोजक वित्तीय बाजार और निवेशक संरक्षा संबंधी समिति के अध्यक्ष थें, "निवेशक संरक्षा तथा शिकायत और समाधान तंत्र और वित्तीय अखंडता की पद्धति के मुद्दे के प्रति अवधारणा" विषय पर रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् किया गया था । निवेशक संरक्षा और शिक्षा के मद्दे कार्य योजना की श्रृंखला के भाग रूप में, भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान देश के क्षेत्रों के विभिन्न स्थानों पर निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है :

क्रम सं.	तारीख	दिवस	स्थान	क्षेत्र
1.	1 सितंबर	शनिवार	गाजियाबाद	सीआईआरसी
2.	2 सितंबर	रविवार	शिमला	एनआईआरसी
3.	6 सितंबर	गुरूवार	पुणे	डब्ल्यूआईआरसी
4.	7 सितंबर	शुक्रवार	फरीदाबाद	एनआईआरसी
5.	8 सितंबर	शनिवार	आगरा	सीआईआरसी
6.	8 सितंबर	शनिवार	गोवा	डब्ल्यूआईआरसी
7.	8 सितंबर	शनिवार	लुधियाना	एनआईआरसी
8.	9 सितंबर	रविवार	अमृतसर	एनआईआरसी
9.	11 सितंबर	सोमवार	तिरूचिरापल्ली	एसआईआरसी
10.	13 सितंबर	गुरूवार	हैदराबाद	एसआईआरसी
11.	14 सितंबर	शुक्रवार	भुवनेश्वर	ईआईआरसी
12.	14 सितंबर	शुक्रवार	विजयवाड़ा	एसआईआरसी

13.	14 सितंबर	शुक्रवार	गुंटूर	एसआईआरसी
14.	15 सितंबर	शनिवार	गोरखपुर	सीआईआरसी
15.	15 सितंबर	शनिवार	जयपुर	सीआईआरसी
16.	16 सितंबर	रविवार	इलाहाबाद	सीआईआरसी
17.	20 सितंबर	गुरूवार	कोलकाता	ईआईआरसी
18.	22 सितंबर	शनिवार	भिलाई	सीआईआरसी
19.	22 सितंबर	शनिवार	चैन्नई	एसआईआरसी
20.	22 सितंबर	शनिवार	तिरूपुर	एसआईआरसी
21.	22 सितंबर	शनिवार	अम्बाला	एनआईआरसी
22.	22 सितंबर	शनिवार	अहमदाबाद	डब्ल्यूआईआरसी
23.	22 सितंबर	शनिवार	गुवाहाटी	ईआईआरसी
24.	22 सितंबर	शनिवार	औरंगाबाद	डब्ल्यूआईआरसी
25.	22 सितंबर	शनिवार	काकीनाड़ा	एसआईआरसी
26.	23 सितंबर	रविवार	जलगांव	डब्ल्यूआईआरसी
27.	23 सितंबर	रविवार	नागपुर	डब्ल्यूआईआरसी
28.	23 सितंबर	रविवार	बैंगलोर	एसआईआरसी
29.	23 सितंबर	रविवार	सुरत	डब्ल्यूआईआरसी
30.	27 सितंबर	गुरूवार	करनाल	एनआईआरसी
31.	28 सितंबर	शुक्रवार	उदयपुर	सीआईआरसी
32.	29 सितंबर	शनिवार	कोयम्बटूर	एसआईआरसी
33.	29 सितंबर	शनिवार	सिलीगुड़ी	ईआईआरसी
34.	29 सितंबर	शनिवार	नासिक	डब्ल्यूआईआरसी
35.	29 सितंबर	शनिवार	राजकोट	डब्ल्यूआईआरसी
36.	29 सितंबर	शनिवार	चंडीगढ़	एनआईआरसी

5.7.4 पूंजी बाजार संबंधी अखिल भारतीय सम्मेलन : समिति ने, भारत वाणिज्य और उद्योग चेम्बर तथा भारत के एनएसई सदस्यों के संगम, पूर्वी क्षेत्र के सहयोग से "इंडियन केपिटल मार्किट - विजन - 2010" विषय पर पूंजी बाजार संबंधी एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था । इस सम्मेलन की मेजबानी आईसीएआई की ईआईआरसी ने की थी । यह सम्मेलन अत्यधिक सफल रहा था और इसमें 700 सदस्यों ने भाग लिया था । इस सम्मेलन को पूंजी बाजार क्षेत्र के विख्यात विशेषज्ञों द्वारा संबोधित किया गया था और कार्यक्रम का आयोजन 14 जून, 2007 को कोलकाता में किया गया था ।

5.7.5 पूंजी बाजार विनियमों संबंधी पुस्तिका

विषयवस्तु की व्यापकता और बाजार को विनियमित करने वाले विभिन्न कानूनों और संबंधित नियमों, विनयमों और मार्गदर्शनों में समय समय पर होने वाले संशोधनों को देखते हुए, समिति ने सितंबर, 2006 में एक नया प्रकाशन "हेंडबुक ऑन कैपिटल मार्किट रेगुलेशन" निकाला । इस प्रकाशन में पूंजी बाजार के क्षेत्र में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों द्वारा दी जा रही विभिन्न सेवाओं पर एक अध्याय सम्मिलित किया गया था । यह प्रकाशन इस समय पुनरीक्षणाधीन है ।

5.7.6 भावी पहलें

(क) भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के सहयोग से **वित्तीय बाजार और सेवाओं में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम** प्रारंभ करना । इस समय चर्चाएं की जा रही हैं ।

(ख) **निवेशक संरक्षण पर वैश्विक व्यवहार संबंधी पुस्तिका ।**

(ग) दिल्ली, बैंगलोर और मुंबई में **क्षेत्रीय सम्मेलन** ।

(घ) विदेशी स्टॉक एक्सचेंजों में **वैश्विक अध्ययन दौरे** ।

5.8 विशेषज्ञ राय

इन दिनों जब पूरे विश्व में आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं, भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान ने उन परिस्थितियों में, जिनमें चार्टर्ड लेखांकन वृत्ति कार्य करती है, हो रहे व्यापक परिवर्तनों को देखतें हुए और सक्रिय रीति में कार्रवाई करने के प्रयासों में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे वृत्तिक मानक अंतरराष्ट्रीय व्यवहारों के अनुरूप हैं, समय समय पर नए/विद्यमान लेखांकन और संपरीक्षा मानकों तथा मार्गदर्शन टिप्पणों को जारी /पुनरीक्षित किया है । तथापि, ये मानक नए और जटिल होने के कारण, कतिपय जटिल परिस्थितियों में कार्यवाही करते समय, इनके क्रियान्वयन में व्यवहारिक कठिनाइयां आती हैं । इन परिस्थितियों में सदस्यों का मार्गदर्शन करने के विचार से संस्थान ने, संस्थान के सदस्यों के लेखांकन संपरीक्षा और संबंधित मुद्दों पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए विशेषज्ञ सलाहकार समिति स्थापित की । यह समिति ऐसे किन्हीं अनुमानित मामलों और मुद्दों पर विचार नहीं करती, जिनमें विभिन्न अधिनियमितियों का विधिक निर्वचन और वृत्तिक कदाचार के मामले अंतर्वलित हैं । यह किन्हीं ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देती, जो संस्थान की अनुशासन समिति, किसी विधि के न्यायालय, आयकर प्राधिकारियों या सरकार के किसी अन्य समुचित विभागों के समक्ष लंबित हैं । संस्थान की समिति ने सलाहकार सेवा नियम विरचित किए हैं, जिनके अनुसार समिति सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर देती है । इन नियमों को संस्थान की वेबसाइट पर देखा और नई दिल्ली स्थित इसके प्रधान कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।

यह समझना चाहिए कि यद्यपि विशेषज्ञ सलाहकार समिति की नियुक्ति परिषद ने की है और समिति वस्तुनिष्ठ और विशेषज्ञ राय उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रयास करती है और उसे निर्दिष्ट विषय पर उपलब्ध राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय साहित्य पर विचार करने के पश्चात् ही राय देती है, फिर भी समिति की राय या मत, समिति की ही राय और मत है न कि संस्थान की परिषद् की राय ।

01.04.2006 से 18.8.2007 की अवधि के दौरान समिति ने व्यापक मुद्दों जैसे कि त्रैमास/वर्ष अंत पर वस्तुसूची मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए खंड रिपोर्टिंग, उपरिशीर्ष आबंटन, आस्थगित कर दायित्व, औद्योगिक संपदाओं के रूप में औद्योगिक भूखंडों के पट्टे पर प्राप्त पट्टा प्रीमियम का लेखांकन उपचार, आंशिक रूप से संरक्षित बंधपत्रों का प्रकटन, वेल्स की साइड ट्रेकिंग लागत के संबध में

लेखांकन उपचार, संदेहास्पद अग्रिमों और संदेहास्पद छालों आदि के लिए आधिक्य प्रावधानों के संबंध में आस्थगित कर आस्तियों का उपचार, पर 42 रायों को अंतिम रूप दिया ।

किसी एक वर्ष के दौरान समिति द्वारा अंतिम रूप दी गई सभी रायों को, उन्हें जारी करने की तारीख के साथ रायों के कंपेंडियम में प्रकाशित किया जाता है । अभी तक, कंपेंडियम की चौबीस जिल्दें, जिनमें समिति द्वारा दिसंबर, 2005 तक अंतिम रूप दी गई रायें अंतर्विष्ट हैं, विक्रय के लिए जारी की गई हैं । कंपेंडियम की जिल्द 25 और 26, जिनमें क्रमशः समिति द्वारा फरवरी, 2005 से जनवरी, 2006 और फरवरी 2006 से जनवरी, 2007 तक अंतिम रूप दी गई रायें अंतर्विष्ट हैं, संकलनाधीन है । समिति, संस्थान के सदस्यों के उपयोग के लिए आसान सर्च इंजिन वाली एक सीडी जारी करने का प्रयास कर रहा है, जिसमें समिति द्वारा अभी तक जारी की गई सभी रायें अंतर्विष्ट हों ।

समिति द्वारा अंतिम रूप दी गई कुछ रायों को संस्थान के जर्नल ' द चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट' के प्रत्येक अंक में प्रकाशित किया जा रहा है । समिति की हाल ही की रायें भी संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं ।

5.9 सतत् वृत्तिक शिक्षा

5.9.1 सामान्य अवलोकन

रिपोर्टाधीन वर्ष भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की प्रास्थिति को विश्व में केवल सर्वोत्तम के साथ तुलनीय सुयोग्य वृत्तिक के रूप में बनाए रखने के संस्थान के निरंतर प्रयास में एक ऐतिहासिक रहा है । आईसीएआई हमेशा अपने सदस्यों द्वारा दी गई वृत्तिक सेवाओं के मानक में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करता आया है । वृत्तिक सेवाओं के सर्वोच्च मानकों को बनाए रखने में सदस्यों की सहायता करने के लिए हर संभव प्रयास किए गए तथा इन्हें संस्थान की सतत् वृत्तिक शिक्षा समिति द्वारा कार्यान्वित किया गया ।

अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के अनुरूप, कलेंडर वर्ष, 2007 के लिए सीपीई अपेक्षाओं को पुनरीक्षित किया गया है जिससे कि :-

- प्रेक्टिस कर रहे सभी सदस्यों से जब तक कि उन्हें छूट न प्राप्त हो, एक कलेंडर वर्ष के दौरान न्यूनतम 20 सीपीई क्रेडिट घंटे अभिप्राप्त करने की अपेक्षा की जाती है । असंरचित सीपीई पठन घंटे लागू नहीं हैं । वर्ष 2006 में सीपीई क्रेडिट में अपनी किसी कमी को सदस्यों को 31 दिसम्बर, 2007 से पूर्व उस कमी से दुगना समय देकर दूर करना होगा । ऐसे 'कमी पूरा करने वाले घंटे' 2007 के लिए अपेक्षित नियमित सीपीई क्रेडिट घंटों के अतिरिक्त होंगे ।
- प्रेक्टिस के अलावा अन्य कार्यों में लगे सदस्यों से सीपीई क्रेडिट घंटों की अपेक्षा **सिफारिशात्मक** है । ऐसे सदस्यों से कलेंडर वर्ष के दौरान सीपीई क्रेडिट के न्यूनतम 10 (दस) घंटों का उपार्जन करने की सिफारिश की जाती है ।
- सीपीई क्रेडिट घंटों की अपेक्षाएं ऐसी किसी सदस्य को लागू नहीं होती हैं, जिसमें किसी विशिष्ट कलेंडर वर्ष के दौरान साठ वर्ष की आयु पूरी कर ली हो ।

5.9.2 पुनरीक्षित और जारी किए गए दस्तावेज

परिषद् ने सीपीई समिति की सिफारिशों पर विचार किया और निम्नलिखित दस्तावेजों को पुनरीक्षित और जारी किया :

- सतत वृत्तिक शिक्षा संबंधी विनियम, 2003 (अगस्त 2006 में यथा संशोधित)
- सीपीई अध्ययन क्षेत्र के लिए सन्नियम (अगस्त 2006 में यथा संशोधित)
- सीपीई अध्यायों के लिए सन्नियम (अगस्त 2006 में यथा संशोधित)
- सीपीई अध्ययन समूहों के लिए सन्नियम (अगस्त 2006 में यथा संशोधित)
- सीपीई कार्यक्रमों के संचालन के वृत्तिकरण के लिए परिषद् के निदेश

5.9.3 सीपीई पोर्टल का शुभारंभ

समिति ने संस्थान के सदस्यों द्वारा उपार्जित सीपीई घंटों की रिकार्डिंग तथा उसके अभिलेखों को बनाए रखने के लिए आन लाइन सीपीई पोर्टल (http://www.cpeicai.org.) को विकसित किया है जिसे 17 अक्तूबर, 2005 से कार्यरत बनाया गया था ।

प्रणाली सदस्यों को उनके द्वारा उपार्जित सीपीई क्रेडिट घंटों के साथ उनको नवीनतम जानकारी प्रदान करती है । सदस्य अपनी आई डी तथा पासवर्ड का उपयोग करते हुए सीपीई पोर्टल को खोलकर सीपीई घंटों की प्रास्थिति का जायजा ले सकते हैं । पोर्टल केन्द्रीय समिति, क्षेत्रीय परिषद्, विदेशी चैप्टरों, सीपीई चैप्टरों, सीपीई अध्ययन जर्नल और सीपीई अध्ययन समूहों जैसे विभिन्न पीओयू द्वारा भारत तथा विदेश में आयोजित कार्यक्रमों के संबंध में भी जानकारी प्रदान करता है ।

उक्त सीपीई पोर्टल देशभर में समाधानप्रद रूप में कृत्य कर रहा है ।

5.9.4 कार्यक्रम आयोजित करने वाले यूनिटों को सशक्त बनाना

सीपीई कार्यक्रम संयोजन यूनिट (पीओयू) द्वारा सम्मिलित किए जाने वाले विषयों में एकरूपता को बनाए रखने के दोहरे उद्देश्य से तथा संस्थान के सीपीई निदेशालय में जाए बिना, सीपीई क्रेडिट घंटों को अवधारित करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए, सीपीई कलेंडर को सम्यक् परामर्श प्रक्रिया के पश्चात् जारी कर दिया गया है जिसमें व्यावहारिक विषय प्रेक्टिस कर रहे सदस्यों के लिए ही सुसंगत नहीं है अपितु नौकरी कर रहे सदस्यों के लिए भी सुसंगत है । मैट्रो, बड़े तथा छोटे शहरों, मुफस्सिल तथा दूरस्थ स्थानों में सदस्यों की सीपीई अपेक्षाओं को संबोधित करने में सम्यक् सावधानी बरती गई थी । पूर्व वर्षों की तरह ही, सीपीई कलेंडर को दो भागों में अर्थात् अनिवार्य विषय और वैकल्पिक विषय में विभाजित किया गया था । वर्ष 2007-08 के लिए अनिवार्य विषयों में निम्नलिखित सम्मिलित है :-

लेखांकन तथा संपरीक्षा

1. आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक
2. आईसीएआई द्वारा जारी संपरीक्षा, आश्वासन तथा क्वालिटी मानक
3. लेखांकन और संपरीक्षा संबंधी आईसीएआई की उद्घोषणाएं तथा अन्य दस्तावेज
4. क्षेत्रवार/उद्योगवार व्यावहारिक प्रस्तुतीकरण के साथ लेखांकन दस्तावेज
5. लेखांकन मानक तथा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस)
6. यू.एस.और यू.के. जीएएपी
7. आंतरिक संपरीक्षा मानक
8. पीयर रिव्यू - प्रेक्टिस यूनिट के लिए प्रणाली, प्रक्रिया तथा दस्तावेजीकरण
9. क्वालिटी पुनर्विलोकन के अधीन तकनीकी मानक

10. सर्बेन्स आक्सले अधिनियम

11. शहरी स्थानीय निकायों का लेखांकन

12. न्यायालयिक लेखांकन तथा संपरीक्षा

13. आंतरिक लेखा तथा आंतरिक नियंत्रण

14. सेवा कर संपरीक्षा

15. वैट संपरीक्षा

16. जोखिम आधारित आंतरिक संपरीक्षा

17. अनिगमित उद्यमों और उनके संपरीक्षकों से संबंधित मुद्दे

सूचना प्रौद्योगिकी

18. निम्नलिखित पर व्यवहारिक कार्यशाला

क. बैंकों/बैंककारी उपयोजनों की आईएस संपरीक्षा

ख. सीएएटीके/साधारण संपरीक्षा साफ्टवेयर का उपयोग

ग. स्टॉक ब्रोकर सीटीसीएल प्रसुविधा की आईएस संपरीक्षा

घ. एमएस-एक्सेल-संपरीक्षा के लिए उपकरण

ङ. नेटवर्क संरक्षा संपरीक्षा/पुनर्विलोकन

च. विंडोज एक्सपी संरक्षा पुनर्विलोकन

छ. विंडोज 2000/2003 संरक्षा पुनर्विलोकन

ज. एमएसएक्सेल - वित्तीय विश्लेषण/रिपोर्टिंग के लिए उपकरण

झ. वित्तीय प्रबंधन के लिए एमएस-एक्सेल

ञ. एमएस-एक्सेल की प्रोन्नत विशिष्टियां और सुविधाएं

ट. लेखांकन/वित्तीय अपेक्षाओं के लिए आंकड़ों का निष्कर्षण/विश्लेषण

ठ. एमएस-वर्ल्ड का उपयोग करते हुए रिपोर्टिंग/दस्तावेजीकरण

ड. कोर बैंकिंग उपयोजनों (सीबीए) की आईएस संपरीक्षा/पुनर्विलोकन

ढ. सूचना प्रणाली संपरीक्षा

19. एक्सबीआरएल वित्तीय रिपोर्टिंग भाषा

20. आंतरिक नियंत्रणों का प्रमाणीकरण - खंड 49/सर्बेन्स आक्सले अधिनियम

21. लेखांकन सॉफ्टवेयर संरक्षा संपरीक्षा / पुनर्विलोकन और प्रोन्नत सुविधाएं/विशिष्टियां

22 अंकीय हस्ताक्षर और ई-फाइलिंग (आयकर/एमसीए 21)

23. इआरपी को समझना (2 दिन)

24. इआरपी कार्यान्वयन/परीक्षण/अनुरक्षण (8/21 दिन)

25. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम

26. उभरती हुई सूचना प्रौद्योगिकी चुनौतियां और अवसर

27. वीपीओ/केपीओ सनराइज क्षेत्रों में बढ़ते अवसर

28. सूचना प्रौद्योगिकी सर्वोत्तम व्यवहार - एक पुनर्विलोकन

कराधान

29. आय-कर अधिनियम के अधीन संपरीक्षा - तैयारी, प्रस्तुतीकरण और दस्तावेजीकरण

30. अवक्षयण : लेखांकन, कराधान तथा कंपनी विधि के मुद्दे

31. अप्रत्यक्ष कराधान में उभरते हुए मुद्दे

32. व्यवसाय कराधान संबंधी मुद्दे

33. अंतरराष्ट्रीय कराधान संबंधी मुद्दे

34. राष्ट्रीय कर अधिकरण सहित कर अधिकरण - चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की भूमिका

35. प्रत्यक्ष कर विधियों संबंधी वर्तमान निर्णय

36. सेवा कर - विधि और व्यवहार

37. अनिवासी भारतीय का कराधान - हाल की घटनाएं

38. कर विधियों के अधीन स्थगन, कर वसूली तथा अन्य सहबद्ध उपबंध

39. अंतरण कीमत

40. निगमित कराधान

41. फ्रिंज बेनिफिट कर (एफबीटी)

42. मूल्य वर्धित कर (वेट)

43. सर्वेक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण - हाल की घटनाएं

44. डेस्क पुनर्विलोकन

निगमित विधियां

45. अनुसूची 6

46. एमसीए 21 के अधीन ई-प्ररूप

47. माध्यस्थम अधिनियम, 1996

48. मूल्यांकन तकनीकें

49. विलयन और निर्विलयन

50. कंपनी (संपरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश (सीएआरओ)

51. एनसीएलटी विधि तथा व्यवहार

52. एमसीए 21 - वृत्ति के लिए चुनौतियां तथा अवसर

53. सीमित दायित्व भागीदारी

आचार संहिता

54. आईसीएआई की नीतिगत संहिता और उभरते हुए सुसंगत मुद्दे

वित्त तथा पूंजी बाजार

55. व्युत्पत्तियां : भावी तथा विकल्प

56. रेटिंग निधि का स्रोत

57. वित्त तथा पूंजी बाजार का वर्तमान रूझान

58. अंतरराष्ट्रीय वित्त

59. एफडीआई नियम

60. परियोजना रिपोर्ट तथा मूल्य निर्धारण

निगम शासन

61. सूचीबद्ध करार

62. संपरीक्षा समिति चार्टर

63. संपरीक्षा समिति तथा स्वतंत्र निदेशक

64. निगमित शासन में हाल की घटनाएं

65. सीओएसओ, सीओबीआईटी और ईआरपी

बीमा और जोखिम प्रबंध

66. बीमा सर्वेक्षण और हानि निर्धारण

67. पेंशन निधि में विकास

68. बीमा क्षेत्र में प्रति धनशोधन

69. जोखिम प्रबंध

अन्य

70. परामर्शी और सलाहकारी सेवाएं

71. कारबार सलाहकारी सेवाएं

72. सूचना का अधिकार अधिनियम

73. छह सिगमा

74. बौद्धिक संपदा अधिकार

75. कारबार प्रक्रिया बाहरी स्रोत : चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लिए अवसर

76. ज्ञान प्रक्रिया बाहरी स्रोत : चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लिए अवसर

77. कपट अन्वेषण तथा रिपोर्टिंग

78. न्यायशास्त्र, विधि का निर्वचन तथा साक्ष्य अधिनियम

79. धन शोधन

80. सीए संशोधन अधिनियम, 2006

81. सीए फर्मों का विलय, अविलय और निर्विलयन तथा क्षमता निर्माण

व्यवहार तथा उद्योग में संस्थान के सदस्यों की प्रासंगिकता वाले वैकल्पिक विषयों में 144 विषय सम्मिलित हैं । इसके अलावा, कलेन्डर में, विषयों में 8 मुख्य शीर्ष भी सम्मिलित हैं जो विशेषकर उद्योग वाले सदस्यों के लिए प्रासंगिक हैं ।

सीपीई क्रेडिट घंटों की बढ़ी हुई मात्रा को पूरा करने के लिए सदस्यों को समर्थ बनाने हेतु, संस्थान का सीपीई कार्यक्रम आयोजक यूनिट विशेषकर क्षेत्रीय परिषद्, क्षेत्रीय परिषद् की शाखाएं, सीपीई अध्ययन सर्किल तथा सीपीई चैप्टरों को यह सलाह दी गई है कि वे ऐसे सदस्यों, जो ऐसे पीओयु में कार्य कर रहे हैं, के साथ न्यूनतम सीपीई कार्यक्रमों का संचालन करें ।

क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं को भी यह सलाह दी गई थी कि वे अन्य कार्यक्रमों के अतिरिक्त आज्ञापक रूप से प्रत्येक तिमाही में न्यूनतम दो कार्यशालाओं का आयोजन करें - इनमें से एक क्वालिटी पुनर्विलोकन के अधीन तकनीकी मानकों के अनुपालन से संबंधित होनी चाहिए और दूसरी हाल ही में जारी लेखांकन मानकों के कार्यान्वयन संबंधी गहन प्रशिक्षण कार्यशाला होनी चाहिए ।

5.9.5 सीपीई कार्यक्रमों की गुणवत्ता को बनाए रखना

सीपीई समिति ने अन्य बातों के साथ-साथ, सीपीई सीपीयू द्वारा आयोजित किए जाने वाले सीपीई कार्यक्रम की गुणवत्ता को मानीटर करने के लिए क्षेत्रीय सीपीई मानटरिंग समितियां बनाई है । जैसा कि सीपीई एडवाइजरी आन मानिटर्स एंड सुपरवाइजर्स के अंतर्गत अपेक्षित है, ऊपर कथित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीपीई कार्यक्रम आयोजक यूनिटों के लिए मानीटर तथा सुपरवाइजर नामनिर्दिष्ट किए जा रहे हैं ।

5.9.6 सीपीई समिति की अन्य पहलें

सीपीई समिति निम्नलिखित रणनीति संबंधी पहलों पर भी कार्य कर रही है :

- ऐसे स्थानों पर, जहां भारत से बाहर चैप्टर का सृजन नहीं किया जा सकता सीपीई कार्यक्रम आयोजित करने के सीमित प्रयोजन के लिए भारत से बाहर सीपीई अध्ययन सर्कलों के सृजन और कार्यकरण के लिए सन्नियम तैयार करना ।
- संस्थान के सदस्यों के तकनीकी और वृत्तिक कौशल में सुधार करने हेतु उन्हें गहन जानकारी उपलब्ध कराने के विचार से अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों, एसओएक्स, निवेश बैंककारी, बीएएससीएल II, सम्यक् अभ्यास, भावी और वित्तीय सूचना का पूर्वानुमान, सेवाकर और क्वालिटी नियंत्रण जैसे विषयों पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का संचालन ।
- सभी पांच क्षेत्रों में भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थान के सीपीई संसाधन व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षक कार्यशालाओं के लिए प्रशिक्षण आयोजित करना ।
- लेखांकन मानकों/संपरीक्षा और आश्वासन मानकों/ क्वालिटी पुनर्विलोकन मानकों पर कार्यशालाओं/ प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करना जिससे कि संस्थान के सदस्यों को सीपीई पद्धति के माध्यम से गहन अध्ययन और अनुकूलन प्रदान किया जा सके ।
- उद्योग में लगे सदस्यों के फायदे के लिए और अधिक घरेलू कार्यपालक विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

- प्रबंध लेखांकन, कर प्रबंध और निगम प्रबंध विषयों पर पश्च-अर्हता पाठ्यक्रमों की पाठ्यक्रम अंतर्वस्तु का पुनरीक्षण करना और सदस्यों के बीच उन विषयों को लोकप्रिय बनाने के लिए रणनीति तैयार करना ।
- सदस्यों के लिए ई-पठन समाधानों को कार्यान्वित करना ।
- सदस्यों के लिए स्मार्ट कार्ड समाधान कार्यान्वित करना ।
- संस्थान के सदस्यों के सॉफ्ट कौशलों को विकसित करने के संबंध में उनके लिए स्पीच क्राफ्ट कार्यक्रम तैयार करना ।
- संस्थान के कार्यक्रम संचालन यूनिटों द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विख्यात व्यक्तियों (प्रभावपूर्ण पदों पर तैनात चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों, केन्द्रीय / राज्य स्तरीय मंत्रियों और साथ ही केन्द्रीय/ राज्य स्तरीय पदधारियों / नौकरशाहों) को आमंत्रित करने के लिए मार्गदर्शन तैयार करना ।

5.10 वृत्तिक विकास समिति

वृत्तिक विकास समिति ने अपने मिशन, अर्थात् कारबार, व्यापार और वाणिज्य, सेवा, अवसंरचना विश्व, शासन और पूर्णरूपेण सोसाइटी के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की वृत्तिक योग्यता और कौशल के उपयोग हेतु अवसरों की खोज करने, उन्हें व्युत्पन्न करने, विकसित करने, सुनिश्चित करने तथा उपलब्ध कराने और यह सुनिश्चित करने कि ऐसे अवसर सभी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों को, उनके वृत्तिक सामर्थ्य और गुणों को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए, समान रूप से उपलब्ध है, के उद्देश्य की पूर्ति के सदे प्रयास जारी रखे । समिति, अपनी कार्य योजना के भाग रूप में निरंतर विभिन्न विनियामक/पैनलबद्ध करने वाले प्राधिकारियों तथा वृत्तिकों की सेवाओं के उपयोक्ताओं के साथ परस्पर क्रिया कर रही है ।

वर्ष के दौरान समिति की प्रमुख उपलब्धियां/प्रयास नीचे सूचीबद्ध हैं :

- वर्ष 2006-07 से बैंकों की कानूनी संपरीक्षा के लिए संपरीक्षा पारिश्रमिक में वृद्धि ।
- सदस्यों/फर्मों को, वर्ष 2006-07 के लिए बहु प्रयोजन पैनलबद्ध आवेदन प्ररूप को डाउन लोड करने के पश्चात् ऑफ लाइन रूप से प्ररूप को भरने तथा पुनः इंटरनेट से जुड़ने के पश्चात् फिर से अपलोड करने में समर्थ बनाने के लिए उस प्ररूप को www.meficai.org पर रखा गया था ।
- ऐसे सदस्यों/फर्मों का, जिनके विचार, उद्देश्य और भविष्य की रणनीति एक समान हैं, और जो नेटवर्क में भाग लेने वालों की दृढता को संपूरित करते हैं, संगम स्थापित करने के लिए एक नया अद्वितीय 'नेटवर्किंग पोर्टल' प्रारंभ किया गया है जो www.canet.co.in लिंक पर उपलब्ध है ।
- वृत्तिक विकास ज्ञान पोर्टल www.pdicai.org सदस्यों को निरंतर समय पर अपनी सेवाएं दे रहा है तथा सदस्यों को व्यवहार विकास और वृत्तिक अवसरों के संबंध में आवश्यक जानकारी दे रहा है ।
- संपरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में संयुक्त सचिव, बैंककारी विभाग द्वारा सभी पब्लिक सेक्टर बैंकों के मुख्य प्रबंध निदेशकों को जारी पत्र के संबंध में संघ के माननीय वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री से बैठक ।

- पंजाब के उत्पाद शुल्क और कराधान विभाग के अधिकारियों से बैठक ।
- बैंकों की संपरीक्षा से संबंधित विभिन्न मामलों पर भारतीय रिजर्व बैंक के पदधारियों से चर्चाएं ।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय से सदस्यों के प्रत्यक्ष हित से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की गई थी ।
- परस्पर हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए नाबार्ड के पदाधिकारियों के साथ बैठक ।
- परस्पर हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बैंककारी विभाग, वित्त मंत्रालय के पदाधिकारियों के साथ बैठक ।
- खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पदाधिकारियों के साथ बैठक ।
- वर्ष 2006-07 के लिए बैंक शाखा संपरीक्षा हेतु आबंटन स्थिति के संबंध में सूचना को संस्थान की वेबसाइट पर रखा गया था ।

उपरोक्त के अलावा, समिति निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है:

- सभी उपलब्ध तथा संभावित अवसरों की खोज तथा उपयोग ताकि संस्थान के सदस्यों के लिए वृत्तिक विकास तथा वृद्धि कि नए अवसर सुनिश्चित किए जा सकें ।
- वृत्ति प्रभावित करने वाले मामलों पर उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करना ।
- ऐसे विभिन्न विषयों पर जो समिति के मुख्य मिशन से संबंधित हैं, पाठ्यक्रम, संगोष्ठियां, कार्यशालाएं आयोजित करना ।
- चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए विकसित संभाव्य क्षेत्रों के संबंध में उन्हें दिए जाने वाले मार्गदर्शन की रीति और प्ररूप अवधारित करना ।
- वृत्ति की सेवाओं के उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि निकायों के साथ संसूचना प्रक्रिया में सुधार करना जिससे कि वृत्ति के सभी सदस्यों को उनकी योग्यता और विशेषज्ञता के अनुरूप वृत्ति के सभी सदस्यों को समान अवसर प्राप्त हों ।
- सदस्यों के कौशल तथा योग्यता में सुधार करने में विनिर्दिष्ट सहायता देने के लिए उपायों तथा साधनों पर विचार करना (साधारणतया यह संस्थान के अन्य समिति के सिफारिशों के रूप में होगी)।
- अंत में, यह सुनिश्चित करना कि वृत्तिक विकास के विद्यमान अवसरों को न्यायसंगत और वृद्धि उन्मुख स्तरों पर पूर्णतया उपयोग और उन्हें बनाए रखा जाए ।

समिति का यह दृढ मत है कि "हम केवल वह प्राप्त करते हैं, जिसकी हम योजना बनाते हैं" इस मत के अनुसरण में तथा पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समिति वृत्ति के नये क्षेत्रों की पहचान करने और उन्हें सुदृढ़ करने को पूर्विक्ता दे रही है और इसे वर्ष 2006-07 से वृत्तिक विकास के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों के रूप में निम्नलिखित क्षेत्रों को अंगीकृत करके प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव किया गया है :-

वृत्तिक विकास समिति ने सदस्यों के वृत्तिक विकास के लिए निम्नलिखित गतिविधियां प्रारंभ करने का विनिश्चय किया है :

- अगले पांच वर्ष में सीए के लिए मांग के प्राक्कलन हेतु अध्ययन प्रारंभ करना - वृत्ति के क्षेत्रवार और भौगोलिक रूप से - अध्ययन करने के लिए अभिकरणों की पहचान करना और अध्ययन के

निष्कर्षों, विशेष रूप से भावी सदस्यों की शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर पुनःध्यान देने की आवश्यकता के आधार पर कार्य योजना तैयार करना ।

- इस क्षेत्र में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सदस्यों की साध्यता हेतु आईसीएआई केपीओ केन्द्र की स्थापना करना - इस केन्द्र के लिए सीईओ/सीओओ की भर्ती पर विचार करना तथा भर्ती और अवस्थान अवधारण करने के लिए अभिकरण की पहचान करना - केन्द्र के कार्यकरण के लिए व्यापक पैरामीटरों/पद्धतियों को तैयार करना ।

- भारत में और भारत से बाहर - विभिन्न सरकारी/पब्लिक सेक्टर निकायों के लिए चालू आधार पर उच्च क्वालिटी के विशेषीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए आईसीएआई प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करना - इस केन्द्र के लिए सीईओ/सीओओ की भर्ती पर विचार करना तथा इसके लिए व्यापक पैरामीटरों/पद्धतियों को तैयार करना ।

- वृत्तिकों के लिए अवसरों/उद्योग की आवश्यकताओं की पहचान करने तथा अपेक्षित दक्षता सेटों को विकसित करने के लिए नियमित परस्पर क्रिया (उद्योग के सदस्यों के साथ संयुक्त रूप से) के लिए आईसीएआई - उद्योग नेटवर्क स्थापित करना - इस बात पर विचार करना कि क्या ऐसे नेटवर्क - प्रत्येक क्षेत्र में एक या अधिक होने चाहिए, उनका गठन, बैठकों की आवर्तिता और अन्य पद्धतियां ।

समिति अपने इस दायित्व के प्रति भी सचेत है कि वह वृत्तिक अवसरों के नए पहलुओं से संबंधित क्षेत्रों में सदस्यों को शिक्षित करे, इस दृष्टि से समिति ने नागपुर में 'वृत्तिक अवसरों' विषय पर एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया था ।

5.11 पियर रिव्यू बोर्ड

देश में आईसीएआई द्वारा प्रारंभ - इस संबंध में एक अग्रणी - प्राप्त फीड बैक के अनुसार, - पियर रिव्यू तंत्र का बहुत बड़ी संख्या में वृत्ति के सदस्यों द्वारा स्वागत किया गया ।

वर्ष 2002 में आईसीएआई की परिषद् द्वारा गठित पियर रिव्यू बोर्ड, जिसमें कारपोरेट कार्य मंत्रालय, सीएंडएजी, उद्योग तथा आरबीआई जैसे निकायों से परिषद् के सदस्य तथा परिषद् सम्मिलित हैं, यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है कि बेहतर ग्लोबल प्रेक्टिस के अनुसार पुनर्विलोकन किया जाता है ।

इस क्रम में कि पुनर्विलोकनकर्ताओं द्वारा सुसंगता और एकरूपता के साथ पुनर्विलोकन किया जाता है, बोर्ड पुनर्विलोकनकर्ताओं को प्रेक्टिस यूनिटों को पुनर्विलोकन के लिए उनको समनुदेशित करने से पूर्व प्रशिक्षण प्रदान करता है । प्रशिक्षण माड्यूल जो " ट्रेनिंग माडयूल फॉर पियर रिव्यूअरस" नामक पुस्तक के रूप में इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से विकसित किया गया है, पुनर्विलोकनकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करता है तथा प्रशिक्षण सुसाध्यक के लिए मार्गदर्शन भी देता है कि पुनर्विलोकनकर्ताओं का प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है ।

प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम के दौरान, पियर रिव्यू प्रक्रिया, प्रेक्टिस यूनिटों की बाध्यताएं, पुनर्विलोकनकर्ता की भूमिका, बोर्ड की शक्तियां, अनुशासनिक अधिकारिता आदि से संबंधी असंख्य प्रश्न उठाए गए थे । जबकि प्रशिक्षकों ने अपनी सर्वोत्तम योग्यता से इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया था । बोर्ड इन प्रश्नों को बुकलेट रूप में संकलित करना उपयुक्त समझता है तथा तदनुसार, एफएक्यू संबंधी प्रकाशन को भी जारी किया गया था ।

पियर रिव्यू प्रक्रिया का उद्देश्य तीन चरणों में क्रमबद्ध रीति से चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की सभी फर्मों को सम्मिलित करना है । पीयू का चयन विशेष रूप से विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से रेन्डम आधार पर किया जाता है । चरण 1 में सम्मिलित पी.यू. का तीन क्रमबद्ध रीति से चयन किया गया है तथा जो अभी प्रक्रम 2 के अंतर्गत सम्मिलित है, उनका 4 चरणों के लिए चयन किया गया है । प्रक्रम 3 के अधीन पीयू का चयन उसके फेज 1 के अधीन भी किया गया है ।

समिति ने प्रकटन और लेखांकन मानकों संबंधी सेबी समिति के इस अनुरोध को स्वीकार किया है कि अंतर्वलित लोक निधियों को देखते हुए, सूचीबद्ध कंपनियों की संपरीक्षा केवल ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जानी चाहिए जिन्होंने पियर रिव्यू सीखा है और जिन्हें पियर रिव्यू बोर्ड द्वारा पियर रिव्यू प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं ।

पियर रिव्यू बोर्ड ने, संस्थान द्वारा प्रारंभ की गई पियर रिव्यू प्रक्रिया और पियर रिव्यू बोर्ड द्वारा अभी तक प्राप्त किए गए अनुभव के संबंध में भी विनियामकों और उद्योग के प्रतिनिधियों को अवगत कराने के लिए मुंबई में 27 जुलाई, 2007 को " पियर रिव्यू पर निर्वाचिका सभा" का आयोजन किया था । इस सभा में, (i) आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, एएमएफआई, एनएसई, बीएसई, एबीसी, अग्रिम बाजार आयोग (एफएमसी) आदि जैसे विभिन्न विनियामक निकायों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ।

5.12 उद्योग में सदस्यों के लिए समिति

5.12.1 अवलोकन

उद्योग में लगे सदस्यों के लिए समिति आईसीएआई तथा विभिन्न हैसियत से उद्योगों में कार्य कर रहे चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के बीच निकट संपर्क बढ़ाने में लगी हुई है जिससे कि सरकारी संगठनों तथा अभिकरणों के साथ गहन तथा व्यापक नातेदारी के विकास के माध्यम से ज्ञान, विशेषज्ञता, कौशल तथा व्यष्टिक कैरियर विकास में सहायता दी जा सके ताकि उन्हें नियोजन के अधिकतम अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को साथ-साथ पूरा करते समय व्यापार, वाणिज्य, उद्योग जगत तथा शासन को हर संभव अधिकतम अपावरण प्रदान किया जा सके ।

समिति, उद्योग में अवसरों का पता लगाने में संस्थान के सदस्यों को सहायता प्रदान करती है । इस संबंध में, समिति संस्थान के सदस्यों तथा छात्रों के निम्नलिखित तीन प्रवर्गों के संबंध में सेवाएं प्रदान करने में लगी है :

(i) कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के माध्यम से नए अर्हित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ।

(ii) अर्द्ध अर्हित लेखांकन वृत्तिक (ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अपनी चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम की आर्टिकलशिप पूरी कर ली है) ।

(iii) अर्हित चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट - जो वर्तमान में उद्योग में सेवा कर रहे हैं ।

सभी उपरोक्त सेवाएं प्लेसमेंट पोर्टल www.placements-icai.org. के माध्यम से प्रशासित की जा रही हैं । आईसीएआई प्लेसमेंट पोर्टल वृत्तिकों को वित्त तथा उद्योग में अंतरराष्ट्रीय बेहतर पद्धति ओरिएंटेड वित्त तथा लेखांकन संस्कृति और भारतीय उद्योग के लिए क्षमता निर्माण के उद्देश्यों के साथ विचार विमर्श करने का अवसर प्रदान करता है ।

5.12.2 कैम्पस साक्षात्कार

समिति वर्ष में दो बार कैम्पस नियोजन कार्यक्रम का आयोजन करती है, फरवरी-मार्च और अगस्त-सितंबर में, क्रमशः नवंबर और मई के प्रयासों में अर्हित सदस्यों के नियोजन के लिए अगस्त-

सितंबर, 2006 में आयोजित कैम्पस साक्षात्कार में 1345 और फरवरी-मार्च, 2007 में आयोजित कैम्पस साक्षात्कार में 1842 चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों को नियोजित किया गया था ।

फरवरी-मार्च, 2007 के कैम्पस नियोजन कार्यक्रम की प्रमुख विशिष्टियां

कुल मिलाकर 4296 अभ्यर्थियों को इस सेवा का लाभ लेने का अवसर प्राप्त हुआ । इन वृत्तिकों के बायोडाटा को केन्द्रवार वर्गीकृत किया गया था और उन्हें चौदह केन्द्रों पर 118 संगठनों के 278 साक्षात्कार बोर्डों से मिलने का अवसर दिया गया था ।

वेतन पैकेज के रूझान

फरवरी-मार्च, 2007 के दौरान प्रस्ताव किया गया अधिकतम वेतन :

(क) कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय पद के लिए अभ्यर्थियों को 38.25 लाख रुपए (85,000 अमरीकी डालर #) का वेतन संदत्त किया गया था ।

(ख) कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में भारतीय पद के लिए अभ्यर्थियों को 10 लाख रुपए का वेतन संदत्त किया गया था ।

(ग) संस्थान द्वारा कैम्पस नियोजन सेवा प्रारंभ करने के पश्चात् से किसी एक कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में नियोजित किए गए अभ्यर्थियों की संख्या 1840 है ।

(घ) ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या 800 थी, जिन्हें 5.00 लाख रुपए या अधिक के वेतन का प्रस्ताव दिया गया था । + 1यूएसडी = 45आईएनआर

5.12.3 वृत्ति से अन्यथा नियोजित सदस्यों के लिए सीपीई अपेक्षाएं

वृत्ति से अन्यथा नियोजित सदस्यों के लिए सीपीई प्रत्यक्ष घंटों की अपेक्षा को सिफारिशात्मक बनाने का विनिश्चय किया गया है । यह सिफारिश की जाती है कि ऐसे सदस्य किसी एक कलेंडर वर्ष में न्यूनतम 10 (दस) घंटे का सीपीई प्रत्यय अर्जित करें । यह 1.1.2006 से प्रभावी हुआ है ।

तथापि, 1.1.2008 से उद्योग में लगे सदस्यों के लिए सीपीई अपेक्षाओं को आज्ञापक बनाया जा रहा है । सदस्यों से कलेंडर वर्ष 2008 में 10 (दस) घंटे का सीपीई प्रत्यय अनिवार्य रूप से अर्जित करने की अपेक्षा की जाएगी ।

5.12.4 नए कैम्पस साक्षात्कार केन्द्रों को खोलना

समिति ने चंडीगढ़, एरनाकुलम, नागपुर और सूरत में चार नए कैम्पस साक्षात्कार केन्द्र खोले हैं ।

5.12.5 वस्त्र कोड

नए अर्हित चार्टर्ड एकाउन्टेंटों को बेहतर तरीके से कार्पोरेट जगत में प्रवेश करने के लिए तैयार करने और सकल रूप में वृत्ति की एक बेहतर ब्रांड छवि बनाने के लिए, समिति ने, परिषद् द्वारा निश्चित सिफारिशात्मक वस्त्र कोड को आगामी कैम्पस नियोजन कार्यक्रम में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए आज्ञापक बनाने का विनिश्चय किया है ।

5.12.6 अनुकूलन कार्यक्रम में उपस्थित होना - आज्ञापक

समिति ने अपने आगामी कैम्पस नियोजन कार्यक्रम के लिए अनुकूलन कार्यक्रम में उपस्थित होना सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए आज्ञापक बनाने का विनिश्चय किया है ।

5.12.7 नियोजन - पूर्व बातचीत में भाग लेना - आज्ञापक

अभ्यर्थियों के उन्हें सूचीबद्ध करने वाली कंपनियों के संबंध में प्रोफाइल, पद, वेतन आदि से संबंधित प्रश्नों का समाधान करने के लिए आगामी कैम्पस नियोजन कार्यक्रम से नियोजन-पूर्व बातचीत में भाग लेना आज्ञापक बनाया गया है ।

5.12.8 सीएफओ का संघ (निगम एकाउन्टेन्ट संघ)

उद्योग में लगे सदस्यों से संबंधित समिति एक सीएफओ संघ को बनाए रखती है । यह संघ आईसीएआई के ऐसे सदस्यों के लिए है जो उद्योग में वरिष्ठ पदों पर हैं । ऐसे संघ को स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफार्म विकसित करना है, जहां विभिन्न संगठनों के उच्च कोटि के बुद्धिजीवी और प्रतिभाशाली व्यक्ति साधारणतया वृत्ति से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकें और यह विशेष रूप से उद्योग में लगे सदस्यों के लिए है । वे उद्योग की दृष्टि मे चार्टर्ड एकाउन्टेंटों की छवि सुधारने के लिए योजनाएं, नीतियां और रणनीति बना सकते हैं । उद्योग से संबंधित विषयों पर चर्चा करने और उन्हें वृत्ति का ब्रांड राजदूत बनाने के लिए उद्योग विनिर्दिष्ट संगोष्ठियां/सम्मेलन/गोलमेज बैठकों की भी योजना बनाई जाती है । 18 अगस्त, 2007 को सीएफओ संघ की सदस्य संख्या 1848 है ।

5.12.9 उद्योग संघ में सदस्य

पूर्वोक्त के अतिरिक्त, समिति ने उद्योग में काम कर रहे सदस्यों के लिए एक संघ विकसित किया है । ऐसे संघ को स्थापित करने का प्रमुख उद्देश्य उद्योग में सेवा कर रहे संस्थान के सदस्यों का एक उद्योग-वार डाटाबेस विकसित करना और उसे बनाए रखना है । इसके अतिरिक्त, यह संघ एक ऐसे मंच के रूप में कार्य करेगा, जहां वृत्ति और विशेष रूप से उद्योग में लगे सदस्यों पर चर्चा की जा सकती है ।

उद्योग से संबंधित विषयों पर चर्चा करने के लिए और उन्हें वृत्ति का ब्रांड राजदूत बनाने के लिए उद्योग विनिर्दिष्ट संगोष्ठियों/ सम्मेलनों/ गोलमेज बैठकों का आयोजन भी किया जा सकता है । सदस्यों को समय-समय पर संस्थान की विभिन्न घटनाओं और संबंधित क्षेत्रों की अद्यतन जानकारी से भी अवगत कराया जाएगा । 18 अगस्त, 2007 को संघ के सदस्यों की संख्या 137 है ।

5.12.10 आयोजित किए गए कार्यक्रम / संगोष्ठियां / सम्मेलन :

समिति ने उद्योग में लगे सदस्यों के फायदे के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों/संगोष्ठियों/सम्मेलनों का आयोजन किया :

1. 20 मई, 2006 को चैन्नई में सीएफओ बैठक
2. 2 जून, 2006 को नई दिल्ली में निदेशक (वित्त)/सीएफओ बैठक
3. 14 और 15 जुलाई, 2006 को कोलकाता में प्रोफेशलन एनरिचमेंट एंड एक्सीलेंस वाइडनिंग होराइजन पर अखिल भारतीय सम्मेलन
4. 4 अगस्त, 2006 को गुड़गांव में सीएफओ /सीईओ बैठक
5. 17 से 20 अगस्त, 2006 को मुंबई में आईएफआरएस और यूएस जीएएपी पर 3री आवासीय कार्यशाला
6. 25 अगस्त, 2006 को पुणे में सीइओ/सीएफओ बैठक
7. 2 सितंबर, 2006 को बैंगलोर में सीइओ/सीएफओ बैठक

8. 14 अप्रैल, 2007 को मुंबई में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट /सीईओ/सीएफओ बैठक

9. 19 से 22 अप्रैल, 2007 को मुंबई में आईएफआरएस और यूएस जीएएपी पर 4थी आवासीय कार्यशाला

10. 25 और 26 मई, 2007 को बैंगलोर में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन

11. 22 जून, 2007 को इन्दौर में निगम एकाउन्टेन्ट बैठक

12. 22-24 जून, 2007 को मुंबई में बैंककारी सेक्टर में प्रणाली संपरीक्षा पर राष्ट्रीय कार्यशाला

13. माउंट आबू, राजस्थान में ' निगम वृत्ति में उत्कृष्टता - आधुनिक अवधारणा' विषय पर अखिल भारतीय आवासीय पुनश्चर्या पाठ्यक्रम

14. 28 और 29 जुलाई, 2007 को मुंबई में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी समिति के साथ संयुक्त रूप से आंतरिक संपरीक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था ।

15. 10 और 12 अगस्त, 2007 को गोवा में 'वृत्तिक उत्कृष्टता' पर कार्यक्रम

5.12.11 समिति के प्रकाशन

उद्योग में सदस्यों के फायदे के लिए निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए हैं :-

नए अर्हित चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए " साक्षात्कार बोर्ड का सामना कैसे करें" जो उन्हें अभिविन्यास कार्यक्रम के समय निःशुल्क वितरित किया जाएगा ।

- त्वरित पुनर्विलोकन प्रश्न
- कारबार योजना

समिति निम्नलिखित रणनीति संबंधी पहलों पर कार्य कर रही है :

- नए अर्हित चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के अंतिम नियोजन में और सुधार करने के लिए नियोजन सेवाओं का विपणन ।
- प्लेसमेंट पोर्टल को लोकप्रिय बनाना ।
- सदस्यों और निगमों के बीच अनुभवी चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए प्लेसमेंट पोर्टल को लोकप्रिय बनाना ।
- उद्योगों में कार्य कर रहे सदस्यों का एक उद्योग-वार डाटाबेस विकसित करना और उसे बनाए रखना ।
- उद्योग में लगे सदस्यों के लिए संगत सामग्री का प्रकाशन ।
- विख्यात सदस्यों और उद्योग में उच्च पदस्थ सदस्यों के डाटाबेस का सृजन ।
- उद्योग में लगे सदस्यों की संस्थान की गतिविधियों में भागीदारी में वृद्धि करने के लिए मार्गों और उपायों पर विचार करना ।
- उद्योग विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

- समिति कैम्पस साक्षात्कार से संबंधित विभिन्न विषय क्षेत्रों पर बड़ी संख्या में नियमित मेलिंग कर रही है और उसे संस्थान के पीडीसी पोर्टल के माध्यम से भी भेज रही है ।
- समिति सर्वोत्तम चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट /सीईओ/सीएफओ (निगम एकाउन्टेन्ट) का पुरस्कार देने के लिए पैरामीटर बनाने का कार्य कर रही है ।
- आर्टीकल प्रशिक्षण को औद्योगिक प्रशिक्षण के समतुल्य माना जाना ।

5.13 सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति

5.13.1 पर्यवलोकन

सूचना प्रौद्योगिकी, कारबार प्रक्रियाओं और प्रदाय पद्धतियों में क्रांति ला रही है । वाणिज्यिक संगठन और सरकारी विभाग अपने प्रचालनों का प्रबंध करने, उन्हें सरल और कारगर बनाने और मूल्य वर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिकाधिक आईटी का उपयोग कर रहे हैं । सुदृढीकरण और केन्द्रीयकरण के प्रति रूझान बढ रहा है । ई-सेवा आज एक सामान्य चीज हो गई है - होम बैंकिंग, आईसीएआई द्वारा वर्चुअल संस्थान परियोजना, एमसीए/आयकर/विदेशी व्यापार द्वारा ई-शासन, पोर्टलस, ऑन लाइन विक्रय, भारतीय रेल/ एअर लाइनों द्वारा आरक्षण, उपयोक्ताओं के सूचना के अधिकार को पूरा करना और उनके घर तक सेवाएं उपलब्ध कराना । आज कारबार की गाड़ी का पहिया सूचना प्रौद्योगिकी पर घूम रहा है ।

इसी दौरान, व्यापार सीमाएं समाप्त होने और विश्व के एक वैश्विक गांव में परिवर्तन के साथ भारतीय कारबार परिदृश्य में अधिकाधिक आईटी समर्थ सेवाएं (आईटीईएस) सम्मिलित हो रही हैं, जैसे कि ईआरपी, कारबार प्रक्रिया बाहरी स्त्रोत (बी.पी.ओ)/सूचना प्रक्रिया बाहरी स्त्रोत (केपीओ) ।

बढ़ती प्रतिस्पर्धा के साथ, एकाउन्टेन्टों के लिए यह आवश्यक है कि वे संपरीक्षा /विशलेषण के लिए एक उपकरण के रूप में कंप्यूटरों का अधिकाधिक उपयोग करके संपरीक्षाओं/प्रचालनों की दक्षता और प्रभाविकता पर ध्यान केन्द्रित करें ।

संस्थान की परिषद् ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों के लिए आईटी चुनौतियों को अवसरों में परिवर्तित करने के लिए, जिससे कि न केवल वे वृत्ति में बने रहें अपितु अपने प्रचालनों की दक्षता और प्रभाविकता में वृद्धि करके विकासशील अर्थव्यवस्था के साथ विकास भी करें और उन्हें ऐसी मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने में समर्थ बनाने के लिए जिनकी विकासशील अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ रही है, वृत्ति को बेहतर रूप से तैयार करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति का गठन किया है । इस समिति की कुछ महत्वपूर्ण पहलों को निम्नलिखित खंडों में स्पष्ट किया गया है ।

5.13.2 सूचना प्रणाली संपरीक्षा पर पश्च अर्हता पाठ्यक्रम

यद्यपि कारबार और सरकारी विभागों द्वारा आईटी उपायों के अपनाए जाने से अनेक फायदे और मूल्यवर्धित सेवाएं प्राप्त हुई हैं, किन्तु यह पाया गया है कि दक्षता और प्रभाविकता, समुचित प्रणालियों, प्रक्रियाओं, नियंत्रणों, जांचों और संतुलनों के संबंध में अनेकों कमियां विद्यमान हैं, जो न केवल उनके लाभों पर गंभीर प्रभाव डाल सकती हैं अपितु उन्हें कारबार से बाहर भी कर सकती हैं । हाल ही के विधान और विनियामक अपेक्षाएं (एसओएक्स और खंड 49) अधिकाधिक रूप से आंतरिक नियंत्रणों के प्रमाणन की अपेक्षा कर रही हैं । कारबार और विनियामक कृत्यों के प्रबंध के लिए आईटी पर अत्यधिक निर्भरता को देखते हुए विनियामक, कारबारी और सरकारी विभाग अपनी सूचना प्रणालियों की संपरीक्षा करा रहे है ।

आईएस संपरीक्षा/ प्रणाली और प्रक्रिया आश्वासन की बढ़ती आवश्यकता पर विचार करते हुए, समिति ने सदस्यों के लिए सूचना प्रणाली संपरीक्षा पर एक पश्च अर्हता पाठ्यक्रम आरंभ किया । इसकी पाठ्यचर्या और पृष्ठभूमि सामग्रियों में अंतिम पुनरीक्षण जनवरी, 2006 में किया गया था । इस वर्ष एक बार फिर पाठ्यचर्या और पृष्ठभूमि सामग्रियों की समीक्षा करने का कार्य किया गया था, जिसके लिए पाठ्यक्रम को विश्व में सर्वोत्तम बनाने के विचार से चैन्नई में एक संकाय बैठक का आयोजन किया गया था ।

5.13.3 कंप्यूटर से सहायता प्राप्त तकनीकों (सीएएटी/साधारण संपरीक्षा सॉफ्टवेयर) - सीएएटी संसाधन सीडी(वी2.1) पर प्रशिक्षण संसाधन

इलैक्ट्रानिक रूप से किए गए अनकों वित्तीय संव्यवहारों की बढ़ती संख्या के संबंध में कार्यवाही करने के लिए कंप्यूटर से सहायता प्राप्त संपरीक्षा तकनीकों /साधारण संपरीक्षा सॉफ्टवेयर के उपयोग की आवश्यकता बढ रही है । इस आवश्यकता को मान्यता देते हुए, समिति ने, सदस्यों के लिए कंप्यूटर से सहायता प्राप्त संपरीक्षा तकनीकी (सीएएटी)/साधारण संपरीक्षा सॉफ्टवेयर (जीएएस) का उपयोग करने के लिए साफ्ट दक्षता विकसित करना सुकर बनाने के लिए एक सीएएटी संसाधन सीडी (वी2.1) जारी की है । इस सीडी में वॉकथ्रूस (श्रव्य स्पष्टीकरणों के साथ प्रक्रम-वार प्रक्रियाएं), उपयोक्ता मार्गदर्शक, प्रस्तुतीकरण, मामला अध्ययन और अनेकों सीएएटी/जीएएस उपकरणों की कार्यकरण प्रतियां अंतर्विष्ट हैं ।

5.13.4 " कंप्यूटर लेखांकन और संपरीक्षा तकनीकों" पर सीपीई पाठ्यक्रम

समिति ने कंप्यूटर लेखांकन और संपरीक्षा तकनीकों पर सीपीई पाठ्यक्रम का प्रस्ताव करने के लिए पहल की । पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या को प्रौद्योगिकी के विकास के साथ अद्यतन बनाए रखने के लिए समय-समय पर पुनरीक्षित किया जाता है । यह पाठ्यक्रम सदस्यों के लिए अब संस्थान की क्षेत्रीय परिषदों/ कार्यालयों/ शाखाओं/सीपीई चैप्टरों के माध्यम से उपलब्ध है ।

5.13.5 आई एस संपरीक्षा संबंधी तकनीकी गाइड

समिति ने सदस्यों के उपयोग के लिए आईएस संपरीक्षा का ढांचा उपलब्ध कराने के लिए आईएस संपरीक्षा संबंधी एक तकनीकी गाइड का प्रकाशन किया है ।

5.13.6 आईएसए पोर्टल

समिति ने, पाठ्यक्रम जानकारी, ऑन लाइन रजिस्ट्रीकरण के लिए सुविधा, ऑनलाइन ईटी और सदस्यों के फायदे के लिए समिति की गतिविधियों के ब्यौरे, जैसी सेवाओं को प्रस्थापित करने के लिए www.isaicai.org आईएसए पोर्टल स्थापित किया है । आईएसए पोर्टल, आईएसए और सीएएटी पाठ्यक्रमों में भाग लेने वाले सदस्यों के साथ संवाद करने का प्रमुख साधन है ।

5.13.7 आरओएसएम और ओएलपीटी की दोहरी सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आईएसए कॉम साइट

समिति ने, ऑनलाइन प्रेक्टिस टेस्ट (ओएलपीटी) और रिसर्चड ऑनलाइन स्टडी मैटीरियल (आरओएसएम) की दोहरी सेवाओं की प्रस्थापना करते हुए एक अद्वितीय पठन और परीक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आईएसए कॉम साइट की स्थापना की है । ओएलपीटी सुविधा, अभ्यर्थियों को परीक्षाओं के लिए अपने ज्ञान/तैयारी के स्तर का पुनर्विलोकन करने में समर्थ बनाती है और आरओएसएम सुविधा, सदस्यों को अवधारणाएं स्पष्ट रूप से समझने में समर्थ बनाने के लिए पूछे गए प्रश्नों के संबंध में पूरे एक पृष्ठ के ब्यौरे प्रदान करती है ।

5.13.8 आई टी समर्थ सेवाएं (आईटीईएस)

समिति ने, आईटीईएस की, सदस्यों के प्रशिक्षण और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में पहचान की है । समिति ने ईआरपी पहलों के भाग रूप में "प्रबंधन संबंधी और वित्तीय लेखांकन (एफआईसीओ)" मोडयूल पर एसएपी प्रमाणित ईआरपी पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है और माइक्रोसॉफ्ट ओरेकल और अन्यों से अन्य ईआरपी पाठ्यक्रम आरंभ करने पर विचार कर रही है ।

5.13.9 ई-लर्निंग

समिति, आईएसए के लिए वृति-पूर्व प्रशिक्षण के माध्यम से एक समुचित ई-लर्निंग मोड्यूल कार्यान्वित करने पर विचार कर रही है । आशा की जाती है कि यह मांग किए जाने पर पठन उपलब्ध कराएगा और पाठ्यक्रम के भाग रूप में वृत्तिक प्रशिक्षण अपेक्षाओं को भी कम करेगा ।

5.13.10 स्टॉक ब्रोकरों की प्रणाली संपरीक्षा पर तकनीकी गाइड और प्रशिक्षण कार्यक्रम

समिति स्टॉक ब्रोकरों की प्रणाली संपरीक्षा पर एक तकनीकी गाइड का प्रकाशन करने और साथ ही इस क्षेत्र में सदस्यों के फायदे के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध कराने के लिए भी कार्यवाही कर रही है ।

5.13.11 आईटी लेबोरेट्री /सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के केन्द्र (सीईआईटी)

समिति ने, आईटी क्षेत्र में सदस्यों के विकास और प्रशिक्षण के लिए संकेंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रस्थापना करके उन्हें महत्वपूर्ण आईटी क्षेत्रों में व्यावहारिक हेंड्स ऑन प्रशिक्षण और अपावरण प्रदान करने के लिए चैन्नई में एक प्रमुख आईटी लेबोरेट्री स्थापित की है । शीघ्र ही दिल्ली में भी ऐसी आईटी लेबोरेट्री स्थापित की जाएगी ।

5.13.12 आईटी सम्मेलन, संगोष्ठियां, व्यावहारिक कार्यशालाएं

समिति, सदस्यों को देश-विदेश में अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम प्रेक्टिसों से अवगत कराने के लिए समय-समय पर उन्हें ये अवसर बड़े-बड़े शहरों में आईटी सम्मेलन/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं आयोजित करके प्रदान करती रहती है । व्यावहारिक कार्यशालाओं का आयोजन आईटी लेबोरेट्री चैन्नई, मुंबई कंप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र और दिल्ली में किया गया था । ऐसी लोकप्रिय व्यावहारिक कार्यशालाओं की एक संक्षिप्त सूची निम्नानुसार है :-

- सीएएटी का उपयोग करना
- बैंकों की प्रणाली संपरीक्षा
- एमएस एक्सेल को संपरीक्षा उपकरण के रूप में उपयोग करना
- एक्सेल को समझना, एमएस एक्सेल और मेक्रोस की आधुनिक विशिष्टियां
- समुन्नत एक्सेल और मेक्रो
- सर्बानेस ऑक्सले अधिनियम और उसका आईटी संपरीक्षा पर प्रभाव
- स्प्रेडशीट संपरीक्षा
- लीनेक्स ओएस संपरीक्षा
- आफिस 2007 नई विशिष्टियां

- सीए कार्यालय के लिए कार्यालय स्वचालन : विंडोज/लीनेक्स, एमएस वर्ल्ड / एमएस एक्सेल/एमएस पॉवर प्वाइंट, टैली
- सूचना संरक्षा प्रबंध, आईएएओ-27001 को प्रारंभ करना और जागरूकता
- साइबर न्यायालयीय अन्वेषण उपकरण
- वित्तीय लेखांकन
- रिपोर्टिंग और दस्तावेजीकरण
- मांगे जाने पर ईआरपी
- एमएस-विंडो संरक्षा
- नेटवर्क संरक्षा संपरीक्षा/ पुनिर्वलोकन
- नमूना लेना और एमएस एक्सेस का उपयोग करते हुए डाटाबेस संपरीक्षा
- लेखा परीक्षकों के एमएस-एक्सेस और एमएस एसक्यूएल के लिए डाटाबेस

5.13.13 नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान (आईसीएएन) के सहयोग से नेपाल में आईसीएआई सदस्यों के लिए आईएसए पाठ्यक्रम

समिति ने दिसंबर, 2006 में नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान (आईसीएएन) के सहयोग से नेपाल में आईसीएआई के सदस्यों के फायदे के लिए दूसरे आईएसए पीटी बैच का आयोजन किया ।

5.14 आरंभ की गई जनसंपर्क गतिविधियां

संस्थान की गतिविधियों में जन संपर्क गतिविधियों ने अपना प्रमुख स्थान बनाए रखा जिससे कि घरेलू और वैश्विक रूप से वृत्ति का ब्रांड बनाया जा सके । की गई प्रमुख गतिविधियों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दिवस, अर्थात् 1 जुलाई, 2007 को माननीय संघ कार्पोरेट कार्य मंत्री श्री पी.सी.गुप्ता को हाथों एक सीए लोगो का विमोचन किया गया था, जिसका उपयोग सदस्यों/ फर्मों द्वारा अपने परिचय कार्डों और अन्य सामग्रियों पर किया जाना है, जिससे कि विश्व को उनके विशिष्ट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट व्यवसाय के संबंध में जानकारी मिल सके ।
- निरंतर परस्पर क्रिया के माध्यम से वृत्ति के उभरते विकासशील रूझानों से प्रेस और मीडिया को अवगत कराया जाता रहा, विशेषकर परिषद् की प्रत्येक बैठक के पश्चात् ।
- लेखांकन और संपरीक्षा परिस्थितियों में सुधारों के लिए भारत का दौरा करने वाले विदेशी प्रतिनिधिमंडलों को सम्यक कवरेज प्रदान की गई थी ।
- भारतीय चार्टर्ड लेखांकन वृत्ति में हो रही घटनाओं की विश्व को सूचना देने के लिए आईसीएआई पत्रिका एक सक्रिय माध्यम बनी रही ।
- संस्थान और सदस्यों के बीच, उनकी प्रतिक्रिया के लिए संपर्क विकसित करने के विचार से, संस्थान, इसके क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में वृत्ति से संबंधित लोक चर्चाओं में समकालीन मुद्दों पर जोर दिया गया था ।

- राष्ट्रीय और साथ ही क्षेत्रीय समाचार पत्रों में संरचित लेखों और टी वी चैनलों पर प्रभावी बैठकों के माध्यम से सीए पाठ्यचर्या का संवर्धन किया गया था ।
- भारत सरकार द्वारा कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन गठित समितियों को लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान किया गया ।
- संस्थान की, वृत्तिक और सामाजिक दोनों रूप से, छवि का निर्माण और टी वी पर स्पॉटों की श्रृंखला के माध्यम से साधारण जागरूकता का शीघ्र ही सृजन किया जाएगा ।
- सामाजिक आर्थिक विकास में वृत्ति द्वारा निभाई जा रही अति सक्रिय भूमिका के संबंध में समाचार पत्रों में विशेष विज्ञापन जारी किए गए थे ।
- लेखांकन सूचना के तकनीकी पहलूओं के संबंध में प्रेस और मीडिया से जुड़े व्यक्तियों के लिए एक अनुकूलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिससे कि उनके प्रेस लेखनों को और अधिक वास्तविक और प्रमाणिक बनाया जा सके ।
- जन संपर्क कार्य के रूप में विभिन्न समितियों द्वारा आयोजित संस्थान की विभिन्न संगोष्ठियों / कार्यक्रमों/ आयोजनों को मुद्रण और इलैक्ट्रानिक मीडिया में सम्यक कवरेज उपलब्ध कराई गई थी ।
- आईसीएआई अभिलेखागार स्थापित करने के लिए उपाय आरंभ किए गए हैं ।
- वर्ष के दौरान आईसीएआई प्रोफाइल और कैटालॉग ऑफ द प्रोफेशन नामक दो सूची पत्र निकाले गए थे ।
- ऐसे क्षेत्रों को अभिनिश्चित करने के लिए, जिन पर ध्यान दिया जाना अपेक्षित है, छात्रों और सदस्यों की दी गई सेवाओं के लिए सेवा प्रतिक्रिया से संबधित एक प्रतिक्रिया प्रश्नोत्तर को भी अंतिम रूप दिया गया था ।

5.15 व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन

व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन संबंधी समिति, व्यापार से संबंधित विधि, जिसमें विशिष्ट रूप से माल और सेवाओं में व्यापार सम्मिलित हैं, तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था, जिसमें साधारणतया राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों रूप से विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था भी सम्मिलित है, से संबंधित सभी विषयों में सुविज्ञता और प्राधिकार स्थापित करने और उसे सुनिश्चित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने और संस्थान की सदस्यता के बीच इन विषयों में ऐसे साधनों और युक्तियों के माध्यम से, जो अधिक प्रभावकारी साधन समझे जाते हों, विशेषज्ञता के आधार को सृजित और बढ़ाने के लिए गठित की गई थी जिससे कि इस संबंध में निश्चित और अनिश्चित राष्ट्रीय आकांक्षाओं, चिंता और आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए, समिति, चुनौतियों का सामना करने तथा नई विश्व व्यापार व्यवस्था में उनकी विशेषज्ञता की परिधि को व्यापक बनाने के फायदों को प्राप्त करने के लिए संस्थान के सदस्यों को तकनीकी रूप से लैस करने की दृष्टि से बदलते हुए विश्व परिप्रेक्ष्य में सदस्यों की क्षमता निर्माण के लिए तथा भारत के आर्थिक विकास में उनकी भागीदारी के लिए निरंतर प्रयास करती रही है ।

5.15.1 प्रकाशनों को जारी करना

समिति ने, इस अवधि के दौरान वृत्ति कर रहे और सेवारत चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों और अन्य संबंधित व्यक्तियों का विभिन्न क्षेत्रों तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधियों और विश्व व्यापार संगठन से सुसंगत विषयों पर जानकारी प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के आधारिक उद्देश्य से निम्नलिखित प्रकाशन जारी किए हैं :-

- ए हैंडबुक ऑन एंटी-डंपिग, एंटी-सब्सिडी और सेफगार्ड मेजर्स
- ए हैंडबुक ऑन लॉज रिलेटिंग टू इंटैलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटस इन इंडिया
- ए हैंडबुक ऑन वेल्यूशन ऑफ इंटैलेक्चुअल प्रोपर्टी इन एमर्जिंग कन्ट्रीज लाइक इंडिया - एकाउंटिंग टू टेक लीड रोल नाउ
- ए हैंडबुक ऑन स्पेशल इकोनोमिक जोनस
- स्टडी ऑन टेक्स हेवन्स

5.15.2 अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम

- नवंबर, 2004 में अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और विश्व व्यापार संगठन (आईटीएल एंड डब्ल्यूटीओ) में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम में सफल प्रारंभ के पश्चात्, देश भर से 265 से अधिक सदस्यों ने पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकरण कराया है ।
- आईटीएल और डब्ल्यूटीओ में अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 30 दिन के वैयक्तिक संपर्क कार्यक्रम (पीसीपी) के दो बैचों का सफल संचालन इस अवधि के दौरान नई दिल्ली में किया गया । वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद, प्रतिलिप्याधिकार बोर्ड में वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों, प्रसिद्ध विधि फर्मों, जेएनयू, दिल्ली विश्वविद्यालय के संकाय, आईआईएफटी, व्यापार और उद्योग के लोगों, वृत्तिकों और डब्ल्यूटीओ क्षेत्र में अनुसंधान आधारित अन्य संगठनों से मिलकर बने संकाय ने पी.सी.पी. के दौरान प्रस्तुतियां दीं और व्याख्यान प्रस्तुत किए ।
- पाठ्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के संबंध में अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम में रजिस्ट्रीकृत सदस्यों के साथ विभिन्न शहरों में परस्पर क्रियाएं की गई ।

5.15.3 संगोष्ठियां/सम्मेलन/जागरूकता कार्यक्रम/ अध्ययन दौरे

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति ने निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया :-

- 29 अप्रैल, 2006 को विदेशी व्यापार नीति संबंधी एक संगोष्ठी का आयोजन होटल ली रॉयल मेरिडियन, मुंबई में किया गया था जिसके मेजबानी आईसीएआई की डब्ल्यू आईआरसी द्वारा की गई थी ।
- 26 मई, 2006 को ' नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग - ओपोरचुनिटीस फॉर चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन बैंगलोर में किया गया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की एसआईआरसी बैंगलोर शाखा ने की थी ।

- 24 अगस्त, 2006 को नई दिल्ली में डब्ल्यूटीओ-एमर्जिंग ओपोरचुनिटीस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था ।
- 2 सितंबर, 2006 को जयपुर में एफडीआई इन इंडिया संबंधी एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की सीआईआरसी की जयपुर शाखा ने की थी ।
- 18 जनवरी, 2007 को कोलकाता में इंटैलेक्चुअल प्रोपटी राइटस -एमर्जिंग ओपोरचुनिटीस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसकी मेजबानी आईसीएआई की ईआईआरसी ने की थी ।
- प्रतिस्पर्धा विधियों और नीतियों, प्रति पाटन और प्रति सहायिकी/ प्रतिशुल्क, अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधियों और डब्ल्यूटीओ जैसे समकालीन विषयों पर हाल ही की घटनाओं पर चर्चा करने के लिए दिल्ली, मुंबई, चैन्नई, कानपुर, कोलकाता, बैंगलोर और अहमदाबाद में स्थित सदस्यों के साथ परस्परिक क्रियाशील टेलीकान्फ्रेंसिंग का आयोजन किया गया था ।
- क्षमता संवर्धन पहल के रूप में मल्टी-लेटरल और अन्य अभिकरणों के साथ प्रथम प्रत्यक्ष परस्पर क्रिया का लाभ उठाने के लिए 17-25 जुलाई, 2006 के दौरान सदस्यों के लिए एक यूरोपीय अध्ययन दौरे का आयोजन किया गया था ।
- सदस्यों के लिए वृत्तिक अवसरों का सृजन करने के लिए भारत में विभिन्न दूतावासों के व्यापार परामर्शियों /प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली में परस्पर क्रियाओं का आयोजन किया गया था । इसमें आयरलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और स्विटजरलैंड के पदधारियों ने भाग लिया था ।
- समिति के उद्देश्यों को पूरा/उनका संवर्धन करने के लिए भारत आने वाले सभी प्रमुख कारबार प्रतिनिधिमंडलों से बातचीत आरंभ की गई थी ।

5.15.4 अनुसंधान क्रियाकलाप

समिति ने निम्नलिखित देशों के लिए देश विशिष्ट अनुसंधान अध्ययन भी प्रारंभ किए हैं । इन अनुसंधान अध्ययनों का प्राथमिक उद्देश्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों और व्यापार विधि /नियमों में रूचि रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को मार्गदर्शन प्रदान करना है जो बड़े भागीदार के रूप में (क) इन देशों में अपना कारबार स्थापित करना चाहते हैं ; और (ख) इन देशों में वृत्तिक लेखाकार के रूप में काम करना चाहते हैं :-

आस्ट्रेलिया	जापान	दक्षिणी अफ्रीका
बहरेन	कोरिया गणराज्य	स्वीडन
ब्राजील	कुवैत	स्विटजरलैंड
कनाडा	मारीशस	थाइलैंड
चीन लोक गणराज्य	ओमान	टर्की
हांग कांग	रूस	यूनाइटेड किंगडम
इंडोनेशिया	साउदी अरब	यूनाइटेड अरब अमीरात
आयरलैंड	सिंगापुर	संयुक्त राज्य अमेरिका
इजराइल		

5.15.6 विभिन्न प्राधिकारियों को अभ्यावेदन

- समिति ने व्यापार नीति के वार्षिक परिशिष्ट, 2006 के लिए संस्थान की सिफारिशें केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री माननीय श्री कमल नाथ को इस प्राथमिक उद्देश्य के साथ अग्रेषित की हैं कि सेवा व्यापार के निर्यात को बढ़ावा मिले ।
- रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान समिति ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार विधि और डब्ल्यूटीओ क्षेत्र में सदस्यों के लिए अवसरों का पता लगाने हेतु अपने अभ्यावेदन निर्यात संवर्धन परिषद्, एसईजेड और अन्य सरकारी निकायों के समक्ष प्रस्तुत किए हैं ।
- समिति ने प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2006 के संबंध में अपने सुझाव भी दिए थे ।
- संस्थान ने 26 अप्रैल, 2007 को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस को समारोहों में सम्मिलित होते हुए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा पहचान किए गए अनुसार वर्ष की विषयवस्तु के अनुरूप ही सृजन को प्रोत्साहित करने में संस्थान की भूमिका को विशिष्ट रूप से बताने वाली प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी ।

5.15.7 ज्ञान साझेदारी

समिति ने ज्ञान साझेदारी पृष्ठ विकसित किया है जिसे संस्थान की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है और यह निरंतर डब्ल्यूटीओ की बुनियादी समझ संबंधी उपयोगी और सुसंगत जानकारी प्रदान करता है । यह पृष्ठ विश्व व्यापार के परिप्रेक्ष्य में तेजी से होने वाले नवीनतम विकास के बारे में सदस्यों को परिचित करता है ।

5.15.8 गेट्स के अधीन आरंभिक प्रस्तावों का निर्धारण

समिति वर्तमान गेट्स बातचीत के अंतर्गत आरंभिक और पुनरीक्षित प्रस्तावों का निर्धारण कर रही है और ऐसे सेवा क्षेत्रों में विभिन्न डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों द्वारा सेक्टर विनिर्दिष्ट/समान सीमाएं अंकित की गई हैं, जिनमें चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, लेखांकन, संपरीक्षा, बुक कीपिंग, कराधान, कंप्यूटर संबंधित सेवाएं, जिनमें साफ्टवेयर, डाटा प्रसंस्करण और डाटा बेस सेवाओं को सम्मिलित किया जाना है, प्रबंध परामर्शी, विधिक तथा वित्तीय सेवाओं जैसी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, जिससे कि उनसे तुलनात्मक फायदे प्राप्त करने के लिए संभावित रणनीतियों का सुझाव देने के लिए अनुसंधान अध्ययन किया जा सके ।

5.16 बीमा और पेंशन संबंधी समिति

5.16.1 सीए के लिए वृत्तिक अवसरों का विकास करना

- संस्थान के सदस्यों को भारतीय सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईएसएलए) का सदस्य बनने की अनुमति दी गई है ।
- आईआरडीए को अभ्यावेदन किए गए हैं कि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों को आईआईएसएलए का सदस्य बनने के लिए अनिवार्य 12 मास के प्रशिक्षण और भारतीय बीमा संस्थान की परीक्षा से छूट दी जाए और सर्वेक्षण तथा हानि निर्धारकों के वर्गीकरण में सीए अर्हता को प्वाइंट प्रदान किए जाएं ।

- आईसीएआई के सदस्यों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए आईआरडीए, पीएफआरडीए और इएसआई निगम को अभ्यावेदन किए गए हैं ।
- सभी बीमा कंपनियों, आईआरडीए रजिस्ट्रीकृत बीमा ब्रोकरों और आईआरडीए रजिस्ट्रीकृत टीपीए से बीमा और जोखिम प्रबंध क्षेत्रों में डीआईआरएम अर्हित सदस्यों की सेवाओं का उपयोग करने का अनुरोध किया गया था ।
- समिति ने निम्नलिखित निर्यात संवर्धन परिषदों के सदस्यों को बीमा और जोखिम प्रबंध में डीआईआरएम अर्हित सदस्यों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए ई-मेल भेजी हैं :

  1. खेलकूद सामान निर्यात संवर्धन परिषद्
  2. भारतीय काजू निर्यात संवर्धन परिषद्
  3. प्लास्टिक निर्यात संवर्धन परिषद्
  4. भारतीय सिल निर्यात संवर्धन परिषद्
  5. सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद्

5.16.2 बीमा और जोखिम प्रबंध तथा पेंशन के क्षेत्रों में सीए के बीच डोमेन विशेषज्ञता विकसित करना

प्रकाशन

- 'ए स्टडी ऑन एंटी-मनी लॉंडरिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर' शीर्षक वाली एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है, जिसमें बीमा क्षेत्र में धन शोधन से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सम्मिलित किया गया है, जो ऐसा महत्वपूर्ण वृहत मुद्दा बन गया है, और जिसका समुचित प्रबंध अपेक्षित है ।
- 'रिस्क मेनेजमेंट' शीर्षक वाली एक पुस्तक जारी की गई है । यह प्रकाशन जोखिम की पहचान, विश्लेषण, अंतरण और प्रतिधारण, उससे बचने और उसे कम करने से संबधित सभी पहलुओं और जोखिम प्रबंध के लिए उपलब्ध विभिन्न उपकरणों को सम्मिलित करता है ।
- समिति ने सदस्यों और अन्य संबंधित व्यक्तियों के फायदे के लिए प्रकाशने निकालने हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की है :

  1. कृषि बीमा
  2. बीमा कपट की पहचान करना और रोकना
  3. जीवन बीमा कारबार में सम्मिलित अस्तित्वों के लिए लेखांकन मुद्दे
  4. साधारण बीमा कारबार में सम्मिलित अस्तित्वों के लिए लेखांकन मुद्दे
  5. आतंकवाद जोखिम बीमा
  6. निम्नलिखित को सम्मिलित करने वाला पुनःबीमा :

     (क) पुनःबीमा बाजार, पुनःबीमा के विशेष को

     (ख) अंतर्मुखी पुनःबीमा

     (ग) पुनःबीमा व्यवहार

     (घ) पुनःबीमा प्रशासन

7. बीमा दलाली पर एक अध्ययन

8. बीमा कारबार में बीपीओ

9. बीमा कारबार में आस्ति दायित्व प्रबंध

10. बीमा कंपनियों के निवेश कृत्य पर तकनीक गाइड (पुनरीक्षण)

11. बीमा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों पर एक अध्ययन (पुनरीक्षण)

12. जीवन बीमा कारबार कर रही कंपनियों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (पुनरीक्षण)

13. साधारण बीमा कारबार कर रही कंपनियों की संपरीक्षा संबंधी मार्गदर्शन टिप्पण (पुनरीक्षण)

14. बीमा कंपनियों के निवेशों की जांच संबंधी तकनीकी गाइड (पुनरीक्षण)

कार्यक्रम :

- बीमा और जोखिम प्रबंध के क्षेत्रों में सदस्यों की सक्षमता विकसित करने के लिए क्षेत्रीय परिषदों और चयनित शाखाओं को इन क्षेत्रों पर केन्द्रित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए विशेष वित्तीय सहायता दी जा रही थी ।

- 25 अगस्त, 2006 को मुंबई में " प्रति धन-शोधन और बीमा क्षेत्र" विषय पर एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था । इस सम्मेलन की मेजबानी डब्ल्यूआईआरसी ने की थी ।

- 2 सितंबर, 2006 को गाजियाबाद में " भारतीय बीमा और पेंशन क्षेत्र का रूपांतरण -चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की भूमिका और अवसर" विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था । इस संगोष्ठी की मेजबानी गाजियाबाद शाखा ने की थी । इसमें 259 व्यक्तियों ने भाग लिया था ।

- हैदराबाद में 7 जुलाई, 2007 को तथा कोलकाता में 28 जुलाई, 2007 को भारतीय बीमा क्षेत्र का रूपांतरण - चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की भूमिका विषय पर संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था । इन संगोष्ठियों की मेजबानी क्रमशः आईसीएआई की हैदराबाद शाखा और ईआईआरसी द्वारा की गई थी ।

- सीपीई समिति को, वर्ष 2007-2008 के सीपीई कलेंडर में सम्मिलित किए जाने के लिए बीमा और जोखिम प्रबंध से संबंधित मुद्दों की सूची उपलब्ध कराई गई है । सीपीई पीओयू से बीमा और पेंशन क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया गया है ।

- बीमा और संबंधित क्षत्रों के प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों, जैसे कि राष्ट्रीय बीमा अकादमी, बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान आदि से बीमा और जोखिम प्रबंध के क्षेत्रों में संस्थान की प्रकाशन परियोजनाओं से सहबद्ध होने और बीमा तथा पेंशन क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर संयुक्त प्रशिक्षण और वृत्तिक शिक्षा कार्यक्रम आयोजन करने का अनुरोध किया गया है ।

5.16.3 पश्च अर्हता पाठ्यक्रमों और अन्य शैक्षिक पाठ्यक्रमों की प्रस्थापना करके बीमा और पेंशन क्षेत्रों में सदस्यों को प्रशिक्षित और सुसज्जित करना

- डीआईआरएम पाठ्यक्रम को और अधिक गहन बनाने और बीमा तथा पेंशन क्षेत्रों के विकास को उसमें सम्मिलित करने के विचार से डीआईआरएम की पुनरीक्षित पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या को अंतिम रूप दिया गया है और आवश्यक अनुमोदन मांगे जा रहे हैं ।

- मई, 2004 से मई, 2006 के बीच आयोजित डीआईआरएम तकनीकी परीक्षाओं (पांच परीक्षाएं) के सुझाव दिए गए उत्तरों को तैयार किया गया और संस्थान की वेबसाइट पर और साथ ही समिति के पोर्टल पर भी रखा गया । समिति ने मई, 2004 से मई, 2006 के दौरान आयोजित डीआईआरएम तकनीकी परीक्षाओं (कुल पांच परीक्षाएं) के सुझाव दिए गए उत्तरों के मुद्रित पाठ को भी जारी किया है ।

- ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने आईआरएम तकनीकी परीक्षा उत्तीर्ण की थी, हैदराबाद, नई दिल्ली और अहमदाबाद में क्रमशः 11-16 सितंबर, 2006, 6-11 नवंबर, 2006 और 19-24 फरवरी, 2007 के दौरान तीन अनुकूलन पाठ्यक्रमों का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था ।

- समिति, सदस्यों के बीच डीआईआरएम पाठ्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और उपयुक्त उपाय कर रही है । इसके परिणामस्वरूप 18 अगस्त, 2007 तक रजिस्ट्रीकरणों की संख्या 3206 तक पहुंच गई थी । क्षेत्रवार संख्या निम्नानुसार है :

18 अगस्त, 2007 तक रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी :

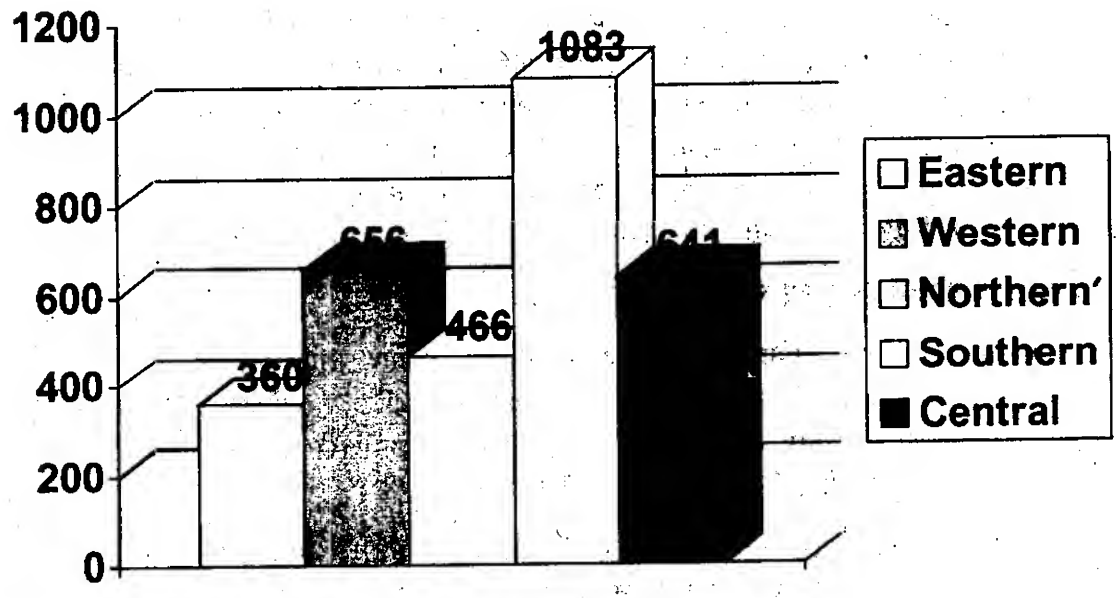

क्षेत्र	पूर्वी	पश्चिमी	उत्तरी	दक्षिणी	मध्य
18 अगस्त, 2007 तक रजिस्ट्रीकृत अभ्यर्थी	360	656	466	1083	641

- 1 अप्रैल, 2006 से 18 अगस्त, 2007, 2007 की अवधि के दौरान आयोजित डीआईआरएम तकनीकी परीक्षाओं में सफल हुए अभ्यर्थियों की संख्या

मास और वर्ष	उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या
मई, 2006	109
नवंबर, 2006	51
मई, 2007	68

5.16.4 बीमा और जोखिम प्रबंध

पोर्टल समिति का एक पृथक वेब पोर्टल आरंभ किया गया है । इसे इसमें ज्ञान का प्रसार और ऐसे सदस्यों की पहचान करने के लिए, जो बीमा और पेंशन क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करना चाहते हैं पणधारियों के लिए एकल पटल समाधान जैसी सुविधाओं को सम्मिलित करने के लिए प्रोन्नत किया गया है ।

5.17 निगम शासन संबंधी समिति :

संस्थान ने, निगम शासन के महत्व और सभी पणधारियों के हित में उसके योगदान को मान्यता प्रदान करते हुए, सक्रिय रूप से निगम शासन संबंधी समिति का गठन किया । इसका प्रमुख जोर स्वतंत्र निदेशकों संबंधी यथा संभव प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की व्यवस्था करने और उसे सौंपे गए कृत्यों के अनुरूप अन्य क्षेत्रों के संबध में कार्यवाही करने पर था । समिति ने, अब तक की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए और उसे सौंपे गए कृत्यों के अनुसार कार्य करते हुए, वर्ष 2007-08 के दौरान किए जाने के लिए निम्नलिखित नवीन उपाय आरंभ किए हैं ।

5.17.1 आयोजित किए गए सम्मेलन/संगोष्ठियां :

- वर्ष के दौरान, समिति ने हैदराबाद, कोलकाता, धनबाद, अमृतसर, नई दिल्ली, आगरा और लुधियाना जैसे स्थानों पर " स्वतंत्र निदेशकों" से संबंधित 7 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया था । लगभग 400 व्यक्तियों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया । मई, 2007 में कोलकाता में भी इसी कार्यक्रम की पुनरावृत्ति की गई थी ।
- 7-8 जुलाई, 2006 को कोलकाता में - " कार्पोरेट गवर्नेंस - मिथ टू रियलेटी - ए वे फारवर्ड" विषय पर एक राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन का आयोजन किया गया था ।

5.17.2 पहलें

संस्थान भारत में कार्पोरेट शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए मुख्य भूमिका अदा करेगा । ऐसे उपाय के भाग रूप में यह निम्नलिखित करने का प्रस्ताव करता है :

उद्योग के लिए :

- भारत में कार्पोरेट शासन को मजबूत करना
- सदस्यों/उद्योग को उनके कार्पोरेट शासन मानकों का मूल्यांकन करने में सहायता देना
- जोखिम निर्धारण और कर्पोरेट शासन में समर्थन प्रदान करना

- कार्पोरेट शासन में प्रौद्योगिकी का प्रभाव

हमारी वृत्ति के सदस्यों के लिए :

- स्वतंत्र निदेशकों के लिए दीर्घ और अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित करना
- कार्पोरेट शासन संबंधी पाठ्यक्रम आरंभ करना

विनियामकों के लिए :

- सेबी और एनएफसीजी को आवश्यक समर्थन उपलब्ध कराना
- भारत में कार्पोरेट शासन संबंधी अनुसंधान प्रकाशन निकालने का प्रस्ताव

सभी क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए विभिन्न स्थानों पर 5 राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियों की योजना बनाई और कार्पोरेट शासन में सर्वोत्तम व्यवहार का पालन करने वाली कंपनियों के अध्यक्षों को इन संगोष्ठियों के उदघाटन सत्र में आमंत्रित किए जाने की संभावना है ।

कार्पोरेट शासन व्यवहारों में सुधार के महत्व पर ध्यान केंद्रित करते हुए गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के बीच जागरूकता का सृजन करने के लिए एनएफसीजी के साथ् संयुक्त रूप से अनेक गोष्ठियों/परिसंवादों के आयोजन की संभवना का पता चलाना और एक ऐसे संयुक्त कार्यक्रम "कार्पोरेट गवर्नेन्स थ्रू ऑडिट कमेटी" का आयोजन 27 जून, 2007 को किया गया था ।

5.17.3 आगामी प्रकाशन

- बीमा कंपनियों के लिए कार्पोरेट शासन संहिता
- स्वतंत्र निदेशकों और संपरीक्षा समिति की भूमिका और उत्तरदायित्व

6. अंतरराष्ट्रीय कार्य समिति

6.1 अन्य लेखांकन निकायों द्वारा भारतीय अर्हता को मान्यता

चयनित विदेशी लेखांकन निकायों द्वारा संस्थान की अर्हताओं के मूल्याकंन के लिए उनके साथ निरंतर संवाद की प्रक्रिया का तेजी से चलते रहना ताकि विदेशी निकायों की अर्हता का भाग बनने वाले प्रशिक्षण और परीक्षा से आईसीएआई के सदस्यों को छूट प्राप्त हो जाए । लंबी प्रक्रिया होने के कारण, जिसमें अर्हता, प्रशिक्षण, सतत वृत्तिक शिक्षा और अनुशासनात्मक अपेक्षाओं का मूल्यांकन और साथ ही साथ जीएटीएस (गेट्स) के अधीन बातचीत की वर्तमान स्थिति तथा देशीय संवेदनशीलताएं भी अंतर्वलित हैं, प्रक्रिया के परिणाम धीमे हैं, फिर भी संस्थान अपने प्रयासों से शीघ्र ही समाप्त करने के लिए सक्रिय है । अर्हता मान्यता की प्रक्रिया यूएसए, कनाडा, आस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर आदि के लेखांकन निकायों के साथ चर्चा के विभिन्न प्रक्रमों पर है ।

6.2 अंतरराष्ट्रीय मंचों में संस्थान का प्रतिनिधित्व

संस्थान द्वारा अदा की गई महत्वपूर्ण भूमिका का प्रमाण उसके अंतरराष्ट्रीय लेखांकन निकायों अर्थात् इंटरनेशनल फेडरेशन आफ एकाउन्टेन्ट्स (आईएफएसी), कन्फडरेशन ऑफ एशियन एंड पेसिफिक एकाउन्टेन्ट्स (सीएपीए) और साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ एकाउन्टेन्ट्स (एसएएफए) की विभिन्न कृत्यकारी समितियों के अलावा उनके शासन बोर्डों में नामनिर्देशन से मिलता है । इस समय आईसीएआई का प्रतिनिधि एसएएफए के अध्यक्ष का पद धारित किए हुए है । निम्नलिखित में इसके नामनिर्देशिती प्रतिनिधित्व करते हैं :-

आईएफएसी की समितियां

- अंतरराष्ट्रीय लेखांकन शिक्षा मानक बोर्ड
- लघु और मध्यम प्रेक्टीशनर समिति
- विकासशील राष्ट्र समिति
- अंतरराष्ट्रीय पब्लिक सेक्टर लेखांकन मानक बोर्ड
- कारबार समिति में वृत्तिक लेखाकार
- अनुपालन सलाहकार पेनल
- निष्कर्षणीय उद्योग परियोजना पर आईएएसबी सलाहकारी पेनल

सीएपीए

सीएपीए की कंफेडरेशन ऑफ एशियन एंड पेसिफिक एकाउन्टेन्ट्स एंड स्ट्रेटेजिक समिति के उपाध्यक्ष के रूप में ।

एसएएफए

- पारदर्शिता, जवाबदेही और शासन में सुधार संबंधी समिति
- लेखांकन और लेखांकन मानकों संबंधी समिति
- शिक्षा, प्रशिक्षण और सीपीडी संबंधी समिति
- वृत्तिक आचार संहिता और स्वतंत्रता संबंधी समिति
- क्वालिटी नियंत्रण पुनर्विलोकन (क्यूसीआर) संबंधी समिति
- कारबार में वृत्तिक एकाउन्टेन्टों संबंधी समिति
- सार्क देशों में प्रमुख उत्पादों के लागत सूचकांक के अध्ययन संबंधी कार्य समूह
- एसएमई के लिए लेखांकन मानकों संबंधी आईएएसबी कार्य समूह
- सचिव, आईसीएआई स्थायी सचिव के रूप में
- पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, एसएएफए सलाहकार के रूप में

आईएएसबी

एसएमई के लिए लेखांकन मानकों संबंधी कार्यकारी समूह ।

6.3 एमओयू

इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक एकाउन्टेन्ट्स ऑफ सिंगापुर के साथ एमओयू पर बातचीत चल रही है । यह संभावना की जाती है कि शीघ्र ही दोनों संस्थान एक दूसरे की शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और अन्य विनियमित ढांचे के अपने मूल्यांकन को एक दूसरे को बताएंगे ।

सीपीए आस्ट्रेलिया की अर्हताओं और आईसीएआई की वृत्तिक अर्हताओं को समतुल्य बनाने संबंधी प्रगति संतोषप्रद है । दोनों पक्षों ने शिक्षा, प्रशिक्षण, सीपीडी और अन्य संघटकों से संबंधित सूचना

का आदान-प्रदान किया है और दिल्ली में कुछ बैठकें भी की हैं । यह बातचीत अक्तूबर, 2007 तक पूरी हो जाने की संभावना है ।

जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने जीएफओए बैठक के लिए यूएसए का दौरा किया था, तब 12 जून, 2007 को शासकीय वित्त अधिकारी संगम के साथ करार पर हस्ताक्षर किए गए थे । यह करार लोक वित्तीय प्रबंध व्यवहारों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान का संवर्धन करने और आईसीएआई को नगरपालिक लेखांकन और वित्त के क्षेत्र में उसके चालू कार्यक्रम पर समर्थन दिए जाने पर बल देता है ।

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट इन इंग्लैंड एंड वेल्स (आईसीएईडब्ल्यू) के साथ परस्पर मान्यता करार करने संबंधी प्रक्रिया की जा रही है और इसके अतिरिक्त इस संबंध में कार्य योजना बनाने और दोनों निकायों के बीच एमआरए के लिए दूरी कम करने वाला तंत्र तैयार करने के लिए जुलाई, 2007 में आईसीएईडब्ल्यू के एक दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने आईसीएआई, दिल्ली का दौरा किया ।

6.4 विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के दौरे और भारतीय प्रतिनिधिमंडलों के विदेशी दौरे

उप महासचिव, द नेशनल ऑफिस ऑफ रेक्टीफिकेशन एंड स्टेन्डर्डाइजेशन ऑफ मार्केट इकोनोमिक आर्डर, वाणिज्य मंत्रालय, चीन गणराज्य की अध्यक्षता में चीन के एक 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने 7 अगस्त, 2006 को संस्थान का दौरा किया और संस्थान की गतिविधियों, विशेषकर अनुशासनात्मक तंत्र प्रवृत्त करने की उसकी भूमिका के संबंध में ब्यौरेवार परस्पर क्रिया की ।

भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान से एक 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगोलिया का दौरा किया और वहां एक एकदिवसीय सम्मेलन को संबोधित किया । इस अवसर पर, मंगोलिया सीपीए संस्थान को, अन्य बातों के साथ, सूचना प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी संसूचना पर सहायता देने के लिए एक चर्चा ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए थे । मंगोलिया से, उनके अध्यक्ष की अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रत्युत्तर में जनवरी, 2007 में भारत का दौरा किया और चैन्नई में एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया और तत्पश्चात् आईसीएआई के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श किए ।

भूटान के महा संपरीक्षक के कार्यालय से भूटान के महा संपरीक्षक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 12 दिसंबर, 2006 को संस्थान का दौरा किया और भूटान किंगडम में लेखांकन अवसंरचना को सुदृढ़ करने और संबद्ध सक्षमता बनाने संबंधी मुद्दों पर संस्थान से सहायता का अनुरोध किया । संस्थान ने उक्त प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर, संस्थान की भूटान में लेखांकन वृत्ति की स्थापना करने और उसके लिए आईसीएआई के तकनीकी सहयोग में दिलचस्पी को महा संपरीक्षक के कार्यालय को अग्रेषित किया था और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

टोक्यो सर्टिफाइड पब्लिक टैक्स एकान्टेन्टस एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टों की समाजिक भूमिका, लेखांकन मानकों (एएस) और अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक (आईएएस) के बीच संबंध और लेखांकन की स्वतंत्रता से संबंधित विषय पर 13.12.2006 को संस्थान के साथ परस्पर बातचीत की थी । प्रतिनिधिमंडल ने दोनों देशों में संबंधित वृत्तियों की संरचना और दोनों निकायों के बीच द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की थी ।

सर डेविड टवीडी की अध्यक्षता में अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड के एक प्रतिनिधिमंडल ने 13 से 15 फरवरी, 2007 के दौरान भारत का दौरा किया और इस दौरे के दौरान उसने विनियामकों, अर्थात् कार्पोरेट कार्य मंत्रालय के मंत्री और सचिव, उप राज्यपाल, भारतीय रिजर्व बैंक, अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सचिव, व्यय, वित्त मंत्रालय और सचिव (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय के साथ बैठकें कीं । इस अवसर पर आईसीएआई के कार्यालय में विभिन्न विनियामकों के साथ एक गोलमेज

बैठक का भी आयोजन किया गया था । इन बैठकों के दौरान, आईएएसबी की भूमिका और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के साथ समाभिरूपण संबंधी उनके कार्यक्रम की विशिष्टियां बताई गई थी । इस अवसर पर, फिक्की के साथ भी एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें मानकों के समाभिरूपण के मुद्दे पर सर डेविड टवीडी के साथ परस्पर क्रिया के लिए प्रमुख निगमों के सीएफओ को आमंत्रित किया गया था । इस अवसर ने समाभिरूपण पर भारतीय संदर्भ में विचारों के आदान प्रदान का मौका दिया ।

श्री पॉल मीकल जोन, अध्यक्ष, सीपीए आस्ट्रेलिया और श्री पॉल वाप्पेट, महाप्रबंधक, (विकास), सीपीए, आस्ट्रेलिया से युक्त एक प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली स्थित संस्थान के कार्यालय का दौरा किया और एक दूसरे की अर्हताओं को परस्पर मान्यता देने से संबंधित बातचीत को सुदृढ़ करने के लिए 1 मार्च, 2007 को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव से परिचर्चा की ।

जनवरी, 2007 में संपरीक्षा कार्यालय से एक अफगानिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के दौरे के परिणामस्वरूप संस्थान ने इस विषय पर अफगानिस्तान के उप महासंपरीक्षक से बातचीत की है, जिसमें संस्थान ने अफगानिस्तान में लेखांकन वृत्ति की अवसंरचना विकसित करने में अपनी दिलचस्पी जाहिर की है ।

श्री जोन कैलस, अध्यक्ष आईएएएसबी और श्री जिम सिल्फ, कार्यकारी निदेशक, आईएएएसबी ने 17-18 मार्च, 2007 के दौरान अपने नई दिल्ली के दौरे में परस्पर दिलचस्पी के विषयों पर संस्थान से चर्चा की थी ।

लंदन के लार्ड मेयर की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल ने, जो भारत दौरे पर था, 22 मई, 2007 को आईसीएआई कार्यालय का दौरा किया । लार्ड मेयर ने दोनों देशों में लेखांकन निकायों के बीच सहयोग पर बल देने वाला एक संक्षिप्त संबोधन किया । इस बैठक में श्री ग्राहम वार्ड, पूर्व अध्यक्ष, आईएफएसी, यूके और ब्रिटिश उच्च आयोग, दिल्ली के कुछ पदधारियों ने भी भाग लिया । इस बैठक में दोनों देशों के लेखांकन वृत्तिकों द्वारा सीमा पार सेवाओं के आदान प्रदान पर और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मार्ग खोजने पर ध्यान केन्द्रित किया गया था । बैठक में एक दूसरे की अर्हता को मान्यता देने पर भी बातचीत की गई थी, जिससे कि दोनों देशों में बड़ी संख्या में सेवा प्रदाताओं से व्यापार और उद्योग जगत को फायदा प्राप्त हो ।

आईसीएआई प्रतिनिधिमंडल द्वारा फ्रांसिसी लेखांकन वृत्ति के प्रतिनिधियों के साथ टर्की, इस्ताम्बुल में नवंबर, 2006 की बैठक के दौरान हुई चर्चा के परिणामस्वरूप स्वःवितपोषण के आधार पर आईसीएआई सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल को फ्रांस ले जाने पर सहमति हुई थी । प्रतिनिधिमंडल का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ, बैंककारी, पूंजी बाजार, कारबार परिस्थितियों, चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स के क्षेत्र में फ्रांसिसी विनियामक ढांचे को बेहतर रूप से समझना और सदस्य-दर-सदस्य नेटवर्क की स्थापना की संभावना की तलाश करना था । इस अध्ययन दौरे में, जिसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष, आईसीएआई द्वारा की गई थी और जिसमें चौदह सदस्यों ने भाग लिया था, फ्रांस स्थित भारतीय राजदूत के अलावा विनियामक निकायों और अन्य पणधारियों से ब्यौरेवार परस्पर क्रिया की गई थी । इस अध्ययन दौरे से यह संभावना है कि इससे, दोनों देशों में सदस्यों के, दोनों जगह कारबार स्थापित करने, संसाधनों के अंशभाजन और जानकारी के आदान-प्रदान और उसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में बी-2-बी के संबंध में प्रश्नों का समाधान करने के लिए तकनीकी पटल स्थापित करने के निबंधनों में द्विपक्षीय सहयोग में वृद्धि को सुकर बनाएगा ।

संस्थान, आईसीएआई सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल को अक्तूबर, 2007 में विनियामकों और अन्य पणधारियों के साथ बैठक करने के लिए इटली ले जाने की योजना बना रहा है । चूंकि अक्तूबर,

2007 में, विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ बैठकों का आयोजन करने के लिए एक अन्य प्रतिनिधिमंडल स्विटजरलैंड और बेल्जियम भेजने की योजना बनाई जा रही है, इसलिए इन दो प्रतिनिधिमंडलों को जोड़ने की संभावना पर विचार किया जा रहा है ।

6.5 सम्मेलन

- संस्थान ने 30 सितंबर, 2006 को चैन्नई में " एकाउन्टिग प्रोफेशन इन साउथ एशियन रीजन वेल्यूस एंड प्रस्पेक्टिव" विषय पर एक एसएएफए सम्मेलन का आयोजन किया था । इस सम्मेलन के साथ एसएएफए उत्कृष्टता केन्द्र और विभिन्न कार्यसमूहों तथा एसएएफए सभा के बीच बैठकें भी कराई गई थी ।

- आईसीएआई ने 3 अप्रैल, 2007 को नई दिल्ली में एसएएफए (दक्षिण एशिया एकाउन्टेन्ट फेडरेशन) बोर्ड की पहली बैठक का आयोजन किया था । एसएएफए बोर्ड बैठक के साथ "एसएएफए को आईएफएसी और सार्क का उत्कृष्टता केन्द्र बनाना - मुद्दे और परिप्रेक्ष्य" विषय पर 4 अप्रैल, 2007 को एक गोलमेज सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था । एसएएफए बोर्ड सदस्यों के अलावा, अनेक केन्द्रीय परिषद् सदस्यों, क्षेत्रीय परिषद् के सदस्यों और आईसीएआई और आईसीडब्ल्यूएआई के पूर्व अध्यक्ष भी इस अवसर पर उपस्थित हुए थे ।

- एसएएफए के पदधारियों के साथ आईसीएआई के अध्यक्ष और सचिव ने नई दिल्ली में 3 अप्रैल, 2007 को आयोजित सार्क शीर्ष सम्मेलन में भाग लिया था । यह पहली बार था, जब एसएएफए पदधारियों को, मेजबान निकाय के अध्यक्ष के साथ सार्क मंत्रालयीय में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था ।

- चैन्नई में 11-13 जनवरी, 2007 के दौरान " नई सहस्राब्दी में वृत्ति की भूमिका" विषय पर एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था । इस सम्मेलन का उदघाटन माननीय श्री के. रहमान खान, उप सभापति, राज्य सभा द्वारा किया गया था और इसमें विदेशी प्रतिनिधिमंडलों सहित लगभग 1500 प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया था ।

6.6 अन्य

समिति ने, आईएफएसी नॉलेज नेट नामक एक संसाधन केन्द्र को सहयोग और समर्थन के संबंध में आईएफएसी से प्रस्ताव पर विचार किया । उक्त संसाधन, आईसीएआई की वेबसाइट पर एक इंटरनेट सर्च इंजन उपलब्ध कराने का आशय रखता है, जिसके द्वारा आईसीएआई वेबसाइट और आईएफएसी नॉलेज नेट पर सर्च करना सुकर हो जाएगा । संसाधन ऐसी क्षेत्र सूचना के निबंधनों में नमनीयता उपलब्ध कराता है, जिस तक संदाय सहित या रहित पहुंच उपलब्ध कराई जाती है ।

संस्थान ने विभिन्न देशों की व्यापार नीति पुनर्विलोकन पर और कोरिया, जापान, थाईलैंड और ऐसे ही अन्य देशों के साथ प्रारंभ किए जाने वाले विभिन्न एफटीए से संबंधित विषयों पर अंतर्निवेश उपलब्ध कराना जारी रखा ।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय सहयोग और भारतीय लेखांकन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गठित इंडो-यूके लेखांकन कार्य बल ने बहुविध परस्पर क्रियाएं की थीं और वह इस दिशा में भारत और युके के समतुलनीय निकायों के बीच दूरी कम करने के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, परीक्षा और अन्य विनियामक ढांचे की समीक्षा कर रहा है । यह कार्य चल रहा है ।

विभिन्न देशों में संपर्क कार्यालय खोलने के मामले में, ऐसे सभी स्थानों पर संपर्क कार्यालय खोलने पर विचार किया जा रहा है, जहां इस समय कोई चैप्टर या कार्यालय नहीं है और जहां संस्थान

के सदस्यों की संख्या 175 से अधिक है । समिति ने जर्नल/वेबसाइट में संसूचना द्वारा विदेशों में स्थित अपने सदस्यों से हित अभिव्यक्ति को आमंत्रित किया है ।

एक पब्लिक सेक्टर सक्षमता निर्माण कार्यक्रम समर्थन परियोजना के लिए इथोपिया फेडरल लोकतांत्रिक गणराज्य को संस्थान की हित अभिव्यक्ति को आगे और कार्यवाही के लिए सूचीबद्ध किया गया है ।

संस्थान ने, जीबूटी सरकार को, उन्हें लेखांकन वृत्ति की अवसंरचना के सृजन की प्रक्रिया में सहायता करने के लिए एक प्रारंभिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

7. अन्य गतिविधियां

7.1 मानव संसाधन विकास

7.1.1 एचआरडी प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस तथ्य को मान्यता प्रदान करते हुए कि प्रशिक्षण, सक्षमता के स्तर में वृद्धि और व्यक्तित्व के विकास के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है, आईआईएम, एएससीआई, एमडीआई आदि जैसे विख्यात संस्थाओं द्वारा आयोजित विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों में भाग लिए जाने के लिए उपाय किए गए हैं । ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव को देखते हुए, अधिकाधिक कर्मचारियों ने इन कार्यक्रमों में भाग लेने की इच्छा व्यक्त की है । यह आशा की जाती है कि ऐसे व्यवहार संबंधी परिवर्तन, आईसीएआई को, एक उच्च स्तरीय एचआर समूह द्वारा मधुर मुस्कान के साथ समय पर और प्रभावी सेवाएं प्रदान किए जाने के इसके उद्देश्य की पूर्ति में सहायता करेंगे ।

पूर्वोक्त के अतिरिक्त, आईसीएआई ने सदस्यों और छात्रों तथा अन्य संबद्ध व्यक्तियों की जानकारी और कौशल का विकास करने और संवर्धित और बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों/विषयों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया :

- सदस्यों और छात्रों को दी जाने वाली सुविधाओं में सुधार, भावनात्मक प्रभाव, सकल दक्षता और नीतिशास्त्र में सुधार करने की नई नीति, उच्च भावनात्मक तत्व-संगठनात्मक सफलता के उपाय, आत्मविश्वास तनाव और उच्च रक्तचाप अपने भीतर उर्जा को जागृत करने और कार्य में लगे प्रबंधन व्यक्ति : भविष्य की रणनीतियां के क्षेत्रों में संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं ।
- प्रबंधकों और नेतृत्व के लिए प्रबंधकीय प्रभाविकता, संपर्क कौशल पर विभिन्न विख्यात संस्थानों में नियमित आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा दल निर्माण ।
- मध्यम, वरिष्ठ और उच्च स्तरीय कार्यपालकों के लिए प्रबंधकीय प्रभाविकता/कार्यपालक विकास कार्यक्रमों की एक विशेष रूप से डिजाइन की गई श्रृंखला ।
- ज्ञान के आदान-प्रदान पर आवधिक/सतत् सत्र, चिंता/पूर्विक्ता के क्षेत्रों में अनुभव और उनकी पहचान, अस्थायी समितियों के सचिव ।
- नए व्यक्तियों के लिए जागरूकता और परस्पर सक्रिय सत्र
- अधिकारियों के लिए आवधिक परस्पर सक्रिय अनुकूलन पाठ्यक्रम
- विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के लिए आवधिक परस्पर सक्रिय अनुकूलन सत्र
- कंप्यूटर प्रशिक्षण की श्रृंखला ।

इसके अतिरिक्त, शिकायत समाधान सम्यक परामर्श, प्रोन्नत प्रसुविधा प्रबंध आदि के उद्देश्य से मानव संसाधन पहलें निम्नलिखित हैं :

- मास की शुरूआत शिकायत समाधान और कठिनाई को कम करने वाली प्रक्रिया/उपायों से करना ।
- विभागीय सोमवार बैठकें ।
- कर्मचारियों के अतिरिक्त/केन्द्रित ध्यान की अपेक्षा करने वाले क्षेत्रों में आवधिक कर्मचारी परामर्शी सेवाएं ।
- साप्ताहिक (अर्थात्, शुक्रवार को) प्रशिक्षण कार्यक्रम ।
- कार्य निष्पादन को समुन्नत करके और प्रदाय स्तरों को अपेक्षित मानदंडों पर लाकर निचले स्तर के कर्मचारियों को मुख्यधारा में लाने के लिए निरंतर समर्थन देना ।

इस प्रकार, मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय स्तरों पर 3,989 कर्मचारी घंटों से अधिक के नियमित मानव संसाधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे ।

7.1.2 मानव संसाधन - कल्याण उपाय

आईसीएआई ने सदैव इस बात को मान्यता दी है कि मानव संसाधन इसकी पूर्व की तमाम सफलताओं की सबसे महत्वपूर्ण, आस्ति है । इसका यह भी दृढ़ विश्वास है कि यह आस्ति आने वाले समय की सभी कठिनाइयों का समाधान है और यह आईसीएआई को एक 'मार्गदर्शक तारा' बनाएगी । वर्ष के दौरान भी इसने अपने कर्मचारियों के लिए और अधिक कल्याणकारी उपाय करना जारी रखा ।

सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सहायता देने के इसके प्रयास के भाग रूप में, पेंशन की दरों में 25% वृद्धि की गई है ।

7.1.3 त्वरित प्रोन्नति स्कीम आरंभ करना

आईसीएआई ने विद्यमान योग्यताओं को अपने पास बनाए रखने तथा नई योग्यताओं को आमंत्रित करने के लिए तारीख 1.2.2007 से प्रभावी एक महत्वाकांक्षी त्वरित प्रोन्नति स्कीम आरंभ की । स्कीम के अधीन निम्नतम स्तर से आरंभ करके विभिन्न पदों को लागू वेतनमानों और साथ ही विभिन्न स्तर के कर्मचारियों को लागू तत्कालीन प्रोन्नति नीति के अधीन प्रोन्नति के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के साथ उनके पदनामों को उपांतरित किया गया था । कैरियर विकास को बढ़ावा देने के विचार से नए / मध्यवर्ती वेतनमान प्रारंभ किए गए हैं । विभिन्न स्तरों पर कर्मचारियों की प्रोन्नति में तेजी लाने के लिए पद में न्यूनतम अर्हक सेवा की अवधि को कम किया गया है । नए पदनाम प्रारंभ किए गए हैं । पूर्वोक्त के अलावा, स्कीम आचार के स्तर और प्रदर्शित कार्य निष्पादन के आधार पर, त्वरित कैरियर विकास का भी उपबंध करती है ।

7.2 संपरीक्षा समिति

7.2.1 महत्वपूर्ण उपलब्धियां

- विभिन्न शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों, विकेन्द्रीकृत कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में कानूनी और आंतरिक संपरीक्षकों की नियुक्ति के संबंध में पुनरीक्षित मानदंडों का कार्यान्वयन ।
- 3000 से अधिक सदस्य संख्या वाली शाखाओं और डीसीओ के आंतरिक संपरीक्षकों की नियुक्ति ।
- लेखाओं को अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व कानूनी और आंतरिक संपरीक्षकों के साथ चर्चा की गई ।

- विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों का पुनर्विलोकन और आंतरिक संपरीक्षकों के संप्रेषणों को आईसीएआई की अधिकथित नीतियों के पालन के लिए नोट किया गया ।
- सुसंगतता और अद्यतन बनाने को सुनिश्चित करने के लिए आईसीएआई की पिछले दस वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों में यथा उल्लिखित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का व्यापक पुनर्विलोकन ।
- विभिन्न विभागों/गैर-स्थायी समितियों के लिए आंतरिक संपरीक्षकों के कार्य के विस्तार और उनकी रिपोर्टिंग संरचना का पुनर्विलोकन ।
- आंतरिक नियंत्रण तंत्र को मजबूत करने के लिए दिशानिर्देश तैयार करना ।
- आधुनिक आईटी परिस्थितियों के संदर्भ में आईटी प्रणाली संरक्षा को और मजबूत करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं ।

7.2.2 पहलें

- आईसीएआई के आंतरिक नियंत्रण तंत्र को और सरल तथा कारगर बनाने तथा उसे मजबूत करने के लिए एक परिचर्चा पत्र तैयार किया गया था और उसे सभी उपयोक्ता विभागों/गैर-स्थायी समितियों, क्षेत्रीय कार्यालयों और विकेन्द्रीकृत कार्यालयों को, उनकी टिप्पणियों/विचार जानने के लिए परिचालित किया गया था ।
- शाखाओं के कर्मचारियों को प्रशिक्षण मोड्यूल के संबंध में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए पहल की गई है ।
- नियत आस्तियों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है ।
- प्राधिकार के समुचित प्रत्यायोजन के प्रयोजन के लिए प्रमुख विभागों की पहचान करने की कार्यवाही की जा रही है ।
- सभी क्षेत्रीय परिषदों की संपरीक्षा के विस्तार क्षेत्र के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

7.3 वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड

संस्थान ने, अन्य बातों के साथ, लागू विभिन्न कानूनों की रिपोर्टिंग अपेक्षाओं, संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानकों और संपरीक्षा तथा आश्वासन मानकों के अनुपालन का पुनर्विलोकन करने के उद्देश्य से वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन बोर्ड का गठन किया था । बोर्ड, यों ही चयनित कतिपय उद्यमों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का और उन पर संपरीक्षक की रिपोर्टों का यथासंभव रूप में निम्नलिखित का अवधारण करने के विचार से पुनर्विलोकन करता है :

(क) वित्तीय विवरणों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन ;

(ख) विनियामक निकायों द्वारा विहित प्रकटन अपेक्षाओं, कानूनों, नियमों और उद्यम के लिए सुसंगत विनियमों का अनुपालन ; और

(ग) संपरीक्षकों की रिपोर्टिंग बाध्यता का अनुपालन ।

बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उद्यमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :

(क) ऐसे उद्यम, जिनके ऋण या साम्या प्रतिभूतियां, भारत में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध हैं ;

(ख) लोक वित्तीय संस्थाएं और बैंक ;

(ग) 50 करोड़ या अधिक की आवर्त वाले गैर-सूचीबद्ध और अन्य वाणिज्यिक उद्यम, और

(घ) उद्यमों का ऐसा अन्य प्रवर्ग, जो बोर्ड की राय में, वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अननुपालन विनियामक निकायों द्वारा विहित प्रकटन अपेक्षाओं, कानूनों और नियमों तथा उद्यम के लिए सुसंगत विनियमों के अननुपालन और उद्यम तथा संपरीक्षक की रिपोर्टिंग बाध्यताओं के अननुपालन की संभावना के कारण लोकहित को जोखिम में डाल सकते हैं ।

बोर्ड ने, तकनीकी पुनर्विलोककों द्वारा बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत प्रारंभिक पुनर्विलोकन रिपोर्टों पर विचार करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए वर्ष 2007-08 में सात वित्तीय रिपोर्टिंग पुनर्विलोकन समूहों का गठन किया है ।

संस्थान के सदस्यों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को पुनर्विलोकन के दौरान देखे गए अननुपालन से अवगत कराने के विचार से, बोर्ड समय-समय पर ऐसे अननुपालनों का संकलन करता है और उसे जर्नल में प्रकाशित करता है । पूर्व व्यवहार के अनुसार ही, ऐसे अननुपालनों से संबंधित एक टिप्पण को संस्थान के जर्नल के मार्च, 2007 के अंक में प्रकाशित किया गया है । बोर्ड, सदस्यों की जानकारी के लिए, संस्थान की वेबसाइट पर साधारण संप्रेक्षणों को रखने की योजना बना रहा है ।

बोर्ड ने, कतिपय ऐसे मामलों को, जो साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्टों के पुनर्विलोकन के दौरान बोर्ड के सामने आए, सदस्यों और अन्य संबंधित व्यक्तियों को मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए संबधित समितियों को निर्दिष्ट किया है ।

7.3.1 वर्ष 2004 - 05 के लिए साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन

बोर्ड ने, वर्ष 2004-05 के पुनर्विलोकन के लिए 53 कंपनियों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों और उन पर संपरीक्षकों की रिपोर्टों का चयन किया है । इन 53 कंपनियों में से, 50 कंपनियों का यों ही चयन किया गया था और 3 कंपनियों का चयन, उसकी सूचना में लाई गई जानकारी का संज्ञान लेते हुए किया गया था । इन 53 कंपनियों में से 43 कंपनियों का पुनर्विलोकन चल रहा है ।

7.3.2 परिषद् वर्ष 2007-2008 के दौरान साधारण प्रयेजन वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन

बोर्ड ने, परिषद् वर्ष 2007-08 के पुनर्विलोकन के लिए 60 कंपनियों का चयन किया है और इन 60 कंपनियों में से, 57 कंपनियों का पुनर्विलोकन चल रहा है ।

7.3.3 साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों के तकनीकी पुनर्विलोककों को सीपीई प्रत्यय प्रदान करना

बोर्ड ने, सतत् वृत्तिक शिक्षा समिति से तकनीकी पुनर्विलोककों को उपयुक्त सीपीई प्रत्यय घंटे प्रदान करने पर विचार करने की सिफारिश की है ।

7.3.4 पब्लिक सेक्टर उद्यमों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन

पब्लिक सेक्टर उद्यमों के साधारण प्रयोजन वित्तीय विवरणों का पुनर्विलोकन कार्य प्रारंभ करने के लिए सी एंड एजी कार्यालय से उपयुक्त समन्वयन किया जा रहा है ।

7.4 आंतरिक संपरीक्षा संबंधी समिति

मिशन

निगम विश्व के लिए आंतरिक संपरीक्षा का सदैव ही अत्यधिक महत्व रहा है । आंतरिक संपरीक्षा, जो कई वर्षों तक किसी संगठन के लेखाओं की जांच का साधन थी, अब प्रगति करके अस्तित्व के कार्यों को प्रभावी और दक्ष रूप से चलाने के लिए प्रबंधन के हाथों एक अनिवार्य नियंत्रण उपकरण बन गया है । आंतरिक संपरीक्षा, आंतरिक नियंत्रणों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करने और लागू विधियों और विनियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के विस्तारण का निर्धारण करने तथा लागतों को कम करने और दक्षता का संवर्धन करने के लिए सुझाव देने में महत्वपूर्ण और क्रान्तिक भूमिका निभा रही है । संस्थान ने आंतरिक संपरीक्षा के बढ़ते महत्व को मान्यता देते हुए, 5 फरवरी, 2005 को आंतरिक संपरीक्षा संबंधी समिति (सीआईए) का गठन किया । समिति का प्रमुख मिशन, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक, दिशानिर्देश और उद्योग विनिर्दिष्ट तकनीकी मार्गदर्शन जारी करके इसके सदस्यों को उद्योग की आंतरिक संपरीक्षा के संबंध में अधिक प्रभावी और दक्ष मूल्यवर्धित सेवाओं को उपलब्ध कराने में समर्थ बनाना है ।

उद्देश्य

समिति का उद्देश्य भारत में विद्यमान संपरीक्षा व्यवहार का पुनर्विलोकन तथा आंतरिक संपरीक्षा (एसआईए) संबंधी विकास मानकों को विकसित करना, मार्गदर्शक टिप्पणों को विकसित करना तथा एसएएस से उद्भूत मुद्दों पर स्पष्टीकरण जारी करना है जिससे कि इनको आईसीएआई की परिषद् के प्राधिकार के अधीन जारी किया जा सके ।

7.4.1 आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक

अवधि के दौरान पूरी की गई परियोजनाएं

- **आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानक और मार्गदर्शन टिप्पणों का प्राक्कथन (2007 संस्करण)**

प्राक्कथन, आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणों से संबंधित कतिपय मूल मुद्दों को स्पष्ट करता है, जैसे कि आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणों का विस्तार और उनकी प्रास्थिति तथा साथ ही आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों से विचलन की दशा में विवक्षाएं और आंतरिक संपरीक्षा संबंधी मानकों और मार्गदर्शन टिप्पणों को जारी करने के लिए आधारिक प्रक्रिया

- **एसआईए 1, एक आंतिरक संपरीक्षा की योजना बनाना**

यह एसआईए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि संपरीक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर उपयुक्त ध्यान दिया जाता है, संभावी समस्याओं की पहचान की जाती है और यह कि कर्मचारिवृंद के कौशल और समय का उपयुक्त रूप से उपयोग किया जाता है, आंतरिक संपरीक्षा की योजना के संबंध में मानक स्थापित करता है और मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है ।

- **एसआईए 2, आंतरिक संपरीक्षा के आधारिक सिद्धांत**

यह एसआईए, ऐसे आधारिक सिद्धांतों को अधिकथित करने और उन्हें संक्षिप्त रूप में स्पष्ट करने के लिए है, जो आंतरिक संपरीक्षा, अर्थात् ईमानदारी, विषयनिष्ठता तथा स्वतंत्रता, गोपनीयता, कौशल और सक्षमता, अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, दस्तावेजीकरण, योजना, संपरीक्षा साक्ष्य, आंतरिक नियंत्रण तथा जोखिम प्रबंध प्रणालियों और रिपोर्टिंग को शासित करता है ।

- **एसआईए 3, दस्तावेजीकरण**

इस एसआईए का प्रयोजन किसी आंतरिक संपरीक्षा में दस्तावेजीकरण अपेक्षाओं के संबंध में मानक स्थापित करना और मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है । आंतरिक संपरीक्षा दस्तावेजीकरण, आंतरिक संपरीक्षा, पुनर्विलोकन और कार्य के पर्यवेक्षण की योजना और निष्पादन में भी सहायता करता है और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि यह, उसके निष्कर्षों, राय या रिपोर्टों के समर्थन में किए गए कार्य का साक्ष्य उपलब्ध कराता है ।

7.4.2 उद्योग विनिर्दिष्ट मार्गदर्शन

अवधि के दौरान पूरी की गई परियोजनाएं

- **एल्युमिनियम उद्योग में आंतरिक संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन**

इस तकनीकी मार्गदर्शन को, एल्युमिनियम उद्योग के प्रचालनों और महत्वपूर्ण क्षेत्रों और एल्युमिनियम उद्योग के सुसंगत क्षेत्रों के संबंध में आंतरिक संपरीक्षक की प्रक्रियाओं के संबंध में व्यापक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए जारी किया गया है ।

- **तेल और गैस (अनुप्रवाह) उद्यमों में आंतरिक संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन**

इस तकनीकी मार्गदर्शन का आधारिक उद्देश्य किसी परिष्करण और विपणन (अनुप्रवाह) तेल और गैस कंपनी में प्रारंभ किए गए आधारिक प्रचालनों को समझने में सहायता करना है । यह विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में आंतरिक संपरीक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली ब्यौरेवार प्रक्रिया को भी वर्णित करता है ।

- **आंतरिक संपरीक्षा संबंधी साधारण मार्गदर्शन (2007 संस्करण)**

इस मार्गदर्शन में, आंतरिक संपरीक्षा के विभिन्न महत्वपूर्ण पहलूओं पर साहित्य अंतर्विष्ट है, जैसे कि आंतरिक संपरीक्षा की योजना बनाना, कर्मचारिवृंद संबंधी अपेक्षाएं और विचार, किसी आंतरिक संपरीक्षक के लिए महत्वपूर्ण कौशल, आंतरिक संपरीक्षा रिपोर्ट का प्रारूपण आदि ।

- **अपस्ट्रीम तेल और गैस कंपनियों में आंतरिक संपरीक्षा संबंधी तकनीकी मार्गदर्शन**

इस मार्गदर्शन में, अपस्ट्रीम उद्योग के आधारिक प्रचालनों, विशिष्टियों, विकास और गतिविधियों के विनियमन के संबंध में व्यापक जानकारी अंतर्विष्ट है । यह तेल और गैस उद्योगों में आंतरिक संपरीक्षा करने के लिए विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन भी उपलब्ध कराता है ।

7.4.3 चालू परियोजनाएं

समिति दो प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम - एक, आंतरिक संपरीक्षा और दूसरा सम्यक् अभ्यास पुनर्विलोकन, प्रारंभ करने का भी प्रस्ताव कर रही है ।

- आगरूकता/प्रशिक्षण कार्यक्रम
- आंतरिक संपरीक्षा के क्षेत्र में नवीनतम विकासों के बारे में जागरूकता बनाने के विचार से, समिति अनेक संगोष्ठियों/कार्यशालाओं के आयोजन की परिकल्पना करती है । इस प्रयोजन के लिए समिति, प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संगतता सुनिश्चित करने के लिए एकसमान पृष्ठभूमि सामग्री उपलब्ध कराकर तकनीकी समर्थन प्रदान करती है ।
- चालू अन्य परियोजनाएं

- वर्ष के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं के अलावा समिति ने अनेकों परियोजनाएं आरंभ की है । आंतरिक संपरीक्षा संबंधी समिति की चालू परियोजनाओं की सूची इस रिपोर्ट के अनुलग्नक क में दी गई है ।

8. अन्य मामले

8.1 आईसीआई का वार्षिक समारोह

आईसीएआई का 57वां वार्षिक समारोह 4 फरवरी, 2007 को नई दिल्ली में मनाया गया था । लोक सभा के अध्यक्ष माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी मुख्य अतिथि थे । समारोह में आईसीएआई द्वारा संचालित परीक्षाओं में मेधावी छात्रों को पुरस्कार तथा मेडल और आईसीएआई की उत्कृष्ट क्षेत्रीय परिषदों और शाखाओं को शील्ड तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए गए थे । समारोह में सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, सदस्यों, छात्रों, आईसीएआई के अधिकारियों तथा कर्मचारियों सहित बहुत बडी संख्या में आमंत्रितियों ने भाग लिया । मुख्य अतिथि ने चार्टर्ड एकाउंटेंट्स वृत्ति पर प्रशंसा की बौछार लगा दी ।

8.2 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स दिवस

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स दिवस की याद में 1 जुलाई, 2007 को नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया था । इस दिन के उपलक्ष्य में पूरे राष्ट्र में संगोष्ठियों और सम्मेलनों की श्रृंखला का आयोजन किया गया था । मुख्य समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था । कार्पोरेट कार्य मंत्री माननीय श्री प्रेम चंद गुप्ता इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे । इस अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में और उत्साहित उपस्थित व्यक्तियों की मौजूदगी में बहुप्रतीक्षित सीए लोगो का अनावरण किया गया था और आईसीआईसीआई - आईसीएआई के सह-ब्रांड वाले क्रेडिट कार्ड का शुभारंभ किया गया था । उपरोक्त के अलावा, अनेक स्थानों पर प्रादेशिक परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा भी स्थानीय रूप से भव्य समारोह आयोजित किए गए थे ।

8.3 चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 और चार्टर्ड एकाउंटेंट विनियम, 1988 में संशोधन

8.3.1 चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949 का संशोधन

मार्च, 2006 में, केन्द्रीय सरकार द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 की अधिसूचना के पश्चात्, उक्त अधिनियम की धारा 1 में यथाअंतर्विष्ट उपबंधों के निबंधनानुसार, केन्द्रीय सरकार ने उसे दी गई सशक्तता के निबंधनों में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स (संशोधन) अधिनियम, 2006 के सुसंगत उपबंधों को नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार प्रभावी किया है :-

संशोधन अधिनियम, 2006 के अनुसार धारा	मूल अधिनियम (अर्थात् चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1959) के अनुसार धारा	प्रभावी होने की तारीख	विषय-वस्तु
1	1	8 अगस्त, 2006	संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ
2	2	8 अगस्त, 2006	निर्वचन
3	4	8 अगस्त, 2006	रजिस्टर में नामों की प्रविष्टि

4	5	8 अगस्त, 2006	अध्येता और सहयुक्त
5	6	8 अगस्त, 2006	प्रैक्टिस का प्रमाण-पत्र
6	9(2)(ख)	19 अगस्त, 2006	चार्टर्ड एकाउंटेंट (परिषद में सदस्यों का नामनिर्देशन) नियम, 2006
6	9(2)(क)	5 सितंबर, 2006	चार्टर्ड एकाउंटेंट (परिषद का निर्वाचन) नियम, 2006 [संस्थान की परिषद का गठन]
7	10	8 अगस्त, 2006	परिषद के लिए पुनःनिर्वाचन या पुनःनामनिर्देशन
9	12	8 अगस्त, 2006	अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
12	15क (नई धारा)	8 अगस्त, 2006	विश्वविद्यालयों और अन्य निकायों द्वारा शिक्षा देना
16 [सिवाए खंड (i) के]	19	8 अगस्त, 2006	रजिस्टर
17	20	8 अगस्त, 2006	रजिस्टर से हटाना
22	24क(3)	8 अगस्त, 2006	उपधारा (3) का लोप
23	26	8 अगस्त, 2006	अनर्हित व्यक्ति दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे
25	29क (नई धारा)	8 अगस्त, 2006	केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति
26	30	8 अगस्त, 2006	विनियम बनाने की शक्ति
27	30ख	8 अगस्त, 2006	नियम, विनियम और अधिसूचनाएं संसद के समक्ष रखे जाएंगे
28(नई धाराएं 30घ और 30ङ को छोड़कर)	30ग, 30घ और 30ङ (नई धाराएं)	8 अगस्त, 2006	केन्द्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति
8	10क और 10ख (नई धाराएं)	17 नवंबर, 2006	निर्वाचन से संबंधित विवादों का समाधान और अधिकरण की स्थापना
10	13(2), 13(3)	17 नवंबर, 2006	सदस्यता से त्यागपत्र और आकस्मिक रिक्तियां
11	15	17 नवंबर, 2006	परिषद् के कृत्य

13		16	17 नवंबर, 2006	अधिकारी और कर्मचारी, वेतन, भत्ते, आदि
14		17	17 नवंबर, 2006	परिषद् की समितियां
15		18	17 नवंबर, 2006	परिषद् के वित्त
धारा 16	का खंड (i)	19(3)	17 नवंबर, 2006	रजिस्टर
18		21	17 नवंबर, 2006	अनुशासन निदेशालय
19		21क, 21ख, 21ग और 21घ (नई धाराएं)	17 नवंबर, 2006	अनुशासन बोर्ड, अनुशासन समिति, प्राधिकरण, अनुशासन समिति, अनुशासन बोर्ड और निदेशक के पास सिविल न्यायालय की शक्तियां होना और सांक्रान्तिक उपबंध
20		22	17 नवंबर, 2006	वृत्तिक या अन्य कदाचार की परिभाषा
21		22क, 22ख, 22ग 22घ, 22ङ, 22च, 22छ	17 नवंबर, 2006	अपील प्राधिकरण का गठन, प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के पद के निबंधन, प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को भत्ते और सेवा शर्तें, प्रक्रिया का प्राधिकरण द्वारा विनियमित होना, प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद, अध्यक्ष और सदस्यों के त्यागपत्र और पद से हटाया जाना, प्राधिकरण को अपील
24		अध्याय 7क (नया अध्याय)	17 नवंबर, 2006	क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड
28(नई धाराएं 30घ और 30ङ)		30घ और 30ङ (नई धाराएं)	17 नवंबर, 2006	सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई को संरक्षा, सदस्यों, आदि का लोक सेवक होना
30ङ(नई धारा 30ङ)		30ङ - नई धारा	17 नवंबर, 2006	सदस्यों, आदि का लोक सेवक होना

29	पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची	17 नवंबर, 2006	पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची
24	28(ग), 28(घ) नए अध्याय 7क के खंड	5 दिसंबर, 2006	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते नियम, 2006
18	21(4) और 21(ख)(2) और (4)	28 फरवरी, 2007	चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषण की प्रक्रिया और मामलों का संचालन) नियम, 2007

8.3.2 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विनियम, 1988 में संशोधन

(i) संसद् द्वारा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 में किए गए संशोधनों और पूर्व में अनुभव की गई कठिनाइयों / समस्याओं को ध्यान में रखते हुए विद्यमान विनियमों का गहन पुनर्विलोकन करने और उनमें उपयुक्त संशोधनों का सुझाव देने के लिए, विद्यमान विनियमों के पुनर्विलोकन संबंधी एक विशेष प्रयोजन कार्य समूह को स्थापित किया गया था । कार्य समूह ने निदेशाधीन विषयों की संपूर्ण सामग्री पर गहन विचार-विमर्श किया । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (संशोधन) अधिनियम, 2006 से उदभूत होने वाले नए/विद्यमान विनियमों के प्रारूप तैयार किए गए थे और अन्यथा तैयार किए गए थे तथा उन्हें परिषद् के समक्ष रखा गया था । परिषद् में हुई परिचर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट विनियम, 1988 में प्रस्तावित प्रारूप संशोधनों को अनुमोदन के लिए केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया गया है ।

(ii) वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित विनियमों में संशोधनों को अंतिम अनुमोदन प्रदान किया है :-

विनियम 43	आर्टीकल्ड सहायकों का नियोजन
विनियम 44	सदस्यों द्वारा भारत से बाहर लेखांकन संस्थाओं या निकायों में से किसी की उपविधियों के अधीन आर्टीकल्ड सहायकों का नियोजन न करना
विनियम 45(क)	आर्टीकलशिप में प्रवेश
विनियम 48(1)	आर्टीकल्ड सहायकों को वृत्तिका
विनियम 53(1)	भारत में स्थायी रूप् से प्रव्रजन करने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों को छूट
विनियम 54(क)	भारत से बाहर लेखांकन संस्थाओं या निकायों के पात्र सदस्यों के अधीन व्यवहारिक प्रशिक्षण

विनियम 55	प्रिंसीपल की प्रास्थिति में परिवर्तन
विनियम 56(1)	आर्टीकल का परिसमापन या समनुदेशन
विनियम 57(4)	नए आर्टीकल
विनियम 59(2),(4) और स्पष्टीकरण (1)	किसी आर्टीकल सहायक को छुट्टी
विनियम 60	आर्टीकल्ड सहायकों के कार्य घंटे
विनियम 65(1)	परिषद् को रिपोर्ट
विनियम 66(1)	आर्टीकल्ड सहायक के विरूद्ध जांच
विनियम 74(2),(4) और स्पष्टीकरण	संपरीक्षक सहायक को छुट्टी
विनियम 79(1)	संपरीक्षक सहायक के विरूद्ध जांच

उक्त संशोधनों को भारत के राजपत्र (अ), तारीख 17 अगस्त, 2007 के भाग 3, खंड 4 में अधिसूचना सं.आई-सीए(7)/102/2007(अ) तारीख 17 अगस्त, 2007 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है । उन्हें संस्थान के जर्नल के सितंबर, 2007 अंक में भी प्रकाशित किया गया है तथा संस्थान की वेबसाइट पर भी रखा गया है ।

8.4 केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय

केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय इंटरनेट के माध्यम से पूरे विश्व से जुड़ा, पूर्णतया कंप्यूटरीकृत और क्रियाशील है । पुस्तकों, पत्रिकाओं और लेखों के आंकड़ा आधार सहित पुस्तकालय सामग्री की खोज, विषय, लेखक, शीर्षक, प्रसंग और प्रकाशक-वार की जा सकती है अभिलेख इंटरनेट ऑन लाइन सेवा www.icai.org-overview-Library Services-CCL-online search.पर उपलब्ध है । फाउंडेशन पाठ्यक्रम छात्रों को शेष मामले के तौर पर के अलावा निर्देश सेवा विभिन्न विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं और विद्वानों को प्रदान की जानी है । संस्थान के प्रत्येक निदेशालय को दिए गए केन्द्र पुस्तकालय के साथ, संस्थान के नोएडा कार्यालय और विश्वास नगर छात्र पुस्तकालय को भी केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय द्वारा पुस्तकालय सुविधाएं प्रदान की गई हैं ।

www.icai.org/ पुस्तकालय सेवाओं पर उपलब्ध निम्नलिखित 18 वेब सेवा को पुस्तकालय द्वारा नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है :-

1. एकाउंटेंट ब्राउसर (1990 से आगे - विभिन्न वृत्तिक पत्रिकाओं से संकलित 12000 लेखों का संग्रह) पाठ को ऑन लाइन उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।
2. चार्टर्ड एकाउंटेंट पत्रिका से लेख (1951 से 2005 - खोज सुविधा सहित)
3. पुरालेखों के साथ पुस्तक के वर्तमान संकलन
4. पुस्तकालय में पुस्तकों की ऑन लाइन खोज - पुस्तकों और पत्रिकाओं का पूर्ण सूचीपत्र
5. चार्टर्ड एकाउंटेंट अनुक्रमणिका (आईसीएआई की पत्रिकाएं)
6. पुस्तकालय में उपलब्ध सी.डी.

7. आयोजित किए गए विभिन्न सम्मेलनों/संगोष्ठियों/समारोहों के पुस्तकालय में उपलब्ध फोटो ।
8. पुस्तकालय में उपलब्ध डब्ल्यूटीओ की पुस्तकों की सूची
9. पुस्तकालय में उपलब्ध एसएएफए की पुस्तकों की सूची
10. अनुशंसित पुस्तकों की सूची
11. पुस्तकालय प्रतिभूति निक्षेप नियम छात्र/सदस्य
12. पुस्तकालय समाचार/दृष्टिकोण
13. पुस्तकालय द्वारा अभिदत्त पत्रिकाओं/समाचार पत्रों की सूची
14. पुस्तकालय सेवाएं - सदस्यों/छात्रों के लिए प्ररूप
15. निर्देश पुस्तकालयों के पते
16. जीवनी के ब्यौरे - सम्मेलन/संगोष्ठियां
17. सुझाव पुस्तकें/पत्रिकाएं
18. ई-पुस्तक

एएफडब्ल्यू सॉफ्ट लिंक-लायब्रेरी से भिन्न सॉफ्टवेयर केन्द्रीय परिषद पुस्तकालय के सदस्यों/ आगन्तुकों/ संकाय को निम्नलिखित विशेषज्ञता प्राप्त आंकड़ा आधार पर उपलब्ध कराए जाते हैं :-

1. **डेलनेट** के माध्यम से नेटवर्किंग, पुस्तकालय में भारत और विदेशों में पुस्तकालयों का नेटवर्क क्रियाशील है, सभी विषयों पर पुस्तकों तक इसके बड़े सूची-पत्र द्वारा पहुंचा जा सकता है और संपूर्ण भारत में पुस्तकालय स्रोतों को बांटा जाता है ।
2. पुस्तकालय सॉफ्टवेयर सेवा में गत 50 वर्षों के आईसीएआई जर्नल " चार्टर्ड एकाउंटेंट" से लेखों सहित सभी वृत्तिक पत्रिकाओं से 12,000 से अधिक **लेखों** का मज़बूत आधार उपलब्ध है ।
3. पुस्तकालय ने **प्रोवेस लेन बर्जन** - एक सीएमआईई का प्रोडक्ट भी अभिप्राप्त कर लिया है जो कि 8000 कंपनियों का सबसे अधिक विश्वसनीय और सशक्त निगमित आंकड़ा आधार है, जो आधार आंकड़ा, वित्तीय विवरण, अनुपात विश्लेषण, निधि प्रवाह, प्रोडक्ट प्रोफाइल स्टाक बाजार में रिटर्न और जोखिम आदि उपलब्ध करता है । इसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जा रहा है ।
4. केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय और देशभर में 47 क्षेत्रीय केन्द्रों में भारतीय कर विधियों पर सीटीआर एनसाइक्लोपीडिया को प्रतिष्ठापित किया गया है, इसे वार्षिक आधार पर अद्यतन भी किया जा रहा है ।
5. रिपोर्ट कए गए सभी आय-कर मामलों के लिए **आईटीआर** ऑन लाइन - इसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जा रहा है ।
6. उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर तथा सहायक विधियों के लिए इलैक्ट्रानिक पुस्तकालय हेतु एक्सकस सॉफ्टवेयर । इसे आवधिक रूप से अद्यतन किया जा रहा है ।
7. Ind.law.com ऑनलाइन विधिक पुस्तकालय ।

8. पुस्तकालय ने www.indiastat.com जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक सांख्यिकीय डाटाबेस है, की ग्राहकी प्राप्त की है ।

क्षेत्रीय पुस्तकालयों का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है, इन पुस्तकालयों के बेहतर प्रबंध के लिए इन पुस्तकालयों में नया साफ्टवेयर कंप्यूटरीकृत भी प्रतिष्ठापित किया जा रहा है ।

पुस्कालय, सदस्यों के फायदे के लिए अपने कुछ दस्तावेजों जैसे कि सीए जर्नल और द प्रेस मानीटरिंग सर्विसिज लेखों का अंकीयकरण कर रहा है ।

आईआईटी, चैन्नई ने, पुस्तकालय में पुस्तकालय कार्मिकों की दक्षता का संवर्धन करने के लिए वर्ष, 2006 में, सभी क्षेत्रीय पुस्तकालयों और मुख्यालय पुस्तकालय के साथ क्षेत्रों के पुस्तकालय कर्मचारिवृंद को पुस्तकालय आधुनिक प्रबंध और अंकीयकरण में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया था । सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष ने टीईआरआई, दिल्ली द्वारा आयोजित अंकीय पुस्तकालय संबंधी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीडीएल 2006) में भाग लिया था ।

पूर्वोक्त के अतिरिक्त, देश भर में क्षेत्रीय केन्द्रों और शाखाओं में भी पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं । कंप्यूटरीकरण के पश्चात्, विभिन्न क्षेत्रीय पुस्तकालय डाटाबेस को जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं, ये पुस्तकालय और केन्द्रीय परिषद् पुस्तकालय भी आईसीएआई/सेवाओं के वृत्तिक विकास के लिए और अधिक आनलाइन डाटाबेस अर्जित करने के लिए प्रयास कर रहा है ।

8.5 संपादकीय बोर्ड

आज के तेजी से बढ़ते हुए उदारीकरण, निजीकरण और सार्वभौमिक युग में, विभिन्न विषयों, नए-नए वृत्तिक क्षेत्रों, पहलुओं और वृत्ति की चुनौतियों से आईसीएआई के सदस्यों और चार्टर्ड एकाउंटेंट पत्रिका के अन्य पाठकों को अद्यतन बनाए रखने के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए संपादकीय मंडल ने इस रिपोर्ट की अवधि (1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007) के दौरान अनेकों महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित की हैं ।

यह आईसीएआई का ब्रांड अम्बेसेडर है और सदस्यों, छात्रों तथा बाह्य श्रोताओं के लिए संस्थान के प्रोफाइल को स्पष्ट रूप से दर्शाता है । आज चार्टर्ड एकाउंटेंट विश्व की ख्याति प्राप्त पत्रिकाओं से टक्कर ले रहा है चाहे वह अंतर्वस्तु की गुणवत्ता हो, गहन ट्रापिकल कवरेज, परस्पर क्रियात्मक फीचर, अंतरराष्ट्रीय मानक ले आउट/डिजाइनिंग, पेपर क्वालिटी, बाहरी आवरण या समय से लोगों तक पहुंच हो, सबसे अधिक विश्वसनीय और पाठक मैत्रिक के रूप में इसकी मान्यता लगातार बढ़ती जा रही है । यह न केवल सदस्यों के लिए बल्कि सहयुक्त वृत्तिकों, संस्थाओं और भारत तथा विदेशों में आर्थिक जगत के हर वर्ग में अद्यतन वृत्तिक ज्ञान का उपकरण बन गया है, यदि पाठक प्रतिक्रिया से यह सब उपदर्शित होता है ।

इसकी व्यापक पहुंच और पाठन आधार की दृष्टि से इस पत्रिका का कुल परिचालन, आज 2,07,000 से अधिक हो गया है ।

फीचर और लेख :

- 1.4.2006 और 31.5.2007 के दौरान, कुल 2266 पृष्ठों और 159 लेखों का मुद्रण किया गया था ।
- जर्नल में 'विमन इन एकाउन्टेन्सी', 'डज एंड डोंटस', 'लेटेस्ट-एट ए ग्लांस', 'फ्रॉम द नॉलेज पोर्टल', 'स्टूडेंट्स कॉर्नर', 'इकोनोमिक इंडीकेटर्स', 'डिड यू नो', 'आईसीएआई-ई-इनीशिएटिव्स', 'क्रासवर्ल्ड', 'स्माइल प्लीज', 'कार्टून', 'आईसीएआई न्यूज', 'हेल्थ', 'मेनेजमेंट स्किल्स',

'इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट' और 'कोटेशन्स' सहित अनेक नए फीचर प्रारंभ किए गए थे । उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अपील अधिकरणों के नवीनतम/रिपोर्ट न किए गए निर्णयों को सम्मिलित करने के लिए ' लीगल अपडेट' खंड का नवीनीकरण किया गया था ।

- वृत्तिक दिलचस्पी के उभरते क्षेत्रों से और अधिक सामग्री को सम्मिलित करने को सुकर बनाने के लिए जर्नल के कुल पृष्ठों को 144 से बढ़ाकर 160 किया गया था ।

अंतर्वस्तु फोकस :

- जर्नल की अंतर्वस्तु का मानकीकरण किया गया था और किसी विशेष विषय पर ध्यान केन्द्रित करने की बजाय 'एकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग', 'टेक्सेशन', 'कार्पोरेट एंड अलाइड लॉज', 'इन्फोरमेशन टेक्नालॉजी', 'बैंकिंग एंड फाइनेंस', 'कार्पोरेट गवर्नेन्स', 'यूनियन बजट', 'सीए डे सेलीब्रेशन्स (अगस्त, 06 अंक)', '57 मूमेन्चुअस इयर्स (जुलाई, 2006 अंक)' और 'हेल्थ' आदि शीर्षक वाले खंडों के अधीन प्रासंगिक हित के अनेक विषयों और मुद्दों पर व्यापक सामग्री दी गई थी ।

- 'फेस 2 फेस' फीचर के अधीन अनेक विख्यात हस्तियों को सम्मिलित किया गया था, जिनमें कांग्रेस की अध्यक्षा सुश्री सोनिया गांधी, संघ के वाणिज्य मंत्री श्री कमल नाथ, संघ के विधि और न्याय मंत्री श्री एच.आर. भारद्वाज, संघ के कंपनी कार्य मंत्री श्री पी.सी. गुप्ता, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक श्री वी.एन. कौल, अंतरराष्ट्रीय एकाउन्टेन्ट परिसंघ के तत्कालीन अध्यक्ष श्री ग्राहम वार्ड, आईएफएसी के मुख्य कार्यपालक श्री इयान वॉल, अंतरराष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड के अध्यक्ष, सर डेविड टवीडी और आईएफएसी के नए अध्यक्ष श्री जुआन जोस फर्मिन डेल वेले सम्मिलित थे ।

ले आउट, कागज और विज्ञापन

- जर्नल के संपूर्ण ले आउट और डिजाइन का मानकीकरण किया गया था और जर्नल के मास्ट हैड, आवरण पृष्ठ, संपादकीय पृष्ठ, अंतर्वस्तु पृष्ठों और अंदर के पृष्ठों में, इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय रूझानों के अनुसार अनेकों परिवर्तन किए गए थे । स्थान के सर्वोत्तम उपयोग के लिए लेखों के साथ ग्राफिक्स के प्रकाशन में भी कमी की गई थी ।

- बेहतर पठनीयता के लिए, जुलाई, 2006 के अंक से पाठ के फोन्ट के आकार और पंक्तियों के बीच के स्थान में भी वृद्धि की गई थी ।

- जर्नल के मुद्रण के लिए उपयोग किए जाने वाले कागज की क्वालिटी को, वैश्विक मानकों के अनुरूप, अगस्त, 2006 के अंक से 65 जीएसएम एलडब्ल्यूसी मेट विनिर्देशों तक संवर्धित किया गया था ।

- जर्नल के ब्रांड संवर्धन और बृहत पहुंच के लिए पहलें की गई थी । उच्च क्वालिटी कागज पर मुद्रित जर्नल की विशेष प्रतियों को अति विशेष व्यक्तियों, राजनीति, नौकरशाही और आर्थिक जगत के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भेजा गया था ।

- जर्नल की आधुनिक अपील का फायदा उठाने के लिए विख्यात कारबर गृहों ने बड़ी संख्या में अपने विज्ञापन जर्नल में जारी किए । आईसीएआई ने विज्ञापनों के प्रकाशन से सारवान राजस्व अर्जित किया है । इस संबंध में, विख्यात कंपनियों, बैंकों, परस्पर निधियों, बीमा सेक्टर आदि को आकर्षित करने के लिए संपादकीय बोर्ड ने विशेष प्रयास किए थे ।

अन्य पहलें

- पूर्ववर्ती मास के अंतिम तीन दिनों में जर्नल के सुसंगत अंक को प्रेषित करने की प्रणाली अपनाकर जर्नल के समय पर प्रदाय को सुनिश्चित किया गया था ।
- ई-पत्रिका की अवधारणा को आरंभ करते हुए, जर्नल का अंकीयकरण किया गया था और उसे सर्च सुविधा के साथ तीव्र और आसान ब्राउजिंग के लिए अधिक उपयोक्ता सुगम डीजेवीयू प्ररूप में आईसीएआई की वेबसाइट पर रखा गया था । जर्नल के प्रत्येक अंक को, मुद्रित पाठ जारी किए जाने से काफी समय पूर्व आनलाइन उपलब्ध करा दिया गया था । सदस्यों को बेहतर रूप से जानकारी दिए जाने के लिए आईसीएआई वेबसाइट पर जर्नल पृष्ठ और संपदकीय बोर्ड पृष्ठ को व्यापक रूप से समुन्नत और अद्यतन किया गया था ।
- जर्नल की क्वालिटी में हुई सारवान वृद्धि और लागत में पारिणामिक वृद्धि को देखते हुए, संपादकीय बोर्ड ने, अप्रैल, 2007 अंक से ग्राहकों के सभी वर्गों के लिए अभिदाय दर को बढ़ाते हुए पुनरीक्षित करने का विनिश्चय किया है ।
- जर्नल की निरंतरता और स्थायित्व के लिए 7 जून, 2006 को जर्नल के मुद्रण और प्रेषण के लिए करार को अंतिम रूप दिया गया था ।
- मुंबई से जर्नल का रियायती दर पर डाक से नियमित प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए मुंबई डाक रजिस्ट्रीकरण अनुज्ञप्ति सं. और साथ ही पूर्व संदाय सं. के बिना डाक से प्रेषण करने की अनुज्ञप्ति प्राप्त की गई थी ।

9. सदस्य

9.1 सदस्यता

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान संस्थान द्वारा 10421 सदस्यों को दर्ज किया गया है । जिससे 1 अप्रैल, 2007 को आईसीएआई के कुल सदस्यों की संख्या 1,39,841 हो गई ।

पूर्व वर्ष में 2315 की संख्या की तुलना में 31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान 2001 सहयोजित सदस्य अध्येता के रूप में प्रविष्ट किए गए ।

1.4.2007 को सदस्यों की कुल संख्या

सदस्यों का प्रवर्ग	अध्येता (1)	सहयोजित (2)	स्तंभों का योग (1) और (2)
पूर्णकालिक व्यवसाय में	47645	21299	68944
अंशकालिक व्यवसाय में	3248	6081	9329
जो व्यवसाय में नहीं हैं	7899	53669	61568

9.2 चार्टर्ड एकाउंटेंट्स हितकारी निधि

दिसंबर, 1962 में स्थापित चार्टर्ड एकाउंटेंट हितकारी निधि ऐसे जरूरतमंद लोगों, जो आईसीएआई के सदस्य हैं या रहे हैं, उनके आश्रितों को, उनके पोषण तथा शिक्षा और चिकित्सा की

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है । निधि की वित्तीय विशिष्टियां निम्नानुसार हैं :-

सदस्यता के ब्यौरे

1.	31.03.2006 को कुल आजीवन सदस्य	= 70,753
2.	31.03.2007 को कुल आजीवन सदस्य	= 79,984
3.	नए आजीवन सदस्यों में कुल वृद्धि (31.03.2007 तक)	= 9,231
4.	31.03.2007 तक दी गई कुल वित्तीय सहायता	= 110

वित्तीय विशिष्टियों के ब्यौरे

		31.3.2006 को समाप्त वर्ष के दौरान	31.3.2007 को समाप्त वर्ष के दौरान
1.	दी गई कुल वित्तीय सहायता	45,05,000.00	46,31,500.00
2.	प्रशासनिक खर्चे	13,732.00	50,497.00
3.	निधि में अधिशेष (कमी)	36,70,477.00	29,18,577.00
4.	निधि का अतिशेष	2,10,18,839.00	2,39,37,416.00
5.	कोरपस का अतिशेष	5,72,36,500.00	6,65,20,000.00

10. छात्र

10.1 छात्रों के आंकड़े

13 सितंबर, 2006 तक वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम 1) और वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम 2) के लिए रजिस्ट्रीकृत छात्रों की कुल संख्या और 13 सितंबर, 2006 तथा 18 अगस्त, 2007 तक सामान्य प्रवीणता परीक्षा पाठ्यक्रम और वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत छात्रों की कुल संख्या निम्नानुसार है । 2002-03 से 2006-07 के पांच वर्षों और 1 अप्रैल, 2007 से 18 अगस्त, 2007 तक के दौरान रजिस्ट्रीकृत छात्रों के संबंध में ब्यौरे भी उपदर्शित हैं ।

वर्ष	पीई (पाठ्यक्रम-1)	पीई (पाठ्यक्रम-2)	फाइनल	13.9.2006 से सीपीटी	13.9.2006 से पीसीसी
2002-2003	35,524	33,283	11,102		
2003-2004	38,188	34,232	11,390		
2004-2005	39,000	34,190	11,061		
2005-2006	38,901	39,467	13,010		
2006-2007	45,617	32,339	11,838	1,29,110	24,041

1.4.2007 से 18.8.2007			4,874	92,393	13,422
योग	1,97,230	1,73,511	63,275	2,21,503	37,463

1 अप्रैल, 2007 से 18 अगस्त, 2007 की अवधि के दौरान वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम 1) के 5816 छात्रों ने सामान्य प्रवीणता परीक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने का विकल्प लिया (2006-2007 में यह संख्या 54,685 थी) और वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम 2) के 682 छात्रों ने वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने का विकल्प लिया था ।

10.2 प्रत्यायन स्कीम

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान पीई (पाठ्यक्रम-1) के लिए 2 प्रत्यायित संस्थाओं और पीई (पाठ्यक्रम - 2) के लिए 1 प्रत्यायित संस्था का नाम बहाल किया गया था । 1 अप्रैल, 2007 से 18 अगस्त, 2007 की अवधि के दौरान सीपीटी मौखिक कोचिंग कक्षाएं संचालित करने के लिए प्रत्यायित संस्थाओं की सूची में 4 और संस्थाओं के नामों को सम्मिलित किया गया था, इस प्रकार उनकी कुल संख्या 117 (113 + 4) हो गई है तथा 4 और को पीसीसी मौखिक कक्षाओं के संचालन के लिए सम्मिलित किया गया था, इस प्रकार उनकी कुल संख्या 71 (67+ 4) हो गई है । 31 मार्च, 2007 को पीई (पाठ्यक्रम - 1) के लिए संबद्ध संस्थाओं की कुल संख्या 171 (31 मार्च, 2006 को 169), पीई (पाठ्यक्रम - 2) के लिए यह संख्या 96 (31 मार्च, 2006 को 95) है और फाइनल पाठ्यक्रम के लिए विद्यमान 10 संस्थाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

10.3 वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण प्रकाशन

13 सितंबर, 2006 को, शिक्षा और प्रशिक्षण की एक नई स्कीम प्रारंभ की गई थी और सामान्य प्रवीणता परीक्षा (सीपीटी) पाठ्यक्रम, वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम (पीसीसी) और फाइनल (नए) पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री तैयार की गई थी और छात्रों को उपलब्ध भी कराई गई थी । तत्पश्चात, इन पाठ्यक्रमों के हिन्दी पाठ भी छात्रों को उपलब्ध कराए गए थे ।

वर्ष के दौरान वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम - 1), वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम - 2)/पीसीसी और फाइनल पाठ्यक्रम के छात्रों के फायदे के लिए निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए हैं :-

(i) पूर्व परीक्षाओं में उत्तरों सहित प्रश्नों का संकलन

(ii) पूर्व परीक्षाओं के प्रश्नों के सेट का संकलन

(iii) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में चयनित मामले

(iv) सीपीटी और पीसीसी आदर्श परीक्षा पत्र

(v) एस : 28 वृत्तिक विकास श्रृंखला के अधीन आस्तियों की हानि

10.4 अध्ययन सामग्री की समीक्षा

समीक्षा की निरंतर प्रक्रिया के भागरूप में अध्ययन सामग्री की समीक्षा अनेक विषय-विशेषज्ञों द्वारा की जाती है और उनकी टिप्पणियों एवं सुझावों को, जहां कहीं समुचित समझा जाता है सम्यक संपादन और सत्यापन के पश्चात् अध्ययन मॉडयूल के अगले मुद्रण में सम्मिलित किया जाता है ।

10.5 छात्रों की काउंसेलिंग

पाठ्यविवरणों के बहुत से विषयों में अनेक विद्या संबंधी शंकाओं को स्पष्ट करने के लिए छात्रों की सहायता हेतु प्रादेशिक मुख्यालयों में काउंसेलिंग सेवाएं चलाई जा रही हैं ।

10.6 250 घंटे का अनिवार्य कंप्यूटर प्रशिक्षण / 100 घंटे का सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण

100 घंटे का सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम 1 दिसंबर, 2006 को प्रारंभ किया गया था । 1 अप्रैल, 2006 से 30 नवंबर, 2006 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में 250 घंटे के अनिवार्य कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए रजिस्ट्रीकृत और दिसंबर, 2006 से 31 मार्च, 2007 की अवधि के दौरान 100 घंटें के सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रीकृत छात्रों की संख्या निम्नानुसार है :

	100 घंटे सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण	250 घंटे कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	250 घंटे कंप्यूटर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम
	1 दिसंबर, 2006 से 31 मार्च, 2007 तक	1 अप्रैल, 2006 से 30 नवंबर, 2006 तक	1 अप्रैल, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक
पश्चिमी	6030	7041	3505
दक्षिणी	2059	4761	4271
पूर्वी	1162	2479	5015
मध्य	3443	3947	2435
उत्तरी	3548	4010	6965

अध्ययन बोर्ड ने, क्षेत्रीय/ शाखा कार्यालयों को 100 घंटों का सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आयोजित करने में प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभिक रूप से 30 ऐसी निजी संस्थाओं का, जहां 13 शहरों में आईसीएआई की शाखाएं 100 घंटों का सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आयोजित कर रही थी, प्रत्यायन वापस लेने का विनिश्चय किया था । 1 अप्रैल, 2007 से 18 अगस्त, 2007 की अवधि के दौरान, 10 और शाखाओं को 100 घंटों का सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए प्रत्यायित किया गया है, इस प्रकार ऐसी शाखाओं की संख्या अब 242 हो गई है । 31 मार्च, 2007 को, 100 घंटे सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण में लगी प्रत्यायित संस्थाओं की संख्या 262 थी (31 मार्च, 2006 को 250 घंटे के अनिवार्य कंप्यूटर प्रशिक्षण में लगी प्रत्यायित संस्थाओं की संख्या 318 थी) ।

10.7 साधारण प्रबंध और संसूचना कौशल पर पठ्यक्रम

1.4.2007 से 18.8.2007 की अवधि के दौरान, क्षेत्रीय परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा 36 केन्द्रों पर साधारण प्रबंध और संसूचना कौशल पर 15 दिवसीय पाठ्यक्रमों के 87 बैचों का आयोजन किया गया था । वर्ष के दौरान, 242 बैचों के लिए साधारण प्रबंध और संसूचना कौशल पर 15 दिवसीय पाठ्यक्रम क्षेत्रीय परिषदों और उनकी शाखाओं द्वारा देश भर में 45 केन्द्रों पर (दुबई केन्द्र सहित) आयोजित किया गया और इन कार्यक्रमों में 10431 छात्रों ने भाग लिया (2005-2006 में 10887 छात्रों ने भाग लिया था) ।

10.8 संगोष्ठियां और सम्मेलन

वर्ष के दौरान, बोर्ड ने एक दिवसीय संगोष्ठियों, वक्तृता/क्विज प्रतियोगिताओं और प्रादेशिक/राज्य स्तर पर सम्मेलनों के आयोजन को बढ़ावा देने की नीति जारी रखी । 5 प्रादेशिक परिषदों सहित 47 शाखाओं द्वारा शाखा/ प्रादेशिक स्तर पर वक्तृत/क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गई । फाइनल वक्तृत/क्विज प्रतियोगिता का आयोजन जनवरी, 2007 में जयपुर में हुआ ।

बड़ौदा शाखा, एरनाकुलम शाखा और सहारनपुर शाखा ने एक दिवसीय संगोष्ठियों का आयोजन किया था । 20वें अखिल भारतीय सीए छात्र सम्मेलन का आयोजन अहमदाबाद में 23 और 24 जून, 2007 के दौरान और 4थी राष्ट्रीय सभा का आयोजन बड़ौदा में 6 और 7 जुलाई, 2007 के दौरान किया गया था । 19वें अखिल भारतीय सीए छात्र सम्मेलन का आयोजन चैन्नई में 26-27 अगस्त के दौरान किया गया था और 3री राष्ट्रीय सभा का आयोजन कोलकाता में 12-13 अगस्त के दौरान किया गया था । क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन 11 अगस्त, 2007 को कोलकाता में किया गया था ।

10.9 छात्रवृत्तियां

1 अप्रैल, 2006 से 18 अगस्त, 2007 की अवधि के दौरान विन्यास निधियों में से 8 छात्रों को गुणता छात्रवृत्तिया और 17 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई थी । 31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान 127 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई (14 गुणता छात्रवृत्तियां 10 गुणता एवं आवश्यकता आधृत छात्रवृत्तियां, 108 आवश्यकता आधृत छात्रवृत्तियां) । इसके अतिरिक्त इस प्रयोजन के लिए स्थापित विभिन्न विन्यासों से प्राप्त आय में से 11 छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की गई ।

10.10 छात्रों का संवादपत्र (स्टूडेंट्स न्यूजलेटर)

मासिक सीए छात्र संवादपत्र - **'दि चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट स्टूडेन्ट'** जिसमें उपयोगी लेख, शैक्षणिक अद्यतन, आलेख और अन्य सुसंगत उद्घोषणाएं हैं, छात्रों के लिए लोकप्रिय और उपयोगी साबित हुआ है । यह प्रकाशन सदस्यों में भी लोकप्रिय रहा । वर्ष 2006-2007 के दौरान छात्रों और अन्यों को परिदत्त कुल प्रतियां 15,44,503 थीं । 1 अप्रैल, 2007 से 18 अगस्त, 2007 की अवधि के दौरान छात्रों को 5,06,250 प्रतियां परिदत्त की गई थी ।

सर्वोत्तम लेख के लिए प्रथम पुरस्कार (2000 रुपए) कु. बीनल जे. सेठ डब्ल्यूआईसीएएसए की बड़ौदा शाखा के संवादपत्र विकासा में प्रकाशित उनके लेख "इम्पोरटेन्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग" के लिए दिया गया था ।

10.11 रविवार परीक्षा पत्र स्कीम को समाप्त करना और डाक परीक्षा पत्र स्कीम में प्रस्तुत किए जाने वाले पत्रों की संख्या में कमी

शिक्षा और प्रशिक्षण की नई स्कीम प्रारंभ होने के पश्चात्, 31 दिसंबर, 2006 से रविवार परीक्षा पत्र स्कीम को समाप्त कर दिया गया था और वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम - 1), वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम - 2) और फाइनल पाठ्यक्रमों के लिए प्रत्यायित संस्थाओं को 1 जनवरी, 2007 से परीक्षाओं का संचालन न करने की सलाह दी गई थी तथा मई, 2007 की परीक्षाओं के लिए पात्रता प्रमाणपत्रों को डाक परीक्षा पत्रों के आधार पर जारी किया जाएगा न कि उनकी उपस्थिति और कार्यपालन रिपोर्टों के आधार पर । छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों पर प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित उत्तर पुस्तिकाओं की कम की गई संख्या निम्ननुसार है :

वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम - 1)	- 2
वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम - 2)	- 3

फाइनल पाठ्यक्रम

10.12 रिलायंस इन्फोकोम लि. की अवसंरचना का प्रयोग करते हुए वर्चुअल कक्षाओं का संचालन

वर्ष 2006-07 के दौरान, वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम - 1)/सीपीटी, वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम - 2)/ पीसीसी और फाइनल पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों पर 36 वर्चुअल कक्षाओं का संचालन किया गया ।

10.13 आईसीएआई - आईजीएनओयू बोध ज्ञापन

वाणिज्य और प्रबंध शिक्षा को बढावा देने के लिए, भारतीय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक एमओयू पर परिचर्चा की और 12 मार्च, 2007 को उस पर हस्ताक्षर किए जिसके द्वारा इग्नू ने ऐसे सीए छात्रों के लिए जिन्होंने चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम के प्रथम चरण, अर्थात् मध्यवर्ती/वृत्तिक शिक्षा (पाठ्यक्रम - 2)/वृत्तिक सक्षमता पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण कर लिया है या वे पाठ्यक्रम कर रहे हैं, लेखांकन और वित्त में मेजर वाले विशेष बी.कॉम पाठ्यक्रम को प्रारंभ किया । इग्नू ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी पाठ्यक्रम के फाइनल छात्रों या ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी उत्तीर्ण कर ली है, वित्त और कराधान में मेजर वाले विशेष एम.कॉम पाठ्यक्रम को भी आरंभ किया है ।

10.14 आईसीएआई - एनएसओयू बोध ज्ञापन

संस्थान ने, छात्रों द्वारा बी.काम पाठ्यक्रम को पूरा किए जाने को सुकर बनाने के लिए नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय के साथ एक बोध ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए । इस एमओयू के अधीन चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी के प्रवेश स्तर पर और प्रथम चरण पाठ्यक्रमों और साथ ही सीए के व्यवहारिक प्रशिक्षण घटक को मान्यता दी जाती है । एनएसओयू चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी के छात्रों को, उसके बी.काम पाठ्यक्रम के अधीन कतिपय विषयों में छूट प्रदान करेगा । यह पहल, विश्वविद्यालय से बी.काम पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को कतिपय विषयों के अनावश्यक दोहराव से बचने का फायदा प्रदान करेगी । छात्रों के पास व्यवहारिक परीक्षण और वृत्ति की अच्छाईयों को अर्जित करने के लिए अधिक समय होगा ।

10.15 छात्र आदान-प्रदान स्कीम

आईसीएएन के 8 छात्रों और आईसीएएसएल के 12 छात्रों ने भारत का दौरा किया और 23-24 जून, 2007 को अहमदाबाद में एसएएफए छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लिया । आईसीएएन के 10 छात्रों ने भारत का दौरा किया और 6-7 जुलाई, 2007 को बड़ौदा में एसएएफए छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लिया । 14-21 मार्च, 2007 के दौरान, संस्थान के 13 छात्रों ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थान के तत्वावधान में आयोजित एसएएफए छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लिए ।

आईसीएपी के 7 छात्रों, आईसीएएसएल के 17 छात्रों, आईसीएबी के 1 छात्र ने भारत का दौरा किया और 23 अगस्त, 2006 - 1 सितंबर, 2006 के दौरान नई दिल्ली और चैन्नई में आयोजित एसएएफए छात्र आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लिया ।

10.16 चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स छात्र संघ की शाखाएं

सहकर्मी की भावना विकसित करने और सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक और बौद्धिक विकास आदि के संवर्धन में चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम के छात्रों को सक्रिय रूप से लगाने की दृष्टि से आईसीएआई हमेशा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स छात्र संघ की शाखाएं खोलने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित

करता रहा है । इस प्रक्रिया में, अब तक छात्र संघों की 47 शाखाएं (क्षेत्रीय कार्यालयों की 5 संघों सहित) पहले ही स्थापित हो चुकी हैं ।

10.17 सीए पाठ्यक्रम को पीएच.डी कार्यक्रम के लिए मान्यता

विभिन्न विश्वविद्यालय से निरंतर संपर्क करने के बाद शिक्षा बोर्ड पीएचडी/फैलो कार्यक्रम के प्रयोजन के लिए 4 भारतीय प्रबंध संस्थानों और भारतीय विश्वविद्यालय के संघ के अलावा 78 विश्वविद्यालयों से सीए पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्राप्त करने में सफल रहा है ।

10.18 संयुक्त संगोष्ठियां/केरियर काउंसेलिंग

वर्ष के दौरान, अनेक विश्वविद्यालयों के समन्वयन से 10 संयुक्त संगोष्ठियां आयोजित की गई थी । भारत में विभिन्न स्थानों पर छात्र समुदाय के साथ परस्पर क्रिया के लिए 79 केरियर परामर्शी मेले/कार्यक्रम आयोजित किए गए थे ।

10.19 एस. वैद्यनाथ अय्यर स्मारक निधि

31 मार्च, 2007 को समाप्त वर्ष के दौरान, 500 रुपए प्रतिमास के मूल्य की 60 छात्रवृत्तियां, चार्टर्ड एकाउंटेंसी पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को दी गई । निधि की सदस्यता 31 मार्च, 2006 को 705 के मुकाबले 31 मार्च, 2007 को 1251 थी । निधि के पास जमा शेष 31 मार्च, 2006 को 8,80,678 रुपए के मुकाबले 31 मार्च, 2007 को 9,94,197 रुपए थी ।

11 प्रादेशिक परिषद् और उनकी शाखाएं

11.1 संस्थान की पांच प्रादेशिक परिषदें हैं अर्थात् पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद्, दक्षिणी भारत प्रादेशिक परिषद्, पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद्, मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् और उत्तरी भारत प्रादेशिक परिषद् जिनके मुख्यालय क्रमशः मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में हैं ।

11.1.1 प्रादेशिक परिषदों की शाखाओं की कुल संख्या 114 है ।

11.1.2 इस समय, भारत के बाहर संस्थान के चेप्टरों की कुल संख्या 18 है ।

11.1.3 इस समय, पूरे भारत में संदर्भ पुस्तकालयों की कुल संख्या 34 हैं ।

11.2 शाखाओं के लिए भवन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान प्रादेशिक परिषदों की अनेक शाखाएं अपने निजी परिसर बनाने में रूचि दिखाती रही हैं । कुछ मिलाकर 63 शाखाओं के अपने भवन हैं ।

11.3 चल शील्ड

संस्थान सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद् को हर वर्ष चल शील्ड प्रदान करता है । पुरस्कार सम्पूर्ण कार्यों को देखकर दिया जाता है । इसी प्रकार हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ शाखा को एक पृथक चल शील्ड प्रदान की जाती है । पुरस्कार स्थापित सिद्धांतों के आधार पर दिया जाता है । अखिल भारतीय आधार पर सर्वश्रेष्ठ सीए छात्र संघ को और प्रादेशिक आधार पर छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा को चल शील्ड वर्ष 1999 से चलाई गई है । 2006 के लिए यह शील्डें 4 फरवरी, 2007 को आयोजित वार्षिक समारोह में निम्नलिखित विजेताओं को दी गई थी :-

- सर्वश्रेष्ठ प्रादेशिक परिषद् — पश्चिमी भारत प्रादेशिक परिषद् और पूर्वी भारत प्रादेशिक परिषद् को संयुक्त रूप से।
- प्रादेशिक परिषद् की सर्वश्रेष्ठ

शाखा

- लघु आकार शाखा प्रवर्ग — मध्य भारत प्रादेशिक परिषद् की भिलाई शाखा
- मध्यम आकार शाखा प्रवर्ग — एसआईआरसी की त्रिवेंद्रम शाखा
- बड़ी शाखा प्रवर्ग — डब्ल्यूआईआरसी की बड़ौदा शाखा

➢ सर्वश्रेष्ठ छात्र संघ — पश्चिम भारत चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स छात्र संघ

➢ छात्र संघ की सर्वश्रेष्ठ शाखा

पश्चिमी क्षेत्र — डब्ल्यूआईसीएएसए की बड़ौदा शाखा

दक्षिणी क्षेत्र — एसआईसीएएसए की एर्नाकुलम शाखा

मध्य क्षेत्र — सीआईसीएएसए की जयपुर शाखा

उत्तम कार्य प्रदर्शन को देखते हुए निम्नलिखित शाखाओं को अलग से क्रमशः प्रशंसनीय कार्य के लिए प्रमाण पत्र दिए गए थे :-

➢ लघु आकार शाखा प्रवर्ग

- एसआईआरसी की उडूपी शाखा
- एसआईआरसी की पालघाट शाखा
- एसआईआरसी की हुबली शाखा
- सीआईआरसी की धनबाद शाखा

➢ मध्यम आकार शाखा प्रवर्ग

- सीआईआरसी की भोपाल शाखा
- सीआईआरसी की गाजियाबाद शाखा

➢ बड़ी शाखा प्रवर्ग

- सीआईआरसी की जयपुर शाखा

11.4 नए विकेन्द्रीकृत कार्यालय

तुरंत तथा व्यक्तिपरक सेवा के महत्व को मानते हुए, जो विकेन्द्रीकरण के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं, आईसीएआई की परिषद् मुम्बई, चैन्नई, कोलकाता, कानपुर और नई दिल्ली में पहले से कार्यरत विकेन्द्रीकृत कार्यालयों के अलावा, दक्षिणी क्षेत्र में बंगलौर और हैदराबाद में, पश्चिमी क्षेत्र में अहमदाबाद और पुणे में और मध्य क्षेत्र में जयपुर में पांच और विकेन्द्रीकृत कार्यालय पहले ही खोल चुकी है । प्रादेशिक स्तर पर कार्य/गतिविधियों की वृद्धि पर विचार करते हुए, नागपुर, सूरत और बदोदरा (पश्चिमी क्षेत्र) एर्नाकुलम और कोयम्बटूर (दक्षिणी क्षेत्र), इन्दौर (मध्य क्षेत्र) और चंडीगढ़ (उत्तरी क्षेत्र) में सात और विकेन्द्रीकृत कार्यालय स्थापित किए गए हैं ।

12. वित्त और लेखा

31 मार्च, 2007 को यथाविद्यमान तुलन पत्र और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के आय-व्यय का लेखा जो परिषद् द्वारा अनुमोदित है, संलग्न हैं ।

13. प्रशंसा

13.1 परिषद् व्यवसाय के उन सदस्यों की आभारी है जिन्होंने संस्थान की समितियों पर सहयोजित सदस्य के रूप में कार्य किया है और उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती है, जो व्यवसाय के सदस्य नहीं हैं लेकिन जिन्होंने परिषद् के शैक्षिक, तकनीकी, अन्य विकास क्रियाकलापों में और उसकी परीक्षाओं के संचालन में वर्ष 2006-2007 के दौरान परिषद् की सहायता की ।

13.2 परिषद् की हार्दिक कामना है कि वर्ष 2006-2007 में केन्द्रीय सरकार और परिषद् में उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा दी गई निरंतर सहायता और समर्थन की प्रशंसा अभिलेख पर अंकित की जाए ।

13.3 परिषद् उन गणमान्य व्यक्तियों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करती है जिन्होंने आईसीएआई के अनेक कार्यक्रमों में भाग लेकर उनकी शोभा बढ़ाई । परिषद् राज्य स्तर पर अनेक कृत्यकारियों के प्रति भी अपना आभार प्रकट करती है जिन्होंने आईसीएआई के अंगों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की शोभा बढ़ाई ।

13.4 परिषद् आईसीएआई द्वारा की गई अनेक गतिविधियों में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा दिखाई गई गहन रूचि और की गई पहल के अनुसरण में उनके द्वारा पहले ही उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों की प्रशंसा करती है ।

13.5 संस्थान के सभी अधिकारी और कर्मचारी वर्ष 2006-2007 के दौरान अपने निष्ठापूर्ण और अनथक प्रयासों के लिए परिषद् द्वारा प्रशंसनीय है ।

आंकड़े एक नजर में

सदस्य (1.4.1997 से)

सारणी - 1

वर्ष (को यथाविद्यमान)		पश्चिमी क्षेत्र	दक्षिणी क्षेत्र	पूर्वी क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	उत्तरी क्षेत्र	योग
1.4.1997	सहयुक्त	14649	11013	4906	3972	6971	41511
	अध्येता	11042	8975	4369	4560	8049	36995
	योग	25691	19988	9275	8532	15020	78506
1.4.1998	सहयुक्त	16160	11564	5187	4351	7406	44668
	अध्येता	11501	9420	4558	4909	8733	39121
	योग	27661	20984	9745	9260	16139	83789
1.4.1999	सहयुक्त	17935	12515	5562	4875	8001	48888
	अध्येता	12038	9942	4779	5345	9374	41478
	योग	29968	22457	10341	10220	17375	90366

1.4.2000	सहयुक्त	17771	13023	5807	5057	8411	50069
	अध्येता	12200	10369	4941	5617	9784	42911
	योग	29971	23392	10748	10674	18195	92980
1.4.2001	सहयुक्त	19243	12915	5732	5215	8498	51603
	अध्येता	12868	10749	5077	5995	10100	44789
	योग	32111	23664	10809	11210	18598	96392
1.4.2002	सहयुक्त	20771	13456	5872	5493	9074	54666
	अध्येता	13540	11248	5296	6400	10580	47064
	योग	34311	24704	11168	11893	19654	101730
1.4.2003	सहयुक्त	23194	14446	6374	6318	10287	60619
	अध्येता	14279	11742	5572	6909	11135	49637
	योग	37473	26188	11946	13227	21422	110256
1.4.2004	सहयुक्त	24515	14943	6515	6714	10697	63384
	अध्येता	15091	12377	5836	7557	11846	52707
	योग	39606	27320	12351	14271	22543	116091
1.4.2005	सहयुक्त	26351	15724	6785	7552	11640	68052
	अध्येता	15834	12969	6146	8207	12338	55494
	योग	42185	28693	12931	15759	23978	123546
1.4.2006	सहयुक्त	28528	16700	7172	8480	12898	73778
	अध्येता	16385	13358	6313	8539	12573	57168
	योग	44913	30058	13485	17019	25471	130946
1.4.2007	सहयुक्त	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	अध्येता	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	योग	48055	31883	14317	18524	27062	139841

सदस्य (1.4.1950 से)

सारणी 2

	1.4.1950 को	1.4.1951 को	1.4.1961 को	1.4.1971 को	1.4.1981 को	1.4.1991 को	1.4.2001 को
अध्येता	569	672	1,590	3,326	8,642	22,136	44,789

सहयुक्त	1,120	1,285	4,059	7,901	16,796	36,862	51,603
योग	1,689	1,957	5,649	11,227	25,438	58,998	96,392

	1.4.2002 को	1.4.2003 को	1.4.2004 को	1.4.2005 को	1.4.2006 को	1.4.2007 को
अध्येता	47064	49637	52707	55494	57168	58792
सहयुक्त	54666	60619	63384	68052	73778	81049
योग	101730	110256	116091	123546	130946	139841

छात्र रजिस्ट्रीकरण प्रोफाइल (31.3.1996 से)

	वर्ष 1995-96 के दौरान	वर्ष 1996-97 के दौरान	वर्ष 1997-98 के दौरान	वर्ष 1998-99 के दौरान	वर्ष 1999-2000 के दौरान	वर्ष 2000-01 के दौरान	वर्ष 2001-02 के दौरान
फाउंडेशन/पीई (पाठ्यक्रम-I)	29,015	28,209	37,052	43,809	44,180	35,999	34,215*
इंटरमीडिएट/पीई (पाठ्यक्रम-II)	19,288	21,354	24,652	28,253	27,508	23,405	29,403**
फाइनल	8,675	9,275	9,394	12,227	10,787	9,026	11,524
योग	56,978	58,838	71,098	84,289	82,475	68,430	75,142

वर्ष	पीई (पाठ्यक्रम-I)	पीई (पाठ्यक्रम-II)	फाइनल	13.9.2006 से सीपीटी	13.9.2006 से पीसीसी	योग
2002-2003	35,524	33,283	11,102	--	--	79,909
2003-2004	38,188	34,232	11,390	--	--	83,810
2004-2005	39,000	34,190	11,061	--	--	84,251
2005-2006	38,901	39,467	13,010	--	--	91,378

2006-2007	45,617	32,339	11,838	1,29,110	24,041	2,42,945

* इसमें 1.10.2001 से 31.3.2002 तक पीई (पाठ्यक्रम-I) में रजिस्ट्रीकृत छात्र सम्मिलित हैं : 5006

** इसमें 1.10.2001 से 31.3.2002 तक पीई (पाठ्यक्रम-II) में रजिस्ट्रीकृत छात्र सम्मिलित हैं : 11848

बीसवीं परिषद् (2007-08) की संरचना

अध्यक्ष	:	सीए सुनील एच. तलाटी, एफसीए
उपाध्यक्ष	:	सीए वेद जैन, एफसीए
अवधि	:	5 फरवरी, 2007 से
सचिव	:	डॉ. अशोक हल्दिया

बीसवीं परिषद् (2007-08) के सदस्य

निर्वाचित सदस्य

सीए अभिजीत बंध्योपाध्याय	कोलकाता
सीए अक्षय कुमार गुप्ता	कानपुर
सीए अमरजीत चोपड़ा	नई दिल्ली
सीए अनुज गोयल	गाजियाबाद
सीए अतुल चुन्नीलाल भेडा	मुंबई
सीए भावना दोषी	मुंबई
सीए चरणजोत सिंह नन्दा	नई दिल्ली
सीए जी रामास्वामी	कोयम्बटूर
सीए हरिन्दरजीत सिंह	नई दिल्ली
सीए जे. वेंकटेश्वरलू	हैदराबाद
सीए जयंत गोखले	मुम्बई
सीए जयदीप नरेन्द्र शाह	नागपुर
सीए के. रघु	बैंगलोर
सीए के.पी.खण्डेलवाल	कोलकाता
सीए महेश पी. शारदा	जामनगर
सीए मनोज फड़नीस	इन्दौर

सीए पंकज इन्द्रचंद जैन	मुम्बई
सीए प्रीति प्रदीप महात्मे	गोवा
सीए राजकुमार एस. अदुकिया	मुम्बई
सीए एस. गोपालाकृष्णन्	हैदराबाद
सीए एस संथानाकृष्णन्	चैन्नई
सीए संजीव महेश्वरी	मुंबई
सीए शांति लाल डागा	हैदराबाद
सीए सुबोध कुमार अग्रवाल	कोलकाता
सीए सुनील एच. तलाटी	अहमदाबाद
सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल	मुम्बई
सीए वी.मुरली	चैन्नई
सीए वी.सी.जेम्स	कोच्ची
सीए वेद जैन	नई दिल्ली
सीए विजय गर्ग	जयपुर
सीए विजय कुमार गुप्ता	फरीदाबाद
सीए विनोद जैन	नई दिल्ली

नामनिर्दिष्ट सदस्य

श्री ए.के. अवस्थी	नई दिल्ली
श्री अनिल के. अग्रवाल	नई दिल्ली
श्री जितेश खोसला	नई दिल्ली
श्री के.आर. महेश्वरी	जयपुर
श्री मनोज के. सरकार	कोलकाता
श्री ओ.पी.वैश	नई दिल्ली
डा. प्रीतम सिंह	गुड़गांव
श्री आर. सेकर	नई दिल्ली

संपरीक्षक

सीए मनु चड्ढा, एफसीए	नई दिल्ली
सीए गुरमीत एस. ग्रेवाल, एफसीए	नई दिल्ली

उन्नीसवीं परिषद् (2006-07) की संरचना

अध्यक्ष	:	सीए टी.एन. मनोहरन, एफसीए
उपाध्यक्ष	:	सीए सुनील एच. तलाटी, एफसीए
अवधि	:	4 फरवरी, 2007 तक
सचिव	:	डॉ. अशोक हल्दिया

उन्नीसवीं परिषद् (2006-07) के सदस्य

निर्वाचित सदस्य

सीए अभिजीत बंध्योपाध्याय	कोलकाता
सीए अमरजीत चोपड़ा	नई दिल्ली
सीए अनुज गोयल	गाजियाबाद
सीए चरणजोत सिंह नन्दा	नई दिल्ली
सीए जी रामास्वामी	कोयम्बटूर
सीए हरिन्दरजीत सिंह	नई दिल्ली
सीए हरीश नरेन्द्र मोतीवाला	मुम्बई
सीए जयंत गोखले	मुम्बई
सीए जयदीप नरेन्द्र शाह	नागपुर
सीए के.पी.खण्डेलवाल	कोलकाता
सीए कमलेश शिवजी विकामसे	मुम्बई
सीए मनोज फड़नीस	इन्दौर
सीए पंकज इन्द्रचंद जैन	मुम्बई
सीए राजकुमार एस. अदुकिया	मुम्बई
सीए एस. गोपालाकृष्णन्	हैदराबाद
सीए एस संथानाकृष्णन्	चैन्नई
सीए एस.सी.वासुदेवा	नई दिल्ली
सीए शांति लाल डागा	हैदराबाद
सीए सुनील गोयल	जयपुर
सीए सुनील एच. तलाटी	अहमदाबाद
सीए टी.एन.मनोहरन	चैन्नई

सीए उत्तम प्रकाश अग्रवाल	मुम्बई
सीए वी.मुरली	चैन्नई
सीए वेद जैन	नई दिल्ली

नामनिर्दिष्ट सदस्य

श्रीमती अनिता कपूर	नई दिल्ली
श्री जितेश खोसला	नई दिल्ली
सीए के.सी पराशर	जोधपुर
सीए पवन कुमार शर्मा	गुवाहाटी
श्री सिद्धार्थ कुमार बिरला	नई दिल्ली
श्री सुनील चन्द्र	नई दिल्ली

संपरीक्षक

सीए शशि कुमार, एफसीए	नई दिल्ली
सीए मनु चड्ढा, एफसीए	नई दिल्ली

संपरीक्षक की परिषद् को रिपोर्ट

1. हमने भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान का 31 मार्च, 2007 को यथा विद्यमान संलग्न तुलनपत्र और उस तारीख को विद्यमान संलग्न आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण संपरीक्षित किए हैं । अन्य संपरीक्षकों द्वारा संपरीक्षित संस्थान के विकेन्द्रीकृत कार्यालयों, कंप्यूटर केन्द्रों, क्षेत्रीय परिषदों और उनकी शाखाओं के लेखाओं को सम्मिलित किया गया है एवं हमारी रिपोर्ट तैयार करते समय उनकी रिपोर्टों पर सम्यक्तः विचार किया गया है । एक शाखा के संपरीक्षित लेखाओं की अनुपस्थिति में (अनुसूची 13 का टिप्पण सं. 2.5 निर्दिष्ट करें), उसके असंपरीक्षित लेखा सम्मिलित किए गए हैं । ये वित्तीय विवरण, संस्थान के प्रबंध मंडल का दायित्व हैं । हमारा दायित्व अपनी संपरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है ।

2. हमने भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार संपरीक्षा की है । इन मानकों द्वारा यह अपेक्षित है कि हम इस बाबत युक्तियुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए संपरीक्षा योजना बनाएं और अनुपालन दें कि क्या वित्तीय विवरण किसी तात्विक गलत कथन से मुक्त हैं । संपरीक्षा में, वित्तीय विवरणों में रकमों और प्रकटनों का समर्थन करने वाले साक्ष्य की परीक्षण आधारित जांच करना है । संपरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन सिद्धांतों का निर्धारण और प्रबंध मंडल द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन तथा संपूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन भी सम्मिलित है । हमारा यह विश्वास है कि हमारी संपरीक्षा हमारी राय के लिए युक्तियुक्त आधार प्रदान करती है ।

हमारी यह भी रिपोर्ट है कि :-

(क) हमने ऐसी सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में हमारी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे ;

(ख) इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा और नकद प्रवाह विवरण, खाता बहियों के अनुसार हैं ;

(ग) हमारी राय में चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की अपेक्षाओं के अनुपालन में समुचित खाता बहियां रखी गई हैं ;

(घ) हमारी राय में, तुलन पत्र, आय और व्यय लेखा तथा नकद प्रवाह विवरण सुसंगत लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं ;

(ङ) हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार लेखांकन सिद्धांतों के साथ पठित उपाबद्ध अनुसूचियों और साथ ही विवरण और लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण भारत में साधारणतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुपालन में, निम्नलिखित के संबंध में एक सत्य और उचित मत प्रदान करते हैं :

(i) तुलन पत्र के मामले में, 31 मार्च, 2007 को संस्थान के मामलों की स्थिति की ;

(ii) आय और व्यय लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अधिशेष की ; और

(iii) नकद प्रवाह विवरण के मामले में उस तारीख को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए नकद प्रवाह की ।

ह/-
सीए मनु चड्ढा
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-80996

ह/-
सीए गुरमीत एस. ग्रेवाल
चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-82918

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.8. 2007

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31 मार्च, 2007 को यथाविद्यमान तुलन पत्र

लाख रू. में

	अनुसूची		31.3.2007 को रकम		31.3.2006 को रकम
निधियों के स्रोत :					
आरक्षितियां और अधिशेष	I		13290.22		10613.02
उद्दिष्ट निधियां	II		7116.10		5506.82
योग			20406.32		16119.84
निधियों का उपयोजन :					
नियत आस्तियां :					
सकल ब्लॉक	III	10676.96		9350.45	
घटाएं : अवक्षयण और परिशोधन		3554.08		2963.39	
शुद्ध ब्लॉक			7122.88		6387.06
चालू पूंजी संकर्म (पूंजी अंग्रिमों सहित)			414.05		420.18
निवेश :	IV				
उद्दिष्ट निधि निवेश		7116.10		5506.82	
अन्य निवेश		6514.98	13631.08	4991.10	10497.92
चालू आस्तियां, ऋण और अग्रिम :					
निवेशों पर प्रोदभूत ब्याज		1249.35		748.37	
वस्तु-सूचियां	V	385.48		271.89	
नकद और बैंक अतिशेष		1513.37		752.65	
ऋण और अग्रिम	VI	1207.34		1120.91	
प्राप्य लेखा	VII	202.73		153.85	
कुल योग		4558.27		3047.67	
घटाएं : चालू दायित्व और प्रावधान					
चालू दायित्व	VIII	5173.09		4088.22	
उपदान के मद्दे दायित्व के लिए प्रावधान		146.87		144.77	
कुल योग		5319.96		4232.99	
शुद्ध चालू आस्तियां			(761.69)		(1185.32)
योग			20406.32		16119.84
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण	XII				
लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण	XIII				

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं ।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
सीए दीपक दीक्षित	सीए अशोक हल्दिया	सीए वेद कुमार जैन	सीए सुनील एच तलाती
ज्येष्ठ संयुक्त सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी संलग्न सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

ह/-	ह/-
सीए गुरमीत एस. ग्रेवाल	सीए मनु चडढा
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-82918	सदस्यता सं.-80996

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.8.07

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान
31.3.2007 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय और व्यय लेखा

लाख रू. में

	अनुसूची	रकम 31.3.2007 को समाप्त वर्ष	रकम 31.3.2006 को समाप्त वर्ष
आय :			
फीस	IX	11425.33	8696.62
संगोष्ठियां		1179.32	1392.53
अन्य आय	X	1936.11	1187.22
योग		14540.76	11276.37
व्यय :			
वेतन और भत्ते		2095.93	1980.31
मुद्रण और लेखन सामग्री		2161.20	1424.71
संगोष्ठी संबंधी व्यय		1075.85	1265.76
निर्वाचन व्यय		193.14	-
अन्य प्रचालन व्यय	XI	4907.01	3744.13
अवक्षयण और परिशोधन		616.00	555.55
योग		11049.13	8970.46
शुद्ध आधिक्य		3491.63	2305.91
निधियों/आरक्षितियों को विनियोग :			
शिक्षा निधि [पॉलिसी सं.3 (ग)]	XII	1491.66	895.45
कर्मचारी कल्याण निधि [पॉलिसी सं.3(घ)]	XII	10.58	10.19
साधारण आरक्षिती		1989.39	1400.27
योग		3491.63	2305.91
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का विवरण	XII		
लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण	XIII		

ऊपर निर्दिष्ट अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न भाग हैं ।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
सीए दीपक दीक्षित	सीए अशोक कल्दिया	सीए वेद कुमार जैन	सीए सुनील एच तलाती
ज्येष्ठ संयुक्त सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी संलग्न सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

ह/-	ह/-
सीए गुरमीत एस. ग्रेवाल	सीए मनु चडढा
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-82918	सदस्यता सं.-80996

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.8.07

31 मार्च, 2007 को समाप्त हुए वर्ष के नकद प्रवाह विवरण				
	(रकम लाख रुपए में)			
	2006-2007		2005-2006	
क. क्रियात्मक गतिविधियों से नकद प्रवाह				
शुद्ध अतिशेष		**3491.63**		2305.91
निम्न के लिए समायोजन :				
अवक्षयण और परिशोधन	616.00		555.55	
निवेश पर ब्याज	(529.46)		(234.75)	
		86.54		320.80
कार्य पूंजी के परिवर्तन के पूर्व क्रियात्मक अधिशेष		**3578.17**		2626.71
वस्तु सूची में (वृद्धि)/कमी	(113.59)		15.36	
निवेश पर प्रोद्भूत ब्याज में वृद्धि	(500.98)		(30.79)	
प्राप्य लेखा में वृद्धि	(48.88)		(55.37)	
ऋण और अग्रिमों में (वृद्धि)/कमी	(86.43)		9.65	
चालू दायित्वों में वृद्धि	1084.87		507.22	
उपदान निधि के उपबंध में वृद्धि/(कमी)	2.10		(10.43)	
		337.09		435.64
क्रियात्मक गतिविधियों से शुद्ध नकद		**3915.26**		3062.35
ख. निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह				
चालू पूंजी संकर्म सहित नियत आस्तियों का अर्जन (शुद्ध)	(1345.69)		(1289.17)	
निवेशों का अर्जन	(3133.16)		(2528.99)	
निवेशों पर ब्याज	529.46		234.75	
उद्दिष्ट निधि निवेशों से आय (संदायों का शुद्ध)	336.77		358.32	
पूंजी प्राप्तियां	458.08		294.61	
निवेश गतिविधियों से शुद्ध नकद		(3154.54)		(2930.48)
नकद और नकद समतुल्यों में शुद्ध वृद्धि/कमी		760.72		131.87
वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य		752.65		620.78
वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य		**1513.37**		752.65

टिप्पण :

1. उपरोक्त नकद प्रवाह विवरण को आईसीएआई द्वारा जारी एएस-3 में विहित अप्रत्यक्ष पद्धति का उपयोग करते हुए तैयार किया गया है ।
2. संलग्न अनुसूची I से XIII नकद प्रवाह विवरण का अभिन्न भाग हैं ।

ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
सीए दीपक दीक्षित	सीए अशोक हल्दिया	सीए वेद कुमार जैन	सीए सुनील एच तलाती
ज्येष्ठ संयुक्त सचिव	सचिव	उपाध्यक्ष	अध्यक्ष

हमारी संलग्न सम तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

ह/-	ह/-
सीए गुरमीत एस. ग्रेवाल	सीए मनु चडढा
चार्टर्ड एकाउंटेंट	चार्टर्ड एकाउंटेंट
सदस्यता सं.-82918	सदस्यता सं.-80996

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 30.8.07

4031 GI/07—12

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची I
आरक्षितियां और अधिशेष

लाख रुपए में

	पूंजी आरक्षितियां				अन्य आरक्षितियां				योग	
	शिक्षा निम्नलिखित तारीख को रकम		साधारण निम्नलिखित तारीख को रकम		साधारण निम्नलिखित तारीख को रकम		अन्य * निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम	
	31.03.2007	**31.03.2006**	**31.03.2007**	**31.03.2006**	**31.03.2007**	**31.03.2006**	**31.03.2007**	**31.03.2006**	**31.03.2007**	**31.03.2006**
प्रारंभिक अतिशेष	**4866.09**	3021.27	**1311.86**	1203.42	**4309.57**	3002.01	**125.50**	99.11	**10613.02**	7325.81
आय और व्यय लेखा से विनियोग	-	-	-	-	**1989.39**	1400.27	-	-	**1989.39**	1400.27
अन्य आरक्षितियों और पूंजी आरक्षितियों से/(को) अंतरण	-	-	**21.30**	8.01	**(53.02)**	(31.50)	**31.72**	23.49	-	-
उद्दिष्ट निधियों से/(को) अंतरण	**663.26**	1844.82	-	14.95	**(107.40)**	(61.21)	**(0.39)**	2.32	**555.47**	1800.88
दाखिला फीसें और आबंटित प्रवेश फीसें	-	-	**24.77**	23.10	-	-	-	-	**24.77**	23.10
भवन के लिए प्राप्त संदान	-	-	**107.97**	62.38	-	-	-	-	**107.97**	62.38
शुद्ध (कमी)/परिवृद्धियां	-	-	-	-	-	-	**(0.40)**	0.58	**(0.40)**	0.58
योग	**5529.35**	4866.09	**1465.90**	1311.86	**6138.54**	4309.57	**156.43**	125.50	**13290.22**	10613.02

टिप्पण : अन्य आरक्षितियां ऐसी आरक्षितियां हैं जैसे कि पुस्तकालय आरक्षितियां और शिक्षण कक्षाएं आरक्षितियां, जैसी कि वे क्षेत्रीय परिषदों और शाखों की बहियों में विद्यमान हैं ।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची II
उद्दिष्ट निधियां

लाख रुपए में

	प्रारंभिक अतिशेष		आय और व्यय लेखा से विनियोग		आरक्षितियों और अधिशेष से/(को) अंतरण		वर्ष के दौरान प्राप्त अंशदान/ परिवृद्धि		वर्ष के दौरान आय		वर्ष के दौरान संदाय		समायोजन		योग	
	निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम		निम्नलिखित तारीख को रकम	
	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006
अनुसंधान निधियां	574.85	523.66	-	-	1.72	1.48	106.14	7.01	48.28	42.70	-	-	-		730.99	574.85
लेखांकन अनुसंधान प्रतिष्ठान और भवन निधि	300.50	277.67	-	-	-		-	-	25.27	22.83	-	-	-	-	325.77	300.50
शिक्षा निधि	2384.82	3080.94	1491.66	895.45	(663.26)	(1844.82)	-	-	200.56	253.25	-	-	-	-	3413.78	2384.82
मेडल और पुरस्कार निधि	103.69	90.85	-	-	1.23	6.09	17.75	2.97	7.03	6.71	(2.68)	(2.93)	(0.38)		126.64	103.69
छात्रों की छात्रवृत्ति निधि	35.96	28.18	-	-	-	-	0.25	5.99	3.02	2.32	(0.77)	(0.53)	-	-	38.46	35.96
पेंशन निधि	1168.90	1033.32	-	-	-	-	14.38	105.15	98.30	84.94	(56.96)	(54.51)	-	-	1224.62	1168.90
छुट्टी नकदीकरण निधि	463.43	411.49	-	-	-	-	131.31	54.90	38.97	33.82	(36.76)	(36.78)	-	-	596.95	463.43
कर्मचारी कल्याणकारी निधि	89.93	73.68	10.58	10.19	-	-	-	-	7.56	6.06	(1.25)	-	-	-	106.82	89.93
अन्य निधियां (क्षेत्रीय परिषदें और शाखाएं)	384.74	315.40	-	-	104.84	36.37	55.91	32.53	19.88	17.89	(13.30)	(17.45)	-		552.07	384.74
योग	5506.82	5835.19	1502.24	905.64	(555.47)	(1800.88)	325.74	208.55	448.87	470.52	(111.72)	(112.20)	(0.38)	-	7116.10	5506.82

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची III
नियत आस्तियां

लाख रुपए में

आस्तियां	सकल ब्लॉक				अवक्षयण और परिशोधन ब्लॉक				शुद्ध ब्लॉक	
	1.4.2006 को लागत	वर्ष के दौरान परिवृद्धियां	समायोजन/ अंतरण/ विक्रय	31.3.2007 को लागत	1.4.2006 तक	वर्ष के लिए	समायोजन/ अंतरण/ विक्रय	31.3.2007 तक	31.3.2007 को डब्ल्यू. डी. वी	31.3.2006 को डब्ल्यू. डी. वी
क. मूर्त आस्तियां										
1. भूमि - पूर्ण स्वामित्व	407.61	184.29		**591.90**	0.00			**0.00**	**591.90**	407.61
2. भूमि - पट्टाधृत	3153.21	7.26	0.04	**3160.51**	60.88	38.40		**99.28**	**3061.23**	3092.33
3. भवन	2060.79	341.36		**2402.15**	508.75	85.47		**594.22**	**1807.93**	1552.04
4. विद्युतीय संस्थापन और फिटिंग	269.37	38.63	5.19	**313.19**	113.38	17.53	0.52	**131.43**	**181.76**	155.99
5. कंप्यूटर्स	1202.71	295.41	(18.01)	**1480.11**	1015.30	188.28	(17.40)	**1186.18**	**293.93**	187.41
6. वातानुकूलन	340.60	82.41	(0.06)	**422.95**	136.95	37.87	(0.03)	**174.79**	**248.16**	203.65
7. फर्नीचर और फिक्सचर्स	720.23	156.91	(3.60)	**873.54**	275.27	52.18	(2.16)	**325.29**	**548.25**	444.96
8. लिफटें	101.65			**101.65**	37.06	6.46		**43.52**	**58.13**	64.59
9. कार्यालय उपस्कर	390.30	54.34	(8.77)	**435.87**	212.76	30.27	(2.77)	**240.26**	**195.61**	177.54
10. वाहन	47.23	5.51	(5.50)	**47.24**	21.05	6.06	(3.36)	**23.75**	**23.49**	26.18
11. पुस्तकालय पुस्तकें	352.53	45.01	(0.11)	**397.43**	352.53	45.01	(0.11)	**397.43**	**0.00**	0.00
ख. अमूर्त आस्तियां										
साफ्टवेयर	304.22	146.20		**450.42**	229.46	108.47		**337.93**	**112.49**	74.76
योग	9350.45	1357.33	(30.82)	**10676.96**	2963.39	616.00	(25.31)	**3554.08**	**7122.88**	6387.06
पूर्व वर्ष के आंकड़े	5661.71	3694.95	(6.21)	9350.45	2408.74	555.55	(0.90)	2963.39	6387.06	

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची IV
निवेश

लाख रुपए में

		रकम	रकम
		31-03-2007 को	31-03-2006 को
क. दीर्घकालीन निवेश (लागत पर)			
(i) भारत सरकार - 8% (करधेय) बॉंड - 2003		4750.00	4750.00
(ii) अनुसूचित बैंकों में, सावधि निवेश		1802.00	2556.85
ख. चालू निवेश			
अनुसूचित बैंकों में, सावधि निवेश		7079.08	3191.07
	कुल निवेश	13631.08	10497.92
निम्नलिखित को आबंटित :			
उद्दिष्ट निधि निवेश		7116.10	5506.82
अन्य निवेश		6514.98	4991.10
	योग	13631.08	10497.92

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची V
वस्तु सूची

लाख रुपए में

		रकम	रकम
		31.03.2007 को	31.03.2006 को
प्रकाशन और अध्ययन सामग्री		335.86	167.81
अध्ययन सामग्री और प्रकाशन के लिए कागज (मुद्रक के पास कागज के स्टॉक सहित - 17.82 लाख रु. पूर्व वर्ष में 75.68 लाख रु.)		20.79	75.86
लेखन सामग्री और अन्य मदें		28.83	28.22
	योग	385.48	271.89

अनुसूची VI
ऋण और अग्रिम (सुविचारित माल)

लाख रुपए में

		रकम	रकम
		31.03.2007 को	31.03.2006 को
ऋण और अग्रिम - कर्मचारिवृंद		243.99	227.23
कर्मचारिवृंद ऋण से वसूलनीय ब्याज		97.94	92.03
प्रतिभूति जमा		32.73	28.48
आईसीएआई लेखांकन अनुसंधान प्रतिष्ठान		599.78	565.48
अन्य - अग्रिम और पूर्व भुगतान		232.90	207.69
	योग	1207.34	1120.91

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची VII
प्राप्य लेखे

लाख रुपए में

		रकम		रकम
		31.03.2007 को		31.03.2006 को
अन्य प्राप्य		**202.73**		153.85
योग		**202.73**		153.85

अनुसूची VIII
चालू दायित्व

लाख रुपए में

		रकम		रकम
		31.03.2007 को		31.03.2006 को
अग्रिम में प्राप्त फीसें				
परीक्षा फीसें	**1312.17**		1298.11	
पत्रिका अभिदाय	**49.98**		20.05	
सदस्यता फीस	**426.02**		352.70	
दूर-शिक्षा फीस	**1779.52**		1193.20	
सूचना प्रणाली संपरीक्षा पाठ्यक्रम फीस	**95.70**		97.10	
बीमा और जोखिम प्रबंध पाठ्यक्रम	**10.23**		7.71	
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियां और डब्ल्यू टी ओ पाठ्यक्रम	**7.05**		6.25	
संगोष्ठी फीसें और अन्य संग्रहण	**106.17**	**3786.84**	90.53	3065.65
खर्चों के लिए क्रेडिटर्स		**997.35**		649.43
अन्य दायित्व		**388.90**		373.14
योग		**5173.09**		4088.22

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची IX
फीस

लाख रुपए में

	रकम	रकम
	3/31/2007 को समाप्त वर्ष	3/31/2006 को समाप्त वर्ष
दूर शिक्षा	5966.64	3581.80
परीक्षा	2739.92	2687.56
सदस्यता	1425.07	1376.27
सूचना प्रणाली संपरीक्षा पाठ्यक्रम	231.77	297.17
सामान्य प्रबंध कौशल पाठ्यक्रम	428.91	428.70
कोचिंग कक्षा आय (क्षेत्रीय परिषदें और शाखाएं)	301.90	228.40
बीमा और जोखिम प्रबंधन पाठ्यक्रम	17.94	24.60
छात्र पंजीकरण	171.57	34.88
सीएएटी पाठ्यक्रम	1.81	9.86
प्रवेश	10.50	9.02
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधियां और डब्ल्यू टीओ पाठ्यक्रम	13.30	9.65
छात्र संघ	116.00	8.71
योग	11425.33	8696.62

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची X
अन्य आय

लाख रुपए में

	रकम	रकम
	3/31/2007 को समाप्त वर्ष	3/31/2006 को समाप्त वर्ष
प्रकाशन	567.03	378.00
निवेशों पर ब्याज	529.46	234.75
छात्र-न्यूजलेटर	8.52	13.27
पत्रिका से आय-अभिदाय	179.82	119.42
न्यूजलेटर्स	53.89	56.06
कंप्यूटर केन्द्र	49.12	41.04
अनुशासनिक मामले फाइल करने की फीस	0.20	0.24
कैम्पस साक्षात्कार	355.62	188.40
विशेषज्ञ सलाहकार समिति फीस	5.25	11.85
कर्मचारिवृंद ऋण पर ब्याज	14.80	15.01
अब अनापेक्षित प्रावधान प्रतिलिखित	1.37	3.83
अन्य	156.81	117.19
पूर्व अवधि आय (अनुसूची XIII का टिप्पण 2.8 निर्दिष्ट करें)	14.22	8.16
योग	1936.11	1187.22

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची XI
अन्य क्रियात्मक व्यय

लाख रुपए में

	रकम	रकम
	3/31/2007 को समाप्त वर्ष	3/31/2006 **को समाप्त वर्ष**
डाक, टेलीफोन और तार	**735.50**	610.31
किराया, दर और कर	**400.37**	334.56
यात्रा और वाहन - अंतर्देशीय	**622.37**	580.76
विदेशी संबंध		
- यात्रा	**131.09**	85.92
- विदेशी वृत्तिक निकायों की सदस्यता फीस	**56.10**	53.73
- अन्य व्यय	**34.19**	9.58
मरम्मत और अनुरक्षण	**498.79**	256.50
प्रकाशन	**264.29**	192.30
परीक्षकों, परामर्शियों और अन्य को फीस और व्यय	**1115.21**	858.68
सामान्य प्रबंध और कौशल पाठ्यक्रम	**253.08**	260.40
कोचिंग कक्षा व्यय (क्षेत्रीय परिषदें और शाखाएं)	**164.75**	139.95
विज्ञापन	**220.45**	79.77
कार्यालय बैठक व्यय	**48.97**	42.44
कंप्यूटर केन्द्र	**21.75**	20.39
योग्यता वृत्ति	**6.75**	2.47
संपरीक्षा फीस		
- प्रधान कार्यालय	**3.37**	2.48
- अन्य कार्यालय	**8.96**	8.76
अन्य व्यय	**299.31**	192.52
पूर्व अवधि व्यय (अनुसूची XIII का टिप्पण 2.8 निर्दिष्ट करें)	**21.71**	12.61
योग	**4907.01**	3744.13

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची XII

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों पर विवरण

I. लेखांकन कन्वेनशन

लेखा ऐतिहासिक लागत आधार पर बनाए गए हैं और लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं तथा जब तक अन्यथा कथित न हो प्रोद्भवन आधार पर हैं ।

II. राजस्व मान्यता

क. सदस्यता फीस :-

(i) प्रवेश फीस, किसी व्यक्ति के सदस्य के रूप में प्रवेश के समय प्राप्त की जाती है और उसके एक तिहाई को आय के रूप में मान्यता दी गई है ।

(ii) वार्षिक सदस्यता तथा व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस जब वे देय हो जाएं, उसी वर्ष में मान्यता दी जाती है ।

ख. सदूर-शिक्षा और अर्हतोत्तर पाठ्यक्रम फीस को अनुदेशों की अवधि में मान्यता दी जाती है ।

ग. परीक्षा फीस को परीक्षा संचालन के आधार पर मान्यता दी जाती है ।

घ. जर्नल के लिए अभिदाय को उस वर्ष में मान्यता दी जाती है, जब वह देय हो जाए ।

ङ. प्रकाशन के विक्रय से राजस्व को, क्रेता को परिदत्त प्रकाशनों के विक्रय मूल्य के आधार पर मान्यता दी जाती है ।

च. निवेशों से आय-

(i) यूनिटों में निवेश पर लाभांश को प्राप्त करने की हकदारी के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती हैं ।

(ii) ब्याज धारित प्रतिभूतियों और सावधि जमा में ब्याज से आय को समय अनुपात आधार पर बाकी रकम और लागू दर को ध्यान में रखते हुए मान्यता दी जाती है ।

III. पूंजी आरक्षिति और उद्दिष्ट निधि को आबंटन/अंतरण

क. अध्येता सदस्यों से दाखिला फीस और सदस्यों के रूप में प्रविष्ट व्यक्तियों से प्रवेश शुल्क का 2/3 भाग सीधे पूंजी आरक्षिति में चला जाता है ।

ख. भवनों और अनुसंधान प्रयोजनों के लिए वर्ष के दौरान प्राप्त संदान सीधे अपने-अपने आरक्षिति लेखा में माने जाते हैं ।

ग. दूर-शिक्षा फीस का 25% जो वर्ष के शुद्ध अधिशेष के 50% से अधिक न हो, शिक्षा निधि में अंतरित किया जाता है ।

घ. वर्ष के दौरान सदस्यों से प्राप्त सदस्यता फीस का 0.75% (सहबद्ध और अध्येता तथा व्यवसाय प्रमाणपत्र फीस) कर्मचारी कल्याणकारी निधि में अंतरित किया जाता है ।

ङ. निम्नलिखित उद्दिष्ट निधियों में से पूंजीगत आरक्षिति (शिक्षा) को अंतरण

(i)	कंप्यूट्रीकरण निधि से	विकेन्द्रित कार्यालयों और प्रधान कार्यालय कंप्यूट्रीकरण परियोजना के संबंध में कंप्यूटरों तथा संबंधित उपसाधनों के क्रय की लागत का 100%
(ii)	लेखांकन अनुसंधान प्रतिष्ठान निधि से	लेखांकन अनुसंधान प्रतिष्ठान से संबंधित नियत आस्तियां और अन्य भवन की लागत का 100%
(iii)	शिक्षा निधि से	अन्य नियत आस्तियों की परिवृद्धि (कटौतियों के पश्चात् शुद्ध) का 50% ।

च. निवेशों से आय, भारित औसत पद्धति के आधार पर उद्दिष्ट निधियों को क्रमशः उद्दिष्ट निधियों के आरंभिक अतिशेष पर आबंटित की जाती है ।

IV. स्थिर आस्तियां/अवक्षयण और परिशोधन

क. भूमि छोड़कर नियत आस्तियां, अवक्षयण घटाकर ऐतिहासिक लागत पर वर्णित की जाती हैं ।

ख. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि लागत पर वर्णित की जाती है । पट्टाधृत भूमि, पट्टा अधिकार प्राप्त करने के लिए संदत्त प्रीमियम की रकम पर कथित होती है । इस प्रकार संदत्त प्रीमियम का परिशोधन पट्टे की अवधि में किया जाता है ।

ग. अवक्षयण, संबंधित आस्तियों के उपयोग जीवन के आधार पर परिषद द्वारा यथा अनुमोदित निम्नलिखित दरों से अवलिखित मूल्य पर प्रदान किया जाता है :-

भवन	5%
वातानुकूलक और कार्यालय उपस्कर	15%
लिफ्ट, विद्युतीय संस्थापन, फर्नीचर और फिक्सचर	10%
वाहन	20%
कंप्यूटर	60%

घ. अभिवृद्धियों पर अवक्षयण मासिक यथानुपात आधार पर दिया जाता है ।

ङ. पुस्तकालय पुस्तकों पर क्रय वर्ष में अवक्षयण 100% की दर पर होता है ।

च. अमूर्त आस्तियां (साफ्टवेयर) तीन वर्षों में समान रूप से परिशोधित की जाती हैं ।

V. निवेश

क. दीर्घकालिक निवेश, लागत पर अवधारित किए जाते हैं और अस्थाई से भिन्न मूल्यों में कमी का उपबंध किया जाता है ।

ख. चालू निवेश लागत या उचित मूल्य के निम्नतर पर वहन होते हैं ।

VI. वस्तु-सूचियां

कागज, लेखन सामग्री, प्रकाशन और अध्ययन सामग्री की वस्तु-सूचियां लागत या शुद्ध वसूलनीय मूल्य के निम्नतर पर मूल्यांकित होती हैं । लागत का अवधारण फीफो रीति से होता है ।

VII. विदेशी मुद्रा संव्यवहार

क. विदेशी मुद्रा संव्यवहार, संव्यवहार की तारीख को प्रचलित विनमय दर की रकम पर विदेशी मुद्रा उपयोजित करके रिपोर्टिंग मुद्रा में आरंभिक मान्यता पर अभिलिखित किए जाते हैं ।

ख. सभी आय और व्यय औसत दर पर निष्पादित होते हैं । सभी धनीय आस्तियां वर्षांत दरों पर निष्पादित होती हैं जबकि गैर-धनीय आस्तियां संव्यवहार की तारीख वाली दर पर निष्पादित होती हैं ।

ग. विनिमय दर अंतर के कारण किसी आय या व्यय को आय और व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है ।

VIII. सेवांत/सेवा निवृत्ति फायदें

क. उपदान के प्रति दायित्व के लिए प्रावधान वर्षांत में बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है और खर्च के रूप में माना जाता है ।

ख. पेंशन और छुट्टी नकदीकरण के प्रति दायित्व के लिए प्रावधान वर्षांत में बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है और खर्च के रूप में माना जाता है ।

ग. संस्थान द्वारा रखे गए भविष्य निधि न्यास में अंशदान खर्च के रूप में माने जाते हैं ।

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

अनुसूची XIII

लेखाओं का भाग बनने वाले टिप्पण

1. आकस्मिक दायित्व

1.1 दो स्थानों पर भवन के संबंध में संपत्ति/भवन कर के लिए विवादित रकम 30.79 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 26.99 लाख रु.) ।

1.2 संस्थान द्वारा विभिन्न पक्षकारों से दावों की बाबत 83.24 लाख रुपए स्वीकार नहीं किए गए हैं (पूर्व वर्ष 51.48 लाख रु.) ।

2. अन्य टिप्पण

2.1 पूंजी वचनबद्धता (अग्रिमों का शुद्ध) की प्राक्कलित रकम 951.39 लाख रुपए (पूर्व वर्ष - 51.35) ।

2.2 क. पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि में सम्मिलित है :-

(i) भूमि और विकास प्राधिकरण से नई दिल्ली में क्रय और अर्जित भूमि से संबंधित 6.17 लाख रुपए (पूर्व वर्ष - 6.02 लाख रुपए) जिसका रजिस्ट्रीकरण अभी कराया जाना है ।

ख. पट्टाधृत भूमि में सम्मिलित हैं :-

(i) हुबली में भूमि के संबंध में 2.51 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 2.51 लाख रु.) । इस भूमि पर कब्जा अभी संस्थान को सौंपा जाना है तथा यह धारवाड़ शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा उठाई गई 21.30 लाख रुपए की मांग के समाधान के अधीन है और विवाद में है ।

(ii) इन्दौर में भूमि से संबंधित 33.76 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में 33.21 लाख रुपए) जिसके पट्टा विलेख का रजिस्ट्रीकरण किया जाना शेष है ।

2.3 भवन में, बड़ौदा शाखा भवन की लागत 8.77 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 8.77 लाख रुपए) शामिल हैं । शाखा परिसर का हस्तांतरण विलेख अभी निष्पादित किया जाना शेष है क्योंकि शाखा ने स्टांप ड्यूटी में रियायत के लिए आवेदन किया हुआ है ।

2.4 ऋण और अग्रिमों में सम्मिलित हैं आईसीएआई लेखांकन अनुसंधान प्रतिष्ठान को दिया गया 599.78 लाख रुपए (पूर्व वर्ष 565.48 लाख रु.) का ब्याज मुक्त अग्रिम ।

2.5 क्षेत्रीय परिषदों की एक शाखा के संपरीक्षित लेखा प्राप्त न होने पर उसके असंपरीक्षित लेखाओं को शामिल किया गया है ।

2.6 आय-कर के संबंध में छूट, आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग)(iv) के अधीन निर्धारण वर्ष 2005-06 तक प्रदान की गई है । इस छूट के नवीकरण का आवेदन पत्र, कर प्राधिकारियों के विचाराधीन है ।

2.7 प्रकाशन और संगोष्ठी की गतिविधियों के केवल प्रत्यक्ष रूप से लक्षणीय खर्चों को क्रमशः इन व्यय शीर्षों पर प्रभारित किया गया है और इन गतिविधियों पर अप्रत्यक्ष व्यय, व्यय के क्रियात्मक शीर्षों पर प्रभारित किए गए हैं ।

2.8 अवधि पूर्व आय में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

	2006-07	2005-06
	लाख रुपयों में	लाख रुपयों में
संगोष्ठी आय	---	0.30
प्रशासनिक खर्चे (ईयू परियोजना)	---	2.61
अन्य	14.22	5.25
योग	14.22	8.16

अवधि पूर्व खर्चों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

सुरक्षा प्रबंध	----	1.41
अनुरक्षण/हाउसकीपिंग प्रभार	0.08	0.51
मुद्रण और लेखन सामग्री	3.62	----
दूर शिक्षा फीस	7.03	----
परामर्शी फीस	----	0.60
अन्य	10.98	10.09
योग	21.71	12.61

2.9 संस्थान मुख्यतः भारत में और एक कारबार खंड में प्रचालन करता है, जिसमें वह चार्टर्ड एकाउंटेंसी की वृत्ति को सदस्य और शिक्षा सेवाएं परिदत्त करता है । आय का विवरण, इन सेवाओं में से प्रत्येक के लिए इस खंड से व्युत्पन्न राजस्व को प्रकट करता है ।

2.10 जहां कहीं, पूर्व वर्ष के आंकड़ों की तुलना चालू वर्ष के प्रस्तुतिकरण से करना आवश्यक समझा गया, इन्हें पुनः सामूहिक और पुनः विश्लेषित किया गया है ।

डॉ. अशोक हल्दिया, सचिव

[विज्ञापन-III/IV/असाधारण/104/07]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th September, 2007

(Chartered Accountants)

No. 1-CA(5)/58/2007.— In pursuance of sub-section(5B) of Section 18 of the Chartered Accountants Act, 1949 a copy of the Audited Accounts and Report of the Council of the Institute of Chartered Accountants of India for the year ended 31st March, 2007 is hereby published for general information.

58th Annual Report

The Council of the Institute of Chartered Accountants of India has immense pleasure in presenting its 58th Annual Report for the year ended 31st March, 2007. The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI), which was set up by an Act of Parliament on 1st July, 1949, entered into its 58th year of existence during the year. The Council, at the outset, commends the members and students for the respect which the Chartered Accountancy Profession commands today in the Society. This has been achieved by *excellence, independence* and *integrity* displayed by the members and students all along.

The Report highlights the important activities of the Council and its various Committees for the year 2006-2007, and major initiatives up to mid - August, 2007. The Report also covers important events and statistical profile relating to members and students for the year. The Report further details seminars and conferences organised, training programmes conducted, and also include the accounts of the ICAI for the year 2006-2007.

The most significant development that has taken place in relation to the profession during the year is the much-awaited changes in the Chartered Accountants Act, 1949, by way of amendments. In this regard, it is pertinent to mention here that the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 was notified by the Central Government, after the assent of the President of India, on 23rd March, 2006.

The amendments brought through the said Amendment Act have indeed been very elaborative and comprehensive. Some of the significant initiatives taken by the Central Government through the Amendment Act, 2006 include giving autonomy to the Institute in various matters pertaining to administration of the Institute; bringing in a more vibrant and effective disciplinary mechanism; constitution of a Quality Review Board; and electoral reforms.

The Rules required to be framed under the new dispensation have been brought into force, arising out of the amendments brought through the Amendment Act, 2006. While certain existing Regulations are required to be amended, fresh Regulations have also become necessary. For the purpose, the Institute has submitted its detailed and comprehensive proposals to the Central Government, which are under its active consideration.

It is hoped that the amendments made in the said statute would enable the Council to discharge its duties and functions in a more effective manner.

The Governments, Industry Associations and Corporates, without any exception, are of the firm belief that having a strong accountancy profession is the key to having a strong financial infrastructure in the country and it directly relates to the ability of that country and of individual companies. It is in these directions that the National Advisory Committee on Accounting Standards constituted under section 210A of the Companies Act, 1956 recommended Accounting Standards 1-29 (except AS 8 which has been merged with AS 26) for prescribing under the Companies Act. These Accounting Standards issued by the Institute were examined in consultation with Ministry of Law and have been prescribed under the Companies Act, 1956 through notification number GSR 739(E), dated 7th December, 2006. This is the result of a five year long exercise and is a major joint achievement of the Ministry of Corporate Affairs, Government of India, as well as the ICAI, whereby the Indian Accounting Standards, incorporating the best international practices, have been developed and notified.

As India surges ahead on the road to being an economic power on the world's economic map, it is essential to nourish the surge with an unshakeable confidence of the investors world over in the capital market of our country. Whereas the Government is doing its own bit to nourish that confidence by providing greater flexibility and openness in operations to the corporate sector, the latter itself has long recognized the benefits of ethics in business and having sound governance practices. The Indian corporates also recognise the fact that a fair, transparent and reliable financial reporting is one that cements the confidence and smoothens the necessarily rough journey of economic growth. In this regard, the ICAI, as a vital Partner in Nation Building, supports the Government in India emerging as one of the most sought after and lucrative investment destinations in the world, not only through the world class financial reporting standards but also the internationally benchmarked auditing standards formulated by it.

1. THE COUNCIL

The term of the Nineteenth Council, which was constituted for a period of three years effective from 5th February, 2004 ended on 4th February, 2007.

The election to the Twentieth Council was successfully held on 16th December, 2006 and wherever necessary (in metropolitan cities only) on 15th and 16th December, 2006 in accordance with the Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 specified by the Central Government under the Chartered Accountants Act, 1949, as amended by the Chartered Accountants (Amendments) Act, 2006. In terms of the provisions of sub-section (2) of Section 9 of Chartered Accountants Act, 1949 which has been brought into force from 5th September, 2006, the Twentieth Council composing of 32 elected members and 8 members nominated by the Central Government, in accordance with Chartered Accountants (Nomination of Members to the Council) Rules, 2006, was constituted on 5th February, 2007 for a period of three years. The composition of the Nineteenth Council, which held the Office up to 4th February, 2007 and that of the Twentieth Council constituted on 5th February, 2007, are shown separately.

The Council records its deep sense of gratitude and appreciation for the valuable contributions made by the members of the Nineteenth Council, especially of those who have retired from the Council, in its deliberations and other professional development activities.

2. COMMITTEES OF THE COUNCIL

The Council, in terms of Section 17 (Committees of the Council) of the Chartered Accountants Act, 1949 and as per transitional provisions of Section 21 D of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 which are in force effective from 17th November, 2006, constituted on 5th February, 2007 four Standing, and various Non-Standing Committees to deal with matters concerning the profession. Subsequently, a Special Purpose Committee has been constituted for the purpose of bringing out a Vision Document 2021. During the year ended 31st March, 2007, 155 meetings were held of various Committees of the Council as compared to 182 meetings held during the year ended 31st March, 2006.

3. AUDITORS

CA. Manu Chadha, FCA, and CA. Gurmeet S. Grewal, FCA, were the Joint Auditors of the ICAI for the financial year 2006-2007. The Council wishes to place on record its appreciation of the services rendered by them.

4. STANDING COMMITTEES

4.1 Executive Committee

This Committee is responsible for the maintenance of various registers pertaining to students/members/firms, admission, removal and restoration of members, matters relating to members including issue of certificate of practice, matters relating to students including according permission, wherever required, condonation of delay on the part of students/members/firms, matters connected with Branches including opening of new Branches, opening of new Chapters and overseas offices and those connected with employees, maintenance of accounts etc.

Some of the important recommendations made by the Committee during the period under Report to the Council are on matters relating to:

- Draft Regulations – fresh/amendments in existing ones, arising out of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 and otherwise, prepared by the "Working Group on review of existing Regulations".
- Modifications proposed in Form 103 (Form for registration of articles) and Form No. 102 (Deed of Articles) as sequel to the implementation of New Scheme of Education being brought out by Chartered Accountants (Amendment) Regulation 2006.
- Modalities and implementation Schedules for the new scheme of education and Examinations.
- Participation of ICAI in XBRL India Limited
- Form for submitting details of Secondment of Articles under Chartered Accountants Regulations, 1988.
- Restructuring of the Post Qualification Course in International Trade Laws and WTO.
- Revision of Post Qualification Course in Insurance and Risk Management.

- Group Insurance Scheme for Members of the Institute provided by Birla Sun Life through CABF.
- Group Insurance Scheme for Students of the Institute
- Issuance of Co-branded credit-card by ICICI Bank to members of the ICAI.
- Execution of Agreement of affiliation between the Government Finance Officers Association of the United States and Canada and the Institute of Chartered Accountants of India.
- Revision of Terms of Reference of the Committee on Ethical Standards.
- Setting up of Branches at Nellore in Southern Region and Bilaspur in Central Region.
- Setting up of Chapter of the Institute in Sydney, Australia.
- Increase in Membership fee.
- Exploring the feasibilities to make the functioning of Branches of Students' Associations more effective by making constitution of Study Circles mandatory and requiring the Study Circles to undertake the task of Continuous Professional Learning (CPL).

Some of the important decisions taken by the Committee during the period under Report pertain to :

- Formulation and implementation of robust HR Policies/Initiatives including an Accelerated Promotion Scheme aiming at attracting new talents and retaining the existing ones.
- Increase in the amount of various scholarships to students.
- Scholarship Scheme for the Students of Professional Competence Course.
- Exemption from payment of tuition and registration fees for children of military and paramilitary personnel killed in action.
- Review of Guidelines on functioning of Chapters of ICAI outside India.
- Developing a new Format of Certificates issued by the Institute.
- Draft guidelines for observance by the Regional Councils and their Branches while organizing Non-education programmes.
- Naming the ICAI Buildings with 8 and more floors as 'ICAI Tower' and continue to name all other ICAI buildings as 'ICAI Bhawan'.

4.2 Finance Committee

This Standing Committee of the Council has come into existence by virtue of amendments made through The Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006. Pending approval of the amendments in the Chartered Accountants Regulations proposed to the Central

Government, the Committee would discharge such functions as are earlier assigned to the Central Budget and Finance Committee and any other functions that may be assigned from time to time.

4.3 Examination Committee

The Chartered Accountants Final, Professional Education - II and Professional Education – I Examinations were held in November, 2006 in 151, 171 and 150 centres respectively in 102 cities all over the country in addition to those at Dubai and Kathmandu and in May, 2007 in 159, 177 and 133 centres respectively spread over 102 cities in addition to those at Abu Dhabi, Dubai and Kathmandu. The first Professional Competence examination was held in May, 2007 in 32 centres. The first Common Proficiency Test (CPT) was held in November, 2006 and subsequently in February and May, 2007 in 146, 164 and 182 centres in 108, 98 and 112 cities respectively.

The total number of candidates who appeared in the Final, Professional Education - II and Professional Education - I Examinations held in November 2006 were 24667, 49220 and 16089 and in May 2007 were 23470, 56624 and 6194 respectively.

Besides the aforesaid students' examinations, during the year, Assessment Tests of the Post Qualification Course in Information Systems Audit were also held in the months of September and December, 2006 and March and June, 2007. Further, examinations of Management Accountancy Course (Part I) were held in November, 2006 and May, 2007, apart from the Corporate Management Course (Part I) and Tax Management Course (Part I) examinations, which were also conducted along with the students' examinations in May, 2007. The Post Qualification Course examination in Insurance and Risk Management was also successfully held in November, 2006 and May, 2007. The Post Qualification Course in International Trade Laws and World Trade Organisation (ITL & WTO) was conducted in November, 2006 and continued in May, 2007.

During the period under report, for the convenience of the candidates, the following facilities were continued to be provided:-

- New examination centres were set up in Ahmednagar, Erode, Kollam, Kumbakonam and Pondicherry with effect from the November, 2006 examination
- New examination centres were set up in Anand, Bellary, Karnal, Sonepat, Rourkela, Tirupur and Tuticorin for Common Proficiency Test, in addition to the examination centres set up for main examinations.
- The examination centres at Ahmedabad and Bangalore were divided into different zones covering the various localities of the respective cities for November, 2006 and May, 2007 examinations also.
- Examination application forms in the OMR format were continued for November, 2006 and May, 2007 examinations also and the admit cards bearing the candidate's scanned photograph and specimen signature were issued to the candidates. This obviated the necessity of issuance of the identity card to the candidates separately.
- Examination application forms were continued to be made available, besides at all the Regional offices of the Institute and branches of the Regional Councils, at different locations in the metropolis of Delhi, Kolkata and Mumbai. Candidates were

extended the facility of downloading the admit card from the website by using the Personal Identification Number (PIN) indicated by them in the OMR application form.

- The results as well as marks were also made available on the National Informatics Centre's (NIC) website. Information pertaining to merit list was also made available on the website simultaneously with declaration of results.

- Facility of downloading of the results as well as marks by the Regional offices of the Institute and branches of Regional Councils was made available simultaneously with the declaration of results.

- Facility of registering requests in advance for ascertaining results on declaration was continued and candidates registering for the same were provided with their results by e-mail immediately after declaration of results.

- Issue of admit card to the students through e-mail query was continued for November, 2006 and May, 2007 examinations.

- Results of November, 2006 and May, 2007 examinations were continued to be made available on SMS mode.

- Students of Professional Education Examination–I were continued to be offered the facility of online filling of examination application form for November, 2006 and May, 2007 examinations.

Consultancy continued to be provided to a few of the foreign institutions in the examination systems and procedures. The Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN) successfully conducted its Final examination in June, 2006 with the continued technical expertise and support of the ICAI. The Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka successfully conducted the Information Systems Audit (ISA) Assessment Tests in September, 2006 and March, 2007 with the technical expertise and support of the ICAI.

The In-house Data Management Centre at the office of the ICAI at Noida has become fully operational.

4.4 Disciplinary Committee

This Committee assists the Council in the maintenance of the status and standards of professional qualification awarded by the ICAI. In discharging its avowed responsibility of conducting disciplinary inquiries against members whose cases have been referred to it by the Council upon prima facie opinion, during the year **1st April, 2006 to 31st March, 2007** this Committee held sittings on **22** occasions for a period spanning **36** days and at venues covering the various regions of the country. During the year under review, the Committee concluded its enquiry in a record number of **95** cases, which included cases, referred to it in previous years.

5. TECHNICAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT

5.1 Accounting Standards Board

Existence of a high quality, sound and reliable accounting and financial reporting system is considered to be the basic requirement for achieving high and sustainable economic

development in any country. In India, ICAI is the premier accounting body and is working relentlessly in this direction. For this purpose, the Accounting Standards Board was constituted in 1977. Since then it is working to provide a sound and reliable accounting and financial reporting system in the country by issuing new Accounting Standards as well as revising the existing Accounting Standards from time to time in order to bring them in line with the International Accounting Standards (IASs)/ International Financial Reporting Standards (IFRSs). The Accounting Standards Board also formulates various Accounting Standards Interpretations and Announcements so as to ensure uniform application of Accounting Standards and to provide guidance on the issues concerning the implementation of Accounting Standards.

Accounting Standards issued by the Institute got legal recognition in October 1998 with the insertion of section 211 (3A), (3B), and (3C) in the Companies Act, 1956. Section 211 (3C) of the Act provides that the Accounting Standards issued by the ICAI may be prescribed by the Central Government in consultation with NACAS and proviso to the section provides that until the notification of the Accounting Standards by the Government, Accounting Standards issued by the Institute are required to be followed by the companies. Recently, the Ministry of Company Affairs (now 'Ministry of Corporate Affairs'), Government of India, has prescribed Accounting Standards 1 to 7 and 9 to 29 vide its notification dated December 7, 2006, in the Gazette of India, to be effective in respect of accounting periods commencing on or after the publication of these Accounting Standards (i.e., December 7,2006)

With the liberalisation and globalisation of the economy and expansion of businesses across the globe, the users of the financial statements of an enterprise are no longer limited to a single country and they may not be able to appreciate the differences in GAAP requirements of various countries. Therefore, need for a single set of high quality accounting standards has been recognised. Considering this, many countries around the world are either adopting or adapting IASs/IFRSs. Moving forward in this direction, the Accounting Standards Board of the ICAI also formulates Indian Accounting Standards (ASs) on the basis of IFRSs and tries to integrate with them, to the extent possible, in the light of the conditions and practices prevailing in India. During the period, the ICAI through its Accounting Standards Board has issued the Exposure Drafts of the Accounting Standard (AS) 30 on *Financial Instruments: Recognition and Measurement*, Re-exposure Draft of proposed Accounting Standard (AS) 31, *Financial Instruments: Presentation*, and proposed consequential limited revisions to 8 Accounting Standards, viz., AS 2, AS 11 (revised 2003), AS 21, AS 23, AS 26, AS 27, AS 28 and AS 29. Both the Exposure Drafts are broadly based on the corresponding International Accounting Standards. Apart from these two Accounting Standards, AS 10, *Property, Plant and Equipment*, has been revised to be in line with IAS 16 and the Exposure Draft of AS 12, *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance*, has been issued for public comments, the same is in line with IAS 20. In addition to the above, Accounting Standards Interpretation (ASI) 14, Disclosure of Revenue from Sales Transaction (Re. AS 9, *Revenue Recognition*) has been revised by the Board.

A brief overview of other activities of the Accounting Standards Board during the period under report is as follows:

5.1.1 Constitution of Task Force for Convergence of Accounting Standards with IFRSs

Convergence with IFRSs has always been the endeavour of the ICAI and changes made in ASs are only minimum. Recently, it has been decided that there should be total convergence with IFRSs and for this purpose a Task Force was constituted under the convenorship of the

then Chairman, CA. S.C. Vasudeva, to explore the approach for convergence with IFRSs, and laying down a road map for achieving convergence with IFRSs so as to make India IFRS-compliant.

A Concept Paper on Convergence with IFRSs in India has been finalised. It has been decided to adopt the International Financial Reporting Standards (IFRSs) from the accounting periods commencing on or after 1st April, 2011 in respect of the listed entities and other public interest entities such as banks, insurance companies and other large-sized entities.

5.1.2 Implementation Guidance/ Guidance Note issued

Considering the difficulties faced by the Industry and the members of the profession in the implementation of Accounting Standard (AS) 15, *Employee Benefits* (revised 2005), the Accounting Standards Board decided to provide additional guidance in the form of FAQs. As a result, the Board has issued 'ASB Guidance on Implementing AS 15, *Employee Benefits* (revised 2005)'.

Apart from the above, *Guidance Note on Recognition of Revenue by Real Estate Developers* was issued by the Board during the period. This Guidance Note provides guidance on application of the principles of Accounting Standard (AS) 9, *Revenue Recognition*, to real estate developers.

5.1.3 Limited Revision to Accounting Standards

Considering the recommendations of the Sub-group constituted by the Council, the Board has decided to carry out limited revision to AS 15, *Employee Benefits* (revised 2005), so as to modify the Transitional Provisions of the Standard to provide an option to charge additional liability arising upon the first application of the Standard as an expense over a period upto 5 years and to provide that an entity may disclose certain amounts determined for each accounting period prospectively from the transitional date. As a result of limited revision to the Standard, the differences between the standard and the corresponding IAS will be reduced further.

5.1.4 Issuance of Announcements

The Board has formulated the following announcements during the period, which were issued under the authority of the Council:

- Deferment of Applicability of Announcement on 'Accounting for exchange differences arising on a forward exchange contract entered into to hedge the foreign currency risk of a firm commitment or a highly probable forecast transaction'
- Deferment of Applicability of Accounting Standard (AS) 15, *Employee Benefits* (revised 2005)

Contribution to the International Accounting Standards Board (IASB) Activities and responding to International Developments

In order to participate in the developments taking place internationally and being IASs/IFRSs forming a basis for formulation of Accounting Standards, the Board interacts with the IASB at various levels, such as,

- Sending comments on various draft IFRSs or other draft pronouncements of IASB.

- Active participation in the meetings of the World Standard-setters and Regional Standard-setters with the IASB.
- Contribution in the discussion on various on-going projects of the IASB.

With the objective of promoting the process of convergence with IFRSs, a team from IASB, consisting of Sir David Tweedie, Chairman, International Accounting Standards Board (IASB), Mr. Warren McGregor and Ms. Tracia O'Malley, members of IASB, and Ms. Elizabeth Hickey, Director of Technical Activities, visited India on February 13-15, 2007 for discussing various issues relating to convergence with IFRSs in India. The IASB team was apprised of approach of the ICAI towards convergence with IFRSs, major departures in Indian Accounting Standards from IFRSs and various obstacles in achieving full convergence with IFRSs, e.g., legal and regulatory issues. A presentation was made to the IASB team indicating the strategy for convergence with IFRSs in India by categorising the IFRSs on the basis of their nature. Various conceptual issues regarding the adoption of IFRSs were also taken-up with the IASB team. The team promised to look into those areas in respect of which the relevant IAS/IFRS may require a revision. IASB team also apprised the ICAI of IASB Work Plan- projected as at 31 December 2006, so that the ICAI may formulate its convergence plan accordingly.

Moving forward in this direction, the representatives of the Institute attended meetings with the IASB and ASB (UK) in London on June 28-29, 2007. At the meetings, the IASB and ASB (UK) were apprised of the recent efforts made by the Institute towards convergence with IFRSs including acceptance of recommendations of the Task Force by the ASB. At the meeting with IASB certain conceptual differences between Indian Accounting Standards and IFRSs were discussed in detail and agreements were reached. At the meeting with ASB (UK), UK experience of convergence with IFRSs was shared, besides discussing issues in certain individual IFRSs.

Meetings of the World Standard-setters and the National Standard-setters held in September 2006 were attended by the representatives of the Institute at London. At the meeting of World Standard-setters, discussion took place on various topics, such as, Conceptual Framework, Fair value, progress on adoption/convergence/implementation of IFRSs, etc. At the National Standard-setters meeting, the developments focusing on the various projects undertaken by the concerned standard-setters were discussed.

A round-table discussions on IAS 37, was also attended by the representatives of the Institute at London in December 2006.

Another meeting of the National Standard-setters held in March 2007 was attended by the representatives of the Institute at Hong Kong. The progress of the project on 'Rate-Regulated Entities' being carried on by ASB was discussed along with other projects being carried on by other national standards-setting bodies. It was decided that ASB of ICAI should continue its project on Rate-Regulated Entities in collaboration with the Canadian Institute of Chartered Accountants and present a paper on the subject at the next meeting of the National Standard-setters to be held in September, 2007 at London.

5.1.5 Interaction with National Advisory Committee on Accounting Standards (NACAS)

The NACAS considered revised Accounting Standard (AS) 10, *Property, Plant and Equipment*, formulated by the Institute during the period. Suggestions made by the NACAS were

considered by the Board and addressed in an appropriate manner to the satisfaction of the Board.

5.1.6 Interaction with Regulatory Bodies

Being the premier accounting body, the ICAI through ASB interacts with various regulatory bodies from time to time in order to express its views on various accounting matters.

In addition to the above, during the visit of IASB team to India, meetings were held with the various legal and regulatory authorities including Ministry of Company Affairs (now 'Ministry of Corporate Affairs'), Ministry of Finance, Reserve Bank of India (RBI) and Securities and Exchange Board of India (SEBI) for removing various legal and regulatory impediments regarding the convergence with IFRSs.

5.1.7 Compendium of Accounting Standards

During the period, an updated edition of Compendium of Accounting Standards as on July 1, 2006, alongwith a Compact Disk (CD) has been issued.

5.2 Committee on Accounting Standards for Local Bodies

Recognising the need to harmonise and improve accounting and financial reporting among local bodies, the ICAI, constituted an independent Committee on Accounting Standards for Local Bodies (CASLB) in March, 2005. The composition of the CASLB is fairly broad-based and ensures participation of all interest-groups in the standard-setting process. Apart from the members of the Council of the ICAI, the CASLB comprises the representatives of the Ministry of Urban Development, Comptroller and Auditor General of India, Controller General of Accounts, National Institute of Urban Affairs, Ministry of Panchayati Raj, Directorates of major Local Bodies, Directorates of Local Fund Audit Departments, Academic Institutions and other eminent professionals co-opted by the ICAI.

Apart from formulation of Accounting Standards for Local Bodies, the Committee would also take steps in facilitating improvement in accounting methodology and systems of local bodies, and would act as a forum to receive feedback from Local Bodies regarding problems faced by them in the adoption of accrual accounting and in application of the Accounting Standards as set out in its Preface to the Accounting Standards for local bodies.

While formulating Accounting Standards for Local Bodies, the CASLB gives due consideration to the International Public Sector Accounting Standards (IPSASs) prepared by the International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) of the International Federation of Accountants (IFAC) and tries to integrate them, to the extent possible, with a view to facilitate global harmonization.

During the period under Report, the 'Preface to the Accounting Standards for Local Bodies' has been released. The Preface sets out the objectives and operating procedures of the CASLB and explains the scope and authority of the Accounting Standards for Local Bodies. The draft 'Framework for the Preparation and Presentation of Financial Reports by Local Bodies' is being finalised for its public exposure on the basis of the comments received on its limited circulation among the specified outside bodies and the Council members of the Institute. The draft framework sets out the concepts that underlie the preparation and presentation of financial statements and would assist the Committee in the development of

future Accounting Standards for Local Bodies. The Committee has also finalised the draft of the proposed Accounting Standard for Local Bodies on "Borrowing Costs" and this will be circulated to specified outside bodies and the Institute's Council members shortly. The draft of the proposed Accounting Standard for Local Bodies on 'Presentation of Financial Statements' is being finalized for its limited circulation among specified outside bodies and the Council members. The CASLB has also undertaken many other projects for preparation of Accounting Standards for Local Bodies corresponding to International Public Sector Accounting Standards.

The Governmental Level Technical Committee constituted under the aegis of Ministry of Urban Development (MoUD), Government of India and C & AG, would recommend the Accounting Standards for Local Bodies, issued by ICAI, for acceptance by the state governments. Apart from accounting standards, the ICAI will also support the Technical Committee in its endeavours towards various other aspects of financial reporting including preparation of asset registers, performance measurement, budgeting, costing, internal control and audit.

The Office of the Comptroller and Auditor General of India (C&AG) constituted Government Accounting Standards Advisory Board (GASAB) in August 2002 "in order to establish and improve standards of governmental accounting and financial reporting and enhance accountability mechanisms for Union and the State Government accounts." The ICAI is a member of the GASAB and is also represented on its various Sub-Committees formulated from time to time by GASAB. The representatives of the ICAI participated in the meetings of GASAB held during the year and contributed to the technical activities of the Board. The CASLB prepares comments on drafts at various stages prepared by GASAB.

During the period under Report, the Committee constituted by the GASAB under the convenorship of the President, ICAI, for finalisation of 'Operational Framework for Implementation of Accrual Accounting in Government' had submitted the same to the GASAB for its consideration after modifications on the basis of the comments received on its circulation amongst the State Governments. The GASAB considered the revised draft and after modifications has forwarded the same to the Government of India for consideration and further action.

The ICAI has also undertaken two pilot projects with the Controller General of Accounts (CGA), Government of India, for bringing in accounting reforms in the Ram Manohar Lohia (RML) Hospital, New Delhi and the identified divisions of the New Delhi Zone of the Central Public Works Department (CPWD), funded by the World Bank. The CASLB is also providing the necessary support in successful implementation of these two pilot projects.

5.3 Auditing and Assurance Standards Board

In September, 2007, the Auditing and Assurance Standards Board is going to complete its glorious journey of 25 years, which undoubtedly signals the emergence of a strong, confident Board ready to take on bigger challenges. During this period the Board has been working relentlessly towards bringing an overall qualitative improvement in the field of auditing in the country. This journey of 25 years is marked by a number of significant events and the prominent among these is converting of Auditing Practices Committee (APC) as Auditing and Assurance Standards Board (AASB) in the year 2002 which introduced participation of representatives from regulators and industries on the Board thereby ensuring greater transparency, efficiency and safeguarding of public interest.

5.3.1 The Board – Today

As a national standard setter, the foremost objective of the Board is to formulate high quality standards dealing with auditing, review, other assurance, quality control and related services. The AASB represents a codification of the best practices in the area of auditing. The AASB also undertakes preparation of Guidance Notes on issues relating to auditing, whether generic in nature or industry specific. The AASB also undertakes the task of issuing clarifications on issues arising from the Auditing and Assurance Standards. Today, this standard setting body boasts of the following achievements:

- 35 Auditing and Assurance Standards
- 2 Statements and 3 General Clarifications
- 27 Guidance Notes on Auditing issues
- 4 Industry specific Guidance Notes on – Audit of Banks, Audit of Accounts of Members of Stock Exchanges, Audit of Companies carrying on General Insurance Business, Audit of Companies Carrying on Life Insurance Business
- A Study on Money Laundering: An Accountant's Perspective

5.3.2 The Year 2006-07

During the year, there were five meetings of the Auditing and Assurance Standards Board totaling 9 days of full Board deliberations. Additionally, a number of study group meetings were also held. The Board considered a number of important technical documents out of which some have been issued whereas some others remain under process of finalisation. The documents issued during the year are:

Guidance Note on Reports in Company Prospectuses (2006)

In October, 2006, the Board issued a thoroughly revised edition of the Guidance Note on Reports in Company Prospectuses. The original Guidance Note on Reports in Company Prospectuses, issued in 1985, has been revised in the light of latest SEBI (DIP) Guidelines and subsequent amendments to Schedule II to the Companies Act, 1956. The requirements of the Guidance Note on Audit Reports/Certificates on Financial Information in Offer Documents issued in the year 1996 have also been incorporated.

AAS 35: The Examination of Prospective Financial Information (2007)

The objective of this AAS is to provide guidance in respect of engagements to examine and report on prospective financial information. This AAS also covers specific aspects such as examination procedures for best estimates and hypothetical assumption.

- **Preface to the Standards on Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance and Related Services (2007)**

The thoroughly revised Preface, which replaces the existing Preface to the Statements on Standard Auditing Practices (issued in 1983), paves way for total revamp of the existing structure of the Auditing and Assurance Standards (AASs) issued by the Institute on the lines of the International Standards issued by the International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). The new Standards to be issued by the AASB in the future would be collectively known as Engagement Standards and would comprise of Standards on Auditing (SAs), Standards on Review Engagements (SREs), Standards on Assurance Engagements (SAEs) and Standards on Related Services (SRSs).

- **AASB and Its Due Process (2007)**

It contains the detailed procedures whereby the Standards/ Statements/ Guidance Notes etc., would be issued by the Board. The aim of such formal and detailed due process is to strengthen transparency, enhance objectivity and fix accountability.

- **Revised Classification and Numbering Pattern of the Auditing and Assurance Standards.**

The revised Preface necessitated the need to adopt a new numbering pattern for the Engagement Standards. Whereas hitherto the auditing standards were being allotted sequential numbers as and when they were issued, as per the revised Classification and Numbering Pattern of the Auditing and Assurance Standard, these standards would be categorised on the basis of the specific aspect of audit that they deal with and accordingly allotted the number.

- **Framework for Assurance Engagements (2007)**

The Revised Framework lays down concepts for the performance of assurance engagements by applying Standards on Auditing (SAs), Standards on Review Engagements (SREs) and Standards on Assurance Engagements (SAEs). The Framework acts as a one stop reference in case of a doubt.

The revised Preface including Due Process and the revised Framework will be effective from 1st April, 2008.

Handbook of Auditing Pronouncements – (Volumes I & II) – (as on February 1, 2007)

Recognising the fact that it is essential for the members to be aware of these pronouncements of the Institute and are able to access this vast expanse of technical literature with ease, the AASB has issued fourth revised edition of the Handbook of Auditing Pronouncements. This updated edition, which is in two volumes, contains the text of all Auditing and Assurance Standards and Guidance Notes relating to Auditing as on February 1, 2007. The Compendium also contains the text of the various occasional announcements issued by the AASB from time to time.

Some important Projects under advanced stages of completion and expected to be released soon are as follows:

- The *Standard on Quality Control for Firms that Perform Audit and Reviews of Historical Financial Information, and other Assurance and Related Services Engagements* has been approved by the Council of the Institute and will be issued soon. This Standard is an all pervasive Standard in respect of quality control. It contains extensive requirements in relation to establishment and maintenance of a system of quality control in the audit firms as well as even for sole practitioners.

- The AASB has already chalked a timeline by which it plans to achieve full convergence with the International Standards. Accordingly, it has issued Exposure Drafts of the following Standard on Auditing (SA), which have been written in line with the new format adopted by the IAASB pursuant to its Clarity Project, for public comments :

    - SA 240, The Auditor's Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statements

- SA 300 , Planning an Audit of Financial Statements
- SA 315, Identifying And Assessing The Risks Of Material Misstatement Through Understanding The Entity And Its Environment
- SA 330, The Auditor's Responses to Assessed Risks
- SA 570, Going Concern

In addition to these, the Board is also making significant progress on a number of other projects under its current work programme.

5.3.3 Other Initiatives and Development

- **Compilation of RBI Circulars**

The Board uploaded all the circulars issued by the RBI till April 20, 2007 which are relevant for the audit for the year ending March 31, 2007, on the AASB Knowledge Page on the ICAI website (http://www.icai.org/icairoot/departments/aasb/dept_aasb_index.jsp?icaideptid=4) and also e-mailed some relevant circulars to all the members of the Institute.

- **Interaction with Regulatory Bodies**

The Board responds to various regulatory bodies like, Reserve Bank of India (RBI), Securities and Exchange Board of India (SEBI), Comptroller and Auditor General of India (C&AG), etc., on auditing matters raised by them. The Board also represented the Institute at the 10th State Level Coordination Committee Meeting with State Governments and Other Authorities on the Regulation of Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and unincorporated bodies accepting deposits from public.

- **Contribution to the IAASB Activities and Responding to International Developments**

In India, since Auditing and Assurance Standards are formulated on the basis of IAASB documents as aforementioned, the AASB interacts with the IAASB at various levels. During the year, the AASB represented the ICAI at the meeting of International Auditing and Assurance Standards Board of IFAC with the National Standard Setters and presented its views. The AASB also sends comments on various Exposure Drafts issued by the IAASB for comments.

- **IAASB's interaction with the AASB**

Mr. John Kellas, Chairman, IAASB, and Mr. Jim Sylph, Executive Director, IAASB visited India to discuss convergence related issues at one of the AASB meetings. At the meeting, Mr. Jim Sylph was apprised about the steps being taken by the Board for convergence with the International Standards and also various other issues related to the process. Mr. Jim Sylph appreciated the efforts being made by the Board and emphasized the need of convergence in India.

- **Future Strategy and Work Program**

The AASB is the founder member of International Federation of Accountants (IFAC) and it always recognized the fact that as the world grows smaller, the benefits of using common high quality standards would evidently smooth the flow of capital and enhance the quality and reliability of financial reporting. The AASs issued till date have been based to the extent

possible on the corresponding international standards. This process of tryst with convergence and clarity would be carried with full force in the next year and the same is also reflected in the future strategy and work program of the Board. The AASB has already chalked out a detailed Timeline of Convergence with International Standards. The Board looks forward to new milestones and challenges of greater magnitude, and remains firmly committed to pursuing goals with renewed integrity.

5.4 Research

Research is the critical function for the very existence as well as continued development of any profession. Recognising the importance of research activities in ensuring high quality of services rendered by the profession of Chartered Accountancy, the Council of the ICAI constituted Research Committee as a Non-Standing Committee in 1955. Since its inception, the Research Committee of the ICAI has been actively involved in providing guidance to the members of the Institute in various areas of professional interest particularly, accounting and auditing, so that their professional and technical competence might be maintained in the services rendered by them. The Committee has also been proactive in responding to the need for accounting guidance on contemporary issues, which arise due to amendments in laws and other developments related to economic reforms in the country.

5.4.1 Mission and Objectives

The primary mission of the Research Committee is to conduct research in various fields which have a direct and indirect bearing on accountancy and to render research services expected of professional research institutions. The Committee formulates Guidance Notes on accounting aspects which are issued under the authority of the Council of the ICAI. It also brings out Technical Guides, Studies, Monographs, etc., on generally accepted accounting and/or auditing principles and practices designed to enhance the value of the services rendered by the profession. The Committee also conducts a competition for the 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' annually, with a view to encourage improvement in the presentation of financial statements in the country.

5.4.2 Guidance Notes and other Research Publications

During this period, the Committee formulated a Guidance Note on Measurement of Income Tax Expense for Interim Financial Reporting in the Context of AS 25. The Guidance Note has been issued under the authority of the Council of the Institute. This Guidance Note provides guidance on certain issues relating to measurement of current and deferred income-tax for interim financial reporting.

During the period under Report, the Committee has also issued revised 'Technical Guide on Accounting and Auditing in Not-for-Profit Organisations (NPOs)/ Non-Governmental Organisations (NGOs) (Revised, Second Edition)'. This publication incorporates the accounting standards issued/revised by the institute among other things that occurred after the issuance of the previous edition.

Revised Guidelines for releasing publications by the Regional Councils and Branches have also been issued during the period under the authority of the Council of the ICAI.

In addition to the above, the Committee has issued 'Study on Unconventional Methods in Special Audits and Investigations' and 'Checklist for Disclosures Under Accounting Standards'.

The Study on Unconventional Methods in Special Audits and Investigations discusses some unique methods that may be considered by the auditor for application when confronted with situations where detection of frauds and errors may be extremely difficult. The Disclosure Checklist is intended to be a ready referencer for disclosure requirements of various accounting standards and also covers the disclosure requirements of interpretations, announcements and guidance notes on accounting issued by the Institute, insofar as they are related to a matter covered by an accounting standard.

The Committee has also taken up the task of preparation of 'Formats of Financial Statements for Members of Stock Exchanges' upon the request of Securities and Exchange Board of India. These formats would prescribe the information which should be given in the balance sheet, profit and loss account, schedules and the notes annexed thereto, inter alia, bringing about the applicability of accounting standards to members of stock exchanges.

5.4.3 Important Projects in Progress

Apart from the projects completed during the year, the Research Committee has also undertaken a number of projects on certain new topics of relevance identified by it for the purpose. The objective is to provide guidance to the members on various emerging issues in the area of accounting and allied areas. The Committee has also commenced the process for revision of a number of Guidance Notes issued in the past and updation of its publications.

5.4.4 Compendium of Guidance Notes – Accounting (As on July 1, 2006)

An updated edition of 'Compendium of Guidance Notes – Accounting' as on July 1, 2006, was issued along with a Compact Disk (CD) to be distributed free with the book.

5.4.5 ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting

In order to recognise and encourage excellence in presentation of the financial information, the ICAI, through its Research Committee, has been holding an annual competition for the 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting'. This prestigious Competition propagates that financial reporting should be committed to the canons of accountability, transparency, integrity, reliability, timeliness and social responsibility. Earlier the Competition was held under three categories. From 2004-05 onwards, the Competition is being held under seven categories based on functional classification of various industries. Category I covered Manufacturing and Trading enterprises (including processing, mining, plantations, oil and gas enterprises). Category II covered Finance sector (including NBFCs, mutual funds, investment bankers, HFCs, etc.) and Category III covered Service sector (including hotels, consultancy, transport, stock exchanges, R&D, private hospitals). Category IV and Category V covered Banking, Insurance and Financial Institutions, and Information Technology, Communication and Entertainment enterprises, respectively. Category VI covered Infrastructure & Construction sector (including power generation and supply, port trusts, roads) and Category VII is the residuary category which covered enterprises which are not covered by the other six categories like, Section 25 companies, educational institutions, NGOs, charitable hospitals, etc. For the Competition for the year 2005-2006, ninety-seven enterprises in different categories participated. The awardees were selected by a panel of judges, appointed by the Research Committee, on review of accounting practices adopted by the participating enterprises for the period ending on any day between 1st April, 2005 and 31st March, 2006 (both days inclusive), without regard to their financial condition and operating performance. Accordingly, the awards signify that the accounting practices

followed by the concerned enterprise during the year are the best amongst the enterprises that participated in the Competition. This year there are five Gold Shield winners out of the seven categories. They are Shopper's Stop Limited, Bombay Stock Exchange Limited, ICICI Lombard General Insurance Company Limited, Infosys Technologies Limited and The Tata Power Company Limited. There are two Silver Shield winners out of the seven categories. They are Blue Dart Express Limited and MphasiS BFL Limited. For two categories Gold Shield could not be given and for five categories Silver Shields could not be given since the entries did not meet the benchmark. A special function for presenting the 'ICAI Awards for Excellence in Financial Reporting' for the year 2005-06 was held on January 19, 2007, at Hotel Le Meridien, New Delhi. His Excellency Dr.S.S.Sidhu Hon'ble Governor of Manipur, was the Chief Guest for the function. The Hon'ble Governor also gave away the awards to the awardees.

5.5 Corporate Laws

5.5.1 Tasks Undertaken:

The Committee has constituted 6 Study Groups to formulate the views/suggestions on (i) Simplification of Corporate Laws, (ii) Simplification of Schedule VI of Companies Act, 1956, (iii) Changes in the Chartered Accountants Act, 1949 due to provisions of Limited Liability Partnership Bill, 2006, (iv) Further Comments on Foreign Contribution (Regulation) Bill 2006, (v) Scope of professional opportunities for Chartered Accountants under the FEMA, 1999 (vi) To start a certificate course on Arbitration (including negotiation, mediation and conciliation) and to prepare a panel of Arbitrators. The Further Comments on Foreign Contribution (Regulation) Bill 2006 have been submitted to Rajya Sabha Secretariat. The other views/ suggestions are under finalization and will be forwarded to the Ministry shortly.

5.5.2 Formulation of Corporate Affairs Standards

The Committee has initiated steps to formulate Corporate Affairs Standards on (i) Governance of NGOs, (ii) Merger, Demerger – Corporate Restructuring, (iii) Valuation of Shares, (iv) Labour Laws and Accountancy profession, (v) Arbitration of Corporate Disputes – the role of Accountancy Profession, (vi) Accountancy Profession and Managing the Business Affairs in the Globalized era, (vii) Valuation of Assets and (viii) Compliance of Company and allied Laws – the role of accountancy profession (ix) Auditor's Appointment, retirement and removal.

5.5.3 MCA-21 The Flagship E-governance Project

The Committee associated intensively with the MCA 21 project initiated by the Ministry of Corporate Affairs, which enabled an easy and secure access to MCA services in a manner that best suits the corporate entities and professionals besides the public. To popularize the MCA 21 project, members participated in the projects with overwhelming enthusiasm in MCA-21 Programmes. The Institute has organized workshops/seminars/conferences on MCA-21 across the country.

5.5.4 Scheme for Certified Filing Centers under MCA 21 e-governance Programme

The Ministry of Corporate Affairs had introduced the scheme for Certified Filing Centers (CFCs) being operated by professionally qualified persons/firms/body corporates to facilitate e filing of documents under MCA 21 e-governance programme of the Ministry of Corporate Affairs. The Ministry had accepted applications for registration of Certified Filing Centre till

31st December 2006. In pursuance of the scheme, the Ministry had approved 1258 applications, out of which 917 applications belong to the members and firms of ICAI.

5.5.5 Revision of e-forms under rules made under the Companies Act, 1956

The Ministry of Corporate Affairs had constituted a Technical Group on Revision of E-forms under the Rules made under the Companies Act, 1956. The Institute had contributed in the deliberations of the Working Group and helped in finalizing the various e-forms.

5.5.6 Limited Liability Partnership Bill 2006

The Limited Liability Partnership Bill 2006 was introduced in the Rajya Sabha on 15th December 2006. The Parliamentary Standing Committee on Finance is examining the Bill and the Lok Sabha Secretariat had requested the Institute for its views/suggestions. The views/suggestions of the Institute had been sent to the Lok Sabha Secretariat.

5.5.7 Suggestions/comments on various issues relating to Corporate Laws

The Committee has submitted its suggestions on the various matters referred to the Institute by the Ministry of Corporate Affairs and other Government departments such as on MCA-21 Project, Concept Paper on regulation of Valuation Professionals, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Bill, 2005, Concept Paper on Limited Liability Partnership Law, Revision of e-forms under Rules made under the Companies Act, 1956, Competition (Amendment) Bill, 2006, Foreign Contribution (Management & Control) Bill 2005, Foreign Contribution (Regulation) Bill 2006, Nidhi Companies, Working Group constituted by the Ministry of Corporate Affairs to examine issue relating to instrument evidencing the charge to be submitted along with Form 8 under Rules made under the Companies Act, 1956, Working Group to examine and suggest a Model Curriculum for Corporate Valuers, Working Group constituted by MCA to examine the requirement for an institutional framework for corporate valuers, Draft Guidelines on Corporate Governance for CPSE, Draft notification for amending the Schedule VI to the Companies Act, 1956 in view of requirements of section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development (MSMED) Act, 2006 and on various cases referred by the Ministry to the Institute for its opinion.

Views/suggestions on Conversion of Loans into equity by ARCs under Section 81(3)(a) of the Companies Act, 1956 have been forwarded to the Ministry.

5.5.8 Working Group on Corporate Valuers

The Ministry of Corporate Affairs had constituted two working groups to examine the requirement and make suggestions for an Institutional framework for Corporate Valuers and to suggest a Model Curriculum for the Corporate Valuers. Both the Groups have completed their deliberations. Institute had its nominee on both the Groups. The Groups had submitted their recommendations to the Ministry.

5.5.9 Post Qualification Courses

The Council approved in principle two post qualification courses on "Corporate Valuation" and "Protection of Creditor's Rights and Insolvency Law". The details are under consideration of the Committee.

5.6 Fiscal Laws

5.6.1 Training courses for CBEC Officers

The Fiscal Laws Committee organized seven training programmes in coordination with the National Academy of Customs, Excise and Narcotics, Faridabad and the Regional Training Centres for the senior Central Excise and Service-tax Officers of the Central Board of Excise and Customs. The Committee received a positive feedback from the participants regarding the value addition made by such training courses. For this purpose, the Committee brought out a Training Manual. Shri P. Chidambaram, the Hon'ble Union Minister for Finance, Shri S. S. Palanimanickam, Minister of State for Finance and Shri Pawan Kumar Bansal, Minister for State for Finance (Expenditure, Banking & Insurance) acknowledged the useful work done by the ICAI in spreading accounting knowledge to the officials of the Revenue Department.

5.6.2 ICAI's suggestions accepted

During the year, the Government accepted many of the suggestions made by the Committee in respect of various issues. The suggestions of the ICAI regarding amendment of Form No.3CD including the insertion of Annexure II for certifying the value of fringe benefits were accepted at the time of issue of notification NO.208/2006 dated 10th August, 2006 amending Form No.3CD. At the time of notification of new income-tax return forms, the Government accepted many of the suggestions made by ICAI. In regard to service-tax on works contract, the CBEC accepted the suggestions of the ICAI at the time of issuing rules and regulations in this regard.

5.6.3 Service-tax exemption partly restored

The Government withdrew the exemption given to practising chartered accountants in respect of services other than accounting and auditing services. Vigorous follow up action was taken up with the Finance Minister and the Department. As a result, the representation services rendered by practicing chartered accountants, practising cost accountants and practising company secretaries have been made exempt from the levy of service-tax.

5.6.4 Memoranda

During the year the Committee submitted Pre-Budget Memorandum – 2007 and Post Budget Memorandum – 2007. Some of the suggestions were accepted and incorporated in the respective Finance Bills. A special issue of the Journal containing articles by eminent members on the clauses of Finance Bill, 2007 was published.

5.6.5 Publication

The Committee brought out the Guidance Note on Audit of Fringe Benefits under the Income-tax Act, 1961 (with Supplementary Guidance Note on Tax Audit). The Guidance Note was dedicated to the nation by Shri K. M. Chandrasekhar, the then Revenue Secretary on 3rd October, 2006 at New Delhi. The Revenue Secretary appreciated the efforts of the Institute in bringing the Guidance Note.

5.6.6 Representations

A detailed representation was submitted to the Hon'ble Finance Minister on the issue of electronic filing of income-tax returns by corporates. The administrative difficulties being

faced by members and assessees in the mandatory electronic filing of income-tax returns by the corporates were explained. Further, the dis-advantages that would accrue to the revenue due to dispensing of filing of tax audit report along with the return of income were also highlighted. Apart from that, there was a representation on section 40(a)(i), a detailed communication on tax return preparers and also a representation to the Governments of Madhya Pradesh and Jharkhand as to why only chartered accountants are the fittest for performing the State-Level VAT audit.

5.6.7 Certificate course on International Taxation and e-filing help centres

The Committee finalized the course contents for a certificate course in international taxation for members. It was also decided to constitute help centres in the regional and leading branch offices all over the country to help the members in understanding procedures in e-filing of income-tax returns.

5.6.8 Seminars and conferences

A large number of seminars, symposium, workshops were held throughout the country by the various branches with the coordination of the Committee.

5.7 Financial Markets and Investors' Protection

The sustained efforts to build a brand image of the Indian Capital Market in the global market reaped substantial benefits to the Indian economy and the momentum is poised for further growth. The market this year despite certain hiccups continued to draw major chunk of funds from Foreign Institutional Investor's (FII's) and it is looked upon as a major investment heaven. Commodity markets became another major emerging market in the country. Keeping in view of the vast expansion and scope of professionals in the field of financial markets, the Committee in its wisdom revisited the scope of its activities and drew a comprehensive Road map for the current year.

5.7.1. Interactions with the SEBI and the Ministry of Corporate Affairs

With the SEBI

(a) Emerging issues in compliance of Clause 49 of the listing agreement: The Committee brought to the notice of the SEBI certain issues to the SEBI on Disclosures such related party transactions, risk management, proceeds from public/rights/bonus issues and the strong view taken by the Institute and requested that the regulator to consider them from the view of point of corporate governance.

(b) Meeting with the Executive Director, SEBI and discussion on various issues relating to markets and investors and role of the Institute

(c) Suggestions on the Concept Paper on Integrated Disclosures were submitted

(d) Suggestions on the Concept Paper on Delisting of Securities) Regulations, 2006 were submitted

(e) The Chairman of the Committee attended the 32nd Annual Conference of International Organisation of Securities Commission (IOSCO) at Mumbai from 9th to 12th April, 2007 and interacted with various international regulators.

(f) The chairman of the Committee also attended the meetings of SEBI Committee on Disclosures and Accounting Standards (SCODA) at Mumbai on 26th July, 2007.

With the Ministry of Corporate Affairs:

(a) **On the Efficacy of Investor Protection:** The Committee made a presentation before the Investor Education & Protection Fund Committee of the Ministry of Corporate Affairs on 16th March, 2007. The presentation was made on the subject "Single Window Investor Grievances Redressal Mechanism". The Secretary, Ministry of Corporate Affairs specially complimented the presentation made by the Institute.

(b) **ICAI led as Convener of Group of Experts on Investor Protection:** Tthe Ministry of Corporate (MCA) constituted an expert group for the purpose of making a report to the Ministry on the above subject. The Ministry has nominated the Chairman of the Committee, CA. C.S. Nanda as the Convener of the group of experts and the report was submitted on 3rd July, 2007.

(c) **Suggestions on Indian Depository Receipts:** The Committee submitted its detailed suggestions and recommendations to the Ministry in its response to the review of the Rules relating to the Indian Depository Receipts (IDR's)

5.7.2. ICAI Investor Awareness Programmes: Programmes were conducted at the following places:

Agra (7th May, 2006)

Ghaziabad (12th August, 2006)

Ambala (19th August, 2006)

Hissar (25th August, 2006)

Bhatinda (26th August, 2006)

Patiala (26th August, 2006)

Calicut (30th August, 2006)

Mathura (2nd September, 2006)

Kota (3rd September, 2006)

Gwalior (18th November, 2006)

The Committee proposed to conduct 25 programme during the course of this current year.

5.7.3 MCA – ICAI Investor Awareness Programme:

Under the aegis of the Investor Education and Protection Fund of the Ministry of Corporate Affairs of the Government of India, the month of September, 2007 is being observed as the Investor Awareness Month. The Ministry has assigned the Institute to embark upon many ambitious programmes for the protection and education of investors. This follows after the submission of a Report of the Expert Group on "Approach towards issue of Investor Protection & Grievance and Redressal Mechanism and Financial Integrity of the System" of which the Chairman of the Committee on Financial Markets and Investors' Protection was the Convenor. As a part of the series of action plan towards protection and educating the investors, the Institute of Chartered Accountants of India is organizing the following programmes at various places of the regions of the country.

Sl. No.	Date	Day	Place	Region
1.	1st September	Saturday	Ghaziabad	CIRC
2.	2nd September	Sunday	Shimla	NIRC

	3.	6th September	Thursday	Pune	WIRC
	4.	7th September	Friday	Faridabad	NIRC
	5.	8th September	Saturday	Agra	CIRC
	6.	8th September	Saturday	Goa	WIRC
	7.	8th September	Saturday	Ludhiana	NIRC
	8.	9th September	Sunday	Amritsar	NIRC
	9.	11th September	Tuesday	Tiruchirapalli	SIRC
	10.	13th September	Thursday	Hyderabad	SIRC
	11.	14th September	Friday	Bhubaneswar	EIRC
	12.	14th September	Friday	Vijayawada	SIRC
	13.	14th September	Friday	Guntur	SIRC
	14.	15th September	Saturday	Gorakhpur	CIRC
	15.	15th September	Saturday	Jaipur	CIRC
	16.	16th September	Sunday	Allahabad	CIRC
	17.	20th September	Thursday	Kolkata	EIRC
	18.	22nd September	Saturday	Bhilai	CIRC
	19.	22nd September	Saturday	Chennai	SIRC
	20.	22nd September	Saturday	Tirupur	SIRC
	21.	22nd September	Saturday	Ambala	NIRC
	22.	22nd September	Saturday	Ahmedabad	WIRC
	23.	22nd September	Saturday	Guwahati	EIRC
	24.	22nd September	Saturday	Aurangabad	WIRC
	25.	22nd September	Saturday	Kakinada	SIRC
	26.	23rd September	Sunday	Jalagaon	WIRC
	27.	23rd September	Sunday	Nagpur	WIRC
	28.	23rd September	Sunday	Bangalore	SIRC
	29.	23rd September	Sunday	Surat	WIRC
	30.	27th September	Thursday	Karnal	NIRC
	31.	28th September	Friday	Udaipur	CIRC
	32.	29th September	Saturday	Coimbatore	SIRC
	33.	29th September	Saturday	Siliguri	EIRC
	34.	29th September	Saturday	Nashik	WIRC
	35.	29th September	Saturday	Rajkot	WIRC
	36.	29th September	Saturday	Chandigarh	NIRC

5.7.4 **All India Conference on Capital Market:** The Committee in association with Bharat Chamber of Commerce & Industry & Association of NSE Members of India, Eastern Region organized an all India Conference on Capital Market on the theme " Indian Capital Market – Vision – 2010. The Conference was hosed by the EIRC of ICAI. The Conference was a grand success with a participation of 700 members. The conference was addressed by eminent experts in the field of capital markets and the progamme was held on 14th July, 2007 at Kolkata..

5.7.5 **Handbook on Capital Market Regulations:** Keeping in view of the vastness of the subject matter and market being regulated by various statues, and related rules, regulations and guidelines being amended from time to time, the Committee brought out a new publication "Handbook on Capital market Regulations" in September, 2006. The publication also included a chapter on various services rendered by CA in the field of capital market. The publication is presently under revision.

5.7.6 Futuristic Initiatives:

(a) Introduction of Certification Course on Financial Markets and Services in association with the National Stock Exchange of India. The discussions are presently in progress.

(b) Handbook on Global Practices on Investor Protection

(c) Regional Conferences at Delhi, Bangalore and Mumbai

(d) Global Study Tours to foreign stock exchanges.

5.8 Expert Opinions

In these days of far reaching changes taking place globally, the Institute of Chartered Accountants of India, taking note of the vast changing developments in the environment in which the profession of chartered accountancy functions and in its endeavour to act in a proactive manner has issued/revised time and again new/existing accounting and auditing standards and guidance notes to ensure that our professional standards are in line with the international practices. However, these standards being relatively new and complex, pose practical difficulties in implementing them while dealing with certain tricky situations. With a view to guide the members in these situations, the Institute established the Expert Advisory Committee to answer the queries of the members of the Institute on accounting, auditing and allied issues. The Committee does not deal with hypothetical cases and the issues that involve only legal interpretation of various enactments and matters involving professional misconduct. It also does not answer queries which concern a matter which is pending before the Disciplinary Committee of the Institute, any court of law, the Income-tax authorities or any other appropriate department of the government. The Council of the Institute has framed the Advisory Service Rules, in accordance with which the Committee answers the queries received from the members. These Rules can be accessed from the website of the Institute or can be obtained from the Institute's Head Office at New Delhi.

It should be understood that although, the Expert Advisory Committee has been appointed by the Council and the Committee takes every effort to provide an objective and expert opinion, after taking into consideration the national and international literature available on the matter referred to it, an opinion given or view expressed by the Committee represents only an opinion or view of the Committee and not the opinion of the Council of the Institute.

During the period from 01.04.2006 to 18.8.2007, the Committee finalised 42 opinions on wide ranging issues, like segment reporting, overhead allocation for the purpose of inventory valuation at quarter/year end, deferred tax liability, accounting treatment of lease premium received on lease of industrial plots as industrial estates, disclosure of partly secured bonds, accounting treatment in respect of side-tracking costs of wells, treatment of deferred tax asset in respect of excess provision for doubtful advances and doubtful claims, etc.

All the opinions finalised by the Committee during a year, along with the date when it was issued are published in the Compendium of Opinions. Till now, twenty-four volumes of the Compendium, containing opinions finalised by the Committee upto January 2005 have been released for sale. Volume XXV and Volume XXVI of the Compendium, containing opinions finalised by the Committee during February 2005 to January 2006, and February 2006 to January 2007, respectively are under compilation. The Committee is also striving towards

releasing a CD containing all the opinions issued by the Committee till date with an easy search engine for the use of the members of the Institute.

Some of the opinions finalised by the Committee are being published in every issue of the Institute's Journal 'The Chartered Accountant'. Recent opinions of the Committee are also available on the website of the Institute.

5.9 Continuing Professional Education

5.9.1 Overview

The reporting period is a landmark in the Institute's endeavor to continue to maintain the status of Indian Chartered Accountants as a well-rounded professional comparable only with the best in the World. The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has always striven for excellence in the standard of professional services rendered by its members. Every possible initiative has been taken and implemented by the CPE Committee of the Institute to assist the members to maintain superior standards of professional services.

In line with the international best practices, the CPE Requirements for the Calendar year 2007 has been revised so that:

- All the members in practice, unless exempted, are required to obtain to their credit a minimum of 20 hours during a calendar year. Unstructured CPE Learning hours are not applicable. Members shall have to make up any shortfalls in their CPE Credit in the year 2006 by obtaining twice the amount of the shortfall before the 31st December 2007. Such 'make-up hours' shall be in addition to the regular CPE Credit hour requirements for 2007.
- The requirements of CPE Credit hours are **recommendatory** for members engaged otherwise than in practice. Such members are recommended to earn a minimum of 10 (Ten) hours of CPE Credit in a calendar year.
- The requirements of CPE Credit hours are **recommendatory** for members residing abroad

5.9.2 Documents revised and issued

The Council considered the recommendations of the CPE Committee and revised and issued the following documents:

- Statement on Continuing Professional Education, 2003 (as amended in August 2006)
- Norms for CPE Study Circles (as amended in August 2006)
- Norms for CPE Chapters (as amended in August 2006)
- Norms for CPE Study Groups (as amended in August 2006)
- Council Directions for Professionalisation of Conduct of CPE Programmes

5.9.3 CPE Portal

The Committee has developed an Online CPE Portal (http://www.cpeicai.org) for recording and maintaining the records of CPE hours earned by the members of the Institute, which was made operational w.e.f. 17th October 2005.

The system facilitates the members in keeping themselves updated with the CPE credit hours earned by them. The members can view the status of CPE hours by logging into the

CPE Portal using their User ID and password. The portal also provides the information on upcoming events across India and abroad organized by various POUs such as Central Committees, Regional Councils, Foreign Chapters, CPE Chapters, CPE Study Circles and CPE Study Groups.

The said CPE Portal is functioning satisfactorily all over the country.

5.9.4 Empowering the Programme organizing Units

With a dual objective of maintaining uniformity in the subjects to be covered by the CPE POUs and to enable them to determine the CPE Credit hours, without approaching the CPE Directorate of the Institute, CPE Calendar has been released after due consultation process covering topics of practical relevance not only for the members in practice but also to the members in service. Due care was taken to address the CPE requirements of members at metros, big and small cities, moffussil and remote places. As in the early years the CPE Calendar was divided into two parts viz., Obligatory Topics and Optional Topics. The obligatory topics for the year 2007-08 includes the following:

ACCOUNTING AND AUDITING

1. Accounting Standards issued by ICAI
2. Audit, Assurance and Quality Standards issued by ICAI
3. Pronouncements and other documents of ICAI on Accounting and Auditing
4. Accounting Standards with sector wise / industry wise practical presentations
5. Accounting Standards & International Financial Reporting Standards (IFRS)
6. US & UK GAAPs
7. Internal Audit Standards
8. Peer Review – Systems, Procedure and Documentation for Practice Units
9. Technical Standards under Quality Review
10. Sarbanes Oxley Act
11. Accounting of the Urban Local Bodies
12. Forensic Accounting and Audit
13. Internal Audit and Internal Control
14. Service Tax Audit
15. VAT Audit
16. Risk Based Internal Audit
17. Issues related to non-corporate enterprises and their auditors

INFORMATION TECHNOLOGY

18. Practical Workshop on:
    a. IS Audit of Banks/ Banking Application
    b. Using CAAT's/ General Audit Software
    c. IS Audit of Stock Broker CTCL Facility
    d. MS-Excel - Tool for Audit
    e. Network Security Audit/ Review
    f. Windows XP Security Review
    g. Windows 2000/ 2003 Security Review
    h. MS-Excel – Tool for Financial Analysis/ Reporting
    i. MS-Excel for Financial Management
    j. Advanced Features & Facilities of MS-Excel
    k. Data Extraction/ Analysis for Accounting/ Financial Requirements

l. Reporting/ Documentation Using MS-Word
m. IS Audit/ Review of Core Banking Applications (CBA)
n. Information System Audit
19. XBRL Financial Reporting Language
20. Certification of Internal Controls – Clause 49/ Sarbanes Oxley Act
21. Accounting Software Security Audit/ Review & Advanced Facilities/ Features
22. Digital Signatures & E-Filing (Income Tax/ MCA21)
23. Understanding ERP (2 Day)
24. ERP Implementation/ Testing/ Maintenance (8/21 Days)
25. Information Technology Act
26. Emerging IT Challenges & Opportunities
27. Emerging Opportunities in BPO/ KPO Sunrise Sectors
28. IT Best Practices – A Review

TAXATION

29. Audit under Income Tax Act – Preparation, Presentation and Documentation
30. Depreciation: Accounting, Taxation and Company Law issues
31. Emerging Issues in Indirect Taxation
32. Issues in Business Taxation
33. Issues in International Taxation
34. Tax Tribunals including National Tax Tribunal – Role of Chartered Accountants
35. Recent Judgements on Direct Tax Laws
36. Service Tax – Law and Practice
37. Taxation of Non-Resident Indians – Recent Developments
38. Stay, Tax Recovery and other Related Provisions under the Tax Laws
39. Transfer Pricing
40. Corporate Taxation
41. Fringe Benefit Tax (FBT)
42. Value Added Tax (VAT)
43. Survey, Search and Seizure – Current Developments
44. Desk Review

CORPORATE LAWS

45. Schedule VI
46. E-forms under MCA 21
47. Arbitration Act, 1996
48. Valuation Techniques
49. Mergers and Amalgamations
50. Companies (Auditors' Report) Order (CARO)
51. NCLT Law and Practice
52. MCA 21 – Challenges & Opportunities for the Profession
53. Limited Liability Partnership

CODE OF CONDUCT

54. Code of Ethics of ICAI and relevant emerging issues

FINANCE AND CAPITAL MARKET

55. Derivatives: Futures and Options

56. Sources of Raising Funds
57. Recent trends in finance and capital market
58. International Finance
59. FDI Rules
60. Project Report and Appraisal

CORPORATE GOVERNANCE

61. Listing Agreement
62. Audit Committee Charter
63. Audit Committee and Independent Directors
64. Recent Developments in Corporate Governance
65. COSO, COBIT & ERP

INSURANCE AND RISK MANAGEMENT

66. Insurance Survey and Loss Assessment
67. Developments in Pension Fund
68. Anti Money Laundering in Insurance Sector
69. Risk Management

OTHERS

70. Consultancy and Advisory Services
71. Business Advisory Services
72. Right to Information Act
73. Six Sigma
74. Intellectual Property Rights
75. Business Process Outsourcing – Opportunities for Chartered Accountants
76. Knowledge Process Outsourcing – Opportunities for Chartered Accountants
77. Fraud Investigation and Reporting
78. Jurisprudence, Interpretation of Law and Evidences Act
79. Money Laundering
80. CA Amendment Act, 2006
81. Merger, Demerger & Networking of CA Firms and Capacity Building

The optional topics include 144 topics of relevance to the members of the Institute in practice and in industry. The Calendar in addition also includes 8 broad heads of topics, which are of relevance to the members in industry specifically.

In order to enable the members to meet the increased quantum of CPE Credit hours, the CPE Programme Organising Units (POUs) of the Institute particularly the Regional Councils, Branches of Regional Councils, CPE Study Circles and CPE Chapters have been advised to conduct certain minimum number of CPE programmes commensurate with the members being served by such POUs.

Regional Councils and Branches were also advised that in addition to other programmes they should mandatorily conduct at least 2 Workshops every quarter one should be on Compliance with Technical Standards under Quality Review and other should be an Intensive Training Workshop on Implementation of Recently Issued Accounting Standards.

5.9.5 Maintaining quality of CPE Programmes

The CPE Committee has formed Regional CPE Monitoring Committees, inter alia, to monitor the quality of the CPE Programmes being organised by the CPE POUs. Monitors and supervisors as required under the CPE Advisory on Monitors and Supervisors are being nominated for CPE Programme Organizing Units (POUs) for achieving the above stated objectives.

5.9.6 Other initiatives of the CPE Committee

The CPE Committee has also been working on the following strategic initiatives:

- Formulating norms for the formation and functioning of CPE Study Circles outside India for the limited purpose of organizing CPE Programmes at places where Chapter outside India cannot be formed
- Conducting certification courses on topics such as International Financial Reporting Standards, SOX, Investment Banking, BASEL II, Due Diligence, Prospective and Forecast of financial information, Service Tax and Quality Control with a view to provide in-depth knowledge to improve the technical and professional skills of the members of the Institute
- Organising Training for Trainers workshops for CPE Resource Persons of the Institute of Chartered Accountants of India in all the five Regions.
- Conducting Workshops/ Training Programmes on Accounting Standards/ Auditing and Assurance Standards/ Quality Review Standards so that in-depth study and orientation is imparted to members of the Institute through the CPE mode
- Organising more In House Executive Development Programmes for the benefits of the members in Industry
- Revision of course contents of Post Qualification Courses on Management Accountancy, Tax Management and Corporate Management and framing strategy for popularizing them amongst the members
- Implementing e-learning solutions for the Members
- Implementing Smart Card Solution for Members
- Designing Speechcraft Programme for members of the Institute regarding developments of their soft skills
- Formulating Guidelines for inviting the dignitaries (Chartered Accountants at the influential positions, Central/State level Ministers as well as officials/ bureaucrats at Central/State levels) to participate in the Seminars/Conferences organized by the Programme Organising Units of the Institute

5.10 Professional Development Committee

The Professional Development Committee continued its journey towards achieving its Mission, i.e. to explore, derive, develop, assure and make available opportunities for the use of the professional talents and skills of Chartered Accountants in different sectors of the world of Business, Trade and Commerce, Service, Infrastructure Governance and Society as a whole and to ensure that such opportunities are available equitably to all Chartered Accountants with due regard to their professional abilities and attributes. As a part of its action plan, the Committee is continuously interacting with various regulatory/empanelling authorities and users of services of the profession.

The major achievements/endeavours of the Committee during the year are listed below:

- Increase in audit remuneration for Statutory Audits of Banks from the year 2006-07 onwards.

- The Multipurpose Empanelment Application Form for the year 2006-07 was hosted at www.meficai.org to enable the members/firms to fill up the form offline after downloading the same from the Website and uploading it again after connecting to the internet again.

- A new unique 'Networking Portal' has been launched which is available at the link www.canet.co.in to establish association with members/firms who share similar ideas, goals and visions and who complement strengths of participants of the Network.

- The Professional Development Knowledge Portal www.pdicai.org continues its service to provide the members with timely and necessary information on practice development and professional opportunities to the members.

- Meeting with the Hon'ble Union Minister for Finance and Minister of State for Finance in respect of the letter issued by the Joint Secretary, Department of Banking, to the CMDs of all Public Sector Banks on appointment of auditors.

- Meeting with the officials of Excise and Taxation Department of Punjab.

- Discussions with the officials of the Reserve Bank of India on various matters relating to audit of banks.

- Various issues of direct interest to the members pursued with the Office of Comptroller and Auditor General of India.

- Meeting with the officials of NABARD to discuss various issues of mutual interest.

- Meeting with the officials of the Department of Banking, Ministry of Finance to discuss various issues of mutual interest.

- Meeting with the officials of the Khadi and Village Industries Commission.

- Information regarding allocation position for Bank Branch Audits for the year 2006-07 hosted on the Institute's website.

Besides the above, the Committee is continuously striving to achieve its objectives, detailed below:

- To explore and exploit all available and potential opportunities whereby newer avenues for professional development and growth may be assured for the Institute's members.
- To educate the users on matters affecting the profession.
- To conduct courses, seminars, workshops on various subjects in so far as these relate to the core mission of the Committee.
- To determine the manner and the form in which guidance should be provided to Chartered Accountants in regard to the possible avenues that are developed for them.

- To improve the communication process with representative bodies of users of the services of the profession so that equal opportunity is given to all members of the profession with due regard to their professional abilities and attributes.
- To consider ways and means to provide specific assistance in improvement of skills and talents of our members (Basically, this will be in the form of recommendations to other Committees of the Institute).
- Last but not the least, to ensure that existing opportunities of professional development are fully utilised and maintained at equitable and growth-oriented levels.

The Committee is of the firm belief that "We achieve only what we plan". In pursuance of this belief and in order to achieve its above objectives, the Committee is prioritizing to identify and nurture new areas of practice and this is proposed to be achieved by adopting the following areas as focus areas for professional development from the year 2006-07 onwards:-

The Professional Development Committee has decided to undertake following activities for the professional development of the members:

- To undertake study to estimate demand for CAs in next 5 years - area of practice wise and geographically– identify agencies to carry out the study and draw up plan of action based on the findings of the study specifically, need to have a relook at the education and training programs of the prospective members.
- Establish ICAI KPO Centre to facilitate members to provide services in this area – to consider recruitment of CEO/COO for this Centre and identify agency for recruitment and determine location – work out broad parameters/modalities for functioning of the Centre.
- Establish ICAI Training Centre to conduct high quality specialized training programs on ongoing basis for various government/public sector bodies and others – in India and outside India – to consider recruitment of CEO/COO for this Centre and work out modalities for the same.
- Establish ICAI - Industry Network for regular interaction to identify opportunities for professionals/needs of industry and development of requisite skill sets (jointly with Members in Industry) – consider whether it should be one or more – at each region, constitution, frequency of meetings and other modalities.

The Committee is also cautious of its responsibility to educate members in the areas related to new avenues of professional opportunities. It is in view of this that the Committee had organized the All India Conference on 'Professional Opportunities' at Nagpur.

5.11 Peer Review Board

The Peer Review mechanism, introduced by ICAI – a leader in this behalf – in the country, as per the feedback received, has been welcomed by the Members of the profession at large.

The Peer Review Board set up by the Council of the Institute in the year 2002, comprising of Members of the Council and representatives from bodies like the Ministry of Corporate Affairs, C&AG, Industry and RBI is moving forward in ensuring that the reviews are carried out as per the best global practices.

In order that there is consistency and uniformity in carrying out reviews by the Reviewers, the Board imparts training to the Reviewers, before assigning them the Practice Units for review. The training modules, specially developed for the purpose as a book titled "Training Modules for Peer Reviewers" provide for training curriculum for Reviewers and also guidance for the training facilitators on how to conduct reviewers' training.

During the course of training, a number of questions were raised on peer review process, obligations of the Practice Units (PUs),role of the Reviewers, Powers of the Board, insulation from disciplinary jurisdiction etc. While the Trainers tried to the best of their ability to answer the posers, the Board thought it appropriate to compile these questions in booklet form and accordingly a publication on FAQs was also published.

The Peer Review process aims to cover all firms of chartered accountants (PUs) in a phased manner in three stages. The PUs are selected on random basis, through a specially developed software. PUs covered under Stage I have been selected in 3 phases and those under Stage II have so far been selected for 4 phases. Selection of PUs under Stage III has also been made under phase I thereof.

The Council has accepted the request of SEBI Committee on Disclosures & Accounting Standards that in view of the public funds involved, audit of listed companies should be carried out by those Auditors only who have undergone peer review and have been issued Peer Review Certificate by the Peer Review Board.

The Peer Review Board organized a "Conclave on Peer Review" on July 27, 2007 at Mumbai to apprise the regulators & industry representatives about the Peer Review Process initiated by Institute as well as experience gained by the Peer Review Board so far. The Conclave was attended by representatives of (i) various regulatory bodies like RBI, SEBI, IRDA, AMFI, NSE, BSE, ABC, Forward Markets Commission (FMC) etc.

5.12 Committee for Mernbers in Industry

5.12.1 Overview

The Committee for Members in Industry is involved in encouraging and enhancing close links between ICAI and the Chartered Accountants working in industries in various capacities so as to provide for them, a base of reference in terms of knowledge, expertise, skills and assistance in individual career growth through the development of extensive and intensive relationship with organizations and agencies of the Government, so as to provide the maximum possible exposure to the world of trade, commerce, industry and governance, while simultaneously pursuing the goal of providing the maximum of employment opportunities.

The Committee also provides assistance to members of the Institute in finding appropriate placement opportunities in the industry. In this regard, the Committee is engaged in providing to the following three categories of members and students of the Institute:

(i) Newly qualified Chartered Accountants through the campus placement programme
(ii) Semi-qualified accounting professionals (candidates who have completed their Chartered Accountancy Course articleship)
(iii) Qualified Chartered Accountants – who are presently serving in industry

All the above services are being administered through the Placement Portal www.placements-icai.org. The ICAI placement portal provides an opportunity to professionals in finance and accounting and the industry to interact with the objective of building capacity for international best practice oriented finance and accounting culture and Indian industry.

5.12.2 Campus Interviews

The Committee organizes campus placement programme twice a year, in February- March and August – September for the placements of the members qualified in November and May attempts respectively. 1345 Chartered Accountants were placed in the Campus Interviews held in August - September 2006 whereas 1842 Chartered Accountants were placed in the Campus Interviews held in February – March 2007.

Highlights of Campus Placement Programme Feb-March 2007

In **all 4296** candidates had the opportunity to avail this service. The bio-data of these professionals were classified centre-wise and they were given an opportunity to meet 278 interview boards of 118 organizations at fourteen centres.

Trends in Salary Packages

Highest salaries offered during February-March 2007:

a) Salary paid to candidates for International posting in the Campus Placement Programme was Rs. 38.25 Lacs (USD+ $85000).
b) Salary paid to candidates for Indian posting in the Campus Placement Programme was Rs. 10 Lacs.
c) No. of candidates placed in any single Campus placement programme since the introduction of Campus Placement Services by the Institute is 1840
d) No. of candidates who were made offered salary of Rs. 5.00 lacs and above was 800. +1USD=45 INR

5.12.3 CPE Requirements for members engaged otherwise than in practice.

It has been decided to make the requirements of CPE Credit Hours recommendatory for members engaged otherwise in practice. Such members are recommended to earn a minimum of 10 (Ten) hours of CPE Credit in a calendar year. This comes into effect from 1.1.2006.

However, the CPE requirements are being made mandatory for the Members in industry w.e.f. 1.1.2008. The members shall be required to compulsory earn 10(ten) hours of CPE credit for the calendar year 2008.

5.12.4 Opening up of New Campus Interview centers.

The Committee has opened four new Campus Interview Centers at Chandigarh, Ernakulam, Nagpur and Surat.

5.12.5 Dress Code

To prepare the newly qualified Chartered Accountants for entering into the corporate world in a more presentable way and for building the better brand image of the profession as a whole, the committee has decided to make the recommendatory dress code decided by the council, mandatory for the candidates participating at the forthcoming campus placement programme

5.12.6 Attending of the Orientation Programme – Mandatory

The Committee has also decided to make the attending of the orientation programme for all the eligible candidates mandatory for its forthcoming campus placement programme.

5.12.7 Attending of the Pre-Placement Talk - Mandatory

To help the candidates resolving their queries with regard to the profile, posting, salary etc. in relation to the companies Shortlisting them attending of the Pre-placement talk has been made mandatory from the forthcoming campus placement programme.

5.12.8 CFOs Guild (Corporate Accountants Guild)

The Committee for Members in Industry is maintaining the Guild of CFOs. The Guild is meant for the members of ICAI occupying senior positions in industry. The primary objective of setting up such a guild a develop a platform where highly intellectual and talented pool of people from various organizations can discuss various issues concerning the profession in general and for members in industry in particular. They can plan, formulate and strategize policies for improving the image of Chartered Accountants in the eyes of the industry. Industry-specific seminars/conferences/round table meetings are also planned to discuss the matters pertaining to the industry and make them brand ambassadors of the profession. The present strength of membership in the Guild of CFOs is 1848 as on 18th August 2007.

5.12.9 Members in Industry Guild

In addition to the above said guild the Committee has developed a Guild for the Members working in industry. The Primary objective of setting up such a guild is to develop and maintain an industry wise database of the members of our Institute serving in industries. Further, the guild shall act as a forum where various issues concerning the profession in general and for Members in Industry in particular can be discussed.

Industry specific seminars/ Conferences/ Round Table meetings can also be organized to discuss the matters pertaining to the industry and make them the Brand Ambassadors of the profession. The Members shall also be apprised of the various happenings of the Institute and updates in respective fields from time to time. The membership strength of the guild as on the 18th of August 2007 is 137.

5.12.10 Programmes/Seminars/Conferences organized:

The Committee organized the following programmes/seminars/conferences for the benefit of the members in industry:

1. CFOs Meet on 20th May 2006 at Chennai
2. Director (Finance)/CFOs Meet on 2nd June 2006 at New Delhi
3. All India Conference on Professional Enrichment & Excellence – Widening Horizon on 14th & 15th July 2006 at Kolkata

- Treating the Articleship Training at par with the Industrial Training

5.13 Committee on Information Technology

5.13.1 Overview

Information Technology is revolutionizing the business processes and delivery methods. Commercial organizations and government departments are making more and more use of IT to manage their operations, streamline them and to provide value added services. There is an increasing trend towards consolidation and centralization. E-Service has become the order of the day – Home Banking, Virtual Institute Project by ICAI, E-Governance by MCA/Income Tax/Foreign Trade, Portals, Online Sales, Reservations by Indian Railways/Airlines fulfilling the users' right to information and providing services at their doorsteps. Information Technology is the business driver today.

At the same time, Indian business scenario is witnessing emergence of more and more IT Enabled Services (ITES) like ERP, Business Process Outsourcing (BPO)/ Knowledge Process Outsourcing (KPO) with the removal of trade barriers and the world fast transforming into a global village.

With increasing competition, the accountants need to focus on the efficiency and effectiveness of audits/operations by making increasing use of the computers as a tool for audit/analysis.

The Council of the Institute has constituted the Committee on Information Technology to equip the profession to convert IT challenges into opportunities for Chartered Accountants to not only survive but also grow in the evolving economy by increasing the efficiency and effectiveness of their operations and enable them to provide value added services that are in increasing demand in the evolving economy. Some of the important initiatives of the Committee are covered in the following sections.

5.13.2 Post Qualification Course on Information Systems Audit

While the increasing deployment of IT solutions by businesses and Government departments has ushered in many benefits and value added services, they have also been found lacking in many instances with respect to efficiency & effectiveness, existence of proper systems, processes, procedures, controls, checks and balances, which can have a serious impact on not only the profitability but also their business continuity. Recent legislations and regulatory requirements (SOX & Clause 49) are increasingly requiring certification of Internal Controls. Considering the immense dependence on IT to manage their business and regulatory functions, regulators, businesses and Government departments are getting an audit of their Information Systems.

Considering the emergent need for IS Audit/Systems and Process Assurance, the Committee introduced the post qualification course on Information Systems Audit for the members. The Syllabus and Background Materials were last revised in January, 2006. An exercise was once again taken up this year to re-look at the syllabus and background material for which a Faculty Meet was organized at Chennai with a theme to benchmark the course towards the best in the world.

4. CFOs / CEOs Meet on 4th August 2006 at Gurgaon
5. 3rd Residential Workshop on IFRS & US GAAPs at Mumbai from 17th to 20th August 2006
6. CEOs/ CFOs Meet on 25th August 2006 at Pune
7. CEOs/ CFOs Meet on 2nd September 2006 at Bangalore
8. Chartered Accountant/ CEO/CFOs Meet on 14th April 2007 at Mumbai
9. 4th Residential Workshop on IFRS & US GAAPs from 19th to 22nd April 2007 at Mumbai
10. National Conference for IT Industry on 25th and 26th May 2007 at Bangalore
11. Corporate Accountants Meet on 22nd June 2007 at Indore.
12. National Workshop on System Audit in Banking Sector on 22nd – 24th June 2007 at Mumbai.
12. 13. All India Residential Refresher Course on 'Excellence In Corporate Practice- Modern Approach at Mount Abu, Rajasthan.
14. National Conference On Internal Audit organized jointly with the Committee On Internal Audit on the 28th & 29th July 2007 at Mumbai.
15. Programme on 'Professional Excellence' from 10th and 12th August 2007 at Goa.

5.12.11 Publications of the Committee

The following publications have been released for the benefit of the members in industry:

'How to Face an Interview Board' for the newly qualified Chartered Accountants distributed free of cost at the time of orientation programme.

- Quick Review Questions
- Business Planning

The Committee is working on the following **strategic initiatives**:

- Marketing of Placement services to further improve the final placement of newly qualified Chartered Accountants.
- Popularization of Placement Portal.
- Popularization of the Placement Portal for the experienced Chartered Accountants amongst the members and the corporates
- Developing and maintaining an industry – wise database of the Members working in industries
- Publication of material having relevance to the Members in Industry.
- Creation of database of members of eminence and those occupying key positions in the industry.
- Considering the ways and means to enhance the participation of the Members in Industry in the activities of the Institute.
- Organizing industry-specific Programmes
- The Committee has been mass mailing regular updates on various subject areas relating to the Campus Interviews and through the PDC portal of the Institute.
- The Committee is working on the parameters for awarding the best Chartered Accountant/ CEO/CFO (Corporate Accountants)

5.13.3 Training Resources on Computer Assisted Audit Techniques (CAAT/ General Audit Software) – CAAT Resources CD (V2.1)

There is an increasing need to use Computer Assisted Audit Techniques/General Audit Software to deal with increasing volumes and variety of financial transactions processed electronically. Recognizing this need, the Committee has issued a *CAAT Resources CD* (V2.1) to facilitate members to develop soft skills on using Computer Assisted Audit Techniques (CAAT)/General Audit Software (GAS). This CD contained walkthroughs (step-by-step procedures with voice explanations), user guides, presentations, case studies and working copies of a number of CAAT/ GAS tools.

5.13.4 CPE Course on "Computer Accounting & Auditing Techniques"

The Committee took an initiative to offer CPE Course on Computer Accounting & Auditing Techniques. The curriculum of the course is revised time to time to keep it up-to-date with the technology developments. This course is now available for members through Regional Councils/Offices/Branches/CPE Chapters of the Institute.

5.13.5 Technical Guide on IS Audit

The Committee has published a Technical Guide on IS Audit for the use of members to provide the framework for IS Audit.

5.13.6 ISA Portal

The Committee has established ISA Portal www.isaicai.org to offer services such as course information, facility for online registration, fill-up of the online ET form and details of committee activities for the benefit of members. ISA Portal is the primary means of communication with the members pursuing the ISA & CAAT Courses.

5.13.7 ISA COM site providing twin Services of ROSM & OLPT

The Committee has established the ISA COM site to provide a unique learning and testing facility offering twin services of Online Practice Tests (OLPT) and Researched Online Study Materials (ROSM). The OLPT facility enables candidates to review their understanding/preparation level for the examinations and ROSM facility gives one page full of details about the question asked, to enable members to have greater clarity of concepts.

5.13.8 IT Enabled Services (ITES)

The committee has identified ITES as a thrust area for training and development of members. The Committee has launched as a part of ERP initiatives, SAP certified ERP course on "Managerial and Financial Accounting (FICO)" module and considering the launch of other ERP courses from Microsoft, Oracle & others.

5.13.9 E-Learning

The Committee is considering implementation of suitable e-learning modules by way of Pre-Professional Training for ISA. This is expected to provide on-demand learning facility and also reduce the professional training requirements as a part of the course.

5.13.10 Technical Guide and Training Programmes on Systems Audit of Stock Brokers

The Committee in the process of publishing a Technical Guide on Systems Audit of Stock Brokers and also provide training programmes for the benefit of members in this area.

5.13.11 IT Laboratories/ Centres of Excellence in Information Technology (CEIT)

The Committee has established a pilot IT Laboratory at Chennai to provide practical hands-on training and exposure to members in emerging IT Areas by offering focused training programmes for their development. Similar IT Laboratory is expected to be established shortly at Delhi.

5.13.12 IT Conferences, Seminars, Practical Workshops

The Committee keeps on organizing IT Conferences, Seminars, Workshops at major cities from time to time to provide an opportunity to members to benchmark themselves to best practices being followed within the country and abroad. Practical Workshops have been organized at IT Laboratory, Chennai, Mumbai Computer Training Centre and at Delhi. A short-list of such popular practical workshops is as under:

- Using CAAT's
- Systems Audit of Banks
- Using MS-Excel as an Audit Tool
- Exploring Excel, Advanced Features of MS-Excel & Macros
- Advance Excel & Macro
- Sarbanes Oxley Act & its impact on IT Audit
- Spreadsheet Audit
- LINUX OS Audit
- Office 2007 New Features
- Office Automation for CAs Office: Windows / Linux, MS Word/ MS Excel/ MS PowerPoint, Tally
- Information Security Management Introduction & Awareness of ISO-27001
- Cyber Forensic Investigation Tool
- Financial Accounting
- Reporting and Documentation
- ERP on Demand
- MS-Window Security
- Network Security Audit/ Review
- Sampling & Database Audit Using MS Access
- Database for Auditors MS-Access & MS SQL

5.13.13 ISA Course for ICAI Members in Nepal in association with the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN)

The Committee organized the second ISA PT batch for the benefit of ICAI members in Nepal in association with the Institute of Chartered Accountants of Nepal (ICAN) in December 2006.

5.14 Public Relation Activities Undertaken

The Public Relation Activities continued to occupy a center stage in the Institute's activities so as to build upon the brand of the profession domestically and globally. The important activities undertaken include the following:

- A CA Logo, to be used by Members/Firms on their visiting cards and other materials for dissemination to world at large regarding their distinctive occupation of a Chartered Accountant was released at the august hands of Hon'ble Union Minister of Corporate Affairs, Shri Prem Chand Gupta on the Chartered Accountants Day i.e. 1st July, 2007.

- The Press and Media continues to be apprised of the emerging developments in the profession through constant interactions and in particular after each of the Council meetings.

- Due coverage to the foreign delegations visiting India for reforms in Accounting and Auditing scenario were also addressed.

- The ICAI Patrika continues to be an active medium for informing the world at large about the developments taking place in the Indian Chartered Accountancy profession.

- Emphasis on contemporary issues in public debate concerning the profession, in the programmes organised by the Institute, its Regional Offices and Branches with a view to develop communication link between the Institute and members for their feedback has been laid.

- CA Curriculum was promoted through structured articles as well as interactive meetings with the press in national as well as regional news papers and TV Channels.

- Provided logistic support to the Committees constituted by the Government of India, under the Ministry of Corporate Affairs.

- Image building of the Institute both professionally and socially and Creation of general awareness through series of TV Spots is on anvil.

- Special advertorials in leading newspapers about the proactive role being played by the profession in the socio economic development were released.

- An orientation programme for the press and media persons on the technical aspects of the accountancy information was conducted so as to make their press coverage more realistic and authentic.

- The different Seminars/Programmes/Events of the Institute as conducted by different Committees were provided due coverage in Print and Electronic Media as a PR exercise.

- The steps to establish ICAI archive have been initiated.

- The Catalogue(s) namely ICAI Profile and Catalogue of the publications of the Institute were brought out during the year.

- A feedback questionnaire on service response for the service rendered to Students and Members was also finalized to ascertain areas requiring attention.

5.15 Trade Laws and WTO

The Committee on Trade Laws and WTO had been established with the mission to establish and assure the expertise and authority of the Institute in all matters concerning Laws of Trade including Trade in Goods and Services in particular, and the implementation of international trade regimes including the WTO regime in general, both nationally and internationally and to create and expand a base of expertise in these matters among the membership of the Institute through such ways and means as are considered to be most effective so as to fulfill national stated and unstated aspirations, concerns, and needs in all these regards.

Moving ahead with its mission during the period under report, the Committee continued to strive for capacity building of members in the rapidly changing world trade scenario in order to technically equip the members of the Institute to face the challenges and derive advantages to broaden the scope of their expertise in the new world trading regime and to contribute towards the economic development of India.

5.15.1 Release of Publications

With the basic objective of providing guidance to the Chartered Accountants in practice and in service and others concerned to have an insight in various fields and on issues of relevance to International Trade Laws and WTO, the Committee has released the following publications during the period:-

- A Handbook on Anti-Dumping, Anti- Subsidy and Safeguard Measures
- A Handbook on Laws Relating to Intellectual Property Rights in India
- A Handbook on Valuation of Intellectual Property in Emerging Countries Like India – Accounting to take lead role now
- A Handbook on Special Economic Zones
- Study on Tax Havens

5.15.2 Post Qualification Course in International Trade Laws and World Trade Organisation

- After the successful launch of the Post Qualification Course in International Trade Laws & WTO (ITL & WTO) in November, 2004, 265 Members have registered themselves for this Course from across the country.

- Two batches of the 30 days' Personal Contact Programme (PCP) for the Post Qualification Course in ITL & WTO were successfully conducted during the period at New Delhi. Eminent faculty consisting of senior Government officials in different Ministries, such as Ministry of Commerce, Ministry of Finance, Ministry of Agriculture, Ministry of Environment & Forests, Competition Commission of India, Export Inspection Council of India, Copyright Board, faculty from noted law firms, JNU, Delhi University, IIFT, people from trade and industry, professionals and other

research based organizations in the field of WTO gave presentations and delivered lectures during the PCP.

- Interactions were held in different cities with the members registered in the Post Qualification Course in International Trade Laws and WTO with regard to various aspects of the Course.

5.15.3 Seminars/Conferences/Awareness Programmes/Study Tours

During the period under report, the Committee organised the following programs:-

- Seminar on Foreign Trade Policy was organized on 29th April, 2006 at Hotel Le Royal Meridien, Mumbai hosted by the WIRC of ICAI.

- Seminar on 'Knowledge Process Outsourcing – Opportunities for Chartered Accountants' was organized on 26th May, 2006 at Bangalore hosted by Bangalore Branch of SIRC of ICAI.

- Seminar on WTO – Emerging Opportunities was organized on 24th August, 2006 at New Delhi.

- Seminar on FDI in India was organized on 2nd September, 2006 at Jaipur hosted by the Jaipur Branch of CIRC of the ICAI.

- Seminar on Intellectual Property Rights – Emerging Opportunities was organized on 18th January, 2007 at Kolkata hosted by EIRC of the ICAI.

- Interactive Teleconferencing meetings were organized with the members at Delhi, Mumbai, Chennai, Kanpur, Kolkata, Bangalore and Ahmedabad in order to discuss the current developments on contemporary issues such as Competition Laws and Policies, Anti-dumping and Anti-subsidy/Countervailing Duty, Opportunities in International Trade Laws and WTO.

- A Study Tour to Europe was organized for members during July 17–25, 2006 for gaining first hand interaction with the multi-lateral and other agencies as a capacity building initiative.

- An interaction was organized at New Delhi with the Trade Counsellers/Representatives of various Embassies in India with a view to creating professional opportunities for members. It was attended by the officials of the Embassies of Ireland, Singapore, South Africa and Switzerland.

- Initiated dialogue with all major foreign business delegations coming to India to create/promote the cause of the Committee.

5.15.4 Research Activities

The Committee has also undertaken country specific research studies for the following countries. The basic objective of these research studies is to provide guidance to the Chartered Accountants and others concerned on the trade laws/rules applicable in major trading partners for (a) setting-up businesses in such countries; and (b) operating as professional accountants in such countries:

Australia	Japan	South Africa
Bahrain	Korea, Republic of	Sweden
Brazil	Kuwait	Switzerland
Canada	Mauritius	Thailand
China, Peoples Republic of	Oman	Turkey
Hong Kong	Russia	United Kingdom
Indonesia	Saudi Arabia	United Arab Emirates
Ireland	Singapore	United States of America
Israel		

5.15.5 Representations to Various Authorities

- The Committee had pioneered in making Institute's recommendations for the Annual Supplement 2006 to the Foreign Trade Policy to Hon'ble Shri Kamal Nath, Union Minister of Commerce & Industry primarily with a view to boost export of services trade.
- During the period under report, the Committee had also made representations before Export Promotion Councils, SEZs and other Government bodies in the field of International Trade Laws and WTO exploring professional opportunities for Members.
- The Committee had also given its suggestions on the Competition Amendment Bill, 2006.
- Joining the celebrations on the World Intellectual Property Day on April 26, 2007, the Institute had also issued a Press Release on the matter highlighting the role of the Institute in Encouraging Creativity in line with the theme for the year as identified by World Intellectual Property Organisation (WIPO).

5.15.6 Knowledge Sharing

The Knowledge sharing page developed by the Committee and displayed at the website of the Institute continued to provide useful and relevant information on the basic understanding of WTO. The page intends to keep the members abreast of latest development in the ever-changing global trading environment.

5.15.7 Assessment of Initial Offers under GATS

The Committee has been making an assessment of the Initial and Revised Offers under current GATS negotiations, in so far as sector specific/horizontal limitations have been inscribed, by various WTO Member Countries in the areas of services which a Chartered Accountant can render such as accounting, auditing, book keeping, taxation, computer related services to include the software, data processing and data base services, management consultancy, legal and financial services for bringing out a Research Study to suggest possible strategies for deriving comparative advantages therefrom.

5.16 Committee on Insurance and Pension

5.16.1 Developing Professional Opportunities for CAs

- Members of the Institute have been permitted to become members in Indian Institute of Surveyors and Loss Assessors (IIISA)

- Representation has been sent to the IRDA for exempting Chartered Accountants from undergoing 12 months training and passing the Examination of the Insurance Institute of India to become members of IIISLA and awarding points for CA Qualification for categorization of Surveyors and Loss Assessors.
- Representations have been sent to IRDA, PFRDA and ESI Corporation for utilizing the services of the members of ICAI.
- All Insurance Companies, IRDA Registered Insurance Brokers and IRDA Registered TPAs have been requested to utilize the services of the DIRM qualified members in the Insurance and Risk Management Sectors.
- The Committee has sent emails for utilizing the services of DIRM qualified members in Insurance & Risk Management to the Members of the following Export Promotion Councils:

1. The Sports Goods Export Promotion Council
2. The Cashew Export Promotion Council of India
3. The Plastics Export Promotion Council
4. The Indian Sil Export Promotion Council
5. Cotton Textiles Export Promotion Council

5.16.2 Developing Domain Expertise amongst CAs in the areas of Insurance and Risk Management and Pension

Publications

- A book titled "A Study on Anti-Money Laundering and Insurance Sector" has been released covering key issues relating to Money Laundering in insurance sector, which has become an important macro-economic issue to be managed appropriately.
- A book titled "Risk Management" has been released. This publication provides comprehensive coverage of all aspects of risk identification, analysis, transfer and retention, avoidance and reduction, and various tools available for managing risk.
- The Committee has identified the following areas to bring out publications for the benefit of the members and others concerned:

1. Agriculture Insurance
2. Detection and Prevention of Insurance Fraud
3. Accounting Issues for Entities involved in Life Insurance Business
4. Accounting Issues for Entities involved in General Insurance Business
5. Terrorism Risk Insurance
6. Reinsurance covering:
    a. Reinsurance Market, Special Areas of Reinsurance
    b. Inward Reinsurance
    c. Reinsurance Practice
    d. Reinsurance Administration
7. A Study on Insurance Broking
8. BPO in Insurance Business
9. Assets Liability Management in Insurance Business
10. Technical Guide on Investment Function of Insurance Companies (Revision)
11. A Study on Insurance Surveyors and Loss Assessors (Revision)
12. Guidance Note on Audit of Companies carrying on Life Insurance business (Revision)
13. Guidance Note on Audit of Companies carrying on General Insurance Business (Revision)

14. Technical Guide on Inspection of Investments of Insurance Companies (Revision)

Programmes

- Special financial assistance is being given to Regional Councils and select Branches to organise focused programmes on Insurance and Risk Management areas to develop the competencies of the members in those areas.

- A Round Table Conference on "Anti-Money Laundering and Insurance Sector" was organized on 25th August 2006 at Mumbai. This conference was hosted by WIRC.

- National Seminar on "Transformation of the Indian Insurance & Pension Sector- Role & Opportunities for Chartered Accountants" was organized at Ghaziabad on 2nd September, 2006. This seminar was hosted by Ghaziabad Branch. It was attended by 259 participants.

- Seminars on Transforming the Indian Insurance Sector- Role of Chartered Accountants were organized at Hyderabad on 7th July, 2007 and Kolkatta on 28th July, 2007. These seminars were hosted by Hyderabad Branch and EIRC of ICAI respectively.

- List of topics related to Insurance and Risk Management has been provided to CPE Committee to include in the CPE Calendar for the year 2007-2008. The CPE POUs have been requested to conduct programmes on Insurance and Pension Sectors.

- Prominent Training Institutes in the Insurance and allied areas like National Insurance Academy, Institute of Insurance and Risk Management etc. have been requested to associate with the Institute on publication projects in the areas of insurance and risk management and to conduct Joint Training and Professional Education Programmes on the topics related to Insurance and Pension sectors.

5.16.3 Training and equipping members in insurance and pension sectors by way of offering Post Qualification Courses and other Educational Courses:

- With a view to make the DIRM Course more indepth and to incorporate the developments in Insurance and Pension Sectors, the Revised Course Curriculum of the DIRM Course has been finalised and necessary approvals are being sought.

- Suggested Answers to the DIRM Technical Examinations held between May 2004 to May 2006 (five exams) has been prepared and hosted on the web site of the Institute and on the Portal of the Committee as well. The Committee has also released the printed version of the suggested answers to the DIRM Technical Examinations held during May 2004 to May 2006 (total five exams).

- Three Orientation Courses have been successfully held at Hyderabad, New Delhi and Ahmedabad during September 11-16, 2006, November 6-11, 2006 and

February 19-24, 2007 respectively for the candidates who passed the IRM Technical Examination.

- To popularize the DIRM course amongst the members, the Committee is consistently making efforts and taking up appropriate measures. As a result, the number of registrations have reached upto 3206 till 18th August, 2007. The region-wise break up is as under:

Candidates Registered up to 18th August, 2007

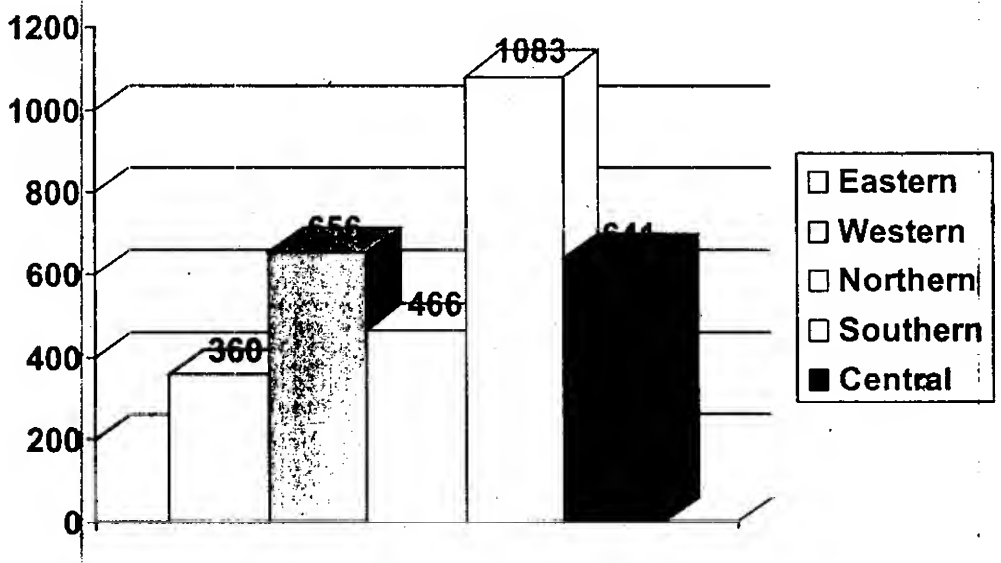

Region	Eastern	Western	Northern	Southern	Central
Candidates registered up to 18th August, 2007	360	656	466	1083	641

- Number of Successful Candidates in DIRM Technical Examinations held during the period 1st April 2006 to 18th August 2007.

Month and Year	No. of Passed Candidates
May 2006	109
November 2006	51
May 2007	68

5.16.4 Insurance and Risk Management Portal

A Separate Web portal of the Committee has been launched. It is being upgraded to include facilities like dissemination of knowledge and single window clearance for the stakeholders to identify the members who wish to develop specialization in insurance and pension sectors.

5.17 Committee on Corporate Governance:

The Institute, recognizing the importance of corporate governance and its contribution to the interest of all stakeholders proactively constituted a Committee on Corporate Governance. Its prime thrust was to arrange holding as many training programmes on Independent Directors as possible besides being involved in other areas in line with its Terms of Reference. Taking note of the progress so far made and keeping pace with its Terms of Reference, the Committee has initiated following innovative moves for being pursued during the year 2007-08.

5.17.1 Conference/ Seminars organized:

- During the year, the committee has conducted 7 training programmes on *"Independent Directors"* at places like Hyderabad, Kolkata, Dhanbad, Amritsar, New Delhi, Agra, and Ludhiana. Nearly, 400 people attended those training programmes. The same programme was repeated at Kolkata in May, 2007, as well.

- Held a National Level Conference on the theme – *"Corporate Governance- Myth to Reality - A Way Forward"* at Kolkata on 7th -8th July, 2006.

5.17.2 Initiatives

Institute would play a lead role in strengthening Corporate governance in India. As a part of such measure, it proposes to do the following:

To the Industry:

- To strengthen Corporate Governance in India
- Help members/Industry to rate their Corporate Governance Standards
- Provide support in Risk assessment and Corporate Governance
- Impact of Technology in Corporate Governance

To Members of our Profession:

- To conduct high and short duration course for Independent Directors
- Launch a course on Corporate Governance

To Regulators:

- To provide necessary support to SEBI and NFCG
- Proposal to bring out Research Publications on Corporate Governance in India.

Planned 5 National Level Seminars at various places covering all the Regions and Chairmen of Companies practicing Corporate Governance Best Practices are likely to be invited for gracing the inaugural session of those seminars.

Exploring the possibility of organizing a large number of Seminar/ Symposium jointly with NFCG to create awareness among the non-listed companies focusing importance of/ improvement in Corporate Governance practices and one such joint programme - "*Corporate Governance through Audit Committee*" was held on 27th June, 2007

5.17.3 Imminent Publications

- Code of Corporate Governance for Insurance Companies.
- Role and Responsibilities of Independent Directors & Audit Committee.

6. International Affairs Committee

6.1 Recognition of Indian Qualification by other Accounting Bodies

The process of dialogue for evaluation of the Institute's qualification by select overseas accounting bodies for allowance of exemptions to the ICAI members from examination and training forming part of the overseas bodies' qualification continued to move on swiftly. Being a long drawn process involving the evaluation of qualification, training, continuing professional education and disciplinary requirements as also having regard to the current state of negotiations under GATS and involving domestic sensitivities; the results of the process are slow; yet at the same time the Institute is continuing its efforts for early culmination of the process. The process of qualification recognition is at various stages of discussion with accounting bodies in the USA, Canada, Australia, UK, Singapore etc.

6.2 Institute's Representation at International Forums

The prominent role played by the Institute is evidenced in the form of nomination it enjoys in the governing boards of international accounting bodies, namely, the International Federation of Accountants (IFAC), Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) and South Asian Federation of Accountants (SAFA) in addition to their various functional Committees. Its nominees are currently represented on the following:

Committees of IFAC

- International Accounting Education Standards Board
- Small and Medium Practices Committee
- Developing Nations Committee
- International Public Sector Accounting Standards Board
- Professional Accountants in Business Committee
- Compliance Advisory Panel
- IASB Advisory Panel on Extractive Industries Project.

CAPA

As Dy. President of the Confederation of Asian and Pacific Accountants and Strategic Committee of CAPA.

SAFA

- Committee for Improvement in Transparency, Accountability and Governance
- Committee on Auditing and Acounting Standards
- Committee on Education, Training and CPD
- Committee on Professional Ethics and Independence

- Committee on Quality Control Review (QCR)
- Committee on Professional Accountants in Business
- Task Force on Study of Cost Indices of Major Products in SAARC Countries
- IASB Task Force on Accounting Standards for SMEs
- Secretary, ICAI as Permanent Secretary
- Past President, ICAI as SAFA Advisor

IASB
Working Group on Accounting Standards for SMEs

6.3 MOUs

The dialogue on MOU with Institute of Certified Public Accountants of Singapore is going on. Both the Institute's are likely to share their assessment of each other's education, training, examination and other regulated framework shortly.

The progress of drawing equivalence between qualifications of CPA Australia and ICAI professional qualification is taking place satisfactorily. Both the sides have exchanged information relating to Education, Training, CPD and other components and have since met on a couple of occasions at Delhi. The dialogue is likely to culminate by October, 2007.

The agreement with Government Finance Officers Association was signed on 12th June, 2007 while the President and Vice President visited the GFOA meet at USA. The agreement focuses to promote exchange of information about public financial management practices and to render support to ICAI in its ongoing work programme ,in the field of Municipal Accounting and Finance.

The process of entering into mutual recognition agreement with Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ICAEW) is on and further in this direction, a two-member delegation from ICAEW visited ICAI, New Delhi in July, 2007; to draw the roadmap and bridging mechanism for MRA between the two bodies.

6.4 Visits by Foreign Delegations and Vice Versa

A 12 member delegation from China headed by Dy. Secretary General, The National Office of Rectification and Standardisation of Market Economic Order, Ministry of Commerce, People Republic of China visited the Institute on 7th August, 2006 and had detailed interaction with regard to activities of Institute, particularly its role in enforcing disciplinary mechanism.

A 3 member delegation from the Institute of Chartered Accountants of India visited Mongolia and addressed one-day conference there. At the occasion, a Memorandum of Discussion for extending help to Mongolian CPA Institute inter-alia in the area of Information Technology and English communication were also signed. The delegation from Mongolia led by their President reciprocated the visit in January, 2007 when he addressed the International Conference at Chennai and thereafter held discussions with ICAI representatives.

A delegation from the office of Auditor General of Bhutan lead by the Auditor General of Bhutan visited the Institute on 12th December, 2006 and requested for Institute's association with Bhutan for strengthening of accounting infrastructure in the Kingdom of Bhutan and related capacity building issues. The Institute, upon visit of the said delegation has

forwarded the interest of the Institute to establish Accountancy Profession in Bhutan and ICAI's technical cooperation thereto to the Auditor General office and follow up action thereon is being made.

A delegation of Tokyo Certified Public Tax Accountants Association had interactions with the Institute in the matter of social role of Chartered Accountants, relation between Accounting Standards (AS) & International Accounting Standards (IAS) and About the independence of Auditing, on 13.12.2006. The delegation had discussions on the structure of the respective professions in the two countries and the matter of bilateral cooperation between the two bodies.

The delegation of the International Accounting Standards Board led by Sir David Tweedie visited India from 13th February to 15th February, 2007 and during their visit, they had meetings with regulators, namely Minister and Secretary at Ministry of Corporate Affairs, Dy. Governor, Reserve Bank of India, Chairman, Securities and Exchange Board India, Secretary Expenditure, Ministry of Finance and Secretary, (Banking) Ministry of Finance. At the occasion, a roundtable meeting with different regulators at ICAI office was also held. During these meetings, the role of IASB and their work programme on Convergence with International Financial Reporting Standards was highlighted. The occasion also saw a joint workshop with FICCI, wherein CFOs of leading corporations were called for interaction with Sir David Tweedie on the issue of convergence of Standards. The occasion provided an opportunity to exchange dialogue as to the Indian context on the convergence.

A delegation comprising Mr. Paul Meiklejohn, President, CPA Australia and Mr. Paul Wappett, General Manager,(Development), CPA Australia had visited the Institute's office at New Delhi, and had discussions with President, Vice President and Secretary on 1st March, 2007, to further strengthen the dialogue of mutual recognition of each other's qualification.

The Institute has, consequent upon the visit of Afghanistan delegation from Audit Office in January, 2007, has taken up the matter with the Dy. Auditor General of Afghanistan stating therein the interest of Institute to develop infrastructure of accountancy profession in Afghanistan.

Mr. John Kellas, Chairman, IAASB and Mr. Jim Sylph, Executive Director, IAASB had discussions with the Institute on matters of mutual interest during their visit to New Delhi on 17th –18th May, 2007.

A delegation headed by Lord Mayor of London which was in India visited ICAI office on 22nd May, 2007. Lord Mayor briefly gave his address focussing in cooperation between accounting bodies in both the countries. The meeting was also attended by Mr. Graham Ward, Past President, IFAC from UK and a couple of officials from British High Commission, Delhi. The meeting focused upon the movement of cross border services by the accounting professional at either end and the way forward for such an objective. The meeting also touched upon recognising each other's Qualification so that trade and industry benefits from the vast pool of service providers from both the countries.

As a sequel to the discussions taken place during the course of November 2006 meeting at Turkey, Istanbul by the ICAI delegation with the representatives of French accounting profession, it was agreed to take a delegation of ICAI members to France on self financing basis. The delegation was inter-alia to better its understanding of French regulatory environment in the area of Banking, Capital Market, business environment, Chambers of Commerce and possibility of establishing member-to-member network. The study tour,

which was headed by President, ICAI and participated by fourteen members had detailed interactions with the regulatory bodies and other stakeholders in addition to Indian Ambassador at France. The study tour is likely to facilitate increased bilateral cooperation in terms of setting up of Technical desk at either end to address the queries of members on setting up businesses at either end, resource sharing, knowledge sharing and B-2-B in its various manifestations.

The Institute is also planning to take a delegation of ICAI members to Italy for meeting with regulators and other stakeholders in October, 2007. Since another delegation is being planned for Switzerland and Belgium for holding meetings with various international organisations in October, 2007, possibility of clubbing these two delegations is being worked out.

6.5 Conference(s)

- A SAFA Conference on "Accounting Profession in South Asian Region Values & Perspectives" was hosted by the Institute on 30th September, 2006 at Chennai. The Conference was coincided by the meetings of SAFA Centre of Excellence and various working groups and the SAFA Assembly.
- The ICAI hosted the first meeting of SAFA (South Asian Federation of Accountants) Board on 3rd April, 2007 at New Delhi. Coinciding with the SAFA Board meeting, a Round Table Conference on the theme 'Making SAFA a Centre of Excellence of IFAC & SAARC – Issues & Perspectives' was also organized on 4th April, 2007. Apart from the SAFA Board members, many of the Central Council Members, Regional Council Members and Past Presidents of ICAI and ICWAI were present on the occasion.
- President and Secretary ICAI, along with the office bearers of SAFA attended the SAARC Summit held on 3rd April, 2007 at New Delhi. It was for the first time that SAFA Office bearers along with Head of host body were invited to attend the SAARC Ministerial.
- The International Conference on "Role of Profession in new Milieu" was held at Chennai from 11th –13th January, 2007. The Conference was inaugurated by Hon'ble Shri K. Rahman Khan, Deputy Chairman, Rajya Sabha and was attended by nearly 1500 delegates including delegates from foreign countries.

6.6 Others

The Committee considered the proposal from IFAC with regard to ICAI's contribution and support to a resource centre, namely IFAC Knowledge Net. The said resource is intended to provide an internet search engine on the ICAI's website whereby it facilitates searches within ICAI website and IFAC Knowledge Net. The resource provides flexibility in terms of areas information to which access with or without payment is to be provided.

The Institute continued to provide inputs to the Government on the Trade Policy Review of different countries and on matters relating to various FTAs on anvil, with Korea, Japan, Thailand and alike.

The Indo-UK Accountancy Task Force set up by Ministry of Commerce & Industry to promote bilateral cooperation between Indo-UK and Indian Accounting sector has had multiple interactions and is in that direction examining the education, training, examination and other regulatory framework to arrive at a bridging mechanism within comparable bodies of India and UK. The exercise is on.

On the matter of opening up of liaison offices in different countries, all places which are not currently represented by a Chapter / office and wherein the number of members of Institute are more than 175; such places are being considered for opening up of a liaison office. Committee has invited Expression of Interest from our members abroad by communications in Journal/Website.

The Institute's Expression of Interest to Federal Democratic Republic of Ethiopia towards a Public Sector Capacity Building Program Support Project, has been short listed for further processing.

The Institute has submitted a preliminary proposal to Government of Djibouti for helping them in the process of creating infrastructure of accountancy profession.

7. OTHER ACTIVITIES

7.1 Human Resource Development

7.1.1 HRD Training Programme

Recognising the fact training is the backbone for enhancement in the level of competence and personality development, steps have been taken for participation in the specified training courses/programmes organized by renowned institutions like IIMS, ASCI, MDI etc. Seeing the impact of such training programmes, more and more employees have volunteered for participation. It is hoped that such a behavioural change would help the ICAI in achieving its goal of rendering timely and effective services with a smile by an elite HR Group.

Besides the above, the ICAI organised training programmes on following areas/subjects to sharpen knowledge & skill and to bring attitudinal changes for providing enhanced and better services to its members & students and also to all concerned:

- Regular Training Programmes/Workshops for Officers and staff of the Institute covering areas Improvement of Services towards Members and Students, Emotional Effectiveness, New Approach to Improve Overall Efficiency & Morals, High Emotional Quotient-the way to organizational success, Self Confidence Stress, Hyper Tension, Awaken your Giant Within and Managing People at Work: Strategies for Tomorrow.
- Regular Residential Training Programme at various prestigious institutes on Managerial Effectiveness, Communication Skill for Managers and Leadership and Team Building.
- Specially designed series of Managerial Effectiveness/Executive Development Programmes for middle, senior and top level Executives.
- Periodic/continued sessions on sharing of knowledge, experience and identification of areas of concern/priority aiming Secretaries to Non-Standing Committees.
- Awareness and Interactive Sessions for New Entrants
- Periodic Interactive Orientation Courses for Officers
- Periodic Interactive Sessions for Staff at various levels
- Series of Computer Training

Further HR Initiatives aiming at grievance redressal, timely counselling, enhanced facility management, etc. are as follows:

- Open the month with the grievance seeking and initiation of hardship mitigating process/steps
- Departmental Monday Meetings
- Periodic employee counselling on areas requiring additional/focussed employee attention
- Weekly (i.e. Friday) Training Programmes
- Continued support to lower rung of employees to bring them to mainstream by upgrading performance and delivery levels to the required benchmark

Thus, regular HR training programmes were held spanning more than 3,989 man hours at the headquarters and regional offices levels.

7.1.2 Human Resources - Welfare Measures

The ICAI has always recognised that its Human Resources are the most important asset for all its success in past and also strongly believe that this asset may overcome all hurdles for all times to come and place the ICAI as a **Guiding Star.** It continued to provide enhanced Welfare measures for its employees, during the year as well.

As a part of its endeavour to support the retired employees, rates of pension have been increased by 25%.

7.1.3 Introduction of Accelerated Promotion Scheme

Aiming at retaining the existing talents and attracting new ones, the ICAI introduced a robust Accelerated Promotion Scheme effective from 01.02.2007. Under the Scheme pay scale applicable to various positions commencing from the lowest level, as well as duration specified for promotion under the erstwhile Promotion Policy applicable to employees at various levels together with designations were modified. New/intervening pay scales have been introduced with a view to further advance the career growth. Period of minimum qualifying service in the post has been reduced for accelerated promotion of employees at various levels. New designations have been introduced. Besides the above, the scheme provides for based on the level of conduct and performance displayed, Faster Career growth as well.

7.2 Audit Committee

7.2.1 Significant Achievements:

- Implementation of revised criterion with regard to appointment of statutory and internal auditors of various Branches, Regional Offices, Decentralized Offices and Head Office.
- Appointment of Internal Auditors of the branches and DCOs having membership strength of more than 3000 members introduced.
- Discussions held with Statutory & Internal Auditors before finalization of accounts.
- Review of the reports received from various regions and observations of Internal Auditors noted for adherence to the laid down policies of the ICAI.

- Thorough review of the significant accounting policies as mentioned in the last ten years' Annual Reports of the ICAI made to ensure consistency and updation.
- Review of the scope of work of the Internal Auditors for various departments/non-standing committees and their reporting structure.
- Preparing of guidelines to strengthen the Internal Control Mechanism.
- Steps are underway to further strengthen the security of the IT system in the context of present day IT environment.

7.2.2 Initiatives

- To further streamline and strengthen the Internal Control Mechanism of the ICAI, a Discussion document prepared and circulated to all the user Departments/Non-Standing Committees, Regional Offices and Decentralized Offices eliciting their comments/views.
- Initiative has been taken to provide training on Accounts module to employee of branches.
- Physical verification of fixed assets is being carried out.
- Process to identify the major departments is being done for the purpose of proper Delegation of Authority.
- Process of issuing guidelines regarding the scope of Audit to all Regional Councils is being carried out.

7.3 Financial Reporting Review Board

The Financial Reporting Review has been constituted by the Institute with an objective to review the compliance, inter alia, with the reporting requirements of various applicable statutes, Accounting Standards and Auditing and Assurance Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. The Board reviews general-purpose financial statements and the auditors' reports thereon of certain randomly selected enterprises with a view to determine, to the extent possible:

(a) Compliance with the generally accepted accounting principles in the preparation and presentation of the financial statements;

(b) Compliance with the disclosure requirements prescribed by the regulatory bodies, statutes and rules and regulations relevant to the enterprise and

(c) Compliance with the reporting obligation of the auditors.

The enterprises within the purview of the Board include:

(a) Enterprises whose debt or equity securities are listed on a recognised stock exchange in India;

(b) Public financial institutions and banks;

(c) Non-listed and other commercial enterprises having a turnover of Rs. 50 crores or more; and

(d) such other category of enterprises which in the opinion of the Board make the public interest vulnerable due to susceptibility to non-compliance of generally accepted accounting principles in the preparation and presentation of financial statements, non-compliance of the disclosure requirements prescribed by regulatory bodies, statutes and rules and regulations relevant to the enterprise and non-compliance of the reporting obligations of the enterprise and the auditor.

Seven Financial Reporting Review Groups have been constituted by the Board for the year 2007-08 for consideration and finalisation of preliminary review reports submitted by the Technical Reviewers for the consideration of Board.

With a view to apprise the members of the Institute and others concerned about the non-compliances observed during the review, the Board compiles such non-compliances from time to time and publishes the same in the journal. Continuing the past practice, a note on such non-compliances has been published in March 2007 issue of the Institute's Journal. The Board is also planning to host the general observations on the Institute's website, for the information of the members.

The Board has referred certain matters to the concerned Committees for providing guidance to the members and others concerned, which the Board came across during the review of general-purpose financial statements and auditors' reports thereon.

7.3.1 Review of General Purpose Financial Statements for the year 2004-05

The Board has selected general purpose financial statements and auditors' reports thereon of 53 companies for the year 2004-05 for review. Out of theses 53 companies, 50 companies have been selected on a random basis and 3 companies have been selected by taking cognisance of information brought to the notice. Out of these 53 companies review of 43 companies is in progress.

7.3.2 Review of General Purpose Financial Statements during the Council Year 2007-2008

The Board has selected 60 companies for review for the council year 2007-08 and out of these 60 companies, review of 58 companies is in progress.

7.3.3 Granting CPE Credit to Technical Reviewers of General Purpose Financial Statements

The Board has recommended the Continuing Professional Education Committee to consider grant appropriate CPE credit hours to the Technical Reviewers.

7.3.4 Review of General Purpose Financial Statements of Public Sector Undertakings

Appropriate coordination is being maintained with the Office of the C&AG to start review process of the general purpose financial statements of the Public Sector Undertakings.

7.4 Committee on Internal Audit

Mission

Internal audit has always been of immense significance to the corporate world. From being a cross check over the accounts of the organization, internal audit has, over the years, moved a long way forward to being a strong indispensable control tool in the hands of the managements for effectively and efficiently running the affairs of the entity. Internal audit is playing a significant and critical role in evaluating the adequacy of internal controls and

assessing the extent of compliance with the applicable laws and regulations, policies and procedures and suggesting ways to reduce the costs and promote efficiency. Recognising the growing importance of internal audit, the Institute constituted the Committee on Internal Audit (CIA) on 5th February, 2005. The primary mission of the Committee is to enable its members to provide more effective and efficient value added services relating to internal audit to the industry and others by issuing Standards on Internal Audit, Guidance Notes and Industry Specific Technical Guides.

Objective

The objective of the Committee, as defined in its Terms of Reference, is to review the existing Internal Audit Practices in India and to develop Standards on Internal Audit (SIAs), to develop Guidance Notes and issue Clarifications on the issue arising from SIAs, so that these may be issued under the authority of the Council of the ICAI.

7.4.1 Standards on Internal Audit

Projects completed during the period

- **Preface to Standards and Guidance Notes on Internal Audit (2007 Edition)**

  The Preface outlines certain fundamental issues in relation to standards and guidance notes on internal audit, such as, the scope of the standards and guidance notes on internal audit and their status also the implications in case of departures from the Standards on Internal Audit, the basic procedure for issuing the standards and guidance notes on internal audit.

- **SIA 1, *Planning an Internal Audit***

  This SIA establishes standards and provides guidance in respect of planning an Internal audit to ensure that appropriate attention is devoted to significant areas of audit, potential problems are identified, and that the skills and time of the staff are appropriately utilised.

- **SIA 2, Basic Principles of Internal Audit**

This SIA seeks to lay down and briefly explain the basic principles which govern the internal audit, namely, integrity, objectivity and independence, confidentiality, skills and competence, work performed by others, documentation, planning, audit evidence, internal control and risk management systems and reporting.

- **SIA 3, *Documentation***

The purpose of this SIA is to establish Standards and provide guidance on the documentation requirements in an internal audit. Internal audit documentation also help in planning and performing the internal audit, review and supervise the work and most importantly, provide evidence of the work performed to support his findings, opinion or reports.

7.4.2 Industry Specific Guides

Projects completed during the period

- ***Technical Guide on Internal Audit in Aluminium Industry***

  This Technical Guide is issued to provide Comprehensive guidance regarding operations and significant areas of the Aluminium industry and internal auditor's procedures regarding the relevant areas of the Aluminium industry.

- ***Technical Guide on Internal Audit in Oil and Gas (Downstream) Enterprises***

  The basic objective of this Technical Guide is to help in understanding the basic operations undertaken in a refining and marketing (downstream) oil and gas company. This also describes the detailed procedure to be undertaken by the internal auditor in respect of the specified areas.

- ***General Guidelines on Internal Audit (2007 Edition)***

  The Guidelines contains literature on various important aspects of internal audit, such as planning an internal audit, staffing requirements and considerations, important skills for an internal auditor, drafting the internal audit report etc.

- ***Technical Guide on Internal Audit in Upstream Oil & Gas Companies***

  This Guide contains the comprehensive information about the basic operations, characteristics, evolution and regulations of the activities of the upstream industries. This also provides the guidance to carry out internal audit of various aspect of the oil & gas industries

7.4.3 Projects in Progress

The Committee is also proposing to launch two certificate courses – one, internal audit and second, due diligence reviews.

- **Awareness/Training Program**

- With a view to create awareness about the latest developments in the field of internal audit. The Committee envisages organising several seminars/workshops. For this purpose, the Committee provides technical support by providing uniform background material to ensure consistency in training programs.

- **Other projects in progress**

- Apart from the projects completed during the year, the Committee has also undertaken a number of projects. The list of projects of the Committee on Internal Audit in progress is given as Annexure A to this report.

8. Other Matters

8.1 Annual Function of the ICAI

The 57th Annual Function of the ICAI was held on 4th February, 2007 at New Delhi. Mr. Somnath Chatterjee, Hon'ble Speaker, Lok Sabha was the Chief Guest. Prizes and Medals to the meritorious students in the examinations conducted by the ICAI, Shields and Certificates of appreciation to the outstanding Regional Council and Branches of the ICAI, were awarded. The Function was attended by a very large number of invitees including Senior Government Officers, Members, Students, Officers and Staff of the ICAI. The Chief Guest showered flowers of appreciation on the profession of Chartered Accountants.

8.2 Chartered Accountants' Day

In commemoration of the Chartered Accountants Day, a Function was organised on 1st July, 2007 at New Delhi. A chain of seminars and conferences were organised across the nation to mark the day. The main event was organised in New Delhi. Shri Prem Chand Gupta, Hon'ble Minister of Corporate Affairs, was the Chief Guest on the occasion. The occasion saw the much awaited launch of the CA Logo and the ICICI-ICAI Co-branded credit card in the presence of an unprecedented and spirited participants. Those who were present on the occasion termed the event as memorable and historical. Besides the above, the Regional Councils and their Branches at various places also organised the Function locally in a befitting manner.

8.3 Amendments in The Chartered Accountants Act, 1949 and The Chartered Accountants Regulations, 1988.

8.3.1 Amendments in the Chartered Accountants Act, 1949

Following the notification of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 by the Central Government in March, 2006, in terms of the provisions, as contained in Section 1 of the said Act, the Central Government in terms of the empowerment given to it has given effect to the relevant provisions of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 as per details given below :

Section as per the Amendment Act, 2006	Section as per the Parent Act (viz., the Chartered Accountants, 1949)	Effective date	Subject matter
1	1	8th August, 2006	Short title, extent and commencement
2	2	8th August, 2006	Interpretation
3	4	8th August, 2006	Entry of Names in the Register
4	5	8th August, 2006	Fellows And Associates
5	6	8th August, 2006	Certificate of Practice
6	9(2)(b)	19th August, 2006	The Chartered Accountants (Nomination of Members to the Council) Rules, 2006

6	9(2)(a)	5th September, 2006	The Chartered Accountants (Election to the Council) Rules, 2006 [Constitution of the Council of the Institute]
7	10	8th August, 2006	Re-election or re-nomination to the Council
9	12	8th August, 2006	President and Vice-President
12	15A (new Section)	8th August, 2006	Imparting education by Universities and other bodies
16 [except clause (i)]	19	8th August, 2006	Register
17	20	8th August, 2006	Removal from the Register
22	24A(3)	8th August, 2006	Deletion of sub-section (3)
23	26	8th August, 2006	Unqualified persons not to sign documents
25	29A (new Section)	8th August, 2006	Power of Central Government to make Rules
26	30	8th August, 2006	Power to make regulations
27	30B	8th August, 2006	Rules, regulations and notifications to be laid before Parliament
28 [except new Sections 30D and 30E]	30C, 30D and 30E (new Sections)	8th August, 2006	Power of Central Government to issue directions
8	10A & 10B (New Sections)	17th November, 2006	Settlement of dispute regarding election and Establishment of Tribunal
10	13(2), 13(3)	17th November, 2006	Resignation of membership and casual vacancies
11	15	17th November, 2006	Functions of Council
13	16	17th November, 2006	Officers and employees, salary, allowances, etc.
14	17	17th November, 2006	Committees of the Council
15	18	17th November, 2006	Finances of the Council
Clause (i) of Section 16	19(3)	17th November, 2006	Register
18	21	17th November, 2006	Disciplinary Directorate
19	21A, 21B, 21C and 21D (New Sections)	17th November, 2006	Board of Discipline, Disciplinary Committee, Authority, Disciplinary Committee, Board of Discipline and Director (Discipline) to have powers of Civil Court and Transitional provisions.
20	22	17th November, 2006	Professional or other misconduct defined
21	22A, 22B, 22C, 22D, 22E, 22F, 22G	17th November, 2006	Constitution of Appellate Authority, Term of office of Chairperson and members of Authority, Allowances and conditions of service of

			Chairperson and members of Authority, Procedure to be regulated by Authority, Officers and other staff of Authority, Resignation and removal of Chairperson and members, Appeal to Authority.
24	Chapter VII A (New Chapter)	17th November, 2006	Quality Review Board
28 (new Sections 30D and 30E)	30D and 30 E (New Sections)	17th November, 2006	Protection of action taken in good faith, Members, etc. to be public servants.
30E (new Sections 30E)	30(E) – New Section	17th November, 2006	Members, etc., to be public servants
29	First Schedule and Second Schedule	17th November, 2006	First Schedule and Second Schedule
24	28(C), 28(D) clauses of new Chapter VII A	5th December, 2006	The Chartered Accountants Procedures of Meetings of Quality Review Board, and Terms and Conditions of Service and allowances of the Chairperson and members of the Board Rules, 2006
18	21(4) and 21(B)(2) & (4)	28th February, 2007	The Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007

The consequential amendments in the Regulations – existing as well as fresh ones – submitted by the ICAI, as mentioned earlier in this Report are under active consideration of the Central Government.

8.3.2 Amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988

(i) To make a holistic review of existing Regulations and suggest suitable amendments, in the light of the amendments made by the Parliament in the Chartered Accountants Act, 1949 and difficulties experienced/problems faced in the past, a Special Purpose Working Group on Review of Existing Regulations was set up. The Working Group deliberated the entire gamut of the matters under reference. The draft regulations fresh/amendments in existing ones arising out of the Chartered Accountants (Amendment) Act, 2006 and otherwise were prepared and the same were placed before the Council. In light of the deliberations held in the Council, the proposed draft amendments in the Chartered Accountants Regulations, 1988 have been forwarded to the Central Government for its approval.

(ii) During the year, the Central Government has accorded its final approval for amendments in the following Regulations:-

Regulation 43	Engagement of Articled Assistants
Regulation 44	Members not to engage articled assistants under the bye-laws of any of the accountancy institutions or bodies outside India
Regulation 45 (a)	Admission to Articleship
Regulation 48(1)	Stipend to Articled Assistants
Regulation 53(1)	Exemption to persons of Indian origin migrating permanently to India
Regulation 54A	Practical Training under eligible members of Accountancy Institutions or Bodies outside India
Regulation 55	Change of status of Principal
Regulation 56(1)	Termination or assignment of articles
Regulation 57(4)	Fresh Articles
Regulation 59(2), (4) & Explanation (1)	Leave to an Articled Assistant
Regulation 60	Working hours of an Articled Assistant
Regulation 64 (1)	Report to the Council
Regulation 66(1)	Enquiries against Articled Assistant
Regulation 74(2), (4) & Explanation	Leave to an Audit Assistant
Regulation 79(1)	Enquiries against Audit Assistants

The said amendments have been published in the Gazette of India vide Notification No.I-CA(7)/102/2007(E) dated 17th August, 2007 in Part III Section 4 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 17th August, 2007. The same has also been published in the September, 2007 issue of the Institute's Journal and hosted on the Website of the Institute.

8.4 Central Council Library

Central Council Library is globally connected through Internet, fully computerized & operational. Library material including database of Books, Journals & Articles can be searched through Subject, Author, Title, Topic, Keyword, & Publisher wise, this record is available on Internet Online Services www.icai.org-overview-library services-CCL-online search. Reference service is also provided to the Researchers & Scholars from different Universities & Foundation Course Students as a special case. Noida Office of the Institute & Vishwas Nagar Students library has also been provided with library facilities by the Central Council Library, along with nucleus Libraries provided to each Directorates of the Institute.

The following 18 Web Services appearing in www.icai.org/ Library Services are also being updated by the Library regularly:-

1. Accountant's Browser (w.e.f. 1990 onwards: Collection of 12,000 Articles compiled from different Professional Journals), efforts are on process to make the Text available online
2. Articles from the Chartered Accountant Journal (1951 to 2005: with search facility)
3. Recent Additions of Books alongwith Archives
4. Online Search of the Books in the Library: A complete Catalogue of Books & Journals
5. Chartered Accountant's Index (Journal of ICAI)

6. CD's available in Library
7. Photographs of different Seminars/Conferences/Functions held available in the Library
8. List of WTO Books available in the Library
9. List of SAFA Books available in the Library
10. List of Recommended Books
11. Library Security Deposit Rules Students/Members
12. Library News & Views
13. List of Journals /Newspapers subscribed by the Library
14. Library Services – form for Members/Students
15. Addresses of Reference Libraries
16. Bibliographic details of Conference/Seminar
17. Suggest Books/Journals
18. e-Books

Other then AFW Softlink – Library Software, the following specialized database is being provided to the Members/Visitors/Faculties of the Central Council Library:-

1. Networking through **Delnet**, a network of libraries in India & abroad is operational in library, through it's huge catalog of books in all the Subjects can be accessed & resources shared from libraries through out India.
2. A strong base of more than 12,000 **articles** "(ACCOUNTANTS BROWSER)"from all professional Journals including articles from ICAI Journals for last 50 years "Chartered Accountant" is also available in Library software Services.
3. Library has also acquired **Prowess Lan Version**- A CMIE Product, which is the most reliable & empowered corporate database of 8000 Companies. The database provides financial statements, ratio-analysis, funds flow, product profiles, return & risks on the Stock Market etc. It is being updated periodically.
4. CTR Encyclopedia on Indian Tax Laws has been installed in Central Council Library & 47 Regional Centers all over India, it is also being updated on annual basis.
5. **ITR** online for all Income Tax Cases reported. It is being updated periodically.
6. Excus- Software for electronic library for excise, customs & service-tax & allied laws. It is being updated periodically.
7. Ind.law.com online Legal Library.
8. Library has subscribed to **www.indiastat.com** a statistical database on Indian Economy.

The Regional Libraries are being computerized; the New Software computerized is also being installed in these regional Libraries for better Management of these Libraries.

The Library is digitizing some of its documents such as the CA Journal & the Press Monitoring Services articles for the benefit of the Members.

The I.I.T. Chennai provided training in Library modern Management & Digitization to all the Regional Libraries & Library Staff of Regions along with H.Q. Library in 2006 to upgrade skills of the Library personnel's working in Library. Asstt. Librarian attended the International Conference on Digital Libraries (ICDL 2006) conducted by the TERI, Delhi.

Besides above, Library facilities are also provided at the Regional Centers & Branches throughout the country. Efforts are on to link different Regional Libraries Database after

Computerizing, these Libraries, and Central Council Library is also making efforts to acquire more online Databases for the Professional Development of ICAI/Services.

8.5 Editorial Board

Moving forward with its mission to keep the ICAI members and other readers of *The Chartered Accountant* journal up-to-date on various subjects, expanding professional horizons and challenges of the profession in the present era of liberalisation, privatisation and globalisation, the Editorial Board has hit many a landmark during the period of this report (1.4.2006 to 31.5.2007).

A 'Brand Ambassador' of ICAI and the most visible indicator of the Institute's profile for the members, students and external audiences, *The Chartered Accountant* today matches the set global standards of professional journals, be it content quality, in-depth topical coverage, interactive features, international standard layout/designing, paper quality, overall look and feel or greater reach. It is increasingly being recognised as one of the most reliable and reader-friendly tool of professional knowledge update, not only for the members but also for allied professionals, institutions and a cross-section of the economic world in India and abroad, if the readers' feedback is any indication.

With ever-widening reach and readership base, the total circulation the journal stands at about 2,07,000 today.

Features and Articles:

- During 1.4.2006 and 31.5.2007, in all 2266 pages and 159 articles were printed.
- Several new features, including *'Women in Accountancy'*, *'Dos and DON'Ts'*, *'Latest— At a Glance'*, *'From the Knowledge Portal'*, *'Students Corner'*, *'Economic Indicators'*, *'Did U Know?'*, *'ICAI- E Initiatives'* *'Crossword'*, *'Smile Please'*, 'Cartoon', *'ICAI News'*, *'Health'*, *'Management Skills'*, *'Infrastructure Update'* and *'Quotations'* were introduced in the journal. *'Legal Update'* section was revamped to incorporate latest/unreported decisions of Supreme Court, High Court and Appellate Tribunals.
- The total number of pages in the Journal were increased from 144 to 160 per issue from July 2006 issue to facilitate coverage of more emerging areas of professional interest.

Content Focus:

- Contents of the journal were standardized and a comprehensive coverage was given on a host of subjects and issues of topical interest under the sections titled 'Accounting & Auditing', 'Taxation', 'Corporate and Allied Laws', 'Information Technology', 'Banking and Finance', 'Corporate Governance', 'Union Budget' 'CA Day Celebrations (Aug 06 Issue), '57 Momentous Years (July 2006 issue) and 'Health' etc. instead of focusing on any particular theme.
- A host of prominent personalities were covered under the 'Face 2 Face' feature who included Congress President Ms Sonia Gandhi, Union Commerce

Minister Mr. Kamal Nath, Union Minister for Law and Justice Mr. H.R. Bhardwaj, Union Minister of Company Affairs Mr. P.C. Gupta, Comptroller & Auditor General Mr. V.N. Kaul, the then President of International Federation of Accountants Mr. Graham Ward, Chief Executive of IFAC Mr. Ian Ball, Chairman of International Accounting Standards Board Sir David Tweedie and the new IFAC President Juan Jose Fermin del Valle.

Layout, Paper & Advertisements:

- The overall layout and design of the journal was standardized and a series of changes were made in the design of Masthead, Cover page, Editorial Page, content pages and inside pages of the journal to match international trends in this regard. Publication of graphics along with articles was curtailed for optimum utilization of space.

- The font size of the text and spacing between the lines were also increased for better readability w.e.f. July 2006 issue.

- The quality of the paper used for printing the journal was upgraded to 65 GSM LWC Matt specification, from gloss paper w.e.f August 2006 issue matching global standards.

- Initiatives were taken for brand promotion and greater reach of the journal. Special copies of the journal printed on a high quality paper were sent to the VVIPs and the Who's Who of political, bureaucratic and economic world.

- Increased number of reputed business houses released their advertisements in journal to take advantage of the enhanced appeal of the journal. ICAI has earned substantial revenue out of publication of advertisements. Special efforts were taken by the Editorial Board to attract reputed companies, banks, Mutual Funds, Insurance sector etc. in this regard.

Other Initiatives

- The timely delivery of the journal was ensured by way of adopting the system of despatching the relevant issue of the journal on the last three days of preceding month.

- Introducing the e-magazine concept, the journal was digitized and hosted on the ICAI website in a more user-friendly DjVu format for faster, easier browsing with search facility. Every issue of the journal was made online well in advance of the release of print version. The Journal Page and Editorial Board page on the ICAI website were also comprehensively upgraded and updated to keep the members better informed.

- In view of the considerable enhancement in the quality of the Journal and consequent increase in cost, the Editorial Board has decided to upwardly revise the subscription rates for all categories of subscribers w.e.f April 2007 issue.

- The agreement for printing and dispatch of the journal was formalized on 7th June 2006 for continuity and stability of the journal.

- The Mumbai Postal Registration Licence No as well the Licence to Post without Prepayment No. were obtained to ensure regular concessional posting of the journal from Mumbai. The ISSN No has also been obtained in line with international trend.

9. MEMBERS

9.1 Membership

During the year ended 31st March, 2007, 10421 new members were enrolled by the ICAI bringing the total membership to 1,39,841 as on 1st April, 2007

During the year ended 31st March 2007, 2001 associates were admitted as fellows, compared to the figure of 2315 in the previous year.

Total Members as on 1.4.2007

Category of Members	Fellow (1)	Associate (2)	Total of Columns (1) and (2)
In Full Time Practice	47645	21299	68944
In Part-time Practice	3248	6081	9329
Not in Practice	7899	53669	61568

9.2 Chartered Accountants' Benevolent Fund

Established in December, 1962, the Chartered Accountants Benevolent Fund continues to provide financial assistance to needy persons who are or have been members of the Institute and their dependents, for maintenance of the dependents, their educational and medical needs etc. The financial and other particulars of the fund are as follows:

Details of Membership

1.	Total Life Members as on 31.03.2006	= 70,753
2.	Total Life Members as on 31.03.2007	= 79,984
3.	Total Additions of New life Members (As on 31.03.2007)	= 9,231
4.	Total Financial Assistance given upto 31.03.2007	= 110

Details of Financial Particulars

		During the year Ended 31.03.2006	During the year Ended 31.03.2007
		Rs.	Rs.
1.	Total Assistance provided	45,05,000.00	46,31,500.00
2.	Administrative Expenses	13,732.00	50,497.00
3.	Surplus (Deficit) of the Fund	36,70,477.00	29,18,577.00
4.	Balance of the Fund	2,10,18,839.00	2,39,37,416.00
5.	Balance of Corpus	5,72,36,500.00	6,65,20,000.00

10. STUDENTS

10.1 Students Statistics

The total number of students registered for the Professional Education (Course-I) and Professional Education (Course-II) upto 13th September, 2006, Common Proficiency Test Course and Professional Competence Course from 13th September, 2006 to 18th August, 2007 are as under. The details in respect of students registered during the previous five years from 2002-03 to 2006 –2007 and from 1st April, 2007 to 18th August, 2007 are also indicated.

Year	PE (Course-I)	PE (Course-II)	Final	CPT from 13/9/2006	PCC from 13/9/2006
2002-2003	35,524	33,283	11,102		
2003-2004	38,188	34,232	11,390		
2004-2005	39,000	34,190	11,061		
2005-2006	38,901	39,467	13,010		
2006-2007	45,617	32,339	11,838	1,29,110	24,041
1/4/2007 to 18/8/2007			4,874	92,393	13,422
Total	1,97,230	1,73,511	63,275	2,21,503	37,463

During the period 1st April, 2007 to 18th August, 2007, 5816 students of Professional Education (Course-I) opted for switch over to Common Proficiency Test Course (against 54.685 students in 2006-2007) and 682 students of Professional Education (Course-II) opted for switch over to Professional Competence Course.

10.2 Accreditation Scheme

During the year ended 31st March, 2007 the names of 2 accredited Institutions for PE (Course-I) and 1 institution for PE (Course-II) were restored. The names of 4 more institutions have been added during the period from 1st April, 2007 to 18th August, 2007 in the list of accredited institutions for conducting CPT oral coaching classes totaling to 117 (113+4) and 4 more for conducting PCC oral coaching classes totaling to 71 (67+4). As on 31st March 2007, the total number of accredited Institutions for PE (Course-I) is 171 (169 as on 31st March, 2006), PE (Course- II) is 96 (95 as on 31st March, 2006) and there is no change in the existing 10 institutions for Final Course.

10.3 Important Publications during the year

On 13th September 2006, new scheme of education & training was launched and study materials of Common Proficiency Test (CPT) Course, Professional Competence Course (PCC) and Final (New) Course were prepared. CD for Common Proficiency Test (CPT) Course were

also provided to students. Subsequently Hindi versions of these courses were made available to students.

The following publications have been released for the benefit of students of Professional Education (Course-I) / CPT, Professional Education (Course-II) / PCC and Final Courses:

(i) Compilations of questions set in previous examination with answers.
(ii) Compilation of questions set in previous examination.
(iii) Select cases in Direct & Indirect Taxes.
(iv) CPT & PCC Model Test Papers
(v) AS: 28 Impairment of Assets under Professional Development Series.

10.4 Review of Study Materials

As a part of continuous process of review, the study material are reviewed by various subject experts and their comments and suggestions wherever considered appropriate are incorporated in the next print of the study module after due editing and verification.

10.5 Students' Counseling

Counseling Services have been in operation in Regional Headquarters to help students in getting clarified on their academic queries in various subjects of the curriculum.

10.6 250 Hours Compulsory Computer Training/100 Hours Information Technology Training

100 Hours Information Technology Course was launched from 1st December, 2006. The number of students registered for 250 Hours Compulsory Computer Training in various regions during the period from 1st April, 2006 to 30th November, 2006 and for 100 Hours Information Technology Training during the period from 1st December, 2006 to 31st March, 2007 are as follows:

REGION	100 Hours Information Technology Training	250 Hours Computer Training Course	250 Hours Computer Training Course
	1st Dec., 2006 to 31st March, 2007	1st April, 2006 to 30th Nov., 2006	1st April, 2005 to 31st March, 2006
WESTERN	6030	7041	3505
SOUTHERN	2059	4761	4271
EASTERN	1162	2479	5015
CENTRAL	3443	3947	2435
NORTHERN	3548	4010	6965

To encourage regional/ branch offices to conduct 100 Hours Information Technology Training, the Board of Studies decided to withdraw initially accreditation of 30 private institutions where branches of the ICAI were conducting the 100 Hours Information Technology Training Programme in 13 cities. During the period 1st April, 2007 to 18th August, 2007, 10 more branches have been accredited for conducting 100 Hours Information Technology Training Programme totaling to 242. As on 31st March, 2007, number of

accredited institutions engaged in conducting 100 Hours Information Technology Training was 262 (318 institutions engaged in conducting 250 Hours Compulsory Computer Training as on 31st March, 2006).

10.7 Course on General Management and Communication Skills

During the period 1/4/2007 to 18/8/2007, 87 batches of the 15 days' Course on General Management and Communication Skills were organized by Regional Councils and their Branches at 36 Centres. During the year ended 31st March, 2007, 242 batches were organized by Regional Councils and their Branches at 45 Centres across the country (inclusive of Dubai Centre) and 10431 students participated in these programmes (10887 students participated during 2005-2006).

10.8 Seminars and Conferences

During the year the Board continued its policy of promoting organisation of One Day Seminars, Elocution/Quiz Contests, Regional/State Level Conferences and other Educational events. Branch /Regional Levels Elocution/Quiz Contests were organized by 47 Branches including 5 Regional Councils. Final Elocution/Quiz Contests was held in Jaipur on 16th January, 2007.

Baroda Branch, Ernakulam Branch and Saharanpur Branch organized One day Seminars.
20th India CA Students' Conference was organized on 23th and 24th June, 2007 in Ahmedabad and 4th National Convention was organized on 6th and 7th July, 2007 in Baroda. 19th All India CA Students' Conference was organized on 26th and 27th August, 2006 in Chennai and 3rd National Convention was organized on 12th and 13th August, 2006 in Kolkatta. Regional Conference was held on 11th August, 2007 in Kolkatta.

10.9 Scholarships

During the period from 1st April, 2006 upto 18th August, 2007, Merit Scholarships were granted to 8 students and 17 Scholarships through endowment funds. During the year ended 31st March, 2007, Scholarships were granted to 127 students out of the funds of the Institute (14 Merit Scholarships, 10 Merit-cum-Need based scholarships, 103 Need-based scholarships). Further, scholarships were also awarded to 11 students out of the income from various endowments set up for the purpose.

10.10 Students' Newsletter

The monthly C.A. students' newsletter – ***'The Chartered Accountant Student'*** containing useful articles, academic updates, write-ups and other relevant announcements continued to be popular and proved useful to the students. The publication proved to be popular among the members too. 15,44,503 copies were delivered to students and others during the year 2006-2007. During the period from 1st April, 2007 to 18th August, 2007, 5,06,250 copies were also delivered to students.

The first prize (Rs. 2000/-) for the best article was awarded to Miss. Binal J. Sheth, for her article on "Importance of Financial planning" published in the Newsletter of Baroda Branch of WICASA April-June, 2006.

10.11 Discontinuance of Sunday Test Paper Scheme and reduction in number of papers to be submitted in Postal Test Paper Scheme

After the introduction of new scheme of education and training, Sunday Test Paper Scheme was discontinued w.e.f. 31st December, 2006 and accredited institutions for Professional Education (Course-I), Professional Education (Course-II) and Final Courses were advised not to conduct tests effective from 1st January, 2007 and eligibility certificates for May, 2007 examination will be issued on the basis of postal Test papers and not on the basis of their attendance and performance reports. The reduced number of answers papers required to be submitted from different subjects by the students are as under:

Professional Education (Course-I)	– 2
Professional Education (Course-II)	– 3
Final Course	– 4

10.12 Conducting Virtual Classes using the infrastructure of Reliance Infocomm Ltd.

36 Virtual Classes was conducted during the year 2006-2007 on various subjects of Professional Education (Course – I)/ CPT, Professional Education (Course – II)/ PCC and Final Course.s is presented

10.13 ICAI-IGNOU Memorandum of Understanding

For furtherance of commerce and management education, the Institute of Chartered Accountants of India and Indira Gandhi National Open University have deliberated and signed an MOU on March 12, 2007 by which the IGNOU has launched a special B.Com course majoring in Accountancy and Finance for CA students who have passed or undergoing first stage of chartered accountancy course i.e., Intermediate/Professional Education (Course-II) / Professional Competence Course. The IGNOU has also launched a special M.Com course majoring in Finance and Taxation for the Final students of chartered accountancy course or who have passed chartered accountancy.

10.14 ICAI –NSOU Memorandum of Understanding

To facilitate pursuance of B.Com by the students, the Institute has signed a Memorandum of Understanding with Netaji Subhas Open University (NSOU). Under this MOU, subjects studied in the entry level and first stage courses of chartered accountancy as well as practical training component of CA Course are recognized. NSOU shall grant exemption in certain subjects under its B.Com. Course to the students of Chartered Accountancy. The initiative will benefit the students in avoiding unnecessary duplication of subjects in pursuing the B.Com. course from the University. The students will have more time for the practical training and acquire niceties of the profession.

10.15 Students Exchange Programme

8 students of ICAN and 12 Students of ICASL came to India and participated in SAFA students exchange programme in Ahmedabad on 23-24 June, 2007. 10 students of ICAN came to India and participated in SAFA students exchange programme in Baroda on 6-7 July, 2007. 13 students of the Institute visited Pakistan and participated in SAFA student exchange programme held under the

aegis of the Institute of Chartered Accountnats of Pakistan during March 14-21,2007. 7 students of ICAP, 17 students of ICASL and 1 student of ICAB came to India and participated in SAFA students exchange programme in New Delhi and Chennai held during August 23rd, 2006 – September 1st, 2006.

10.16 Branches of Chartered Accountants Students' Association

With a view to actively involving students of the Chartered Accountancy Course in the development of a spirit of fellow-feeling and promotion of social, cultural, academic and intellectual development etc., the ICAI has always been encouraging students to set up branches of Chartered Accountants Students' Association. In this Process, so far 47 branches (inclusive of 5 at Regional Offices) of Students' Association have already been set up.

10.17 Recognition of CA Course with Ph.D. Programme

With constant follow up with various universities, the Board of Studies has been successful in obtaining recognition for CA Course from 78 universities besides the 4 Indian Institutes of Management and the Association of Indian Universities for the purpose of Ph.D. /Fellow Programme.

10.18 Joint Seminars/Career Counseling

During the year 10 Joint Seminars with the coordination of various Universities were held. 79 Career Counseling Fairs/Programmes for interacting with the students community were organized at various places in India.

10.19 S.VAIDYANATH AIYAR MEMORIAL FUND

During the year ended 31st March, 2007, 60 scholarships of the value of Rs.500 each per month were given to the students undergoing the Chartered Accountancy course. The number of life membership of the Fund increased from 705 as on 31st March, 2006 to 1251 as on 31st March, 2007. The balance in the credit of the Fund was Rs. 9,94,197/- as on 31st March, 2007 as against Rs. 8,80,678/- as on 31st March, 2006.

11. REGIONAL COUNCILS AND THEIR BRANCHES

11.1 The Institute has five Regional Councils, namely Western India Regional Council, Southern India Regional Council, Eastern India Regional Council, Central India Regional Council and Northern India Regional Council with their Headquarters at Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi respectively.

11.1.1 The total number of branches of Regional Councils is 114.

11.1.2 Currently, there are 18 Chapters of the Institute outside India.

11.1.3 Currently, there are 34 Reference libraries all over India

11.2 Branch Building

During the period under Report, a number of branches of Regional Councils continued to evince interest in having their own premises. In all, 63 branches have their own premises.

11.3 Rotating Shield

The Institute awards each year Rotating Shield to the Best Regional Council. The award is given on the basis of overall performance. Similarly, a separate Rotating Shield is awarded to the Best Branch each year. The award is given on the basis of established norms. Rotating Shields to the Best C.A. Students' Association on all India basis and Best Branch of Students' Association on Regional Basis have been instituted from the year 1999. For the year 2006 these Shields were awarded at the Annual Function held on 4th February, 2007 to the following winners:-

- Best Regional Council - Western India Regional Council & Eastern India Regional Council - Jointly

- Best Branch of Regional Council
  - Small Size Branch Category – Bhilai Branch of CIRC
  - Medium Size Branch Category – Trivandrum Branch of SIRC
  - Big Branch Category – Baroda Branch of WIRC

- Best Students' Association - Western India Chartered Accountants Students' Association

- Best Branch of Students' Association
  - Western Region - Baroda Branch of WICASA
  - Southern Region - Ernakulam Branch of SICASA
  - Central Region – Jaipur Branch CICASA

Considering their performance, the following branches were separately awarded Certificates for Highly Commended Performance:-.

- Small Size Branch Category –
  - Udupi Branch of SIRC
  - Palghat Branch of SIRC
  - Hubli Branch of SIRC
  - Dhanbad Branch of CIRC

- Medium Size Branch Category :
  - Bhopal Branch of CIRC
  - Ghaziabad Branch of CIRC

- Big Branch Category
  - Jaipur Branch of CIRC

11.4 New Decentralised Offices

Recognising the value of expeditious and personalised service which are achievable through the process of decentralisation, the Council of the Institute has already set up five decentralised Offices at Bangalore, Hyderabad in Southern Region, Ahmedabad, Pune in Western Region and Jaipur in Central Region besides the decentralised offices already functioning from Mumbai, Chennai, Kolkata, Kanpur and New Delhi. Considering the increasing volume of work/activities at the regional level, seven more decentralised offices have been set up at Nagpur, Surat and Vadodara (Western Region), Ernakulam and Coimbatore (Sourthern Region), Indore (Central Region) and Chandigarh (Northern Region).

12. Finance and Accounts

The Balance Sheet as on 31st March, 2007 and the Income & Expenditure Account for the year ended on that date as approved by the Council are enclosed.

13. Appreciation

13.1 The Council is grateful to members of the profession who functioned as co-opted members on its Committees and to the non-members who assisted the Council during the year 2006 - 2007 in the conduct of its educational, technical and other developmental activities and in its examinations.

13.2 The Council wishes to place on record its appreciation of the continued assistance and support given by the Central Government and its nominees on the Council during the year 2006 - 2007.

13.3 The Council wishes to place on record its heartfelt gratitude to the dignitaries who were kind enough to grace the various programmes of the ICAI. The Council also desires to place on record its sincere appreciation to the various functionaries at State level who graced the programmes organised by the organs of the ICAI.

13.4 The Council also acknowledges its appreciation of the sincere interest evinced by various State Governments in the numerous initiatives taken by the ICAI and the steps already/being initiated by them, pursuant to such initiatives.

13.5 The Council also acknowledges its appreciation of the sincere and devoted efforts put in during the year 2006 - 2007 by all officers and staff of the Institute.

STATISTICS AT A GLANCE
MEMBERS (FROM 1.4.1997)
TABLE I

Year (As on)		Western Region	Southern Region	Eastern Region	Central Region	Northern Region	TOTAL
1.4.1997	Associate	14649	11013	4906	3972	6971	41511
	Fellow	11042	8975	4369	4560	8049	36995
	Total	25691	19988	9275	8532	15020	78506
1.4.1998	Associate	16160	11564	5187	4351	7406	44668
	Fellow	11501	9420	4558	4909	8733	39121
	Total	27661	20984	9745	9260	16139	83789
1.4.1999	Associate	17935	12515	5562	4875	8001	48888
	Fellow	12038	9942	4779	5345	9374	41478
	Total	29968	22457	10341	10220	17375	90366
1.4.2000	Associate	17771	13023	5807	5057	8411	50069
	Fellow	12200	10369	4941	5617	9784	42911
	Total	29971	23392	10748	10674	18195	92980
1.4.2001	Associate	19243	12915	5732	5215	8498	51603
	Fellow	12868	10749	5077	5995	10100	44789
	Total	32111	23664	10809	11210	18598	96392
1.4.2002	Associate	20771	13456	5872	5493	9074	54666
	Fellow	13540	11248	5296	6400	10580	47064
	Total	34311	24704	11168	11893	19654	101730
1.4.2003	Associate	23194	14446	6374	6318	10287	60619
	Fellow	14279	11742	5572	6909	11135	49637
	Total	37473	26188	11946	13227	21422	110256
1.4.2004	Associate	24515	14943	6515	6714	10697	63384
	Fellow	15091	12377	5836	7557	11846	52707
	Total	39606	27320	12351	14271	22543	116091
1.4.2005	Associate	26351	15724	6785	7552	11640	68052
	Fellow	15834	12969	6146	8207	12338	55494
	Total	42185	28693	12931	15759	23978	123546
1.4.2006	Associate	28528	16700	7172	8480	12898	73778
	Fellow	16385	13358	6313	8539	12573	57168
	Total	44913	30058	13485	17019	25471	130946
1.4.2007	Associate	31159	18237	7829	9642	14182	81049
	Fellow	16896	13646	6488	8882	12880	58792
	Total	48055	31883	14317	18524	27062	139841

MEMBERS (FROM 1.4.1950)
TABLE II

	As on 1.4.1950	As on 1.4.1951	As on 1.4.1961	As on 1.4.1971	As on 1.4.1981	As on 1.4.1991	As on 1.4.2001
Fellows	569	672	1,590	3,326	8,642	22,136	44,789
Associates	1,120	1,285	4,059	7,901	16,796	36,862	51,603
Total	1,689	1,957	5,649	11,227	25,438	58,998	96,392

	As on 1.4.2002	As on 1.4.2003	As on 1.4.2004	As on 1.4.2005	As on 1.4.2006	As on 1.4.2007
Fellows	47064	49637	52707	55494	57168	58792
Associates	54666	60619	63384	68052	73778	81049
Total	101730	110256	116091	123546	130946	139841

STUDENTS GROWTH PROFILE (FROM 31.3.1996)

	During the year 1995-96	During the year 1996-97	During the year 1997-98	During the year 1998-99	During the year 1999-2000	During the year 2000-01	During the year 2001-02
Foundation/ PE (Course I)	29,015	28,209	37,052	43,809	44,180	35,999	34,215*
Intermediate/PE (Course II)	19,288	21,354	24,652	28,253	27,508	23,405	29,403**
Final	8,675	9,275	9,394	12,227	10,787	9,026	11,524
Total	56,978	58,838	71,098	84,289	82,475	68,430	75,142

Year	PE (Course-I)	PE (Course-II)	Final	CPT from 13/9/2006	PCC from 13/9/2006	Total
2002-2003	35,524	33,283	11,102			79,909
2003-2004	38,188	34,232	11,390			83,810
2004-2005	39,000	34,190	11,061			84,251
2005-2006	38,901	39,467	13,010			91,378
2006-2007	45,617	32,339	11,838	1,29,110	24,041	2,42,945

* includes PE(Course I) students registration from 1.10.2001 to 31.3.2002 : 5006
** includes PE(Course II) students registration from 1.10.2001 to 31.3.2002 : 11848

Composition of the Twentieth Council (2007 – 2008)

President	:	CA. Sunil H. Talati, FCA
Vice-President	:	CA. Ved Jain, FCA
Period	:	5th February, 2007 onwards
Secretary	:	Dr. Ashok Haldia

Members of the Twentieth Council (2007 – 2008)

Elected Members

CA. Abhijit Bandyopadhyay	Kolkata
CA. Akshay Kumar Gupta	Kanpur
CA. Amarjit Chopra	New Delhi
CA. Anuj Goyal	Ghaziabad
CA. Atul Chunilal Bheda	Mumbai
CA. Bhavna Doshi	Mumbai
CA. Charanjot Singh Nanda	New Delhi
CA. G. Ramaswamy	Coimbatore
CA. Harinderjit Singh	New Delhi
CA. J. Venkateswarlu	Hyderabad
CA. Jayant Gokhale	Mumbai
CA. Jaydeep Narendra Shah	Nagpur
CA. K. Raghu	Bangalore
CA. K.P. Khandelwal	Kolkata
CA. Mahesh P. Sarda	Jamnagar
CA. Manoj Fadnis	Indore
CA. Pankaj Inderchand Jain	Mumbai
CA. Preeti Pradip Mahatme	Goa
CA. Rajkumar S. Adukia	Mumbai
CA. S. Gopalakrishnan	Hyderabad
CA. S. Santhanakrishnan	Chennai
CA. Sanjeev Maheshwari	Mumbai
CA. Shanti Lal Daga	Hyderabad
CA. Subodh Kumar Agrawal	Kolkata
CA. Sunil H. Talati	Ahmedabad
CA. Uttam Prakash Agarwal	Mumbai
CA. V. Murali	Chennai
CA. V.C. James	Kochi
CA. Ved Jain	New Delhi
CA. Vijay Garg	Jaipur
CA. Vijay Kumar Gupta	Faridabad
CA. Vinod Jain	New Delhi

Nominated Members

Shri A.K. Awasthi	New Delhi
Shri Anil K. Agarwal	New Delhi
Shri Jitesh Khosla	New Delhi
Shri K.R. Maheshwari	Jaipur
Shri Manoj K. Sarkar	Kolkata
Shri O.P. Vaish	New Delhi
Dr. Pritam Singh	Gurgaon
Shri R. Sekar	New Delhi

Auditors

CA. Manu Chadha, FCA	New Delhi
CA. Gurmeet S. Grewal,FCA	New Delhi

Composition of the Nineteenth Council (2006 – 2007)

President	:	CA. T.N. Manoharan, FCA
Vice-President	:	CA. Sunil H. Talati, FCA
Period	:	Up to 4th February, 2007
Secretary	:	Dr. Ashok Haldia

Members of the Nineteenth Council (2006 – 2007)

Elected Members

CA. Abhijit Bandyopadhyay	Kolkata
CA. Amarjit Chopra	New Delhi
CA. Anuj Goyal	Ghaziabad
CA. Charanjot Singh Nanda	New Delhi
CA. G. Ramaswamy	Coimbatore
CA. Harinderjit Singh	New Delhi
CA. Harish Narendra Motiwalla	Mumbai
CA. Jayant Gokhale	Mumbai
CA. Jaydeep Narendra Shah	Nagpur
CA. K.P. Khandelwal	Kolktaka
CA. Kamlesh Shivji Vikamsey	Mumbai
CA. Manoj Fadnis	Indore
CA. Pankaj Inderchand Jain	Mumbai
CA. Rajkumar S. Adukia	Mumbai
CA. S. Gopalakrishnan	Hyderabad
CA. S. Santhanakrishnan	Chennai
CA. S.C. Vasudeva	New Delhi
CA. Shanti Lal Daga	Hyderabad
CA. Sunil Goyal	Jaipur
CA. Sunil H. Talati	Ahmedabad
CA. T.N. Manoharan	Chennai
CA. Uttam Prakash Agarwal	Mumbai
CA. V. Murali	Chennai
CA. Ved Jain	New Delhi

Nominated Members

Smt. Anita Kapur	New Delhi
Shri Jitesh Khosla	New Delhi
CA. K.C. Parashar	Jodhpur
CA. Pawan Kumar Sharma	Guwahati
Shri Sidharth Kumar Birla	New Delhi
Shri Sunil Chander	New Delhi

Auditors

CA. Shashi Kumar, FCA	New Delhi
CA. Manu Chadha, FCA	New Delhi

AUDITOR'S REPORT TO THE COUNCIL

1. We have audited the attached Balance Sheet of The Institute of Chartered Accountants of India as at 31st March, 2007 and also the annexed Income and Expenditure Account and the Cash Flow Statement for the year ended on the date. The accounts of the Institute's Decentralized offices, Computer Centers, Regional Councils and their branches audited by other auditors and that their reports have been incorporated and duly considered while preparing our report. In the absence of audited accounts of one branch (Refer to Note No 2.5 of Schedule XIII) its un-audited accounts have been incorporated. These financial statements are the responsibility of the management of the Institute. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

2. We conducted the audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

3. We further report that :-

   a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit;

   b) The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of account;

   c) In our opinion, proper books of account are maintained in conformity with the requirements of the Chartered Accountants Act, 1949;

   d) In our opinion the Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Cash Flow Statement comply with relevant Accounting Standards.

   e) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the statements together with the schedules attached and read with the Accounting Policies and Notes Forming Part of Accounts give a true and fair view in conformity with the Accounting Principles generally accepted in India:

      i) In the case of Balance Sheet, of the state of the Institute's affairs, as at 31st March, 2007 ;

      ii) In the case of Income & Expenditure Account, of the surplus for the year ended on that date; and

      iii) In the case of the Cash Flow Statement, of the cash flows for the year ended on that date.

Sd/-

CA. MANU CHADHA
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-80996

Sd/-

CA. GURMEET S. GREWAL
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-82918

Place : New Delhi
Date : 30/08/07

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2007

Rs. in lacs

	Schedule		Amount As At 31-03-2007		Amount As At 31-03-2006
SOURCES OF FUNDS:					
Reserves and Surplus	I		13290.22		10613.02
Earmarked Funds	II		7116.10		5506.82
TOTAL			20406.32		16119.84
APPLICATION OF FUNDS:					
Fixed Assets:					
Gross Block	III	10676.96		9350.45	
Less: Depreciation and Amortisation		3554.08		2963.39	
Net Block			7122.88		6387.06
Capital Work in progress (including capital advances)			414.05		420.18
Investments:	IV				
Earmarked Fund Investments		7116.10		5506.82	
Other Investments		6514.98	13631.08	4991.10	10497.92
Current Assets, Loans & Advances :					
Interest Accrued on Investments		1249.35		748.37	
Inventories	V	385.48		271.89	
Cash & Bank Balances		1513.37		752.65	
Loans & Advances	VI	1207.34		1120.91	
Accounts Receivables	VII	202.73		153.85	
Sub - Total		4558.27		3047.67	
Less: Current Liabilities & Provisions					
Current Liabilities	VIII	5173.09		4088.22	
Provision for Liability towards Gratuity		146.87		144.77	
Sub - Total		5319.96		4232.99	
Net Current Assets			(761.69)		(1185.32)
TOTAL			20406.32		16119.84
Statement of significant accounting policies	XII				
Notes forming part of Accounts.	XIII				

Schedules referred to above form an Integral Part of the Balance Sheet.

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA. DEEPAK DIKSHIT	CA. ASHOK HALDIA	CA. VED KUMAR JAIN	CA. SUNIL H TALATI
SENIOR JOINT SECRETARY	SECRETARY	VICE PRESIDENT	PRESIDENT

As per our Report of even date attached

Sd/-	Sd/-
CA. GURMEET S. GREWAL	CA. MANU CHADHA
CHARTERED ACCOUNTANT	CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-82918	MEMBERSHIP NUMBER-80996

Place : New Delhi
Date: 30/08/07

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT
FOR THE YEAR ENDED 31.03.2007

Rs.in lacs

	Schedule	Amount Year ended 31/03/2007	Amount Year ended 31/03/2006
INCOME			
Fees	IX	11425.33	8696.62
Seminars		1179.32	1392.53
Other Income	X	1936.11	1187.22
TOTAL		14540.76	11276.37
EXPENDITURE			
Salaries & Allowances		2095.93	1980.31
Printing & Stationery		2161.20	1424.71
Seminar Expenses		1075.86	1265.76
Election Expenses		193.14	-
Other Operating Expenses	XI	4907.01	3744.13
Depreciation and Amortisation		616.00	555.55
TOTAL		11049.13	8970.46
NET SURPLUS		3491.63	2305.91
Appropriation to Funds / Reserves :			
Education Fund [Policy No. III (c)]	XII	1491.66	895.45
Employees Benevolent Fund [Policy No.III (d)]	XII	10.58	10.19
General Reserve		1989.39	1400.27
TOTAL		3491.63	2305.91
Statement of significant accounting policies	XII		
Notes forming part of Accounts.	XIII		

Schedules referred to above form an integral Part of the Income and Expenditure Account

Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA. DEEPAK DIKSHIT	CA. ASHOK HALDIA	CA. VED KUMAR JAIN	CA. SUNIL H TALATI
SENIOR JOINT SECRETARY	SECRETARY	VICE PRESIDENT	PRESIDENT

As per our Report of even date attached

Sd/-	Sd/-
CA. GURMEET S. GREWAL	CA. MANU CHADHA
CHARTERED ACCOUNTANT	CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-82918	MEMBERSHIP NUMBER-80996

Place: New Delhi
Date : 30/04/07

CASH FLOW STATEMENT
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2007

	(Amount Rupees in Lacs)			
	2006-2007		2005-2006	
A.Cash flows from operating activities				
Net Surplus		3491.63		2305.91
Adjustments for:				
Depreciation and Amortisation	616.00		555.55	
Interest on investments	(529.46)		(234.75)	
		86.54		320.80
Operating surplus before working capital changes		3578.17		2626.71
(Increase)/Decrease in Inventories	(113.59)		15.36	
Increase in Interest accrued on Investments	(500.98)		(30.79)	
Increase in Accounts Receivables	(48.88)		(55.37)	
(Increase)/Decrease in Loans & advances	(86.43)		9.65	
Increase in Current Liabilities	1084.87		507.22	
Increase/(Decrease) in Provision of Gratuity Fund	2.10		(10.43)	
Net cash from operating activities		337.09		435.64
		3915.26		3062.35
B.Cash flows from investing activities				
Acquisition of Fixed Assets including Capital Work in Progress (Net)	(1345.69)		(1289.17)	
Acquisition of Investments	(3133.16)		(2528.99)	
Interest on investments	529.46		234.75	
Income from Earmarked Funds Investments (Net of payments)	336.77		358.32	
Capital Receipts	458.08		294.61	
Net Cash from Investing Activities		(3154.54)		(2930.48)
Net Increase/Decrease in cash and cash equivalents		760.72		131.87
Cash and Cash equivalents at the beginning of year		752.65		620.78
Cash and Cash equivalents at the end of year		**1513.37**		752.65

Note:

1.The above Cash Flow Statement has been derived using the Indirect method prescribed in AS-3 issued by ICAI.

2.Enclosed Schedules I to XIII form an Integral Part of the Cashflow Statement

Sd/-
CA. DEEPAK DIKSHIT
SENIOR JOINT SECRETARY

Sd/-
CA. ASHOK HALDIA
SECRETARY

Sd/-
CA .VED KUMAR JAIN
VICE PRESIDENT

Sd/-
CA. SUNIL H TALATI
PRESIDENT

As per our Report of even date attached

Sd/-
CA. GURMEET S. GREWAL
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-82918

Sd/-
CA. MANU CHADHA
CHARTERED ACCOUNTANT
MEMBERSHIP NUMBER-80996

Place: New Delhi
Date : 30/05/07

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE I

RESERVES AND SURPLUS

Rs.In.lacs

	CAPITAL RESERVES				OTHER RESERVES				TOTAL	
	EDUCATION		GENERAL		GENERAL		OTHERS *			
	Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At	
	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006
Opening Balance	4866.09	3021.27	1311.86	1203.42	4309.57	3002.01	125.50	99.11	10613.02	7325.81
Appropriation from Income & Expenditure A/C	-	-	-	-	1989.39	1400.27	-	-	1989.39	1400.27
Transfer from/(to) Other Reserves and Capital Reserves	-	-	21.30	8.01	(53.02)	(31.50)	31.72	23.49	-	-
Transfers from/(to) Earmarked Funds	663.26	1844.82	-	14.95	(107.40)	(61.21)	(0.39)	2.32	555.47	1800.36
Admission Fees & allocated Entrance Fees	-	-	24.77	23.10	-	-	-	-	24.77	23.10
Donation received for Buildings	-	-	107.97	62.38	-	-	-	-	107.97	62.38
Net (Depletion)/Addtitions	-	-	-	-	-	-	(0.40)	0.58	(0.40)	0.58
Total	5529.35	4866.09	1465.90	1311.86	6138.54	4309.57	156.43	125.50	13290.22	10613.02

Note:Other Reserves are Reserves such as Library Reserves and Coaching Classes Reserves as appearing in the books of Regional Councils and Branches .

THE INSTITUTE OF CHARTERED OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA , NEW DELHI

SCHEDULE II

Rs In Lacs

EARMARKED FUNDS

	Opening Balance		Appropriation from Income & Expenditure A/c		Transfer from/(to) Reserves and Surplus		Contribution received/Addition during the year		Income during the year		Payments during the year		Adjustments		Total	
	Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At		Amount As At	
	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006	31.03.2007	31.03.2006
RESEARCH FUNDS	574.85	523.66	-	-	1.72	1.48	106.14	7.01	48.28	42.70	-	-	-	-	730.99	574.85
ACCOUNTING RESEARCH FOUNDATION AND BUILDING FUND	300.50	277.67	-	-	-	-	-	-	25.27	22.83	-	-	-	-	325.77	300.50
EDUCATION FUND	2384.82	3080.94	1491.66	895.45	(663.26)	(1844.82)	-	-	200.55	253.25	-	-	-		3413.78	2384.82
MEDALS AND PRIZES FUNDS	103.69	90.85	-	-	1.23	6.09	17.75	2.97	7.03	6.71	(2.68)	(2.93)	(0.38)		126.64	103.69
STUDENTS SCHOLARSHIP FUNDS	35.96	28.18	-	-	-	-	0.25	5.99	3.02	2.32	(0.77)	(0.53)	-	-	38.46	35.96
PENSION FUND	1168.90	1033.32	-	-	-	-	14.38	105.15	98.30	84.94	(56.96)	(54.51)	-	-	1224.62	1168.90
LEAVE ENCASHMENT FUND	463.43	411.49	-	-	-	-	131.31	54.90	38.97	33.82	(36.76)	(36.78)	-	-	596.95	463.43
EMPLOYEES BENEVOLENT FUND	89.93	73.68	10.58	10.19	-	-	-	-	7.56	6.06	(1.25)	-	-	-	106.82	89.93
OTHER FUNDS(REGIONAL COUNCILS AND BRANCHES)	384.74	315.40	-	-	104.84	36.37	55.91	32.53	19.88	17.89	(13.30)	(17.45)	-	-	552.07	384.74
TOTAL	5506.82	5835.19	1502.24	905.64	(555.47)	(1800.88)	325.74	208.55	448.87	470.52	(111.72)	(112.20)	(0.38)	-	7116.10	5506.82

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE III

FIXED ASSETS

Rs in lacs

ASSETS	GROSS BLOCK				DEPRECIATION AND AMORTISATION BLOCK				NET BLOCK	
	Cost as at 1.4.2006	Additions during the year	Adjustments /Transfers / Sale	Cost as at 31.3.2007	Upto 1.4.2006	For the year	Adjustments Transfers/ /Sale	Upto 31.3.2007	W.D.V as on 31.3.2007	W.D.V as on 31.3.2006
A.Tangible Assets:										
1. Land - Free Hold	407.61	184.29		**591.90**	0.00			**0.00**	**591.90**	407.61
2. Land -Lease Hold	3153.21	7.26	0.04	**3160.51**	60.88	38.40		**99.28**	**3061.23**	3092.33
3. Buildings	2060.79	341.36		**2402.15**	508.75	85.47		**594.22**	**1807.93**	1552.04
4. Electric Installations & Fittings	269.37	38.63	5.19	**313.19**	113.38	17.53	0.52	**131.43**	**181.76**	155.99
5.Computers	1202.71	295.41	(18.01)	**1480.11**	1015.30	188.28	(17.40)	**1186.18**	**293.93**	187.41
6. Air Conditioning	340.60	82.41	(0.06)	**422.95**	136.95	37.87	(0.03)	**174.79**	**248.16**	203.65
7. Furniture & Fixtures	720.23	156.91	(3.60)	**873.54**	275.27	52.18	(2.16)	**325.29**	**548.25**	444.96
8. Lifts	101.65			**101.65**	37.06	6.46		**43.52**	**58.13**	64.59
9.Office Equipments	390.30	54.34	(8.77)	**435.87**	212.76	30.27	(2.77)	**240.26**	**195.61**	177.54
10.Vehicles	47.23	5.51	(5.50)	**47.24**	21.05	6.06	(3.36)	**23.75**	**23.49**	26.18
11.Library Books	352.53	45.01	(0.11)	**397.43**	352.53	45.01	(0.11)	**397.43**	**0.00**	0.00
B.Intangible Asset: Software	304.22	146.20		**450.42**	229.46	108.47		**337.93**	**112.49**	74.76
TOTAL	9350.45	1357.33	(30.82)	**10676.96**	2963.39	616.00	(25.31)	**3554.08**	**7122.88**	6387.06
Previous Year Figures	5661.71	3694.95	(6.21)	9350.45	2408.74	555.55	(0.90)	2963.39	6387.06	

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA, NEW DELHI

SCHEDULE IV
INVESTMENTS

Rs in lacs

	Amount As At 31-03-2007	Amount As At 31-03-2006
A.LONG TERM INVESTMENTS (AT COST)		
(I) Government of India-8% (taxable)Bonds-2003	4750.00	4750.00
(II) Fixed Deposits with scheduled Banks	1802.00	2556.85
B.CURRENT INVESTMENTS		
Fixed Deposits with scheduled Banks	7079.08	3191.07
Total Investments	13631.08	10497.92
ALLOCATED TO:-		
Earmarked Fund Investments	7116.10	5506.82
Other Investments	6514.98	4991.10
Total	13631.08	10497.92

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE V

INVENTORIES

		Amount As At 31.03.2007	Rs.in lacs Amount As At 31.03.2006
Publications and Study Materials		**335.86**	167.81
Paper for Study Materials & Publications (Including Stock of Paper with Printers - Rs.17.82 lacs Previous year Rs.75.68 lacs)		**20.79**	75.86
Stationery & Other Items		**28.83**	28.22
	Total	**385.48**	271.89

SCHEDULE VI
LOANS & ADVANCES (Considered Good)

		Amount As At 31.03.2007	Rs.in lacs Amount As At 31.03.2006
Loans and Advances-Staff		**243.99**	227.23
Interest Recoverable from Staff Loans		**97.94**	92.03
Security Deposits		**32.73**	28.48
ICAI Accounting Research Foundation		**599.78**	565.48
Other - Advances & Pre-payments		**232.90**	207.69
	Total	**1207.34**	1120.91

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE VII

ACCOUNTS RECEIVABLES

Rs.in lacs

	Amount As At 31.03.2007	Amount As At 31.03.2006
Other Receivables	**202.73**	153.85
Total	**202.73**	153.85

SCHEDULE VIII
CURRENT LIABILITIES

Rs.in lacs

		Amount As At 31.03.2007		Amount As At 31.03.2006
Fees Received in Advance				
Examination Fees	**1312.17**		1298.11	
Journal Subscription	**49.98**		20.05	
Membership Fee	**426.02**		352.70	
Distant Education Fee	**1779.52**		1193.20	
Information System Audit Course Fee	**95.70**		97.10	
Insurance and Risk Management Course	**10.23**		7.71	
International Trade Laws & WTO Course	**7.05**		6.25	
Seminar Fees & Other Collections	**106.17**	**3786.84**	90.53	3065.65
Creditors for Expenses		**997.35**		649.43
Other Liabilities		**388.90**		373.14
	Total	**5173.09**		4088.22

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE IX

FEES

	Amount Year ended 31/03/2007	Rs.in lacs Amount Year ended 31/03/2006
Distant Education	**5966.64**	3581.80
Examination	**2739.92**	2687.56
Membership	**1425.07**	1376.27
Information System Audit Course	**231.77**	297.17
General Management Skill Course	**428.91**	428.70
Coaching Class Income (Regional Councils and Branches)	**301.90**	228.40
Insurance and Risk Management Course	**17.94**	24.60
Students' Registration	**171.57**	34.88
CAAT Course	**1.81**	9.86
Entrance	**10.50**	9.02
International Trade Laws & WTO Course	**13.30**	9.65
Students' Association	**116.00**	8.71
TOTAL	**11425.33**	8696.62

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE X

OTHER INCOME

	Amount Year ended 31/03/2007	Rs.in lacs Amount Year ended 31/03/2006
Publications	567.03	378.00
Interest on Investments	529.46	234.75
Students' Newsletter	8.52	13.27
Income from Journal -- Subscription	179.82	119.42
News Letters	53.89	56.06
Computer Centres	49.12	41.04
Fees for filing Disciplinary Cases	0.20	0.24
Campus Interview	355.62	188.40
Expert Advisory Committee Fee	5.25	11.85
Interest on Staff Loans	14.80	15.01
Provisions no longer required written back	1.37	3.83
Others	156.81	117.19
Prior Period Income (Refer to Note No 2.8 of Schedule XIII)	14.22	8.16
Total	1936.11	1187.22

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XI

OTHER OPERATING EXPENSES

	Rs.in lacs	
	Amount Year ended 31/03/2007	Amount Year ended 31/03/2006
Postage ,Telephone & Telegrams	**735.50**	610.31
Rent Rates & Taxes	**400.37**	334.56
Travelling & Conveyance-Inland	**622.37**	580.76
Overseas Relations:		
-Travelling	**131.09**	85.92
-Membership Fee of Foreign Professional Bodies	**56.10**	53.73
-Other Expenses	**34.19**	9.58
Repairs & Maintenance	**498.79**	256.50
Publications	**264.29**	192.30
Fees & Expenses to Examiners,Consultants and Others	**1115.21**	858.68
General Management Skill Course	**253.08**	260.40
Coaching Class Expenses (Regional Councils and Branches)	**164.75**	139.95
Advertisements	**220.45**	79.77
Office Meeting Expenses	**48.97**	42.44
Computer Centres	**21.75**	20.39
Merit Scholarship	**6.75**	2.47
Audit Fee		
- Head Office	**3.37**	2.48
- Other Offices	**8.96**	8.76
Other Expenses	**299.31**	192.52
Prior Period Expenses (Refer to Note No 2.8 of Schedule XIII)	**21.71**	12.61
Total	**4907.01**	3744.13

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XII

STATEMENT ON SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES.

I ACCOUNTING CONVENTION

These accounts are drawn up on historical cost basis and have been prepared in accordance with the applicable Accounting Standards and are on accrual basis unless otherwise stated.

II REVENUE RECOGNITION

a. Membership Fee :

(i) The Entrance Fee is charged at the time of admission of a person as member and one third thereof is recognized as income.

(ii) Annual Membership and Certificate of Practice Fee are recognized in the year as and when these become due.

b. Distant Education and Post Qualification Course Fee are recognized over the period of instructions.

c. Examination Fee is recognized on the basis of conduct of examinations.

d. Subscription for Journal is recognized in the year as and when it becomes due.

e. Revenue from Sale of Publication is recognized based on the Sale Value of the publications delivered to the Purchaser.

f. Income from Investments

i Dividend on investments in units is recognized as income on the basis of entitlement to receive.

ii. Income on interest bearing securities and fixed deposits is recognized on a time proportion basis taking into account the amount outstanding and the rate applicable.

III ALLOCATIONS/TRANSFER TO CAPITAL RESERVE AND EARMARKED FUND

a. Admission Fee from Fellow Members and 2/3rd portion of the Entrance Fee from persons admitted as Members are taken to Capital Reserve.

b. Donations received during the year for buildings and for Research purpose are accounted for directly under the respective Reserves Account.

c. 25% of the Distant Education Fee not exceeding 50% of the net surplus of the year is transferred to Education fund.

d. 0.75% of Membership Fee (Associate and Fellow and Certificate of Practice Fee) received from the members during the year is allocated to the Employees' Benevolent Fund.

e. Transfer to Capital Reserve (Education) from the following earmarked funds :-

i. From Computerisation Fund	100% of the cost of purchase of computers and related accessories in relation to Decentralised Offices and Head Office computerization Project.
ii. From Accounting Research Foundation Fund	100% of the cost of Fixed Assets and other Building relating to Accounting Research foundation
iii.From Education Fund	50% of the cost of additions (net of deductions) to other Fixed Assets.

f. Income from investments is allocated to Earmarked Funds on opening balances of the respective Earmarked Funds on the basis of weighted average method.

IV **FIXED ASSETS/DEPRECIATION AND AMORTISATION**

a. Fixed Assets excluding land are stated at historical cost less depreciation.

b. Free hold land is stated at cost. Leasehold land is stated at the amount of premium paid for acquiring the lease rights. The premium so paid is amortized over the period of the lease.

c. Depreciation is provided on the written down value method at the following rates as approved by the Council based on the useful life of the respective assets :

Buildings	5%
Air conditioners & Office Equipments	15%
Lifts , Electrical Installations & Furniture & Fixtures	10%
Vehicles	20%
Computers	60%

d. Depreciation on additions is provided on monthly pro-rata basis.

e. Library Books are depreciated at the rate of 100% in the year of purchase.

f. Intangible Assets (Software) are amortized equally over a period of three years.

V **INVESTMENTS**

a. Long term Investments are carried at cost and decline, other than temporary in value is provided for.

b. Current investments are carried at lower of cost or fair value.

VI **INVENTORIES**

Inventories of paper, stationery, publications and study material are valued at lower of cost or net realizable value. The cost is determined on FIFO Method.

VII **FOREIGN CURRENCY TRANSACTIONS**

a. Foreign currencies transactions are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount the exchange rate prevailing at the date of transaction.

b. All incomes and expenses are translated at average rate. All monetary assets are translated at the year end rates where as non-monetary assets are translated at the rate on the date of transaction.

c. Any income or expense on account of exchange rate difference is recognized in the Income and Expenditure Account.

VIII **TERMINAL/RETIREMENT BENEFITS.**

a. The provision for liability towards gratuity is based on Actuarial Valuation at the year end and is recognized as expense .

b. The provision for liability towards pension and leave encashment is based on Actuarial Valuation at the year end and is recognized as expense.

c. Contributions to Provident Fund Trust maintained by the Institute are recognized as expense.

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

SCHEDULE XIII

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS

1. CONTINGENT LIABILITIES

1.1 Rs.30.79 Lacs towards disputed amount for Property/Building Tax in respect of building at two locations (Previous year Rs. 26.99 Lacs).

1.2 Rs. 83.24 Lacs in respect of claims (Previous year Rs. 51.48 Lacs) from various parties not acknowledged as debt by the Institute.

2. OTHER NOTES

2.1 Estimated amount of capital commitments (net of advances) – Rs.951.39 Lacs (Previous Year Rs. 51.35 Lacs).

2.2 A. *Free hold land includes:*

(i) Rs.6.17 Lacs (Previoius Year Rs.6.02 lacs) relating to the land purchased and acquired at New Delhi from Land and Development Authority for which registration is pending.

B. *Leasehold Land includes:*

(i) Rs. 2.51 Lacs (Previous year Rs.2.51 Lacs) relating to the Land at Hubli. Possession of this land is yet to be handed over to the Institute and is subject to settlement of demand for Rs.21.30 Lacs raised by the Hubli Dharwad Urban Development Authority and is under dispute.

(ii) Rs.33.76 Lacs (Previous year Rs.33.21) relating to Land at Indore where registration of the Lease deed is pending.

2.3 Building includes Rs.8.77 Lacs (Previous Year Rs. 8.77 Lacs) being the cost of branch building at Baroda, the Conveyance Deed of the branch premises is yet to be executed since the branch has applied for concession in stamp duty.

2.4 Loans and Advances include Interest free advance for a sum of Rs.599.78 Lacs (Previous year Rs.565.48 Lacs) to ICAI Accounting Research Foundation.

2.5 Pending receipts of Audited accounts of one branch of the Regional Council its un-audited accounts have been incorporated

2.6 Exemption in respect of Income Tax has been granted under Section 10(23C) (iv) of the Income Tax Act, 1961 up to the Assessment Year 2005-06. Application for renewal of exemption thereof is under consideration of the tax authorities.

No provision for Income Tax/Deferred Tax Asset /Liability, Fringe Benefit Tax is considered necessary.

2.7 Only directly attributable expenses on the activities of Publications and Seminars have been charged to these heads of expenditure respectively and indirect expenditure on these activities is charged to functional heads of expenditure.

2.8 Prior period income includes following

	2006-07 Rs. in Lacs	2005-06 Rs. in Lacs
Seminar Income	-----	0.30
Administrative Expenses (EU Project	----	2.61
Others	14.22	5.25
Total	14.22	8.16

Prior period expenses includes following:-

Security Arrangements	-------	1.41
Maintenance/House Keeping Charges	0.08	0.51
Printing & Stationery	3.62	------
Distant Education Fee	7.03	-----
Consultancy Fees	------	0.60
Others	10.98	10.09
Total	21.71	12.61

2.9 The Institute operates predominantly in India and in one business segment delivering member and education services to the profession of Chartered Accountancy. The income statement discloses the revenue derived from this segment for each of these services.

2.10 Previous year figures have been re-grouped and re-classified wherever considered necessary to make it comparable with those of current year.

Dr. ASHOK HALDIA, Secy.

[ADVT-III/IV/Exty./104/07]

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.